WHITE BOOK

COACH UP IAS
YOUR SELECTION Is OUR BUSINESS

सामाजिक न्याय

सिविल सेवा परीक्षा के लिए

IAS COACH ASHUTOSH SRIVASTAVA

IAS COACH MANISH SHUKLA

8009803231 / 9236569979

Saarthi

THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager **(1 Topic 1 page)** Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.

Ashutosh Srivastava
(B.E., MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.

Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय (Social Justice) क्या है?

परिभाषा:

सामाजिक न्याय का अर्थ है – समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, अधिकार और संसाधनों का लाभ दिलाना ताकि सभी लोग गरिमा (dignity), समानता (equality) और स्वतंत्रता (freedom) के साथ जीवन जी सकें।

➡ सरल शब्दों में – सामाजिक न्याय का मतलब है कि **जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, भाषा या आर्थिक स्थिति** के आधार पर किसी के साथ अन्याय न हो और हर किसी को समान अधिकार और अवसर मिलें।

सामाजिक न्याय – घटक (Components of Social Justice in Hindi)

1. समानता (Equality)

अवधारणा: किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न होना। वास्तविक सामाजिक न्याय केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ (Substantive) समानता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध।
- अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर।
- अनुच्छेद 39(b)(c) – धन व संसाधनों का समान वितरण।

उदाहरण:

- अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण।
- NALSA निर्णय (2014) – ट्रांसजेंडर को अधिकार।
- नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018) – धारा 377 हटाई गई।

2. स्वतंत्रता (Liberty)

अवधारणा: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पेशा और जीवन जीने की स्वतंत्रता।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 19 – छः प्रकार की स्वतंत्रताएँ (भाषण, संगठन, संघ, गमन, निवास, पेशा)।
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 22 – मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण।

उदाहरण:

- केसवानंद भारती (1973) – स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना।
- पुट्टस्वामी केस (2017) – निजता का अधिकार।

3. समन्याय / न्यायोचितता (Equity / Fairness)

अवधारणा: असमानों के लिए विशेष प्रावधान ताकि वास्तविक न्याय सुनिश्चित हो।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 15(4), 15(5) – पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
- अनुच्छेद 46 – कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा।

उदाहरण:

- मंडल आयोग की सिफारिशों पर ओबीसी आरक्षण (1990)।
- 103वाँ संविधान संशोधन (2019) – ईडब्ल्यूएस कोटा।

4. अधिकार (Rights)

अवधारणा: सामाजिक न्याय का आधार – मौलिक एवं मानव अधिकार।

संवैधानिक प्रावधान:

- मौलिक अधिकार (भाग-III)।
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (भाग-IV)।
- अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार।

उदाहरण:

- PUCL बनाम भारत संघ (2001) – खाद्य का अधिकार → राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार माना गया।

5. भागीदारी / प्रतिनिधित्व (Participation / Representation)

अवधारणा: कमजोर तबकों की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में उचित हिस्सेदारी।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 330, 332 – संसद व विधानसभा में आरक्षण।
- अनुच्छेद 243D – पंचायतों/नगरपालिकाओं में महिलाओं, SC/ST के लिए सीट आरक्षित।
- महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अधिनियम, 2023।

उदाहरण:

- पंचायती राज संस्थाओं में 14 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि।
- अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु राजनीतिक आरक्षण।

6. कमजोर वर्गों का संरक्षण (Protection of Vulnerable Groups)

अवधारणा: हाशिये पर मौजूद समूहों की विशेष सुरक्षा।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- अनुच्छेद 23, 24 – मानव-तस्करी और बाल-श्रम का निषेध।
- अनुच्छेद 29, 30 – अल्पसंख्यक अधिकार।

उदाहरण:

- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
- विकलांगजन अधिकार अधिनियम, 2016।

7. संसाधनों का पुनर्वितरण (Redistribution of Resources)

अवधारणा: धन और अवसरों की असमानता को कम करना।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 39(b)(c) – संसाधनों का समान वितरण।
- अनुच्छेद 43 – उचित जीवन स्तर व जीविकोपार्जन।

उदाहरण:

- भूमिसुधार (भूदान आंदोलन, जमींदारी उन्मूलन)।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013।

8. गरिमा एवं मानव विकास (Dignity & Human Development)

अवधारणा: न्याय का अंतिम उद्देश्य – व्यक्ति की गरिमा और उसकी क्षमताओं का विकास।

सिद्धांत:

- अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach)।
- मार्था नुसबाउम का मानव विकास सिद्धांत।

उदाहरण:

- "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना।
- "स्वच्छ भारत मिशन" – स्वच्छता और गरिमा।

9. कानून का शासन एवं सामाजिक सद्भाव (Rule of Law & Social Harmony)

अवधारणा: कानून के शासन और सांप्रदायिक सद्भाव के बिना न्याय अधूरा।

संवैधानिक प्रावधान:

- प्रस्तावना – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
- अनुच्छेद 25–30 – धर्म और अल्पसंख्यक अधिकार।
- धर्मनिरपेक्षता – संविधान की मूल संरचना।

उदाहरण:

- शाह बानो केस (1985) – लैंगिक न्याय की बहस।
- समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) पर विमर्श।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

- विश्व **स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति** के रूप में परिभाषित करता है , न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में ।
- स्वास्थ्य सेवा उद्योग में **अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।**
- वर्तमान में, **भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मिश्रण** शामिल है ।
- प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का नेटवर्क **, जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा संचालित है, निःशुल्क या बहुत कम लागत वाली चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करता है।**
- एक व्यापक निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भी है, जो व्यक्तिगत डॉक्टरों और उनके क्लीनिकों से लेकर सामान्य अस्पतालों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक, पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है।

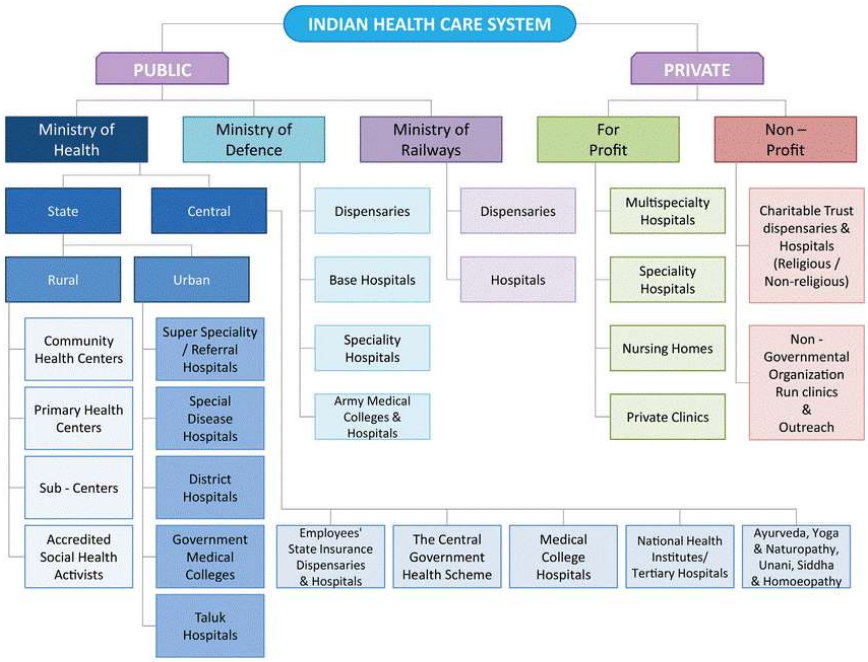

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित समस्याएं

अपर्याप्त चिकित्सा कर्मी:

- ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा स्टाफ, बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की भारी कमी है। **डॉक्टर: जनसंख्या 1:1800** और 78% डॉक्टर शहरी भारत (30% जनसंख्या) को सेवाएं प्रदान करते हैं।
- सेवाओं की आपूर्ति में भारी कमी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधन, अस्पताल और निदान केंद्र) जो राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर अत्यधिक असमान उपलब्धता के कारण और भी बदतर हो गई है।
- उदाहरण के लिए, तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्य में भी सरकारी सुविधाओं में चिकित्सा और गैर-चिकित्सा पेशेवरों की 30% से अधिक कमी है।
- 61% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल एक डॉक्टर है, जबकि लगभग 7% बिना किसी डॉक्टर के काम कर रहे हैं।
- 33% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब तकनीशियन नहीं है, तथा 20% में फार्मासिस्ट नहीं है।
- ओडिशा जैसे राज्यों में डॉक्टरों के 3,000 से अधिक सरकारी पद या सभी सरकारी चिकित्सा डॉक्टरों के लगभग 50% पद रिक्त पड़े हैं।

स्वास्थ्य बजट:

- **स्वास्थ्य** क्षेत्र पर भारत का व्यय 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर **2017-18 में मात्र 4 प्रतिशत** हो गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य इसे **सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% रखना था।**
- स्वास्थ्य बजट में न तो वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है और न ही कमी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र को मज़बूत करने की कोई नीति है।
- **आयुष्मान भारत योजना पोर्टेबिलिटी तो प्रदान करती है, लेकिन** यह नहीं भूलना चाहिए कि कमी वाले क्षेत्रों में अस्पताल स्थापित होने में समय लगेगा।
- इसके परिणामस्वरूप मरीज दक्षिणी राज्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जहां स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा शेष भारत की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है।

बुनियादी ढांचे की बाधाएं:

- जैसा कि हाल ही में देखा गया है, **कोविड-19 जैसी महामारियों** के दौरान मरीजों के अतिरिक्त भार को संभालने के लिए भारत के बुनियादी ढांचे की क्षमता पर संदेह है।
- सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही नीति के तहत चिकित्सा पर्यटन (विदेशी पर्यटक/रोगी) में वृद्धि हो रही है, तथा घरेलू मरीज भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनमें बीमाकृत और गैर-बीमाकृत दोनों प्रकार के मरीज शामिल हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का पतन:

- देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत को देखते हुए, अधिकांश मरीज निजी क्लीनिकों और अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं।
- **पीएचसी (22%)** और **उप-स्वास्थ्य केंद्रों (20%)** की कमी है , जबकि **केवल 7% उप-स्वास्थ्य केंद्र और 12% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के मानदंडों को पूरा करते हैं** ।
- उत्तरी राज्यों में शायद ही कोई उप-केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो लगभग न के बराबर हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से पहली मील की दूरी तक संपर्क टूटा हुआ है। **उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में हर 28 गाँवों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है।**

निजी खिलाड़ियों की मजबूत भूमिका:

- भारत में लगभग 70 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाएँ निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं। यदि आर्थिक बाधाओं या अन्य कारकों के कारण निजी स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा जाती हैं, तो भारत की पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमरा सकती है।
- **कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक** निजी क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है।
- हालाँकि, टियर-2 और टियर-3 शहरों में निजी अस्पतालों की पर्याप्त उपस्थिति नहीं है और टियर-1 शहरों में सुपर स्पेशलाइजेशन की ओर रुझान है।
- निजी क्षेत्र में **पारदर्शिता की कमी और अनैतिक प्रथाएँ** ।
- **सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के बीच समान अवसर का अभाव** एक बड़ी चिंता का विषय रहा है क्योंकि सार्वजनिक अस्पतालों को बजटीय सहायता मिलती रहेगी। इससे **निजी क्षेत्र सरकारी योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने से कतराएगा** ।

उच्च जेब खर्च:

- **मार्च 2021 में जारी नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमानों** के अनुसार , मरीज स्वास्थ्य व्यय का एक बड़ा हिस्सा, जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 61 प्रतिशत है, स्वयं वहन करते हैं।

- यहाँ तक कि गरीब लोग भी निजी स्वास्थ्य सेवा लेने को मजबूर हैं, और इसलिए उन्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। नतीजतन, अनुमान है कि स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च के कारण हर साल 6.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में असमानताएँ भूगोल, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आय वर्ग जैसे कई कारकों के कारण मौजूद हैं। श्रीलंका, थाईलैंड और चीन जैसे देशों की तुलना में, जिनकी शुरुआत लगभग समान स्तर से हुई थी, भारत स्वास्थ्य सेवा परिणामों के मामले में अपने समकक्षों से पीछे है।

बीमा की खराब पहुंच:

- भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पर खर्च दुनिया में सबसे कम है। बीमा में सरकारी योगदान लगभग 32 प्रतिशत है, जबकि ब्रिटेन में यह 83.5 प्रतिशत है।
- भारत में स्वास्थ्य बीमा पर होने वाले खर्च का कारण यह है कि 76 प्रतिशत भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

फर्जी डॉक्टर:

- **ग्रामीण चिकित्सा व्यवसायी (आरएमपी),** जो 80% बाह्य रोगी देखभाल प्रदान करते हैं, उनके पास **इसके लिए कोई औपचारिक योग्यता नहीं है।**
- लोग **नीम-हकीमों** के झांसे में आ जाते हैं , जिसके कारण अक्सर गंभीर विकलांगता और जान का नुकसान होता है।

अनेक योजनाएँ और उनकी सीमाएँ:

- सरकार ने कई नीतियां और स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन सफलता आंशिक ही रही है।
- राष्ट्रीय **स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2002 में** 2010 तक स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के दो से तीन प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था, जो अभी तक नहीं हुआ है।
- अब, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में** इसे 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक ले जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भारत के प्रमुख कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की** समग्र स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।
- राज्यों द्वारा स्वास्थ्य व्यय में एकसमान और पर्याप्त वृद्धि के अभाव में, स्वास्थ्य बजट में एनएचएम की हिस्सेदारी 2006 में 73% से घटकर 2019 में 50% रह गई।

समग्र दृष्टिकोण के बिना स्वास्थ्य सेवा :

- बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई निर्धारक तत्व हैं, जैसे बेहतर पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता; बेहतर पोषण परिणाम, महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा; बेहतर वायु गुणवत्ता और सुरक्षित सड़कें, जो **स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे** से **बाहर हैं।**

विशेष रूप से शहरी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मुद्दे

- **ग्रामीण-शहरी असमानता:** हाल तक , केंद्र सरकार का ज़्यादातर ध्यान ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर था। उदाहरण: 2019-20 में शहरी क्षेत्रों पर व्यय ₹850 करोड़ था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग ₹30,000 करोड़ था।
- **सरकारी प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव:** 9,072 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (यूपीएचसी) के मानक-आधारित लक्ष्य के मुकाबले, केवल 5,190 ही कार्यरत हैं।
- **ज़्यादातर राज्यों में शहरी उप-केंद्र (SC)** नहीं हैं , जो लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने का पहला केंद्र हों। शहरी क्षेत्रों में केवल 3,000 उप-केंद्र हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 1,50,000 से ज़्यादा है।
- शहरी क्षेत्रों में भी बुनियादी देखभाल के लिए **' अत्यधिक अस्पतालीकरण'** की समस्या है, जो कि आदर्श रूप से क्लीनिकों में की जाती है।
- **राज्य सरकार द्वारा कार्यों के हस्तांतरण का अभाव** और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी एजेंसियों के बीच **भूमिका की स्पष्टता का अभाव**
- **शहरी स्थानीय निकायों की खराब वित्तीय स्थिति** , तथा स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता दी जाना।

विशेष रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मुद्दे

- ग्रामीण भारत में केवल **11% उप-केन्द्र, 13% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और 16% सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) ही भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) को पूरा करते हैं।**
- प्रत्येक 10,000 लोगों पर केवल एक एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है तथा 90,000 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल उपलब्ध है।
- निर्दोष और अशिक्षित मरीजों या उनके रिश्तेदारों का शोषण किया जाता है, और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानने की अनुमति दी जाती है।
- अधिकांश केन्द्र **अकुशल या अर्ध-कुशल पैरामेडिक्स द्वारा चलाए जाते हैं तथा** ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर कभी-कभार ही उपलब्ध होते हैं।
- आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तृतीयक देखभाल अस्पताल भेजा जाता है, जहां वे अधिक भ्रमित हो जाते हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और बिचौलियों के समूह द्वारा आसानी से धोखा खा जाते हैं।
- **बुनियादी दवाओं की अनुपलब्धता** भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की एक सतत समस्या है।
- कई ग्रामीण अस्पतालों में नर्सों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ

स्वास्थ्य राज्य का विषय है , इसलिए केन्द्र सरकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

- 2025 तक भारत सरकार स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय को **सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने की योजना बना रही है।**
- केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 65,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया।
- बजट 2020-21 में, भारत सरकार ने लगभग 34,000 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विस्तार को मंजूरी दी है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)** के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: आशा कार्यकर्ता, एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू), दवाएं और उपकरण, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) के लिए सहायता।
- राष्ट्रीय **पोषण मिशन ने** कुपोषण और बौनेपन की समस्या को 2% तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
- आयुष्मान **भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)** - यह सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है।
- केंद्रीय बजट 2020-21 में पीएमजेएवाई को 6400 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया था।
- नवंबर 2019 तक, आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई के तहत 63 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज मिला है।
- केंद्रीय बजट 2020-21 में, भारत सरकार ने **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए ।

वैश्विक स्वास्थ्य व्यय डेटाबेस

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक उपाय

- **सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने** की तत्काल आवश्यकता है , हालांकि यह वैश्विक औसत 5.4% से कम है।
- **सभी के लिए संकट-मुक्त और व्यापक कल्याण प्रणाली की उपलब्धि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों** के प्रदर्शन पर निर्भर करती है क्योंकि वे स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्च के अधिक बोझ को कम करने में सहायक होंगे।
- स्वास्थ्य व्यय में अनियमित और अपर्याप्त वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति से हटकर अगले दशक में सार्वजनिक स्वास्थ्य में पर्याप्त और निरंतर निवेश करने की आवश्यकता है।
- देश भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता (उदाहरण के लिए स्वास्थ्य चिकित्सकों का पंजीकरण), प्रदर्शन, समानता, प्रभावकारिता और जवाबदेही में सुधार के लिए एक **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक और विकास ढांचा बनाने की आवश्यकता है।**
- स्वास्थ्य सेवा की अंतिम छोर तक पहुंच बढ़ाने के लिए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को** बढ़ाना ।

- दवाओं को सस्ता बनाने और जेब से होने वाले खर्च के प्रमुख घटक को कम करने के लिए **जेनेरिक दवाओं और जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।**
- सरकार की **राष्ट्रीय नवाचार परिषद** , जिसका कार्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रमुख प्रतिभागियों के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है, को भारत में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा नवाचारों पर नीति विकसित करने में मदद करनी चाहिए, जो समावेशी विकास के लिए भारतीय मॉडल पर केंद्रित होगी।
- **भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए थाईलैंड जैसे अन्य विकासशील देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए । यूएचसी में तीन घटक शामिल हैं: जनसंख्या कवरेज, रोग कवरेज और लागत कवरेज।
- स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कंप्यूटर और मोबाइल फोन आधारित ई-हेल्थ और एम-हेल्थ पहलों जैसी **सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का लाभ** उठाना । **स्टार्ट-अप्स** प्रक्रिया स्वचालन से लेकर निदान और कम लागत वाले नवाचारों तक, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए नीतिगत और नियामक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

- भारत को स्वास्थ्य सेवा उद्योग की समस्याओं से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- इसमें **सभी हितधारकों** अर्थात सार्वजनिक, निजी क्षेत्र और व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग शामिल है।
- **सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने** की तत्काल आवश्यकता है , **हालांकि यह वैश्विक औसत 5.4% से कम है।**
- **सभी के लिए संकट-मुक्त और व्यापक कल्याण प्रणाली** की उपलब्धि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है क्योंकि वे स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्च के अधिक बोझ को कम करने में सहायक होंगे।
- स्वास्थ्य व्यय में अनियमित और अपर्याप्त वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति से हटकर अगले दशक में सार्वजनिक स्वास्थ्य में पर्याप्त और निरंतर निवेश करने की आवश्यकता है।
- देश भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता (उदाहरण के लिए स्वास्थ्य चिकित्सकों का पंजीकरण), प्रदर्शन, समानता, प्रभावकारिता और जवाबदेही में सुधार के लिए एक **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक और विकास ढांचा बनाने की आवश्यकता है।**
- स्वास्थ्य सेवा की अंतिम छोर तक पहुंच बढ़ाने के लिए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना ।**
- दवाओं को सस्ता बनाने और जेब से होने वाले खर्च के प्रमुख घटक को कम करने के लिए **जेनेरिक दवाओं और जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।**
- सरकार की राष्ट्रीय नवाचार परिषद, जिसका कार्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रमुख प्रतिभागियों के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है, को भारत में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा नवाचारों पर नीति विकसित करने में मदद करनी चाहिए, जो समावेशी विकास के लिए भारतीय मॉडल पर केंद्रित होगी।
- भारत को थाईलैंड जैसे अन्य विकासशील देशों से प्रेरणा लेकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की दिशा में काम करना चाहिए। यूएचसी में तीन घटक शामिल हैं: जनसंख्या कवरेज, रोग कवरेज और लागत कवरेज।
- **स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कंप्यूटर और मोबाइल फोन आधारित ई-हेल्थ और एम-हेल्थ पहलों जैसी सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का लाभ उठाना ।** स्टार्ट-अप्स प्रक्रिया स्वचालन से लेकर निदान और कम लागत वाले नवाचारों तक, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए नीतिगत और नियामक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- महामारी के दौरान प्रदर्शित **गैर-गंभीर देखभाल में आयुष सेवाओं का लाभ उठाना एलोपैथिक सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।**
- दोहरे रोग भार से निपटने के लिए अधिक गतिशील और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।
- **स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच** से राष्ट्र स्वस्थ और तंदुरुस्त बनता है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में मदद मिलती है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का अर्थ है कि **सभी व्यक्तियों और समुदायों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों**। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल तक आवश्यक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला शामिल है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मूल विचार यह है कि **भुगतान करने की क्षमता की कमी के कारण किसी को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । हाल के दिनों में, यूएचसी मानव समानता, सुरक्षा और सम्मान का** एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गया है ।
- यूएचसी दुनिया भर में सार्वजनिक नीति का एक सर्वमान्य उद्देश्य बन गया है। **कई देशों में इसे बड़े पैमाने पर लागू भी किया जा चुका है,** न केवल अमीर देशों (अमेरिका को छोड़कर) में, बल्कि ब्राज़ील, चीन, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे अन्य देशों में भी, जो लगातार बढ़ रहे हैं।
- लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी जेब से भुगतान करने के वित्तीय परिणामों से बचाने से **यह जोखिम कम हो जाता है कि लोग गरीबी में धकेल दिए जाएंगे,** क्योंकि अप्रत्याशित बीमारी के कारण उन्हें अपने जीवन भर की बचत खर्च करनी पड़ती है, संपत्ति बेचनी पड़ती है, या उधार लेना पड़ता है - जिससे उनका और अक्सर उनके बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाता है।
- **यूएचसी को प्राप्त करना उन लक्ष्यों में से एक है, जो विश्व के राष्ट्रों ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाते समय निर्धारित किए थे।** यदि भारत इसे प्राप्त कर लेता है, तो इसके परिणामस्वरूप बच्चों और वयस्कों का समग्र स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिससे अंततः वे गरीबी से बाहर आ जाएंगे, और यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार बनेगा।
- अब समय आ गया है कि भारत (या कम से कम कुछ भारतीय राज्यों) को इसमें कदम उठाना चाहिए।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का महत्व

- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण** पर सीधा प्रभाव पड़ता है ।
- **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग लोगों को अपने परिवारों और समुदायों के लिए अधिक उत्पादक और सक्रिय योगदानकर्ता** बनने में सक्षम बनाता है ।
- इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि **बच्चे स्कूल जा सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें** ।
- साथ ही, **वित्तीय जोखिम संरक्षण लोगों को गरीबी में धकेले जाने से बचाता है,** जब उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है।
- इस प्रकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज **सतत विकास और गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण घटक** है , तथा सामाजिक असमानताओं को कम करने के किसी भी प्रयास का एक प्रमुख तत्व है।
- **सार्वभौमिक कवरेज , सभी नागरिकों के कल्याण में सुधार लाने** के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पहचान है ।

यूएचसी प्राप्त करने के मार्ग क्या हैं?

- यूएचसी आमतौर पर दो बुनियादी तरीकों में से एक या दोनों पर निर्भर करता है: **सार्वजनिक सेवा और सामाजिक बीमा।** पहले तरीके में, **स्वास्थ्य सेवा एक निःशुल्क सार्वजनिक सेवा के रूप में प्रदान की जाती है** , ठीक वैसे ही जैसे अग्निशमन विभाग या सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- दूसरा दृष्टिकोण (सामाजिक बीमा) **स्वास्थ्य देखभाल के निजी और सार्वजनिक प्रावधान की** अनुमति देता है , लेकिन **लागत ज्यादातर सामाजिक बीमा निधि द्वारा वहन की जाती है, न कि रोगी द्वारा।**
- निजी बीमा बाजार से बिल्कुल अलग, यह वह बाजार है जहां **बीमा अनिवार्य और सार्वभौमिक है** , जिसका वित्तपोषण मुख्य रूप से **सामान्य कराधान से होता है,** तथा सार्वजनिक हित में एक एकल गैर-लाभकारी एजेंसी द्वारा इसका संचालन किया जाता है।

- मूल सिद्धांत यह है कि सभी को बीमा कवर मिलना चाहिए तथा बीमा **निजी लाभ के बजाय सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।**

यूएचसी के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता:** सामाजिक बीमा पर आधारित व्यवस्था में भी, सार्वजनिक सेवा एक आवश्यक भूमिका निभाती है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और निवारक कार्यों के लिए समर्पित **सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपस्थिति , हर दूसरे दिन महंगे अस्पतालों में मरीजों के भागने का जोखिम** पैदा करती है , जिससे पूरी व्यवस्था बेकार और महंगी हो जाती है।
- **लागत पर नियंत्रण:** सामाजिक बीमा के साथ लागत पर नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मरीजों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का महंगी देखभाल में संयुक्त हित होता है - एक के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करना और दूसरे के लिए कमाई करना।
- एक संभावित उपाय यह है कि रोगी को लागत का कुछ हिस्सा वहन करना पड़े, लेकिन यह **यूएचसी के सिद्धांत के विपरीत है।**
- हाल के साक्ष्यों से पता चलता है कि **छोटे सह-भुगतान भी अक्सर कई गरीब मरीजों को** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर देते हैं।
- **यूएचसी के अंतर्गत सेवाओं की पहचान करना:** एक और बड़ी चुनौती यह पहचान करने में है **कि कौन सी सेवाएं सर्वत्र उपलब्ध कराई जाएंगी** तथा **वित्तीय सुरक्षा का कौन सा स्तर** स्वीकार्य माना जाएगा।
- संपूर्ण जनसंख्या को एक जैसी सेवाएं प्रदान करना **आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं** है और इसके लिए **भारी मात्रा में संसाधन जुटाने की आवश्यकता है।**
- **निजी क्षेत्र का विनियमन:** सामाजिक बीमा के साथ एक और चुनौती निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का विनियमन है। लाभ-प्राप्त और गैर-लाभकारी प्रदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया जाना आवश्यक है।
- गैर-लाभकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने दुनिया भर में बहुत अच्छा काम किया है
- हालांकि, लाभ-प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल, अत्यधिक समस्याग्रस्त है, क्योंकि इसमें लाभ की भावना और रोगी की **भलाई के बीच व्यापक संघर्ष होता है ।**

HOPS फ्रेमवर्क क्या है और यह UHC को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा?

- यूएचसी के लिए एक ऐसे ढाँचे की कल्पना करना संभव है जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा को एक सार्वजनिक सेवा के रूप में स्थापित करेगा। इस ढाँचे को **"स्वास्थ्य सेवा एक वैकल्पिक सार्वजनिक सेवा" (एचओपीएस) कहा जा सकता है।**
- एचओपीएस के तहत, हर किसी को, अगर वह चाहे तो, किसी भी सार्वजनिक संस्थान में **मुफ़्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार** होगा । यह किसी को भी अपने खर्च पर निजी क्षेत्र से स्वास्थ्य सेवा लेने से नहीं रोकेगा।
- लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र सभी को अधिकार के रूप में निःशुल्क **अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की गारंटी देगा ।**
- **उदाहरण:** कुछ भारतीय राज्य पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि **केरल और तमिलनाडु** में , अधिकांश बीमारियों का सार्वजनिक क्षेत्र में रोगी के लिए बहुत कम लागत पर संतोषजनक उपचार किया जा सकता है।
- **महत्व:** यदि सार्वजनिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल निःशुल्क उपलब्ध हो, तो अधिकांश रोगियों के लिए **निजी क्षेत्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।**
- सामाजिक बीमा भी इस ढांचे में भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह उन प्रक्रियाओं को कवर करने में मदद कर सकता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं (जैसे, उच्च स्तरीय सर्जरी)।
- यद्यपि HOPS प्रारम्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मॉडल जितना समतावादी नहीं होगा, फिर भी यह **UHC की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।**
- इसके अलावा, समय के साथ यह **अधिक समतावादी बन जाएगा** , क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती श्रृंखला प्रदान करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित वर्तमान में उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय **स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में** प्राथमिक देखभाल के लिए दो-तिहाई या उससे अधिक संसाधनों के आवंटन की वकालत की गई थी, क्योंकि इसमें "निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल अभिविन्यास के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर" को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)** के लिए इस वर्ष आवंटन में 167% की वृद्धि की गई है - यह **बीमा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक** के अस्पताल में भर्ती खर्च के लिए कवर करना है ।
- सरकार ने हाल ही में टियर II और टियर III शहरों में **अस्पताल खोलने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं।**
- अलग-अलग राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को समर्थन देने के लिए **तकनीक अपना रहे** हैं । उदाहरण के लिए, रेमेडिनेट टेक्नोलॉजी (भारत का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दावा प्रसंस्करण नेटवर्क) को कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में घोषित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए तकनीकी साझेदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल

संभावनाएँ:

- **सामर्थ्य में वृद्धि:** दवाओं को सस्ता बनाने के लिए मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत दवाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।
- **समावेशिता में वृद्धि:** अकेले सरकार के लिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे और क्षमता की कमी को पूरा करना मुश्किल है।
- स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए, कर्नाटक की यशस्विनी सहकारी किसान स्वास्थ्य सेवा योजना और आंध्र प्रदेश की आरोग्य रक्षा योजना को सफल उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।
- **वित्तपोषण तंत्र:** स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें समानता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है।
- **बुनियादी ढाँचा:** नीति आयोग ने जिला अस्पतालों पर केंद्रित एक नए मॉडल और प्रक्रियाओं के मूल्य निर्धारण के नए मानदंडों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण में पीपीपी में नई जान फूंकने का प्रयास किया है।
- जिला अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे को 30 वर्षों के लिए निजी प्रदाताओं को उपलब्ध कराने के प्रावधानों के साथ-साथ व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण से ऐसा प्रतीत होता है कि हमने पीपीपी मॉडल के लिए सही डिज़ाइन तैयार कर लिया है।
- **सेवा की गुणवत्ता:** भारत में निजी स्वास्थ्य सेवाएँ आमतौर पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करती हैं, लेकिन अक्सर महंगी और बड़े पैमाने पर अनियमित होती हैं।
- दिल्ली सरकार की नई योजना आम आदमी के लिए एक नई बात है, लेकिन कर्मचारियों के लिए कई सरकारी योजनाओं में यह एक मिसाल है, जिनमें निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दशकों से चली आ रही है और कई राज्यों ने इसका अनुकरण किया है।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** निजी कंपनियां सरकारी बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर काम करके पीपीपी मोड के माध्यम से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी में मुद्दे

- सरकार और निजी क्षेत्र राजस्व और जोखिम को किस प्रकार साझा करेंगे, यह तय करने के लिए कोई **अंतर्निहित तंत्र नहीं है ।**
- निजी क्षेत्र का उद्देश्य **अधिकतम लाभ** कमाना है , जो सभी को सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के सरकार के उद्देश्य के विपरीत है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र और साझेदारी को विनियमित करने के लिए **उचित नियामक ढांचे का अभाव ।**

- **पहले की गई कुछ पीपीपी परियोजनाएं विफल हो चुकी हैं, इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पीपीपी की सफलता** को लेकर आशंका है ।

आवश्यक उपाय:

- **सुदृढ़ और सुस्पष्ट शासन:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए एक संस्थागत ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिए। इसे राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में स्थापित किया जाना चाहिए।
- **संस्थागत ढाँचे में भागीदारों का समान प्रतिनिधित्व:** संस्थागत ढाँचा एक स्थायी पीपीपी परियोजना के विकास की आधारशिला है। यह साझा ज़िम्मेदारियों और भूमिकाओं पर आम सहमति बनाने में मदद करेगा और भागीदारों के बीच संचार को सुगम बनाएगा जिससे स्वामित्व और विश्वास की भावना मज़बूत होगी।
- **साक्ष्य-आधारित पीपीपी:** अंतिम उपयोगकर्ताओं की उभरती आवश्यकताओं और लाभों को निरंतर समझने के लिए व्यवस्थित अनुसंधान पहल और तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।
- **उपयोगकर्ता शुल्क का विनियमन:** सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए निजी प्रदाताओं को शामिल करने में एक बाधा ओओपी व्यय है। इसलिए, साझेदारी के तहत इस क्षेत्र के उपयोगकर्ता शुल्क का विनियमन करना महत्वपूर्ण है।
- **प्रभावी जोखिम आवंटन और साझाकरण:** जोखिमों को उस पक्ष को आवंटित किया जाएगा जो उन्हें नियंत्रित और प्रबंधित करने में सबसे सक्षम है, ताकि धन का मूल्य अधिकतम हो सके।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **जीवंत स्वास्थ्य प्रणाली:** एक जीवंत स्वास्थ्य प्रणाली में न केवल **अच्छा प्रबंधन और पर्याप्त संसाधन** शामिल होंगे , बल्कि एक **सुदृढ़ कार्य संस्कृति और पेशेवर नैतिकता भी शामिल होगी।**
  - एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमत्कार कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब डॉक्टर और नर्स वहां काम पर हों और मरीजों की देखभाल करें।
- **यूएचसी के मानक:** एचओपीएस ढांचे की मुख्य कठिनाई **प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल गारंटी के दायरे को निर्दिष्ट करना** है , जिसमें गुणवत्ता मानक भी शामिल हैं। यूएचसी का मतलब असीमित स्वास्थ्य देखभाल नहीं है: सभी को क्या गारंटी दी जा सकती है, इसकी हमेशा सीमाएँ होती हैं।
  - एचओपीएस **कुछ स्वास्थ्य देखभाल मानकों के** साथ-साथ समय के साथ **इन मानकों में संशोधन के लिए एक विश्वसनीय पद्धति भी** निर्धारित करेगा । कुछ उपयोगी तत्व पहले से ही उपलब्ध हैं, जैसे कि **भारतीय जन स्वास्थ्य मानक।**
- **स्वास्थ्य पर राज्य-विशिष्ट कानून:** तमिलनाडु अपने **प्रस्तावित स्वास्थ्य अधिकार विधेयक** के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (एचओपीएस) को वास्तविकता बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है । राज्य पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छे प्रभाव के साथ प्रदान करने में सफल रहा है।
  - **स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक , सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की** अमूल्य पुष्टि होगी ; यह **रोगियों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की मांग करने के लिए सशक्त बनाएगा** , जिससे प्रणाली में और सुधार करने में मदद मिलेगी।
  - तमिलनाडु की पहल **अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हो सकती है।**
- **स्वास्थ्य वित्तपोषण:** यूएचसी को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें अपने देश की स्वास्थ्य वित्तपोषण प्रणाली में हस्तक्षेप करें ताकि गरीबों और कमजोर लोगों को सहायता मिल सके।
  - **इसके लिए अनिवार्य रूप से सार्वजनिक रूप से शासित स्वास्थ्य वित्तपोषण प्रणाली** की स्थापना की आवश्यकता है, जिसमें **राज्य की** एक मजबूत भूमिका हो, जिसमें निष्पक्ष रूप से धन जुटाना , संसाधनों को एकत्रित करना और जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाएं खरीदना शामिल हो।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए अधिक लक्षित वित्तपोषण से **देखभाल की गुणवत्ता और पहुंच के संबंध में अंतर्निहित कमजोरियों से निपटने,** दवाओं पर **जेब से होने वाले खर्च को** कम करने तथा मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

भारत में स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण

- यह सर्वविदित तथ्य है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की माँग को पूरा करने में असमर्थ है। सरकार व्यापक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ है।
- **सार्वजनिक व्यवस्था में बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण राज्य और केंद्र सरकारों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करना पड़ा है।**
- निजी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस कमी को पूरा करने का एक बड़ा अवसर है।
- **निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य उद्योग में योगदान करने की क्षमता है क्योंकि वे बैंकरों, उद्यम पूंजीपतियों, फार्मास्यूटिकल्स, व्यापारिक घरानों आदि से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।**
- स्वास्थ्य सेवा अब केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक प्रतिस्पर्धी, प्रदर्शन-आधारित उद्योग के रूप में विकसित हो गई है, जिसके लिए जनशक्ति, तकनीक और वित्त से संबंधित सर्वोत्तम प्रबंधन कौशल की आवश्यकता होती है।
- **इस गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करने के लिए, धन से संपन्न निजी कंपनियों का प्रवेश महत्वपूर्ण हो जाता है।**
- हाल ही में जारी एनएचपी, 2017 में देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण में व्यापक सुधार के लिए **निजी क्षेत्र के साथ प्रणालीगत मजबूती और रणनीतिक भागीदारी पर जोर दिया गया है ।**

क्या भारत में स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण कारगर होगा?

- **भारत ने 30 वर्ष पहले निजी भागीदारी के लिए बाजार खोले** और अनेक आयामों पर इसका लाभ उठाया।
- जैसा कि सामान्य पैटर्न से पता चलता है, वसूले गए मूल्यों के बदले दिया गया मूल्य - या **' पैसे का मूल्य'** - उन क्षेत्रों में बढ़ा है, जो निजी खिलाड़ियों के प्रभुत्व में हैं और जिनमें प्रतिस्पर्धा की तीव्रता भी काफी अधिक है।
- हालांकि, दो महत्वपूर्ण क्षेत्र जो निजी क्षेत्र की ओर चले गए हैं, यहां तक कि राज्य के प्रावधान भी समाप्त हो गए हैं, जिससे हमें गहरी बेचैनी होनी चाहिए: **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा** ।
- इनमें से कोई भी अहस्तक्षेप मॉडल पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें निगरानी की विशेष आवश्यकता है, और न ही सेवा निजीकरण की हमारी प्रवृत्ति पर भरोसा किया जा सकता है कि वह हमें दीर्घकालिक आर्थिक सफलता के लिए आवश्यक मानव पूंजी का आधार प्रदान करेगी।
- दूसरे स्तर पर, दोनों ही कल्याणकारी आश्वासनकर्ता हैं और इस प्रकार सरकार को उनका प्रमुख प्रदाता होना चाहिए। दोनों ही कल्याणकारी आश्वासनकर्ता हैं और इस प्रकार सरकार को उनका प्रमुख प्रदाता होना चाहिए।
- कोविड महामारी के कारण उजागर हुई राज्य की अपर्याप्तताओं के साथ, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में संतुलन प्राप्त करने की हमारी आवश्यकता विशेष रूप से तीव्र है, जहां अनुमान के अनुसार, सभी भारतीयों में से पांचवें से भी कम लोग सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

निजीकरण के लाभ

- **विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच: पीपीपी मॉडल मानव विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और उपकरणों** के संदर्भ में विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करेगा
- **अवसंरचनात्मक गुणवत्ता में वृद्धि:** पीपीपी मॉडल निजी क्षेत्र को सरकारी सुविधाओं और जिला अस्पतालों के अवसंरचना का उपयोग करते हुए जनता के साथ जुड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की** व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं:** निजी पक्ष जिला अस्पतालों के साथ एम्बुलेंस सेवाओं, शवगृह सेवाओं और रक्त बैंकों को साझा करेंगे, जबकि सार्वजनिक अस्पतालों को मानव संसाधनों की बेहतर गुणवत्ता के साथ-साथ निजी खिलाड़ियों की बढ़ी हुई पूंजी का लाभ मिलेगा।

- **बेहतर निदान:** उन्नत चिकित्सा उपकरणों के प्रसार को देखते हुए यह समय पर रोगों का निदान और पता लगाना सुनिश्चित करेगा, जिससे ऐसी सेवाओं के प्रावधान में क्षेत्रीय असमानता कम होगी।
- **टीबी के निदान के लिए जीनएक्सपर्ट** उपकरण
- **समग्र चिकित्सा विकास:** निजी क्षेत्र की सेवाओं का विस्तारà अनुसंधान और विकास में अधिक निवेशà चिकित्सा अवसंरचना की अधिक खरीदà चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार सृजन और विकास

स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ:

- निजीकरण से **अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ेगी,** जिससे सबसे अमीर लोगों के अस्तित्व को बढ़ावा मिलेगा, जो किसी भी सभ्य समाज का लक्ष्य नहीं हो सकता।
- सार्वजनिक अस्पताल **सब्सिडीयुक्त तथा अन्य निःशुल्क सेवाएं** प्रदान करते हैं , जिसके कारण अधिकांश लोग निजी अस्पतालों से दूर चले जाते हैं।
- बिना **बीमा वाले मरीजों को** इलाज के लिए अधिक बिल का सामना करना पड़ेगा।
- **निजी कम्पनियों के विनियमन की कमी से** उनके ग्राहकों का वित्तीय या शारीरिक रूप से शोषण होने की संभावना है।
- **निजी क्षेत्र की** अपनी कार्यप्रणाली और संचालन के संबंध में सरकारी नियामक बोर्ड के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है ।

आवश्यक उपाय:

- **सरकार को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के निजीकरण का विकल्प चुनने से पहले प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान, भागीदारी के क्षेत्रों, प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता** और ऐसे कई अन्य कारकों के संबंध में दिशानिर्देश बनाना चाहिए ।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अग्रणी भूमिका के साथ **बहु-विषयक दृष्टिकोण भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवा वातावरण स्थापित करने में सहायक हो सकता है।**
- राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकाय, व्यवसाय प्रबंधन/स्वास्थ्य प्रशासन संस्थानों, गैर-लाभकारी स्वास्थ्य गैर सरकारी संगठनों, लाभकारी स्वास्थ्य संगठनों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के **विशेषज्ञों की एक स्वास्थ्य सलाहकार समिति** बनानी चाहिए ।
- स्वास्थ्य प्रणाली की शक्तियों और कमजोरियों की साझा समझ बनाने, संयुक्त कार्य योजनाओं को सक्रिय करने, प्रयासों के दोहराव को कम करने और दुर्लभ संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए **उप-केंद्र स्तर तक ब्लॉक-वार विश्लेषण किया जाना चाहिए।**
- संस्थानों के अनुसार **स्वास्थ्य सेवा इनपुट और आउटपुट डेटा का कम्प्यूटरीकरण प्राथमिक आवश्यकता होगी, ताकि प्रणाली में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सहमत न्यूनतम संकेतकों के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों/व्यक्तियों की पहचान की जा सके।**
- जिला स्तर पर एक **अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर** बनाया जाना चाहिए, जिसमें शैक्षिक योग्यता को स्नातकोत्तर स्तर तक उन्नत करने के लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध हों, अर्थात सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर और सामुदायिक चिकित्सा में एम.डी.

आगे बढ़ने का रास्ता:

- **निजी कंपनियों का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए,** बल्कि उन्हें स्वास्थ्य सेवा में दक्षता और प्रभावशीलता पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- यदि ढांचा ठीक से स्थापित किया जाए तो निजीकरण लाभदायक है, अन्यथा यह स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर देगा।
- निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के हितों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि शासी निकाय में निजी क्षेत्र से भी नामित सदस्य शामिल हों।
- **सरकार को स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य की व्यापकता का अध्ययन करना चाहिए तथा अन्य विकासशील और विकसित देशों के साथ मानकों की तुलना करनी चाहिए तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अंतरालों की पहचान करनी चाहिए।**

निष्कर्ष

किफायती सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी **राज्य पर है**। विश्वास, जवाबदेही और दक्षता के आधार पर एक **सुव्यवस्थित निजी क्षेत्र भारत के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो सकता है।**

आयुष चिकित्सा पद्धति

- **आयुष** भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों जैसे **आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है।**
- ये प्रणालियाँ निश्चित चिकित्सा दर्शन पर आधारित हैं और रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन की स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका प्रस्तुत करती हैं। स्वास्थ्य, रोग और उपचार पर इन सभी प्रणालियों का मूल दृष्टिकोण समग्र है।
- आयुष प्रणालियों में रुचि फिर से बढ़ रही है। **योग अब वैश्विक स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया है और कई देशों ने** इसे अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में शामिल करना शुरू कर दिया है।
- दुनिया भर के लोगों ने आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा के सिद्धांतों और पद्धति को समझने में बहुत उत्सुकता दिखाई है, विशेष रूप से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी), जीवनशैली संबंधी विकारों, दीर्घकालिक बीमारियों, बहुऔषधि प्रतिरोधी रोगों, नई बीमारियों के उद्भव आदि के संबंध में चिकित्सा में बढ़ती चुनौतियों के कारण।
- **1995 में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग बनाया गया।**
- **2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया, जिसका ध्यान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित था।**
- हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने तथा स्वास्थ्य सेवा की आयुष प्रणालियों का इष्टतम विस्तार और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2014 में एक अलग **आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था।**
- **आयुष मंत्रालय ने** आयुर्वेद के समय-परीक्षित उपायों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर एक परामर्श जारी किया है। इस कठिन समय में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय के रूप में सभी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए इस परामर्श को पुनः दोहराया जा रहा है।

कोविड काल में भारत में आयुष का महत्व:

- कोविड-19 के प्रकोप के कारण, दुनिया भर में पूरी मानवजाति पीड़ित है। शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली (प्रतिरक्षा) को बेहतर बनाना, सर्वोत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **रोकथाम इलाज से बेहतर है:** हालांकि अभी तक COVID-19 के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन इन समय में हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले निवारक उपाय करना अच्छा होगा।
- आयुष मंत्रालय **ने श्वसन स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में, निवारक स्वास्थ्य उपायों और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ स्व-देखभाल दिशानिर्देशों की सिफारिश की है।** ये आयुर्वेदिक साहित्य और वैज्ञानिक प्रकाशनों द्वारा समर्थित हैं।

- आयुष मंत्रालय की पहल के बाद कई राज्य सरकारों ने भी प्रतिरक्षा और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा समाधानों पर स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी की, जो कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
- आयुष मंत्रालय ने देश भर के सभी जिलों में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए तैयार की जा रही जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाओं में आयुष समाधानों को शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया है।

आयुष की क्षमता:

- आयुष को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई पहलों की घोषणा की गई है।
- **रक्षा और रेलवे अस्पतालों में आयुष विंग का निर्माण।**
- निजी आयुष अस्पतालों और क्लीनिकों की स्थापना के लिए **आसान ऋण और सब्सिडी प्रदान करना ।**
- आयुष में शिक्षण और अनुसंधान में **उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करना ।**
- आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत 12,500 समर्पित आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने की योजना है।
- आयुष, स्वास्थ्य सेवाओं की एक बहुलवादी और एकीकृत योजना का प्रतिनिधित्व करता है। आयुष अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रदान करके 'नए भारत' के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 'नए भारत' को एक 'स्वस्थ भारत' भी बनना होगा जहाँ इसकी अपनी पारंपरिक प्रणालियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
- आँकड़े बार-बार दर्शाते हैं कि भारत में डॉक्टरों की भारी कमी है, प्रति एक लाख जनसंख्या पर मात्र 80 डॉक्टर हैं। आयुष स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने का एक तरीका प्रदान करता है।
- आयुष वर्तमान परिवेश में चिकित्सा बहुलवाद की क्षमता को साकार करने का अवसर प्रस्तुत करता है, जहां उपचारात्मक पहलुओं के साथ-साथ रोकथाम पर भी जोर दिया जाता है।
- सरकारी रिपोर्टों के अनुसार आयुष उद्योग 2020 तक 26 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकता है।
- आयुष और वैकल्पिक चिकित्सा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, आयुष भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।
- आयुष के हितों की बेहतर ढंग से पूर्ति होगी यदि सरकार इस पर ठोस अनुसंधान के लिए जोर दे, जिसमें नैदानिक परीक्षण/अनुसंधान के स्वर्ण मानक - यादृच्छिक, डबल-ब्लाइंड, प्लेसीबो-नियंत्रित अध्ययन - या परीक्षण कठोरता के किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत मानक को लागू किया जाए।
- सरकार ने मई 2020 में देश में आयुष अनुसंधान की देखरेख के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया था।

सामने आई चुनौतियाँ:

- स्वास्थ्य पेशेवरों ने अक्सर गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा सुझाए गए **उपायों पर सवाल उठाए हैं ।**
- **मुख्यधारा की चिकित्सा पद्धति में एकीकरण न होना:** आयुष चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के हमारे प्रयासों का मुख्य कारण यह है कि वर्तमान चिकित्सा पद्धति में आयुष का अनुपात बहुत कम है। इसलिए, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष के एकीकरण का उद्देश्य अधिक आयुष सुविधाएँ उपलब्ध कराना या जहाँ पहले से ही नहीं हैं, वहाँ आयुष सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, बिना इस बात की चिंता किए कि इस कदम से आयुष चिकित्सा पद्धति पर कितना प्रभाव पड़ेगा।
- **स्थिति का अंतर:** आयुष की अधीनस्थ स्थिति एक बड़ी बाधा रही है। आयुष कई समस्याओं से घिरा हुआ है, जैसे कुछ आयुष चिकित्सकों द्वारा बेईमानी से किए गए व्यवहार और दावे, जिसके कारण संशयवादी आयुष उपचारों और प्रक्रियाओं का उपहास करते हैं। आयुष उत्पादों के अविवेकी सौंदर्यीकरण और निर्यात संवर्धन ने आयुष के बारे में एक खराब धारणा को जन्म दिया है।

- **अलगाववादी दृष्टिकोण** आधुनिक चिकित्सा के उस आदर्श के विरुद्ध है जिसके अंतर्गत प्रमाणों पर आधारित अवधारणाओं को अपनाया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा के मामले में, अलगाववादी दृष्टिकोण वैज्ञानिक जाँच को बाधित कर सकता है और कुछ संभावित मूल्यवर्धन को अवरुद्ध कर सकता है।
- **औषधियों के गुणवत्ता मानक:** अतीत में समर्पित व्यय के बावजूद आयुष का वैज्ञानिक सत्यापन आगे नहीं बढ़ पाया है।
- **मानव संसाधनों की कमी:** चिकित्सक बेहतर अवसरों के लिए पारंपरिक प्रणाली से दूर जा रहे हैं
- मौजूदा बुनियादी ढांचे का अभी भी कम उपयोग हो रहा है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा और लोक चिकित्सा की स्थिति पर तैयार की गई शैलजा चंद्रा की 2013 **की रिपोर्ट में** राज्यों में ऐसे कई उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा भर्ती किए गए आयुष चिकित्सक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एकमात्र देखभाल प्रदाता थे। रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर पर तीव्र और आपातकालीन देखभाल की मांग को पूरा करने के लिए इस संवर्ग को उचित कौशल प्रदान करने की आवश्यकता बताई गई है।
- **आधुनिक चिकित्सा के साथ प्रतिस्पर्धा:**
- अधिकांश आयुष चिकित्सकों की **बेईमान प्रथाओं के कारण एलोपैथी अधिक विश्वसनीय लगती है।**
- लोगों, विशेषकर एलोपैथिक क्षेत्र में आयुष उपचारों और प्रक्रियाओं के **प्रति संदेह ।**
- कृत्रिम एलोपैथिक उत्पादों की तुलना में प्राकृतिक-जैविक मूल के नाम पर आयुष उत्पादों का **अविवेकी सौंदर्यीकरण ।**
- बाजार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयुष उत्पादों के **निर्यात संवर्धन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा ।**
- **समर्पित प्रयासों का अभाव:** आधुनिक चिकित्सा और आयुष के बीच स्थिति काफ़ी अलग है और दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं। केवल आयुष के ढाँचे का विस्तार करने से समस्याओं की वर्तमान सूची और बढ़ेगी।
- **हितों का टकराव:** आयुष लॉबी को इस एकीकरण के बाद अपनी पहचान खोने का डर है। एलोपैथिक लॉबी का आरोप है कि एकीकरण के बाद चिकित्सा सेवा के मानक कमज़ोर हो जाएँगे।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- **आयुष औषधियों और पद्धतियों की सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए वैज्ञानिक प्रमाण एकत्र करना** महत्वपूर्ण है ।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से आयुष क्षेत्र में **क्षमता निर्माण और सक्षम पेशेवरों का एक महत्वपूर्ण समूह विकसित करने** की दिशा में कार्य करना ।
- पारंपरिक और आधुनिक प्रणालियों का वास्तविक एकीकरण समय की माँग है। इसके लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रणालियों के बीच समान स्तर पर सार्थक पारस्परिक शिक्षा और सहयोग को सुगम बनाने हेतु एक समन्वित रणनीति की आवश्यकता होगी।
- **पारंपरिक चीनी चिकित्सा को** पश्चिमी चिकित्सा के साथ एकीकृत करने का चीनी अनुभव एक अच्छा उदाहरण है।
- एक भारतीय समानांतर दृष्टिकोण सभी स्तरों पर दोनों प्रणालियों की शिक्षा, अनुसंधान और अभ्यास के एकीकरण की कल्पना कर सकता है। इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव के माध्यम से आयुष चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा में प्रशिक्षित करना और इसके विपरीत भी शामिल हो सकता है।
- प्रभावी एकीकरण की पूर्व-आवश्यकताओं के संबंध में पर्याप्त आधारभूत कार्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- एक मजबूत पारंपरिक चिकित्सा साक्ष्य कोष का निर्माण करना।
- आयुष पद्धतियों और योग्यताओं का मानकीकरण और विनियमन।
- एक एकीकृत ढांचे में प्रत्येक प्रणाली की सापेक्ष शक्तियों, कमजोरियों और भूमिका को रेखांकित करना।
- प्रणालियों के बीच दार्शनिक और वैचारिक मतभेदों पर बातचीत करना।
- आयुष तकनीकों में अनुसंधान से जुड़े अनूठे मुद्दों को संबोधित करना।
- एक एकीकृत ढांचे को एक मध्य मार्ग बनाना चाहिए - दोनों प्रणालियों को एक साथ मिलाते हुए, तथा प्रत्येक को कुछ स्वायत्तता भी प्रदान करते हुए।

- तदनुसार, देश में पहले से ही चल रहे सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक अभियान तथा इस कार्य में आयुष के योगदान की व्यापक क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्बाध एकीकरण के लिए एक मध्यम और दीर्घकालिक योजना शीघ्रता से विकसित की जानी चाहिए।

  आयुष को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को पारंपरिक चीनी चिकित्सा (टीसीएम) पर चीन के प्रयासों से प्रेरणा लेनी चाहिए—खुद अनुसंधान एवं विकास में अग्रणी बनने के लिए भारी निवेश करना चाहिए और ऐसे अनुसंधान प्रोटोकॉल तैयार करने में मदद करनी चाहिए जो सभी चिकित्सा प्रणालियों में स्वीकार्य हों। शायद, तब आयुष को वह बढ़ावा मिल सके जो तू यूयू के चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से टीसीएम को मिला था।

राष्ट्रीय आयुष मिशन

- **यह मिशन आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अब आयुष मंत्रालय के अधीन) द्वारा 2014 में शुरू की गई एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।**
- मिशन का उद्देश्य लागत प्रभावी सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना, इसकी शैक्षिक प्रणालियों को मजबूत करना, आयुष दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण और आयुष कच्चे माल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- इसका उद्देश्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके पूरे भारत में लागत प्रभावी और न्यायसंगत आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
- **आयुष अस्पतालों, औषधालयों के माध्यम से किफायती आयुष सेवाएं प्रदान करना, तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में आयुष सुविधाएं प्रदान करना:**
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
  - सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)
  - जिला अस्पताल (डीएच)
- आयुष प्रणालियों को समर्थन एवं पुनर्जीवित करना तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **गुणवत्ता मानकों को विकसित करके और आयुष कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करके आयुष दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करना।**

शिक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

- **शिक्षा सशक्तीकरण और पुनर्परिभाषित करती है**। भारत के करोड़ों युवाओं के लिए, शिक्षा **अनुशासन, विकास, जिज्ञासा, रचनात्मकता और अज्ञानता व गरीबी के चक्र को तोड़कर रोज़गार और समृद्धि की ओर ले जाने का मार्ग** भी है।
- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश छात्रों के सीखने के स्तर पर निर्भर करता है। **शिक्षा की गुणवत्ता का किसी भी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है।**
- शिक्षा सभी बुनियादी **मानवाधिकारों को** प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । शिक्षा गरीबी कम करने, सामाजिक असमानताओं को कम करने, महिलाओं और हाशिए पर पड़े अन्य लोगों को सशक्त बनाने, भेदभाव को कम करने और अंततः व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जीने में मदद कर सकती है।
- यह रोज़गार और व्यवसाय के मामले में बेहतर जीवन के **अवसरों तक पहुँच को** बेहतर बनाने में मदद करता है । यह किसी क्षेत्र में शांति और समग्र समृद्धि भी ला सकता है। इसलिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है।
- **2030 तक, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होगी** , और यह आबादी तभी वरदान साबित होगी जब ये **युवा कार्यबल में शामिल होने के लिए पर्याप्त कुशल होंगे** । इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अहम भूमिका होगी।

भारत में शिक्षा की स्थिति

- भारतीय शिक्षा और सामाजिक व्यवस्थाएँ बच्चों के प्रति बहुत कठोर हैं और उनकी भावनाओं, विचारों और महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करती हैं। **बच्चों पर तीन साल की उम्र से ही पढ़ाई का दबाव डाला जाता है**। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन न करने वालों को माता-पिता और समाज द्वारा मूर्ख और घृणास्पद समझा जाता है।
- **यूनेस्को के आंकड़ों** के अनुसार , **भारत में प्रति छात्र शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय की दर सबसे कम है** , विशेषकर चीन जैसे अन्य एशियाई देशों की तुलना में।
- ज़्यादातर स्कूलों में शिक्षा एक-आयामी है, जिसमें **अंकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है**। इसके अलावा, सभी स्तरों पर **प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता का अभाव** है । भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक एक बड़ी कमी हैं। हालाँकि उत्कृष्टता के कुछ क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन शिक्षण की गुणवत्ता, खासकर सरकारी स्कूलों में, मानकों के अनुरूप नहीं है।
- शिक्षा की वर्तमान स्थिति में कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे **पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव, शिक्षा पर कम सरकारी व्यय (जीडीपी का 3.5% से भी कम) तथा शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई)** के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात **24:1 है।**
- **77 प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ, भारत अन्य ब्रिक्स देशों से पीछे है, जिनकी साक्षरता दर 90 प्रतिशत से अधिक है**। इन सभी देशों में छात्र-शिक्षक अनुपात बेहतर है। इसलिए, भारत न केवल खराब गुणवत्ता वाले शिक्षकों से जूझ रहा है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले अन्य देशों की तुलना में यहाँ कुल शिक्षकों की संख्या भी कम है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि **प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों में से केवल आधे ही उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुंच पाते हैं** तथा **उनमें से आधे से भी कम विद्यार्थी 9-12 कक्षा तक पहुंच पाते हैं**।
  - **कक्षा तीन से पांच तक में नामांकित केवल 58 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा एक की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते थे।**
  - **आधे से भी कम (47 प्रतिशत) लोग दो अंकों का सरल घटाव करने में सक्षम थे।**
  - **कक्षा पांच से आठ तक के केवल आधे बच्चे ही कैलेंडर का उपयोग कर पाते हैं।**
  - वे बुनियादी कौशल में भी कुशल नहीं पाए गए; **कक्षा चार के लगभग दो-तिहाई छात्र रूलर से पेंसिल की लंबाई मापने में भी निपुण नहीं हो सके**।
- अध्ययनों से पता चला है कि **किसी देश में आर्थिक विकास का असली संकेतक वहाँ के लोगों की शिक्षा और कल्याण है**। हालाँकि भारत ने पिछले तीन दशकों में तेज़ी से आर्थिक प्रगति की है, लेकिन एक क्षेत्र जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, वह है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता।

भारत के लिए शिक्षा का महत्व

- शिक्षा ही वह साधन है जो अकेले ही **राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों को** विकसित कर सकती है और लोगों को झूठे पूर्वाग्रहों, अज्ञानता और प्रतिनिधित्व से मुक्त कर सकती है।
- शिक्षा उन्हें आवश्यक ज्ञान, तकनीक, कौशल और जानकारी प्रदान करती है तथा उन्हें अपने परिवार, समाज और अपनी मातृभूमि के प्रति **अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने में सक्षम बनाती है।**
- शिक्षा उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण का विस्तार करती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्तेजित करती है और उनकी चेतना की उपलब्धियों के लिए आगे बढ़ने की इच्छा को जागृत करती है, सत्य को पुनर्जीवित करती है, और इस प्रकार राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे बड़े खतरों, अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, असमानता और सांप्रदायिकता से लड़ने की क्षमता पैदा करती है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज की आवश्यकता है क्योंकि यह बौद्धिक कौशल और ज्ञान का विकास है जो शिक्षार्थियों को पेशेवरों, निर्णय निर्माताओं और प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करेगा।
- शिक्षा देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अवसर प्रदान करती है। शिक्षा लोगों को स्वतंत्र बनाती है, उनमें आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान का निर्माण करती है, जो किसी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- यूनेस्को वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट और शिक्षा आयोग की लर्निंग जनरेशन रिपोर्ट:-
- **अगर सभी बच्चे बुनियादी पठन कौशल के साथ स्कूल से निकलें, तो 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आ सकते हैं।** यह विश्व स्तर पर कुल गरीबी में 12% की गिरावट के बराबर है।
- **शिक्षा से व्यक्तिगत आय बढ़ती है**
- शिक्षा से स्कूली शिक्षा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष में आय में लगभग 10% की वृद्धि होती है
- **शिक्षा आर्थिक असमानताओं को कम करती है**
- यदि गरीब और अमीर पृष्ठभूमि के श्रमिकों को समान शिक्षा मिले, तो कामकाजी गरीबी में दोनों के बीच असमानता 39% तक कम हो सकती है।
- **शिक्षा आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है:-**
- विश्व में कोई भी देश अपनी वयस्क जनसंख्या के कम से कम 40 प्रतिशत को साक्षर किए बिना तीव्र एवं सतत आर्थिक विकास हासिल नहीं कर पाया है।
- हरित उद्योगों का निर्माण उच्च-कुशल, शिक्षित श्रमिकों पर निर्भर करेगा। कृषि सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक-तिहाई का योगदान देती है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भावी किसानों को कृषि में स्थिरता संबंधी चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकती है।
- **शिक्षा से लोगों के स्वास्थ्य को** जीवन भर लाभ मिलता है, चाहे वह मां की जन्म से पूर्व की जीवनशैली हो या बाद में जीवन में बीमारियों के विकसित होने की संभावना।
- कम से कम छह वर्ष की शिक्षा प्राप्त महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान प्रसवपूर्व विटामिन और अन्य उपयोगी तरीकों का उपयोग करने की अधिक संभावना होती है, जिससे मातृ या शिशु मृत्यु दर का जोखिम कम हो जाता है।
- शिक्षा से महिलाओं और लड़कियों को लड़कों की तुलना में ज़्यादा फ़ायदा होता है। शिक्षा से लड़कियों को व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से जो सशक्तीकरण मिलता है, उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती।

शिक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

भारत में शिक्षा क्षेत्र में समकालीन चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त सरकारी वित्तपोषण:** आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार , देश ने 2018-19 में शिक्षा पर **अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3%** खर्च किया , जो विकसित और ओईसीडी देशों की तुलना में बहुत कम है।
- **महामारी का प्रभाव:** अगले वर्ष लगभग 23.8 मिलियन अतिरिक्त बच्चे और युवा (प्री-प्राइमरी से लेकर तृतीयक तक) स्कूल छोड़ सकते हैं या उन्हें स्कूल तक पहुंच नहीं मिल पाएगी।

- एएसईआर रिपोर्ट 2020 के अनुसार, **5%** ग्रामीण बच्चे **वर्तमान में 2020** स्कूल वर्ष के लिए नामांकित नहीं हैं, जो 2018 में 4% से अधिक है।
- यह अंतर सबसे कम उम्र के बच्चों (6 से 10 वर्ष) के बीच सबसे अधिक है, जहां 2020 में 5.3% ग्रामीण बच्चों ने अभी तक स्कूल में दाखिला नहीं लिया था, जबकि 2018 में यह आंकड़ा केवल 1.8% था।
- **डिजिटल डिवाइड:** देश में राज्यों, शहरों, गाँवों और आय समूहों के बीच एक बड़ा डिजिटल डिवाइड है (डिजिटल शिक्षा डिवाइड पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन सर्वेक्षण)। देश **के लगभग 4% ग्रामीण परिवारों और 23% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर थे** और 24% परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा थी।
- **शिक्षा की गुणवत्ता:** कक्षा 1 के केवल **16% बच्चे ही निर्धारित स्तर पर पाठ पढ़ सकते हैं** , जबकि लगभग 40% बच्चे अक्षरों को भी नहीं पहचान सकते हैं। कक्षा 5 के केवल 50 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा 2 की पाठ्य सामग्री पढ़ पाते हैं। (एएसईआर रिपोर्ट के निष्कर्ष)
- **बुनियादी ढांचे की कमी: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई)** के 2019-20 के अनुसार , केवल **12% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है और 30% में कंप्यूटर हैं।**
- इनमें से लगभग **42% स्कूलों में फर्नीचर की कमी थी, 23% में बिजली की कमी थी,** 22% में **शारीरिक रूप से विकलांगों** के लिए रैंप की कमी थी , और **15% में वाश सुविधाओं** (जिसमें **पीने का पानी, शौचालय और हाथ धोने के बेसिन** शामिल हैं) का अभाव था।
- अधिकांश स्कूलों में अभी तक शिक्षा के अधिकार (RTE) के सभी बुनियादी ढाँचे उपलब्ध नहीं हैं। इनमें पीने के पानी की सुविधा, एक कार्यात्मक साझा शौचालय और लड़कियों के लिए अलग शौचालय का अभाव है।
- **अपर्याप्त शिक्षक और उनका प्रशिक्षण:** भारत का 24 **:1 अनुपात** स्वीडन के 12:1, ब्रिटेन के 16:1, रूस के 10:1 और कनाडा के 9:1 से काफ़ी कम है। इसके अलावा, कभी-कभी राजनीतिक कारणों से नियुक्त किए जाने वाले या पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित न होने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता भी एक बड़ी चुनौती है।
- **सरकारी स्कूलों में नामांकन का घटता हिस्सा:** भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात अब घटकर 45 प्रतिशत रह गया है; अमेरिका में यह संख्या 85 प्रतिशत, इंग्लैंड में 90 प्रतिशत तथा जापान में 95 प्रतिशत है।
- **बहुत ज़्यादा स्कूल:** हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कूल हैं और 4 लाख स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं (राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के 70 प्रतिशत स्कूल)। चीन में भी कुल छात्र संख्या लगभग इतनी ही है, यानी हमारे स्कूलों की संख्या का 30 प्रतिशत।
- **स्कूल छोड़ने वालों की भारी संख्या:** स्कूलों में, खासकर लड़कियों में, स्कूल छोड़ने वालों की दर बहुत ज़्यादा है। गरीबी, पितृसत्तात्मक मानसिकता, स्कूलों में शौचालयों की कमी, स्कूलों की दूरी और सांस्कृतिक कारक जैसे कई कारक बच्चों को शिक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
- कोविड के कारण नई तात्कालिकता पैदा हुई है; रिपोर्टों से पता चलता है कि माता-पिता की वित्तीय चुनौतियों के कारण इस वर्ष हरियाणा के निजी स्कूलों के 25 प्रतिशत छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है।
- 6-14 आयु वर्ग के अधिकांश छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इससे वित्तीय और मानव संसाधनों की बर्बादी होती है।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5** के अनुसार , **2019-20** स्कूल वर्ष से पहले स्कूल छोड़ने का कारण **6 से 17 वर्ष** की आयु की 21.4% लड़कियों और **35.7% लड़कों द्वारा पढ़ाई में रुचि न होना बताया गया।**
- **प्रतिभा पलायन की समस्या: आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा** के कारण भारत में बड़ी संख्या में छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक माहौल बन जाता है, इसलिए वे विदेश जाना पसंद करते हैं, जिससे हमारा देश अच्छी प्रतिभाओं से वंचित रह जाता है।
- भारत में **शिक्षा का मात्रात्मक विस्तार** तो हुआ है, लेकिन **गुणात्मक स्तर (जो किसी छात्र को नौकरी पाने के लिए आवश्यक है) पीछे है।**

- **व्यापक निरक्षरता: संवैधानिक निर्देशों** और शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद , लगभग **25% भारतीय अभी भी निरक्षर हैं,** जिसके कारण वे **सामाजिक और डिजिटल रूप से भी बहिष्कृत हैं।**
- **भारतीय भाषाओं पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना:** भारतीय भाषाएं अभी भी अविकसित अवस्था में हैं, **विशेष रूप से विज्ञान विषयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है** , जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण छात्रों के लिए **असमान अवसर हैं ।**
- इसके अलावा, भारतीय भाषा में **मानक प्रकाशन उपलब्ध नहीं हैं।**
- **लिंग-असमानता** : हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा के अवसर की समानता सुनिश्चित करने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, **भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बहुत खराब बनी हुई है।**
- **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)** के अनुसार , **गरीबी** और स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाएं (**कन्या भ्रूण हत्या** , **दहेज और कम उम्र में विवाह**) पूरे भारत में शिक्षा में लैंगिक असमानता में बड़ी भूमिका निभाती हैं।
- शिक्षा में एक और बाधा **देश भर के स्कूलों में स्वच्छता की कमी है।**

अन्य मौजूदा मुद्दे

- **बुनियादी ढांचे की कमी:**
- जीर्ण-शीर्ण भवन, एक कमरे वाले स्कूल, पेयजल सुविधाओं का अभाव, अलग शौचालय और अन्य शैक्षिक बुनियादी ढांचे की कमी एक गंभीर समस्या है।
- **भ्रष्टाचार और लीकेज** :
- केन्द्र से राज्य, स्थानीय सरकारों से स्कूलों तक धन के हस्तांतरण से कई बिचौलियों की भागीदारी होती है।
- जब तक धन वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचता है, तब तक धन हस्तांतरण की लागत काफी कम हो जाती है।
- भ्रष्टाचार और लीकेज की उच्च दर प्रणाली को त्रस्त करती है, इसकी वैधता को कमजोर करती है और हजारों ईमानदार प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को नुकसान पहुंचाती है।
- **शिक्षकों की गुणवत्ता:**
- अच्छी तरह प्रशिक्षित, कुशल और जानकार शिक्षकों की कमी, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली का आधार प्रदान करते हैं।
- शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त योग्यता वाले शिक्षक, खराब वेतन और खराब प्रबंधन वाले शिक्षण संवर्ग का कारण और प्रभाव दोनों हैं।
- **कम वेतन:**
- शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है जिससे उनकी काम के प्रति रुचि और समर्पण प्रभावित होता है। वे ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जैसे दूसरे रास्ते ढूँढते हैं और छात्रों को वहाँ जाने के लिए उकसाते हैं।
- इसका दोहरा प्रभाव पड़ता है, **पहला तो स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता गिरती है और दूसरा, मुफ्त शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद गरीब छात्रों को पैसा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।**
- **शिक्षक अनुपस्थिति** :
- स्कूल के समय शिक्षकों की अनुपस्थिति आम बात है। जवाबदेही की कमी और खराब प्रशासनिक ढाँचे ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
- **उत्तरदायित्व की कमी:**
- **स्कूल प्रबंधन समितियाँ** बड़े पैमाने पर निष्क्रिय हैं। कई तो केवल कागज़ों पर ही मौजूद हैं।
- माता-पिता अक्सर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं और यदि वे जागरूक होते हैं तो उनके लिए अपनी आवाज उठाना कठिन होता है।
- **स्कूल बंद:**
- कम छात्र संख्या, शिक्षकों और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण कई स्कूल बंद हैं। निजी स्कूलों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा भी सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

शिक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए आवश्यक उपाय

- वर्तमान दृष्टिकोण, जो मुख्यतः शैक्षणिक प्रकृति का है, यह मानता है कि **टुकड़ों में की गई पहल से** विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार होने की संभावना नहीं है।

- शिक्षा में सुधार के लिए एक **नया प्रणालीगत दृष्टिकोण** अब आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में उभर रहा है।
- इसके **साथ ही प्रशासनिक सुधार भी किए गए हैं** , जो इन नई प्रथाओं को जड़ जमाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं।
- इसमें **सभी हितधारकों को एकजुट करना और** बेहतर शिक्षण परिणामों की दिशा में एकल और "व्यापक परिवर्तन रोड मैप" का अनुसरण करने की दिशा में उनके सामूहिक प्रयासों को उन्मुख करना शामिल है।
- **शैक्षणिक हस्तक्षेप में** केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय ग्रेड क्षमता ढांचे को अपनाना शामिल है।
- कमजोर छात्रों के लिए स्कूल के बाद कोचिंग, ऑडियो-वीडियो आधारित शिक्षा जैसी **उपचारात्मक शिक्षा का प्रभावी वितरण।**
- प्रशासनिक सुधार जो **शिक्षकों को** डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि, प्रशिक्षण और मान्यता के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम और प्रोत्साहित करते हैं। **उदाहरण** : वेतन में प्रदर्शन-आधारित वृद्धि।
- मानव सक्षमता के साथ-साथ एक **निर्बाध पारिस्थितिकी तंत्र या सिस्टम एनेबलर** (अक्सर एक **प्रौद्योगिकी मंच**) भी स्थापित किया जाता है।
- इससे **संचार सुव्यवस्थित होता है** और शिक्षकों का बहुमूल्य समय बचता है, जो अन्यथा वे प्रशासनिक कार्यों, जैसे छुट्टी के आवेदन, भत्ते के दावे, स्थानांतरण और सेवा पुस्तिका अद्यतन पर खर्च करते।
- जहां आवश्यक हो, वहां सुधार करने के लिए नियमित आधार पर **स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन पर नजर रखना** भी महत्वपूर्ण है ।
- इसलिए, एक **मजबूत जवाबदेही प्रणाली** की आवश्यकता है जिसमें सभी संबंधित हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, तथा प्रशासन को जहां आवश्यक हो, वहां कार्रवाई करने का अधिकार हो।
- इसमें **ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर लगातार वास्तविक समय, डेटा-सक्षम समीक्षा बैठकें** शामिल हैं ।
- इन राज्यों ने उपयोगकर्ता-अनुकूल डैशबोर्ड भी विकसित किए हैं जो शिक्षा अधिकारियों और राज्य नेतृत्व को निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
- **4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और गतिविधियों में पुनः संशोधन की** तत्काल आवश्यकता है, चाहे यह प्रावधान सरकारी संस्थाओं द्वारा हो या निजी एजेंसियों द्वारा, सभी प्रकार के प्रीस्कूलों और प्रारंभिक कक्षाओं में लागू हो।
- वर्ष **2020 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की दसवीं वर्षगांठ मनाई गई।** यह सबसे अच्छा अवसर है कि औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश से पहले और उसके दौरान सबसे कम उम्र के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दस साल बाद वे माध्यमिक शिक्षा पूरी करके भारत के सर्वांगीण और सुसंस्कृत नागरिक बनें।
- **सुलभता बढ़ाएँ:** महामारी ने हमें नए और रचनात्मक तरीकों से बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन कमज़ोर तबकों को साथ लेकर चलना भी उतना ही ज़रूरी है।
- बिजली आपूर्ति, शिक्षकों और छात्रों के डिजिटल कौशल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के आधार पर डिजिटल शिक्षा के लिए **उच्च और निम्न प्रौद्योगिकी समाधानों की संभावना तलाशने** की आवश्यकता है ।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल करना, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग या विकलांगता आदि से आने वाले छात्रों के लिए।
- शासन को संसाधनों के नियंत्रण से हटकर **सीखने के परिणामों की ओर स्थानांतरित होना चाहिए; सीखने की डिजाइन, जवाबदेही, शिक्षक प्रबंधन, सामुदायिक संबंध, ईमानदारी, निष्पक्ष निर्णय लेने और वित्तीय स्थिरता।**
- शासन को प्रदर्शन प्रबंधन को ठोस बनाने में सक्षम होना चाहिए।
- **विकेन्द्रीकृत निर्णय:** उदाहरण के लिए, ब्लॉक स्तर पर भर्ती से शिक्षकों की अनुपस्थिति कम होगी और "स्थानांतरण उद्योग" पर दांव और भुगतान कम हो जाएगा और स्कूल समेकन से शिक्षकों की कमी कम हो जाएगी।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन: एनईपी के कार्यान्वयन से शिक्षा प्रणाली को उसकी नींद से जगाने में मदद मिल सकती है** ।
- वर्तमान 10+2 प्रणाली से हटकर **5+3+3+4 प्रणाली अपनाने से प्री-स्कूल आयु वर्ग को औपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था में** शामिल किया जा सकेगा ।
- **शिक्षा-रोजगार गलियारा:** भारत की शैक्षिक व्यवस्था को **मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करके** और स्कूलों में **(विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में)** सही मार्गदर्शन प्रदान करके उन्नत किया जाना चाहिए , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को शुरू से ही सही दिशा में निर्देशित किया जाए और वे **कैरियर के अवसरों के बारे में जागरूक हों।**

- ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में अपार क्षमता होती है और वे पढ़ाई के लिए प्रेरित तो होते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। यह **न केवल बच्चों के लिए, बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी ज़रूरी** है , जिससे **शिक्षा में लैंगिक अंतर भी कम होगा।**
- **भाषाई बाधा को कम करना: अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय समझ (ईआईयू) के लिए शिक्षा** के साधन के रूप में रखते हुए , **अन्य भारतीय भाषाओं को समान महत्व देना महत्वपूर्ण है,** और **संसाधनों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के लिए विशेष प्रकाशन एजेंसियां** स्थापित की जा सकती हैं ताकि सभी भारतीय छात्रों को उनकी **भाषाई पृष्ठभूमि की** परवाह किए बिना समान अवसर मिल सके ।
- **अतीत से भविष्य की ओर देखना: अपनी दीर्घकालिक जड़ों को ध्यान में** रखते हुए भविष्य की ओर देखना महत्वपूर्ण है ।
- प्राचीन भारत की **'गुरुकुल' प्रणाली** से बहुत कुछ सीखा जा सकता है , जो आधुनिक शिक्षा में इस विषय के प्रचलित होने से सदियों पहले, **शैक्षणिक विषयों से परे समग्र विकास पर केंद्रित थी।**
- **प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में नैतिकता और मूल्य शिक्षा , शिक्षा के मूल में रही। आत्मनिर्भरता, सहानुभूति, रचनात्मकता और सत्यनिष्ठा** जैसे मूल्य प्राचीन भारत के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं **और आज भी प्रासंगिक हैं।**
- **शिक्षा का प्राचीन मूल्यांकन** केवल **विषयगत ज्ञान के मूल्यांकन** तक सीमित नहीं था । छात्रों का मूल्यांकन उनके द्वारा सीखे गए कौशल और व्यावहारिक ज्ञान को **वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कितनी अच्छी तरह लागू कर सकते हैं, इस आधार पर किया जाता था।**

शिक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए आगे का रास्ता

- **डिजिटलीकरण:**
- **बुनियादी ढाँचे और मुख्यधारा के धन प्रवाह के लिए एकल-खिड़की प्रणाली बनाएँ:** बिहार में, केवल लगभग 10 प्रतिशत स्कूल ही बुनियादी ढाँचे के मानदंडों को पूरा करते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि स्कूलों के नवीनीकरण की फाइलें अक्सर विभिन्न विभागों से होकर दो साल की यात्रा पर निकलती हैं।
- यही बात शिक्षकों के वेतन और स्कूल निधि के लिए भी लागू की जा सकती है। इन्हें राज्य से सीधे शिक्षकों और स्कूलों को हस्तांतरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ज़िले या ब्लॉक को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- बच्चों के लिए शिक्षा को अधिक रोचक और समझने में आसान बनाने के लिए **दृश्य-श्रव्य मनोरंजन का** लाभ उठाना । इससे **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और साथ ही पढ़ाई छोड़ने की दर में भी कमी आएगी।**
- **प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षकों और छात्रों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति** लागू करने से अनुपस्थिति को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **मोबाइल फोन का उपयोग करके स्कूल प्रबंधन समितियों को सशक्त बनाएं:**
- एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जो लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ावा देकर **स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को सुविधा प्रदान करे ।**
- प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सामाजिक लेखा-परीक्षण भी किया जाना चाहिए।
- **बेहतर सेवा-पूर्व शिक्षकप्रशिक्षण** के साथ-साथ पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती, शिक्षक गुणवत्ता केलिए एक स्थायी समाधान है।
- शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाकर **शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में** सुधार करें । उदाहरण: **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम संशोधन विधेयक** , शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए **दीक्षा पोर्टल ।**
- एनईपी की सिफारिश के अनुसार **शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक** बढ़ाया जाए ।
- शिक्षकों को उनके खराब प्रदर्शन के लिए शायद ही कभी डाँटा जाता है, जबकि बच्चों **को फेल न करने की नीति को हटाने** की सिफ़ारिशें की जाती हैं । दोष पूरी तरह से बच्चों पर है; इस रवैये को ख़त्म किया जाना चाहिए।
- **भारत में शिक्षा नीति** सीखने के परिणामों के बजाय इनपुट पर केंद्रित है; इसमें प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के बजाय उच्च शिक्षा के पक्ष में एक मज़बूत अभिजात्य पूर्वाग्रह है। नई शिक्षा नीति के ज़रिए इसमें बदलाव की ज़रूरत है।

शिक्षा लोगों को गरीबी, असमानता और उत्पीड़न से उबारने की कुंजी है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर है। **शिक्षाशास्त्र और एक सुरक्षित एवं प्रेरक वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जहाँ बच्चों को सीखने के व्यापक अनुभव प्रदान किए जा सकें।** केवल तभी जब हम सभी हितधारकों के प्रोत्साहनों को एक साथ लाएँ, और उन्हें जवाबदेह बनाते हुए उन्हें सक्षम बनाएँ, तभी हम देश की वर्तमान शिक्षा स्थिति और उसकी आकांक्षाओं के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं।

भारत में त्रिभाषा सूत्र

- त्रिभाषा **फार्मूला की जड़ें वर्ष 1961 में हैं** और **इसे भारतीय राज्यों के विभिन्न मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान आम सहमति के परिणामस्वरूप लागू किया गया था** ।
- **त्रि-भाषा फार्मूला को भाषा अधिग्रहण में एक लक्ष्य या सीमित कारक नहीं माना जाता था, बल्कि ज्ञान के विस्तारित क्षितिज और देश के भावनात्मक एकीकरण** की खोज के लिए एक सुविधाजनक लॉन्चिंग पैड माना जाता था ।
- **राष्ट्रीय** शिक्षा नीति 2020 ने **बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर ज़ोर दिया है** । इस कदम ने पूरे भारत में त्रिभाषा सूत्र की उपयुक्तता पर बहस फिर से शुरू कर दी है।
- **तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसे अस्वीकार कर दिया है** और एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दे पर राज्य के अडिग रुख को दोहराया है।

भारत में भाषा राजनीति का संक्षिप्त इतिहास

- **संविधान सभा में, हिंदी को एक मत से संघ की राजभाषा चुना गया** । साथ ही, राज्यों को स्वतंत्र रूप से अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता भी दी गई।
- हालाँकि, इसमें यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अगले 15 वर्षों तक जारी रहेगा, तथा 15 वर्षों के बाद संसद निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर प्रयोग हेतु कानून बना सकेगी।
- संविधान में सरकार से यह भी कहा गया है कि वह क्रमशः पांच और दस वर्ष के अंत में एक आयोग नियुक्त करे जो हिंदी भाषा के प्रगतिशील प्रयोग के संबंध में सिफारिशें दे।
- जैसे-जैसे पंद्रह वर्ष का अंत करीब आता गया, दक्षिणी राज्यों में **व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, विशेष रूप से हिंदी भाषा के प्रचार/लागू करने के खिलाफ।**
- विरोध को ध्यान में रखते हुए **1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया,** जिसमें अनिश्चित काल तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया गया।

त्रिभाषा सूत्र

- देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण प्रणाली एक समान नहीं थी।
- जबकि उत्तर भारत में शिक्षा का सामान्य माध्यम हिंदी थी, अन्य भागों में क्षेत्रीय भाषाएं और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम थीं।
- इससे अराजकता फैल गई और अंतर-राज्यीय संचार में कठिनाइयां पैदा हो गईं।
- इसलिए, प्रणाली को एकरूप बनाने के लिए, **1968 में नई शिक्षा नीति ने** त्रि-भाषा फॉर्मूला नामक एक मध्य मार्ग निकाला।
- **1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति** के अनुसार , त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है कि हिंदी भाषी राज्यों में शिक्षा के लिए एक **तीसरी भाषा (हिंदी और अंग्रेजी के अलावा) का उपयोग किया जाना चाहिए, जो आधुनिक भारत से संबंधित हो** ।
- जिन राज्यों में हिंदी प्राथमिक भाषा नहीं है, वहां **हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा।**
- **कोठारी आयोग** (1964-66) द्वारा इस सूत्र में परिवर्तन और संशोधन किया गया ताकि समूह पहचान की क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषाओं को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसके अलावा, हिंदी और अंग्रेजी भी इस रेखा के दो छोर पर बनी रहीं।
- **पहली भाषा** जो छात्रों को सीखनी चाहिए वह है **मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।**
- **दूसरी भाषा:**
  - **हिंदी भाषी राज्यों** में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारत से संबंधित कोई अन्य भाषा होगी।
  - गैर-हिंदी राज्यों में **, यह अंग्रेजी या हिंदी होगी**

- **तीसरी भाषा:**
- हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारत से संबंधित कोई अन्य भाषा होगी, लेकिन वह भाषा जिसे दूसरी भाषा के रूप में नहीं चुना गया है।
- गैर-हिंदी राज्यों में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारत से संबंधित कोई अन्य भाषा होगी, लेकिन वह भाषा जिसे दूसरी भाषा के रूप में नहीं चुना गया है।
- संयोगवश, **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने त्रिभाषा फार्मूले** और हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी 1968 की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया तथा उसे शब्दशः दोहराया।

त्रि-भाषा सूत्र की आवश्यकता

- समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि **भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।**
- इसका प्राथमिक उद्देश्य **बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना** है ।

त्रिभाषा सूत्र से जुड़ी चिंताएँ

- यद्यपि त्रिभाषा फार्मूला (टीएलएफ) **मातृभाषा** शिक्षा के लिए गुंजाइश प्रदान करता है, **लेकिन विभिन्न कार्यान्वयन के कारण इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है** ।
- प्रमुख जातीय समूहों के राजनीतिक अधिकारों पर जोर देने के बीच, यह नीति **विभिन्न मातृभाषाओं को विलुप्त होने से बचाने में विफल रही है** ।
- त्रिभाषा फार्मूले के कारण छात्रों को **विषयों के बढ़ते बोझ का** सामना करना पड़ता है ।
- कुछ क्षेत्रों में **छात्रों को संस्कृत सीखने के लिए मजबूर किया जाता है** ।
- मसौदा नीति में हिंदी को बढ़ावा देने का आधार यह प्रतीत होता है कि 54% भारतीय हिंदी बोलते हैं।
- लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार, **121 करोड़ लोगों में से 52 करोड़ लोगों ने हिंदी को अपनी भाषा बताया** , और लगभग **32 करोड़ लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित किया** । इसका मतलब है कि हिंदी 44% से भी कम भारतीयों की भाषा है और भारत में केवल 25% से कुछ ज़्यादा लोगों की मातृभाषा है।
- लेकिन हिंदी को अखिल भारतीय भाषा बनाने के लिए अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे कई राज्यों , विशेषकर दक्षिण के राज्यों **द्वारा हिंदी को थोपने के रूप में देखा जा रहा है।**
- तमिलनाडु, पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्य **हिंदी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे और हिंदी भाषी राज्यों ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल नहीं किया था** ।
- राज्य सरकारों के पास अक्सर त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने के लिए **पर्याप्त संसाधन नहीं होते** । संसाधनों की कमी शायद इस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संसाधनों की कमी से जूझ रही राज्य सरकारों के लिए, इतने कम समय में इतने सारे भाषा शिक्षकों पर निवेश करना एक असाधारण रूप से कठिन कार्य होगा।

त्रिभाषा फार्मूले की क्या प्रगति हुई है?

- चूँकि **शिक्षा राज्य का विषय है** , इसलिए इस फॉर्मूले को लागू करने का काम राज्यों का है। **केवल कुछ ही राज्यों ने इस फॉर्मूले को सैद्धांतिक रूप से अपनाया है।**
- कई हिंदी भाषी राज्यों में, **किसी आधुनिक भारतीय भाषा (अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा) के बजाय संस्कृत तीसरी भाषा बन गई** । इससे अंतर-राज्यीय संचार को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा फार्मूले का उद्देश्य विफल हो गया।
- **तमिलनाडु जैसे गैर-हिंदी भाषी राज्य** में दो-भाषा फार्मूला अपनाया गया और तीन-भाषा फार्मूला लागू नहीं किया गया

तमिलनाडु ने ऐतिहासिक रूप से हिंदी भाषा का विरोध क्यों किया है?

- भाषा, **संस्कृति का वाहक** होने के नाते , राज्य में नागरिक समाज और राजनेताओं द्वारा ज़ोरदार तरीके से संरक्षित है। **तमिल भाषा के महत्व को कम करने के किसी भी प्रयास को संस्कृति के एकरूपीकरण के प्रयास के रूप में देखा जाता है** ।
- **हिंदी थोपे जाने** के विरोध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तमिलनाडु में कई लोग इसे **अंग्रेजी को बनाए रखने की लड़ाई के रूप में देखते हैं।**
- **अंग्रेजी को हिन्दी के विरुद्ध एक अवरोधक के रूप में देखा जाता है,** साथ ही इसे सशक्तिकरण और ज्ञान की भाषा भी माना जाता है।
- समाज के कुछ वर्गों में यह धारणा गहरी है कि हिंदी को थोपने के निरंतर प्रयास अंततः **वैश्विक संपर्क भाषा अंग्रेजी को समाप्त कर देंगे।**
- हालाँकि, **राज्य में हिंदी की स्वैच्छिक शिक्षा पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया** । चेन्नई स्थित 102 साल पुरानी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को मिल रहा संरक्षण इस बात की पुष्टि करता है।
- **केवल मजबूरी का ही प्रतिरोध किया जाता है।**

भाषाई राजनीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है?

- **हिंदी थोपने का आरोप** : गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है, लेकिन यह एक कठिन कार्य है क्योंकि 28 में से कम से कम 20 राज्यों में हिंदी स्वाभाविक भाषा नहीं है। इससे हिंदी को थोपने के रूप में प्रचारित करने की गलत व्याख्या हो रही है।
- **पहचान की राजनीति** : स्वतंत्र भारत के जन्म से ही भाषा एक विवादास्पद मुद्दा रही है और परिणामस्वरूप यह पहचान की राजनीति से जुड़ गई है।
- **प्रतिक्रियावादी नीतियाँ** : राज्यों ने अक्सर हिंदी को बढ़ावा देने के केंद्र के उत्साह के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी नीतियाँ लागू की हैं। उदाहरण के लिए, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपने-अपने राज्यों के स्कूलों में अपनी राज्य भाषाएँ सीखना अनिवार्य कर दिया है।
- **डोमिनो प्रभाव:** ऐसी प्रतिक्रियावादी नीतियों का डोमिनो प्रभाव होता है जो अन्य प्रशासनिक कार्यों और केंद्र-राज्य संबंधों को खतरे में डालता है।

एनईपी 2020 त्रिभाषा फॉर्मूले के बारे में क्या कहता है?

- **शिक्षण का माध्यम:** जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, परंतु अधिमानतः कक्षा 8 और उसके आगे तक, शिक्षण का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।
- बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा **फार्मूला का कार्यान्वयन जारी रहेगा** ।
- एनईपी में यह भी कहा गया है कि त्रिभाषा फार्मूले **में अधिक लचीलापन** होगा तथा **किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।**
- बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं **राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद** होंगी , बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं हों।

भारत में त्रिभाषा फार्मूले के लिए आगे का रास्ता

- भाषा मुख्यतः एक उपयोगितावादी उपकरण है।
- यद्यपि अतिरिक्त उपकरणों का अधिग्रहण वास्तव में लाभदायक हो सकता है, किन्तु अनिवार्य शिक्षा केवल अपनी मातृभाषा तक ही सीमित होनी चाहिए।

- इसके अलावा, **अंग्रेजी, वैश्विक ज्ञान तक पहुंच प्रदान करने वाली भाषा और भारत के भीतर एक संपर्क भाषा के रूप में, एक सहायक भाषा हो सकती है।**
- इसे देखते हुए, हर कोई इन परिवर्तनों से संतुष्ट नहीं है, और त्रि-भाषा फार्मूला को एक अनावश्यक थोपा हुआ कदम माना जा रहा है।
- भले ही हर तरफ़ से इरादे हों, लेकिन मौजूदा हालात में त्रिभाषा फ़ॉर्मूला लागू करना वास्तव में संभव नहीं है। इसके अलावा, द्विभाषा फ़ॉर्मूला, या त्रिभाषा फ़ॉर्मूले का घटिया संस्करण, राष्ट्रीय सद्भाव को कमज़ोर नहीं कर पाया है।
- त्रिभाषा **सूत्र का उद्देश्य राज्यों के बीच भाषाई अंतर को पाटकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है।** हालाँकि, भारत की जातीय विविधता को एकीकृत करने के लिए यह एकमात्र विकल्प नहीं है।
- तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी भाषा नीति के माध्यम से न केवल शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया है, बल्कि त्रिभाषा सूत्र को अपनाए बिना भी राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा दिया है। इसलिए, **पूरे भारत में त्रिभाषा सूत्र को एक समान रूप से लागू करने की तुलना में राज्यों को भाषा नीति में स्वायत्तता प्रदान करना कहीं अधिक व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होता है** ।

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी "विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। "**
- **अनुच्छेद 343** भारत संघ की राजभाषा के बारे में है। इस अनुच्छेद के अनुसार, यह हिंदी और देवनागरी लिपि में होगी और अंकों का प्रयोग भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगा। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में प्रयोग होती रहेगी।
- **अनुच्छेद 346** राज्यों के बीच और राज्य व संघ के बीच संचार की आधिकारिक भाषा के बारे में है। अनुच्छेद में कहा गया है कि **"प्राधिकृत" भाषा का** प्रयोग किया जाएगा। हालाँकि, यदि दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत होते हैं कि उनका संचार हिंदी में होगा, तो हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 347** राष्ट्रपति को किसी भाषा को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा यह चाहता है कि उस भाषा को मान्यता दी जाए। यह मान्यता राज्य के किसी भाग या पूरे राज्य के लिए हो सकती है।
- **अनुच्छेद 350ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा** में शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है ।
- **अनुच्छेद 350बी** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जाँच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। राष्ट्रपति इसके बाद अपनी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं या संबंधित राज्यों की सरकारों को भेज सकते हैं।
- **अनुच्छेद 351** संघ सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।
- भारतीय संविधान की **आठवीं अनुसूची में 22** मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा

- **प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण है** , जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बीच आता है।
- प्रारंभिक शिक्षा , एक तर्कसंगत जनसंख्या और परिणामस्वरूप सभी मानव कल्याण सूचकांकों में प्रगति के साथ समान आर्थिक विकास का **आधार प्रदान करने में मौलिक है ।**
- नेल्सन मंडेला ने अपने प्रसिद्ध कथन **" शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं" के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला कि शिक्षा अज्ञानता, गरीबी और सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की बेड़ियों से मुक्ति दिलाती है।**
- यही विचार **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 26 में** निहित है , जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। हालाँकि, यूडीएचआर के सात दशक बाद भी, **दुनिया भर में 5.8 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाते हैं** ।
- **विडंबना यह है कि कभी "विश्व गुरु"** का दर्जा रखने वाला भारत , **स्कूल न जाने वाले बच्चों** वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। लेकिन केरल ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है क्योंकि अब वह पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य घोषित होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सुधारों की आवश्यकता

- **मानव संसाधन विकास (एचआरडी) संबंधी संसदीय स्थायी समिति** ने स्कूली शिक्षा के लिए 2020-2021 की **अनुदान मांगों** पर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा को सौंप दी। इस रिपोर्ट में, समिति ने भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर विभिन्न टिप्पणियाँ की हैं।
- **देश के** लगभग आधे सरकारी स्कूलों में बिजली या खेल के मैदान नहीं हैं ।
- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में बजटीय आवंटन में **27% की कटौती की गई। ₹82,570 करोड़ के प्रस्तावों के बावजूद, केवल ₹59,845 करोड़ ही आवंटित किए गए।**
- पैनल ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में भारी कमी पर निराशा व्यक्त की।
- **केवल 56% स्कूलों में बिजली है** , **तथा सबसे कम दर मणिपुर और मध्य प्रदेश में है, जहां 20% से भी कम स्कूलों में बिजली की पहुंच है।**
- यूडीआईएसई सर्वेक्षण के अनुसार, **57% से कम स्कूलों में खेल के मैदान हैं** , जिनमें ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के 30% से कम स्कूल शामिल हैं।
- सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मजबूत करने के लिए **कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के निर्माण में धीमी प्रगति** हो रही है ।
- कुल मिलाकर, मुख्य **समग्र शिक्षा योजना** के लिए , विभाग ने 31 दिसंबर, 2019 तक संशोधित अनुमानों का केवल 71% ही खर्च किया था।
- **भारत में शिक्षकों के रिक्त पदों** की स्थिति भी गंभीर है , जो कुछ राज्यों में लगभग 60-70 प्रतिशत है।
- सीखने का संकट इस तथ्य से स्पष्ट है कि **ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के लगभग आधे बच्चे दो अंकों का सरल घटाव का प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं** , जबकि **सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 के 67 प्रतिशत बच्चे** गणित में योग्यता-आधारित मूल्यांकन में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं।

असर 2021 की मुख्य विशेषताएं

- **स्कूल नामांकन पैटर्न**
  - अखिल भारतीय स्तर पर, **निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर स्पष्ट बदलाव** आया है । 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, निजी स्कूलों में नामांकन 2018 में 32.5% से घटकर 2021 में 24.4% हो गया है।
  - **स्कूल में नामांकित न होने वाले 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।**
  - पहले की तुलना में अब स्कूल में अधिक संख्या में बड़े बच्चे हैं।
  - राज्य स्तर पर नामांकन में काफ़ी भिन्नता है। सरकारी स्कूलों में नामांकन में राष्ट्रीय वृद्धि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े उत्तरी राज्यों और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों द्वारा संचालित है। इसके

विपरीत, कई पूर्वोत्तर राज्यों में, इस अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई है, और स्कूल में नामांकित न होने वाले बच्चों का अनुपात बढ़ा है।

- पिछले दो वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों और शिक्षकों को इस बढ़ती संख्या से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

- **ट्यूशन**
- **ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई।**
- कम सुविधा प्राप्त लोगों में ट्यूशन लेने में सबसे अधिक वृद्धि हुई।
- जिन बच्चों के स्कूल पुनः खुल गए हैं, वे कम संख्या में ट्यूशन ले रहे हैं।
- स्कूल बंद रहने और अनिश्चितता के लंबे दौर के दौरान, 2018 से निजी ट्यूशन कक्षाओं में जाने वाले बच्चों का अनुपात तेज़ी से बढ़ा है। इससे उन छात्रों के बीच सीखने का अंतर बढ़ सकता है जो ट्यूशन का खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं उठा सकते।
- केरल को छोड़कर सभी राज्यों में ट्यूशन की घटनाएं बढ़ी हैं।
- **स्मार्टफोन तक पहुंच**
- 2018 से स्मार्टफोन का स्वामित्व लगभग दोगुना हो गया है।
- घरेलू आर्थिक स्थिति स्मार्टफोन की उपलब्धता में अंतर लाती है।
- यद्यपि नामांकित सभी बच्चों में से दो-तिहाई से अधिक (67.6%) के पास घर पर स्मार्टफोन है, लेकिन इनमें से एक-चौथाई से अधिक (26.1%) के पास इसकी पहुंच नहीं है।
- **घर पर सीखने में सहायता**
- पिछले वर्ष की तुलना में घर पर शिक्षण सहायता में कमी आई है।
- स्कूलों को पुनः खोलने से समर्थन में कमी आ रही है।
- **शिक्षण सामग्री तक पहुँच**
- लगभग सभी बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें हैं।
- प्राप्त अतिरिक्त सामग्री में मामूली वृद्धि हुई।

प्राथमिक शिक्षा में आने वाली चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढांचे की कमी:**
- जीर्ण-शीर्ण भवन, एक कमरे वाले स्कूल, पेयजल सुविधाओं का अभाव, अलग शौचालय और अन्य शैक्षिक बुनियादी ढांचे की कमी एक गंभीर समस्या है।
- **भ्रष्टाचार और लीकेज** :
- केन्द्र से राज्य, स्थानीय सरकारों से स्कूलों तक धन के हस्तांतरण से कई बिचौलियों की भागीदारी होती है।
- जब तक धन वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचता है, तब तक धन हस्तांतरण की लागत काफी कम हो जाती है।
- भ्रष्टाचार और लीकेज की उच्च दर प्रणाली को त्रस्त करती है, इसकी वैधता को कमजोर करती है और हजारों ईमानदार प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को नुकसान पहुंचाती है।
- **शिक्षकों की गुणवत्ता:**
- अच्छी तरह प्रशिक्षित, कुशल और जानकार शिक्षकों की कमी, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली का आधार प्रदान करते हैं।
- शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त योग्यता वाले शिक्षक, खराब वेतन और खराब प्रबंधन वाले शिक्षण संवर्ग का कारण और प्रभाव दोनों हैं।
- **गैर-शैक्षणिक बोझ:**
- शिक्षकों पर बेतुकी रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्यभार का बोझ है। इससे शिक्षण के लिए आवश्यक समय नष्ट हो जाता है।

- **राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए)** द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि **शिक्षक अपना केवल 19 प्रतिशत समय ही पढ़ाने में लगाते हैं,** जबकि शेष समय वे गैर-शिक्षण प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत करते हैं।
- **कम वेतन:**
- शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है जिससे उनकी काम के प्रति रुचि और समर्पण प्रभावित होता है। वे ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जैसे दूसरे रास्ते ढूँढ़ते हैं और छात्रों को वहाँ जाने के लिए उकसाते हैं।
- इसका दोहरा प्रभाव पड़ता है, **पहला तो स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता गिरती है और दूसरा, मुफ्त शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद गरीब छात्रों को पैसा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।**
- **शिक्षक अनुपस्थिति** :
- स्कूल के समय शिक्षकों की अनुपस्थिति आम बात है। जवाबदेही की कमी और खराब प्रशासनिक ढाँचे ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
- **उत्तरदायित्व की कमी:**
- **स्कूल प्रबंधन समितियाँ** बड़े पैमाने पर निष्क्रिय हैं। कई तो केवल कागज़ों पर ही मौजूद हैं।
- माता-पिता अक्सर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं और यदि वे जागरूक होते हैं तो उनके लिए अपनी आवाज उठाना कठिन होता है।
- **उच्च ड्रॉप-आउट दर:**
- स्कूलों में पढ़ाई छोड़ देने की दर, विशेषकर लड़कियों की, बहुत अधिक है।
- गरीबी, पितृसत्तात्मक मानसिकता, स्कूलों में शौचालयों की कमी, स्कूलों की दूरी और सांस्कृतिक तत्व जैसे कई कारक बच्चों को शिक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
- **स्कूल बंद:**
- कम छात्र संख्या, शिक्षकों और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण कई स्कूल बंद हैं। निजी स्कूलों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा भी सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के साथ , भारत ने कई योजनाबद्ध और कार्यक्रम हस्तक्षेपों के माध्यम से यूईई (प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की, जैसे

- **सर्व शिक्षा अभियान**
- **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण** हेतु भारत के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है । इसके समग्र लक्ष्यों में सार्वभौमिक पहुँच और प्रतिधारण, शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्ग के अंतर को पाटना और बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि शामिल है।
- **मध्याह्न भोजन** : यह **एक ऐसा भोजन** है जो सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, स्थानीय निकाय स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी), मदरसों और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत समर्थित मकतबों में नामांकित सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है।
- **महिला समाख्या**
- **मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ीकरण (एसपीक्यूईएम)**

भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक उपाय

- **शिक्षकों को केवल निम्नलिखित पढ़ाना चाहिए:**
  - युवाओं को रोज़गार दें, उन्हें टैबलेट कंप्यूटर से लैस करें और उन्हें क्लस्टर प्रशासक बनने दें। स्कूलों के एक क्लस्टर में लगभग दस स्कूल होते हैं।
  - क्लस्टर **प्रशासक** प्रशासनिक कार्यों का कार्यभार संभालेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
  - पारदर्शी स्थानांतरण तंत्र जैसी बेहतर नीतियों को तत्काल उन्नत और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। पर्याप्त शिक्षक पदों के बाद, स्कूल स्वायत्तता और शिक्षक सहयोग कई पायलट परियोजनाओं में शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने वाले उत्प्रेरक साबित हुए हैं।
  - शिक्षकों के अपने समूह या नेटवर्क ने शिक्षकों के बीच **सहयोग और संस्थागत क्षमता का निर्माण किया ।**
- **डिजिटलीकरण:**
  - **बुनियादी ढाँचे और मुख्यधारा के धन प्रवाह के लिए एकल-खिड़की प्रणाली बनाएँ:** बिहार में, केवल लगभग 10 प्रतिशत स्कूल ही बुनियादी ढाँचे के मानदंडों को पूरा करते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि स्कूलों के नवीनीकरण की फाइलें अक्सर विभिन्न विभागों से होकर दो साल की यात्रा पर निकलती हैं।
  - यही बात शिक्षकों के वेतन और स्कूल निधि के लिए भी लागू की जा सकती है। इन्हें राज्य से सीधे शिक्षकों और स्कूलों को हस्तांतरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ज़िले या ब्लॉक को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - बच्चों के लिए शिक्षा को अधिक रोचक और समझने में आसान बनाने के लिए **दृश्य-श्रव्य मनोरंजन का** लाभ उठाना । इससे **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और साथ ही पढ़ाई छोड़ने की दर में भी कमी आएगी।**
  - **प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षकों और छात्रों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति** लागू करने से अनुपस्थिति को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **मोबाइल फोन का उपयोग करके स्कूल प्रबंधन समितियों को सशक्त बनाएं:**
  - एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जो लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ावा देकर **स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को सुविधा प्रदान करे।**
  - प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सामाजिक लेखा-परीक्षण भी किया जाना चाहिए।
- सरकार को सार्वजनिक स्कूलों में **शिक्षकों की जवाबदेही तय करने** तथा सभी स्कूलों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, के लिए सीखने के परिणाम-आधारित मान्यता पर जोर देना चाहिए।
- **बेहतर सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के साथ-साथ पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती,** शिक्षक गुणवत्ता के लिए एक स्थायी समाधान है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाकर** शिक्षक **शिक्षा की गुणवत्ता में** सुधार करें । उदाहरण: **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम संशोधन विधेयक,** शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दीक्षा पोर्टल।
- **शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाया जाए, जैसा कि हाल ही में गठित टीएसआर सुब्रमण्यम समिति** जैसी कई समितियों ने सिफारिश की है ।
- शिक्षकों को उनके खराब प्रदर्शन के लिए शायद ही कभी डाँटा जाता है, जबकि बच्चों को फेल न करने की नीति को हटाने की सिफ़ारिशें की जाती हैं। दोष पूरी तरह से बच्चों पर है, इस रवैये को ख़त्म करना होगा।
- प्रशासनिक प्रोत्साहन, बेहतर वेतन और इस समूह के **व्यावसायिक विकास में व्यवस्थित परिवर्तन** से शिक्षकों की दक्षता में सुधार होगा ।
- भारत में शिक्षा नीति सीखने के परिणामों के बजाय इनपुट पर केंद्रित है; इसमें प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के बजाय उच्च शिक्षा के पक्ष में एक मज़बूत अभिजात्य पूर्वाग्रह है। एक नई नीति लाकर इसमें बदलाव की आवश्यकता है।

भारत में माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा **शैक्षिक पदानुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह छात्रों को उच्च शिक्षा और कार्य जगत के लिए तैयार करती है** ।
- वर्तमान नीति **14-18 आयु वर्ग के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाने की है।**
- **संक्रमण और किशोरावस्था** के ये वर्ष विद्यार्थी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। इस दौरान छात्रों की शारीरिक संरचना में **तेज़ी से बदलाव आते हैं और कई तरह के भावनात्मक परिवर्तन और मनोदशा में उतार-चढ़ाव आते हैं।**
- माध्यमिक शिक्षा को छात्रों के कौशल और प्रतिभा को निखारकर उन्हें इस परिवर्तन को सहज बनाने के लिए सक्षम बनाना चाहिए।
- **समाज में महिलाओं के प्रति सदियों पुरानी मान्यताओं, सामाजिक पूर्वाग्रहों, पूर्वाग्रहों और वर्जनाओं के कारण लड़कियों को इस परिवर्तन में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूँकि हाल के दशकों में भारत के अधिकांश राज्यों में महिला लिंगानुपात में तीव्र गिरावट** आई है , इसलिए लिंग-अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- पाठ्यक्रम को छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभाओं और क्षमताओं को पोषित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जैसे भाषा, तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, शारीरिक फिटनेस, खेल, सामान्य जागरूकता, प्रकृति और पर्यावरण आदि।
- छात्र जीवन के इन महत्वपूर्ण वर्षों में उनके अंतर्निहित कौशल को पोषित करने और निखारने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- भारत की लगभग **70% आबादी गाँवों में रहती है और दूरदराज के इलाकों में शिक्षा प्राप्त करती है । संसाधनों की कमी और सीमित शिक्षण अवसरों** के कारण छोटे और दूरदराज के इलाके छात्रों के लिए कई चुनौतियाँ पेश करते हैं ।
- संसाधनों की कमी छात्रों के संज्ञानात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रोत्साहन में बाधा डालती है ।

माध्यमिक शिक्षा में समस्याएँ

- **परीक्षा को अनुचित महत्व:** बहुत अधिक अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से छात्रों को गलाकाट प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **समाज में शिक्षकों की स्थिति** : शिक्षण पेशे को समाज में उचित सम्मान और मान्यता नहीं मिल रही है, जिसके कारण कई प्रतिभाशाली और बुद्धिमान युवा अन्य व्यवसायों को अपनाना पसंद करते हैं जो उन्हें उच्च स्थिति और मोटी तनख्वाह देते हैं।
- **प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षकों की कमी**
- **अंग्रेजी भाषा पर अधिक जोर**
- व्यावहारिक प्रशिक्षण पर कोई जोर नहीं
- व्यक्तित्व निखारने के लिए सुविधाओं का अभाव
- उचित वातावरण के प्रावधान का अभाव
- शिक्षा में सभी हितधारकों की भागीदारी का अभाव
- उच्च अधिकारियों द्वारा स्कूलों के नियमित पर्यवेक्षण का अभाव
- पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव
- पाठ्येतर गतिविधियों पर कम जोर
- **कैरियर मार्गदर्शन का अभाव**
- **खेल सुविधाओं और प्रेरणा का अभाव**

- **माता-पिता की उदासीनता और देखरेख का अभाव** : अधिकांश माता-पिता बच्चों की भावनात्मक, नैतिक और शैक्षिक ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिए उन्हें पर्याप्त समय और ध्यान नहीं देते।
- इस उपेक्षा के परिणामस्वरूप, बच्चे कभी-कभी बुरी संगति के आदी हो जाते हैं और पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं।
- कुछ बच्चे इंटरनेट और टीवी पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता, अश्लीलता और हिंसा का आसानी से शिकार हो जाते हैं, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते।
- **साथियों का दबाव:** कुछ छात्र इस हद तक प्रभावित होते हैं कि वे धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं या अन्य व्यसनों और अस्वास्थ्यकर आदतों को अपना लेते हैं। बच्चे साथियों के दबाव में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वे अपने दोस्तों की नज़रों में अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हैं।
- कभी-कभी वे अपने दोस्तों की नकल करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, ताकि अगर वे अपने साथियों के साथ न चलें तो उन्हें अस्वीकार न किया जाए, उपेक्षित न किया जाए या उनका उपहास न किया जाए।
- **शिक्षा और जीवन मूल्यों के बीच संतुलन का अभाव**
- छात्रों की अनुशासनहीनता और रुचि की कमी
- शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अभाव
- योग्य और प्रतिबद्ध शिक्षकों की कमी
- **शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण और उदासीन रवैया** : कई बार शिक्षक कुछ छात्रों को प्रतिभाशाली, अनुशासित और ईमानदार समझकर उनके साथ पक्षपात करते पाए जाते हैं। शिक्षक स्वाभाविक रूप से उस छात्र के प्रति पक्षपाती हो सकते हैं।
- दूसरी ओर, छात्र शिक्षकों को अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। जब छात्रों को न्याय नहीं मिलता, तो वे निराश हो जाते हैं और तभी से शिक्षक के प्रति उनका प्रेम, आदर और सम्मान समाप्त हो जाता है।
- जिन छात्रों की उपेक्षा की जाती है, वे इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि शिक्षक उन्हें पसंद नहीं करते। वे अवसाद, निराशा और नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं जो अंततः उनके समग्र विकास के लिए हानिकारक साबित होता है।
- कुछ छात्र शिक्षकों की उदासीनता और उनके प्रति रुचि की कमी के कारण निराश और हताश हो जाते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं**
- **लैंगिक समानता में शिक्षा का अभाव**
- पोषण और स्वास्थ्य की उपेक्षा
- उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात
- मूल्यों की शिक्षा का अभाव

माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएँ

वर्तमान में, माध्यमिक स्तर (अर्थात कक्षा IX से XII) पर लक्षित निम्नलिखित योजनाएं **केन्द्र प्रायोजित योजनाओं** के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं :

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
- बालिका छात्रावास योजना
- माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा
- व्यावसायिक शिक्षा योजना
- राष्ट्रीय योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण एवं संचालन की योजना
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ
- राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ

भारत में उच्च शिक्षा

- भारत में 5-24 वर्ष आयु वर्ग की 580 मिलियन **जनसंख्या** विश्व में सबसे अधिक है, जो शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है।
- भारत **विश्व की दूसरी** सबसे **बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली** है , जिसमें 50,000 शैक्षणिक संस्थानों (1,057 विश्वविद्यालयों सहित) में लगभग 38 मिलियन छात्र हैं।
- **इसका लक्ष्य सकल नामांकन दर को वर्तमान 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है।**
- भारत विश्व स्तर पर **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा** सबसे बड़ा स्रोत है (चीन के बाद)।
- सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) जैसी नीतियां लागू की हैं और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **इसने शिक्षा 4.0 क्रांति को** भी अपनाया है , जो समावेशी शिक्षा और रोजगार क्षमता में वृद्धि को बढ़ावा देती है।
- स्वतंत्रता के बाद से भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों और कॉलेजों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है।
- प्रतिष्ठित **क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में,** केवल तीन भारतीय विश्वविद्यालय - आईआईटी-बॉम्बे, आईआईटी-दिल्ली और आईआईएससी (बैंगलोर) - शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हुए हैं।

भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में मुद्दे और चुनौतियाँ

- उच्च शिक्षा क्षेत्र में पहुंच बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे विस्तार पर ध्यान के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, **जहां अनुसंधान और छात्रवृत्ति की उपेक्षा की गई है।**
- **वित्तपोषण संबंधी मुद्दे:**
  - **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से ही केंद्र सरकार का प्रमुख संस्थानों के प्रति झुकाव जारी रहा है, जहां बजट आवंटन में नौ गुना वृद्धि के बावजूद राज्य संस्थानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और मुख्य रूप से अधिक** प्रमुख संस्थान शुरू करने के लिए धन मुहैया कराया गया है।
  - राज्य सरकारों द्वारा किया जाने वाला निवेश भी हर साल कम होता जा रहा है क्योंकि **उच्च शिक्षा एक कम प्राथमिकता वाला क्षेत्र है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राज्य संस्थानों को सीधे धन जारी करने की प्रणाली, जो राज्य सरकारों को दरकिनार करती है , उनमें अलगाव की भावना को** भी जन्म देती है।
  - दशकों से शिक्षा पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने की मांग की जा रही है।
- **कम नामांकन:-**
  - उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 25.2 है, जिसका अर्थ है कि उच्च शिक्षा के लिए पात्र प्रत्येक 100 युवाओं में से 26 से कम युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- **हिस्सेदारी:**
  - समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में कोई समानता नहीं है। पुरुषों के लिए जीईआर (26.3%), महिलाओं के लिए (25.4%), एससी (21.8%) और एसटी (15.9%)।
  - इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएँ भी हैं। जहाँ कुछ राज्यों में GER उच्च है, वहीं कुछ राष्ट्रीय आँकड़ों से बहुत पीछे हैं।
  - कॉलेज घनत्व (प्रति लाख पात्र जनसंख्या पर कॉलेजों की संख्या) बिहार में 7 से लेकर तेलंगाना में 59 तक है, जबकि अखिल भारतीय औसत 28 है।
  - अधिकांश प्रमुख विश्वविद्यालय और कॉलेज महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसके कारण उच्च शिक्षा तक पहुंच में **क्षेत्रीय असमानता पैदा होती है।**

- **अनुसंधान का वांछित स्तर और भारतीय परिसरों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कमजोर बिंदु बने हुए हैं**
- **यह विशेषज्ञता पर बहुत कम ध्यान देते हुए** एक बड़े पैमाने पर **रैखिक मॉडल** का अनुसरण करता है । विशेषज्ञों और शिक्षाविदों, दोनों का मानना है कि भारतीय **उच्च शिक्षा का झुकाव सामाजिक विज्ञान की ओर है** ।
- केवल **1.7% कॉलेज पीएचडी कार्यक्रम चलाते हैं** और मात्र 33% कॉलेज स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं।
- **भारत का अनुसंधान एवं विकास में निवेश देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.6% से 0.7% पर स्थिर बना हुआ है।** यह अमेरिका (2.8%), चीन (2.1%), इज़राइल (4.3%) और कोरिया (4.2%) जैसे देशों के व्यय से कम है।
- **नियामक मुद्दे:-**
- देश का रिकॉर्ड बहुत खराब है, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को **सुविधा प्रदाता के बजाय शिक्षा के नियंत्रक के रूप में अधिक देखा जाता है।**
- भारत की उच्च शिक्षा के नियामक, विभिन्न प्रकार के संस्थानों के समन्वयक तथा मानकों के संरक्षक के रूप में यूजीसी **अपर्याप्त नजर आने लगा था।**
- लाइसेंसिंग शक्तियों वाले नियामक निकाय व्यावसायिक उच्च शिक्षा की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनके अधीन विद्यमान द्वैध शासन में गंभीर असंतुलन पैदा होता है, तथा ज्ञान के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक उच्च शिक्षा में विभाजन हो जाता है।
- चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में निजी तौर पर स्थापित संस्थानों ने ऐसी आधारभूत परिस्थितियाँ पैदा कीं जिनमें सख्त नियमन को औचित्य प्राप्त हुआ। लाइसेंस देने की शक्ति ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया।
- मौजूदा मॉडल नियामकों के बीच विश्वविद्यालयों द्वारा अपने दम पर काम करने और उसे अच्छी तरह से करने की संभावना को लेकर गहरे और व्यापक अविश्वास पर आधारित है।
- मौजूदा ढाँचा, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को सरकार और नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और नीतियों द्वारा निरंतर विनियमित किया जाना आवश्यक है, ने सर्वोत्तम परिणाम नहीं दिए हैं।
- **स्वायत्तता का अभाव:**
- प्रवेश मानदंड, पाठ्यक्रम डिजाइन और परीक्षा सहित शैक्षणिक जीवन के सभी पहलुओं को संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता था।
- सरकार द्वारा स्थापित और संचालित महाविद्यालयों में संकाय की भर्ती राज्य सरकार का विशेषाधिकार था।
- जब कुछ राज्य सरकारों ने नई भर्ती पूरी तरह बंद कर दी और संविदा या तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की प्रथा अपना ली, तो कोई भी कॉलेज अपनी परेशानियों को कम करने के लिए स्वायत्तता का प्रयोग नहीं कर सका।
- कई प्रांतीय या राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में अपनी शासन व्यवस्था के माध्यम से कार्य करने की स्वायत्तता सबसे पहले कम होने लगी।
- राज्य विश्वविद्यालय राजनीतिक शक्ति संपन्न लोगों द्वारा कम योग्यता वाले और अनुपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति के पद पर थोपे जाने का विरोध नहीं कर सके।
- रिक्तियों के संकट **ने शिक्षकों और उनके संगठनों के बीच पेशेवर समुदाय की भावना को तोड़ दिया।** यहाँ तक कि **शिक्षकों की गुणवत्ता भी बेहद खराब थी।**
- **रैंकिंग प्रणाली:–**
- NAAC रेटिंग और NIRF में दर्जे के आधार पर दी गई अतिरिक्त स्वायत्तता इन मूल्यांकन प्रणालियों पर सवाल खड़े करती है।
- **ये न तो प्रामाणिक हैं और न ही मान्य। इनकी प्रामाणिकता का अभाव उन प्रक्रियाओं में है जिनसे इन्हें प्राप्त किया जाता है।**
-
- NAAC एक निरीक्षणात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। हमारे लोकाचार में किसी भी निरीक्षणात्मक प्रणाली में इसकी विश्वसनीयता दोनों पक्षों से प्रभावित होती है।

- एनआईआरएफ की आवश्यकता वैश्विक रैंकिंग प्रणालियों में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण उत्पन्न हुई, लेकिन सवाल यह है कि यदि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान सामान्यतः इतने गरीब पाए जाते हैं कि वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान नहीं हो पाती, तो आपस में रैंकिंग करने पर उनकी स्थिति कैसे बेहतर होगी?
- **भेद्यता की जड़ें**
- **वर्तमान में ज्ञान और शिक्षण के व्यावसायीकरण की विचारधारा** प्रबल है ।
- उच्च शिक्षा के कारण स्नातक कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा कम्पनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
- **गुणवत्ता:** भारत में उच्च शिक्षा निम्न गुणवत्ता के कारण **खराब शिक्षा , रोजगार की कमी और कौशल विकास** से ग्रस्त है ।
- **बुनियादी ढाँचा: भारत में उच्च शिक्षा के लिए खराब बुनियादी ढाँचा एक और चुनौती है। बजट घाटे, भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थी समूहों (शिक्षा माफियाओं) की पैरवी** के कारण , भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है।
- **संकाय:** संकाय की **कमी और राज्य शिक्षा प्रणाली की योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में असमर्थता,** कई वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चुनौतियाँ पेश कर रही है। संकाय की कमी के कारण प्रमुख संस्थानों में भी अस्थायी विस्तार होता है।
- **यद्यपि देश में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात स्थिर (30:1) रहा है** , तथापि इसे अमेरिका (12.5:1), चीन (19.5:1) और ब्राजील (19:1) के बराबर लाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- **पुराना पाठ्यक्रम:** पुराना, **अप्रासंगिक पाठ्यक्रम** जो मुख्यतः सैद्धांतिक प्रकृति का है और जिसमें रचनात्मकता की गुंजाइश कम है। उद्योग की आवश्यकताओं और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के बीच एक बड़ा अंतर है जो भारत में स्नातकों की कम रोज़गार क्षमता का मुख्य कारण है।
- **मान्यता:** NAAC द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जून 2010 तक, **देश के कुल उच्च शिक्षा संस्थानों में से 25% भी मान्यता प्राप्त नहीं थे।** और जिन संस्थानों को मान्यता प्राप्त थी, उनमें से केवल 30% विश्वविद्यालय और 45% कॉलेज ही 'A' स्तर की रैंकिंग के योग्य पाए गए।

सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहल

- **शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम (ईक्यूयूआईपी) हाल ही में शुरू किया गया है:**
- यह अगले पांच वर्षों (2019-2024) में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने के लिए एक पांच वर्षीय विजन योजना है।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को दोगुना करना तथा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों तक भौगोलिक और सामाजिक रूप से विषम पहुंच का समाधान करना।
- कम से कम 50 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों में स्थान दिलाना।
- **2022 तक शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का पुनरुद्धार (RISE)**
- 2022 तक भारत में अनुसंधान और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों तक गुणात्मक रूप से उन्नत करना।
- भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान अवसंरचना उपलब्ध कराकर भारत को शिक्षा का केंद्र बनाना।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, एम्स, आईआईएसईआर और नव निर्मित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे संस्थानों को छात्रों पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना एचईएफए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) को इस पहल के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये जुटाने का कार्य सौंपा गया है।
- **यूजीसी का लर्निंग आउटकम-आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)**
- यूजीसी द्वारा 2018 में जारी किए गए एलओसीएफ दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना है कि स्नातकों से अपने अध्ययन कार्यक्रम के अंत में क्या जानने, समझने और करने में सक्षम होने की अपेक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य छात्रों को एक सक्रिय शिक्षार्थी और शिक्षक को एक अच्छा सूत्रधार बनाना है।

- **विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता:** मान्यता प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण के साथ, त्रि-स्तरीय श्रेणीबद्ध स्वायत्तता नियामक प्रणाली शुरू की गई है। श्रेणी I और श्रेणी II के विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करने, मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित करने और यहाँ तक कि परिणाम घोषित करने में भी पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होगी।
- **ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक्स नेटवर्क (जीआईएएन):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व भर के प्रमुख संस्थानों से प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों को भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना है।
- **उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई):** सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों की पहचान करना और उन पर नजर रखना; तथा उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से डेटा एकत्र करना है।
- **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क** 2015 में विकसित किया गया था। यह रैंकिंग 2016 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। यह पाँच व्यापक मापदंडों के आधार पर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को रैंक करने की पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:
  - शिक्षण, सीखना और संसाधन;
  - अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास;
  - स्नातक परिणाम;
  - आउटरीच और समावेशिता; और
  - धारणा।

उच्च शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएँ

- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना
- राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ
- पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च फेलो (योजना)
- जैव चिकित्सा विज्ञान के लिए जूनियर रिसर्च फैलोशिप
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद छात्रवृत्ति
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अनुदान और फैलोशिप
- महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए डीएसटी की छात्रवृत्ति योजना
- डीबीटी द्वारा डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरल अध्ययन के लिए जैव प्रौद्योगिकी फेलोशिप
- दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति/पुरस्कार
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा फैलोशिप/छात्रवृत्ति/पुरस्कार
- भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रोत्साहन योजनाएँ
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण – योजनाएँ/कार्यक्रम
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

भारत में उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक उपाय

- **प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए** विभिन्न उच्च शिक्षा नियामकों (यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई आदि) **का पुनर्गठन या विलय करना**।
- **विनियामक ढांचे को** विधायी समर्थन देने के लिए **यूजीसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा**।
- **विदेशी संस्थाओं को** भारतीय संस्थाओं के साथ संयुक्त डिग्री कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाए।
- **विश्वविद्यालय अनुदान को प्रदर्शन से जोड़ें।**
- **विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।**
- भौगोलिक सीमाओं से परे **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच** प्रदान करने के लिए **व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)** के दायरे को व्यापक बनाना।

- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अगले 10 वर्षों में शीर्ष 500 वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शामिल होने के लिए रणनीतिक योजनाएं विकसित करनी चाहिए।
- इन संस्थानों को वित्त पोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नवगठित उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के माध्यम से उनके **प्रदर्शन और परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए।**
- उच्च शिक्षा का लक्ष्य, अर्थात किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य **समावेशन के साथ विस्तार करना, गुणवत्तापूर्ण और प्रासंगिक शिक्षा सुनिश्चित करना है।**
- इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, जेट से संबंधित मुद्दों की पहचान करने, पूर्व की नीतियों को आगे बढ़ाने तथा एक कदम आगे बढ़ने के लिए **नीति की आवश्यकता है ।**

भारत में उच्च शिक्षा के लिए आगे का रास्ता

- केवल विश्वविद्यालयों को विनियमित करके अनुसंधान में सुधार नहीं किया जा सकता, इसके बजाय उन्हें **सक्षम वातावरण बनाने के** प्रयासों की आवश्यकता है , जिसके लिए अधिक स्वायत्तता, बेहतर वित्त पोषण और कार्य नैतिकता को विनियमित करने के लिए नए साधन प्रदान करना अनिवार्य है।
- **हैकाथॉन, पाठ्यक्रम सुधार, SWAYAM के माध्यम से कहीं भी कभी भी सीखना, शिक्षक प्रशिक्षण** जैसी **नई पहलों का** उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार लाना है । इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
- चूंकि भारत अपने विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय संस्थानों में बदलना चाहता है, इसलिए उसे **समयबद्ध ढांचे और पारदर्शी तरीके से** स्थायी नियुक्तियों में तेजी लाकर **युवा शोधकर्ताओं और हजारों अस्थायी संकाय सदस्यों के हितों की रक्षा करनी होगी।**
- **विश्व स्तरीय बहु-विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालयों** की स्थापना करना
- प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए **एक मास्टर प्लान बनाएं**
- प्रत्येक राज्य को अपने सभी निवासियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए **एक एकीकृत उच्च शिक्षा मास्टर प्लान स्थापित करना होगा।**
- **संकाय सदस्यों के रूप में सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को आकर्षित करना**
- भारत को जिन मूलभूत परिवर्तनों को संस्थागत रूप देना होगा, उनमें से एक है संकाय सदस्यों के लिए एक **मौलिक रूप से नया पारिश्रमिक** और **प्रोत्साहन ढांचा।** बाज़ार की ताकतों और योग्यता के आधार पर अलग-अलग वेतन देने की लचीलापन इस परिवर्तन का हिस्सा होना चाहिए।
- इस प्रकार वर्तमान मांग को पूरा करने तथा भारत के समक्ष आने वाली भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए **सम्पूर्ण सुधार की आवश्यकता है ।**
- **विविध संस्कृति के जनसांख्यिकीय लाभांश का** लाभ उठाने तथा उनके बीच **शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए मूल्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर** ध्यान देना आवश्यक है।
- सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को **अनिवार्य रूप से और नियमित रूप से** , पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाली प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अगले 10 वर्षों में **शीर्ष 500 वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शामिल होने के लिए रणनीतिक योजनाएँ बनानी** चाहिए । इन संस्थानों को मिलने वाले वित्तपोषण को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नवगठित उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी के माध्यम से उनके प्रदर्शन और परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च शिक्षा कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें से ज़्यादातर चुनौतियाँ कठिन हैं, लेकिन इनका **समाधान असंभव नहीं है।** विश्व शक्ति बनने के हमारे लक्ष्य के लिए **उच्च शिक्षा का समाधान और पुनर्गठन** ज़रूरी है, तभी हम राष्ट्र की मानवीय क्षमता और संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर पाएँगे और उन्हें युवाओं के विकास के लिए दिशा दे पाएँगे। युवा किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं, उनका भविष्य ही राष्ट्र का भविष्य होता है। इसलिए, सरकार को **बुनियादी शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए बाध्य होना चाहिए।**

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इसके लागू होने के बाद से, शिक्षा का अधिकार देश में एक बुनियादी अधिकार बन गया है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) ने 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की और इसे अनुच्छेद 21-ए** के तहत मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया ।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पूरा नाम **"निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम"** है। इसे अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2010 में जब यह अधिनियम लागू हुआ, तो भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया जहाँ शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।
- 86 वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है:**
- "राज्य **6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** प्रदान करेगा , जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करेगा।"
- इसके अनुसार, शिक्षा के अधिकार को **मौलिक अधिकार** बनाया गया तथा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की सूची से हटा दिया गया।
- आरटीई 86वें संशोधन के तहत परिकल्पित परिणामी कानून है।
- **लेख के शीर्षक में "मुफ़्त"** शब्द शामिल है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी बच्चे (सरकार द्वारा समर्थित नहीं किसी स्कूल में अपने माता-पिता द्वारा दाखिला लिए गए बच्चों को छोड़कर) को किसी भी प्रकार की फीस, शुल्क या खर्च का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी नहीं है जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने से रोके।
- यह **अधिनियम सरकार के लिए यह अनिवार्य बनाता है** कि वह छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करे।
- मूलतः **यह अधिनियम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है** ।

संवैधानिक पृष्ठभूमि

- मूलतः भारतीय संविधान के भाग IV, **अनुच्छेद 45 और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 (एफ) में** राज्य द्वारा वित्तपोषित तथा समतापूर्ण एवं सुलभ शिक्षा का प्रावधान था।
- शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज **1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी।**
- **1993 में, उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि **शिक्षा अनुच्छेद 21 से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है।**
- **तापस मजूमदार समिति (1999) की** स्थापना की गई, जिसमें **अनुच्छेद 21ए को शामिल किया गया।**
- **वर्ष 2002 में भारत के संविधान में 86 वें** संशोधन द्वारा संविधान के **भाग-III में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में** शामिल किया गया ।
- इसी संशोधन में **अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया, जिसने 6-14 वर्ष के** बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया ।
- 86वें संशोधन में शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 और अंततः **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए अनुवर्ती कानून का प्रावधान किया गया।**

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की विशेषताएँ

- आरटीई अधिनियम का उद्देश्य **6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।**
- यह **शिक्षा को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) के रूप में लागू करता है।**

- अधिनियम स्पष्ट करता है कि '**अनिवार्य शिक्षा**' का तात्पर्य है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सरकार का दायित्व है। **'निःशुल्क'** शब्द का अर्थ है कि बच्चे को कोई ऐसा शुल्क नहीं देना होगा जो उसे ऐसी शिक्षा पूरी करने से रोके।
- यह अधिनियम समाज के **वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें वंचित समूह शामिल हैं:**
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
  - सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग
  - अलग रूप से सक्षम
- **इसमें गैर-प्रवेशित बच्चे को आयु के अनुरूप कक्षा** में प्रवेश देने का भी प्रावधान किया गया है ।
- इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच **वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों के बंटवारे** का भी उल्लेख है ।
- यह निम्नलिखित से संबंधित मानदंड और मानक निर्धारित करता है:
  - छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर)
  - इमारतें और बुनियादी ढांचा
  - स्कूल-कार्य दिवस
  - शिक्षक-कार्य समय.
- **इसमें "नो डिटेंशन पॉलिसी"** का एक खंड था जिसे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का **अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत हटा दिया गया है।**
- इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति में शहरी-ग्रामीण असंतुलन नहीं होना चाहिए।
- इसमें दशकीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा **गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने** का भी प्रावधान है ।
- इसमें अपेक्षित प्रवेश एवं शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है।
- यह **निषिद्ध करता है**
  - शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न
  - बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया
  - कैपिटेशन शुल्क
  - शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन
  - बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन
- यह बाल-अनुकूल और बाल-केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से **बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करने पर केंद्रित है।**
- अधिनियम में यह परिकल्पना की गई है कि पाठ्यक्रम भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखे। पाठ्यक्रम बच्चे के ज्ञान, उसकी क्षमता और प्रतिभा पर आधारित होना चाहिए, और एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से बच्चे को आघात, भय और चिंता से मुक्त करने में मदद करनी चाहिए जो बाल-केंद्रित और बाल-अनुकूल दोनों हो।

आरटीई का महत्व

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के साथ, भारत सभी के लिए शिक्षा लागू करने की दिशा में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुआ है। यह अधिनियम **राज्य और केंद्र सरकारों पर** बच्चों के मौलिक अधिकारों (संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुसार) को लागू करने का कानूनी दायित्व डालता है।
- **यह अधिनियम छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए विशिष्ट मानक** निर्धारित करता है , जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है।
- **इसमें लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने** , कक्षाओं की स्थिति के लिए पर्याप्त मानक, पेयजल सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है।

- **शिक्षकों की नियुक्ति में शहरी-ग्रामीण असंतुलन से बचने पर जोर देना** महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता और संख्या में बड़ा अंतर है।
- **यह अधिनियम बच्चों के उत्पीड़न और भेदभाव के प्रति शून्य सहनशीलता** का प्रावधान करता है । प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव न हो।
- **अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा।**
- स्कूलों में कक्षा-उपयुक्त शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए 2009 में सतत व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रणाली शुरू की गई।
- अधिनियम में सभी प्राथमिक विद्यालयों में सहभागी लोकतंत्र और शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक **विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)** के गठन का भी प्रावधान है ।
    - इन समितियों को विद्यालय के कामकाज की निगरानी करने और उसके लिए विकास योजनाएँ तैयार करने का अधिकार है।
- यह अधिनियम न्यायोचित है और इसमें शिकायत निवारण तंत्र है जो लोगों को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न होने पर कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी निजी स्कूलों के लिए सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है।**
    - **इस कदम का उद्देश्य सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना और एक अधिक न्यायसंगत एवं समान देश का मार्ग प्रशस्त करना है।**
- यह प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) में शामिल है। सभी स्कूलों (निजी, गैर-सहायता प्राप्त, अनुदानित या विशेष श्रेणी) को प्रवेश स्तर पर **अपनी 25% सीटें** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के छात्रों के लिए आरक्षित करनी होंगी।
- 2005 में जब इस अधिनियम का कच्चा-चिट्ठा तैयार किया गया था, तो वंचितों के लिए इतनी बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में देश भर में काफी विरोध हुआ था। हालाँकि, मसौदा तैयार करने वाले अपने रुख पर अड़े रहे और निजी स्कूलों में 25% आरक्षण को उचित ठहराने में सफल रहे।
- यह प्रावधान एक दूरगामी कदम है और जहां तक **समावेशी शिक्षा का** प्रश्न है, संभवतः यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
- इस प्रावधान का उद्देश्य सामाजिक एकीकरण प्राप्त करना है।
- इस अधिनियम से 2009 और 2016 के बीच **उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) में नामांकन** में 19.4% की वृद्धि हुई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, 2016 में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के केवल 3.3% बच्चे ही स्कूल से बाहर थे।
- इसके परिणामस्वरूप स्कूलों को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की उपलब्धियाँ

- आरटीई अधिनियम ने उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) में नामांकन बढ़ाने में सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की है।
- सख्त बुनियादी ढांचे के मानदंडों के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ।
- **आरटीई के अंतर्गत 25% कोटा मानदंड के तहत 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया।**
- इसने शिक्षा को देशव्यापी रूप से समावेशी और सुलभ बना दिया।
- **"नो डिटेंशन पॉलिसी" को हटाने से प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही आई है।**
- सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान नामक एक एकीकृत योजना भी शुरू की है , जिसमें स्कूली शिक्षा की तीन योजनाएं शामिल हैं:
    - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
    - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
    - शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई)।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की सीमाएँ

- शिक्षा का अधिकार जिस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है, वह **केवल 6 से 14 वर्ष की आयु तक है, जिसे 0 से 18 वर्ष तक विस्तारित** करके अधिक समावेशी और व्यापक बनाया जा सकता है ।
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
- जैसा कि अनेक **एएसईआर रिपोर्टों से पता चलता है, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया** है , इस प्रकार आरटीई अधिनियम अधिकतर इनपुट उन्मुख प्रतीत होता है।
- पांच राज्यों गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना ने आरटीई के तहत समाज के वंचित बच्चों के लिए **25% सीटों के संबंध में अधिसूचना भी जारी नहीं की है।**
- शिक्षा की गुणवत्ता के बजाय आरटीई के आंकड़ों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
- **शिक्षकों की कमी से** आरटीई द्वारा निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित होता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- अधिनियम के अंतर्गत अनेक योजनाओं की तुलना सर्व शिक्षा अभियान जैसी पिछली शिक्षा योजनाओं से की गई है, तथा वे **भ्रष्टाचार और अकुशलता के आरोपों** से ग्रस्त हैं ।
- दाखिले के समय **जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र आदि जैसे कई दस्तावेज़ों की** आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि इस कदम से अनाथ बच्चों को इस अधिनियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- **निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के** कार्यान्वयन में कुछ बाधाएँ रही हैं । इस संबंध में कुछ चुनौतियाँ **अभिभावकों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार** और छात्रों द्वारा भिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में ढलने में आने वाली कठिनाइयों से जुड़ी हैं।
- कक्षा 8 तक **' नो डिटेंशन' नीति** के संबंध में , 2019 में अधिनियम में संशोधन करके कक्षा 5 और 8 में नियमित वार्षिक परीक्षाएं शुरू की गईं।
  - यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है और पुनः परीक्षा देनी होती है। **यदि यह पुनः परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होती है, तो छात्र को कक्षा में रोका जा सकता है** ।
  - यह संशोधन कई राज्यों की इस शिकायत के बाद किया गया कि नियमित परीक्षाओं के बिना बच्चों के सीखने के स्तर का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
  - इस संशोधन के विरोध में छह राज्य थे, जिनके शिक्षण परिणाम उच्चतर थे क्योंकि उन्होंने अधिनियम में उल्लिखित सीसीई प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया था। (ये छह राज्य थे: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, तेलंगाना और महाराष्ट्र।)

उठाए जाने वाले कदम

- अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूलों को आरटीई के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
- शिक्षा की मात्रा की अपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
- शिक्षण पेशे को आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- समग्र समाज को बिना किसी पूर्वाग्रह के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए दस साल हो चुके हैं, लेकिन यह देखा जा सकता है कि अपने उद्देश्य में सफल कहलाने के लिए इसे अभी भी एक लंबा सफ़र तय करना है।
- अनुकूल वातावरण और संसाधनों की आपूर्ति का निर्माण, व्यक्तियों के साथ-साथ पूरे राष्ट्र के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी 2020)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 **जुलाई 2020 में जारी की गई** थी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और **यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेती है**।
- **पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही** के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नीति **सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा** के अनुरूप है और इसका उद्देश्य **स्कूल और कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहु-विषयक, 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है और इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है**।

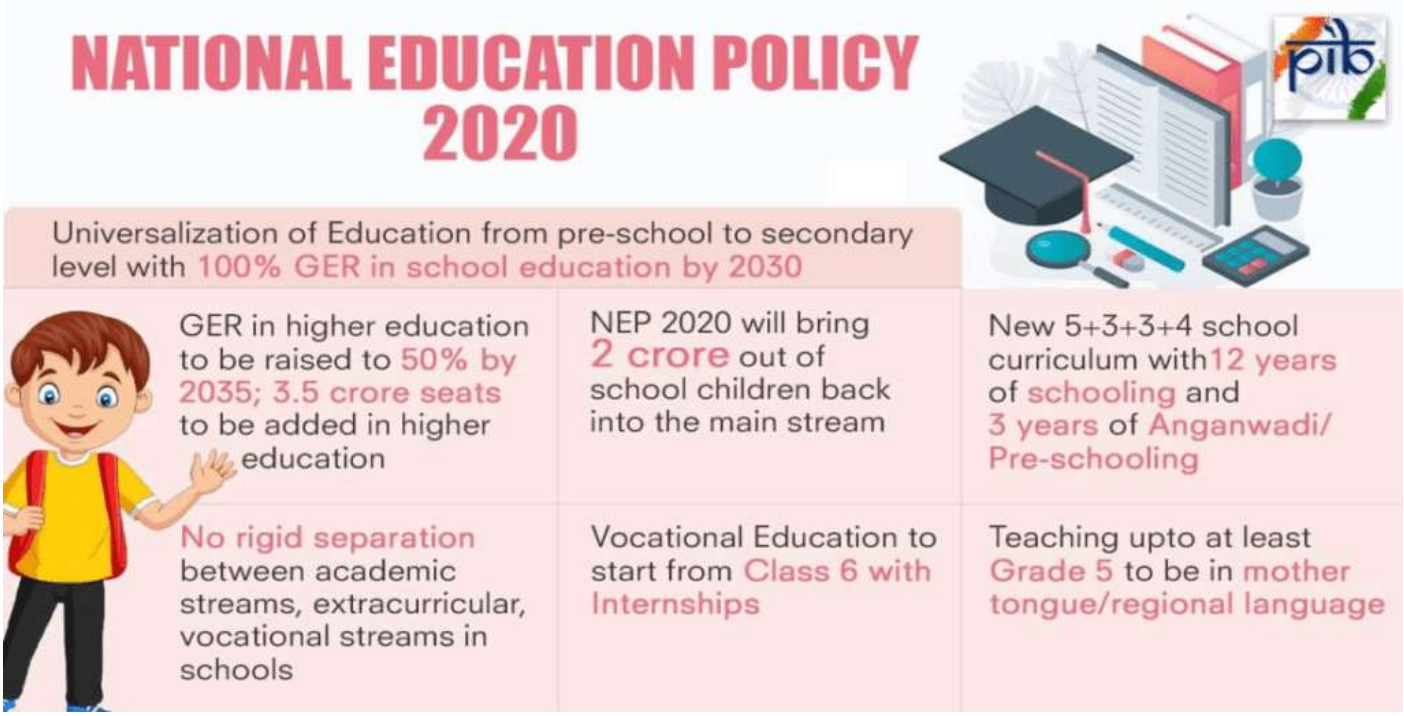

एनईपी 2020 के उद्देश्य

- **पाठ्यक्रम सामग्री में सुधार।**
- शिक्षा का माध्यम बच्चे की **स्थानीय भाषा/मातृभाषा में होना चाहिए। वर्तमान त्रिभाषा सूत्र** लागू रहेगा।
- समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार
- **शिक्षक प्रशिक्षण और प्रबंधन.**
- स्कूलों का प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
- **2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना (यह 2018 में 26.3% था)।**
- संस्थाओं का पुनर्गठन।
- बहुविषयक शिक्षा.
- अनुसंधान में सुधार.
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं

स्कूली शिक्षा में परिवर्तन:

- **स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना:**
- एनईपी 2020 सभी स्तरों - प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक तक - पर स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है।

- एनईपी 2020 के तहत स्कूल से बाहर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।
- **नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा:**
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए, स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है, जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 वर्ष की आयु के अनुरूप होगी।
- इससे अब तक अछूते रहे 3-6 वर्ष के आयु वर्ग को स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे की मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण माना गया है।
- नई प्रणाली में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा तथा तीन वर्ष की आंगनवाड़ी/प्री स्कूलिंग शामिल होगी।
- **आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना:**
- बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को सीखने के लिए एक जरूरी और आवश्यक शर्त के रूप में मान्यता देते हुए, एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का आह्वान किया गया है।
- **स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में सुधार:**
- स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति का लक्ष्य शिक्षार्थियों को 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से सुसज्जित करके उनका समग्र विकास करना, आवश्यक शिक्षण और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री में कमी करना तथा अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा।
- छात्रों को विषयों के चयन में अधिक लचीलापन मिलेगा।
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा।
- स्कूलों में छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी।
- **बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति:**
- **नीति में कम से कम कक्षा 5 तक, तथा कक्षा 8 और उससे आगे तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में रखने पर जोर दिया गया है।**
- **त्रिभाषा फार्मूले सहित, स्कूली और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए संस्कृत को एक विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा।**
- **भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे।**
- **किसी भी छात्र पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।**
- **समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा:**
- एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर न खो दे।
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान और विकलांगताएं शामिल हैं।
- **मजबूत शिक्षक भर्ती और कैरियर पथ:**
- शिक्षकों की भर्ती मजबूत एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाएगी।
- पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, जिसमें बहु-स्रोत आवधिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन की व्यवस्था होगी तथा शैक्षिक प्रशासक या शिक्षक प्रशिक्षक बनने के लिए प्रगति पथ उपलब्ध होंगे।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और विभिन्न स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के परामर्श से शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) विकसित किया जाएगा।
- **स्कूल प्रशासन:**
- स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में संगठित किया जा सकता है जो शासन की मूल इकाई होंगे और बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक मजबूत पेशेवर शिक्षक समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

- **स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और मान्यता:**
- एनईपी 2020 में नीति निर्माण, विनियमन, संचालन और शैक्षणिक मामलों के लिए स्पष्ट, पृथक प्रणालियों की परिकल्पना की गई है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना करेंगे।
- एसएसएसए द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामक सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा।
- एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन ढांचा (एसक्यूएएएफ) विकसित करेगा।

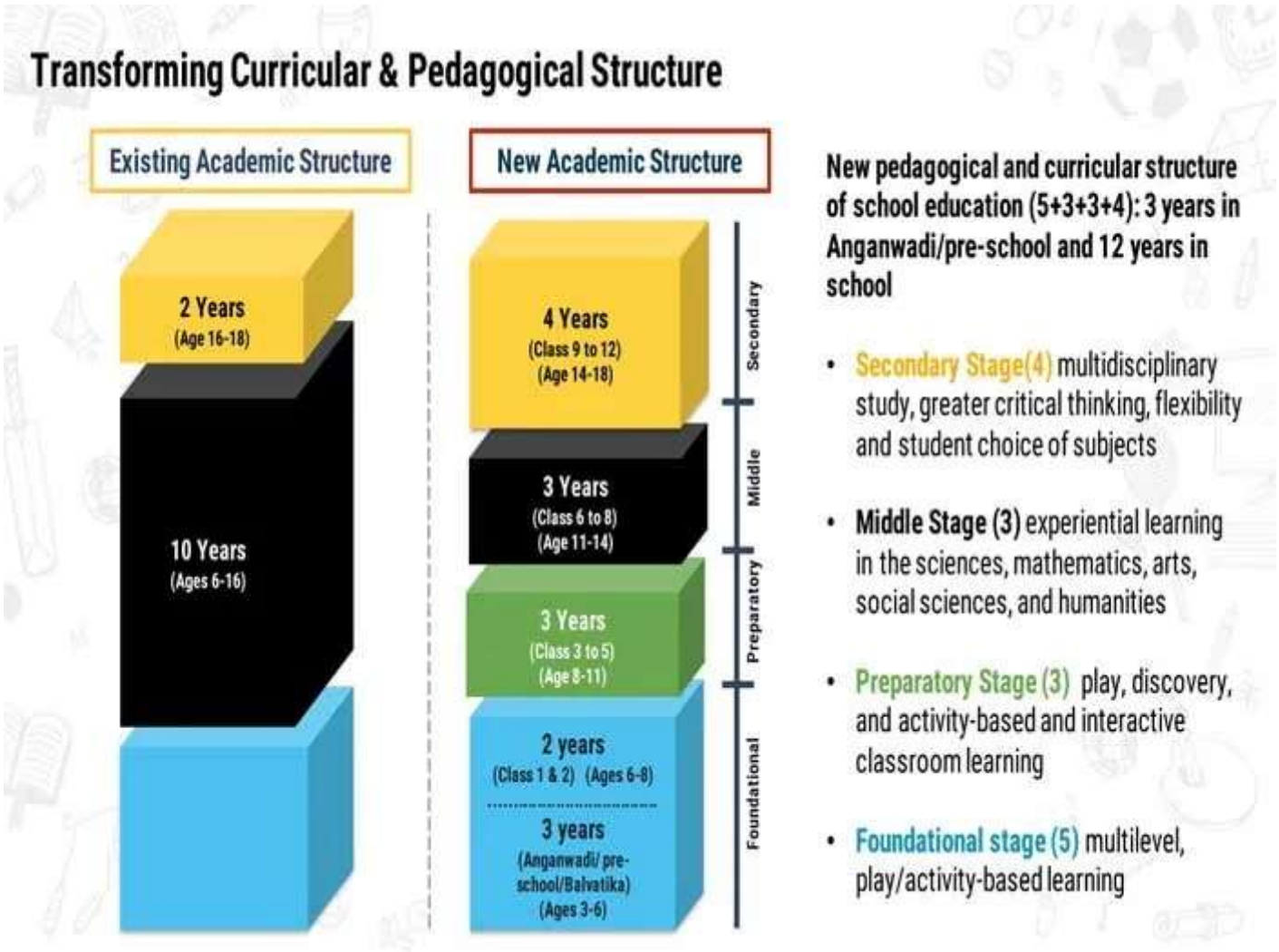

उच्च शिक्षा में परिवर्तन:

- **2035 तक जीईआर को 50% तक बढ़ाना:**
- एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
- **समग्र बहुविषयक शिक्षा:**
- नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और उचित प्रमाणन के साथ बहु प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ व्यापक आधारित, बहु-विषयक, समग्र स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है।
- यूजी शिक्षा 3 या 4 वर्ष की हो सकती है, जिसमें इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प और उचित प्रमाणन शामिल हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद बैचलर डिग्री और 4 वर्ष के बाद रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री।

- **विनियमन:**
  - भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एक एकल व्यापक निकाय के रूप में की जाएगी।
  - एचईसीआई के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे - विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)।
  - एचईसीआई प्रौद्योगिकी के माध्यम से फेसलेस हस्तक्षेप के माध्यम से कार्य करेगा, और मानदंडों और मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले एचईआई को दंडित करने की शक्तियां रखेगा।
  - सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों द्वारा शासित होंगे।
- **तर्कसंगत संस्थागत वास्तुकला:**
  - उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े, संसाधनयुक्त, जीवंत बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित किया जाएगा, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता प्रदान करेंगे।
  - विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी, जिसमें अनुसंधान-प्रधान विश्वविद्यालयों से लेकर शिक्षण-प्रधान विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे।

शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अन्य प्रावधान:

- **प्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम संकाय:**
  - एनईपी स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी भर्ती, पाठ्यक्रम/शिक्षाशास्त्र डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने, संस्थागत नेतृत्व में आंदोलन के माध्यम से संकाय की प्रेरणा, ऊर्जा और क्षमता निर्माण के लिए सिफारिशें करता है।
  - बुनियादी मानदंडों का पालन न करने वाले संकाय को जवाबदेह ठहराया जाएगा
- **शिक्षक शिक्षा:**
  - एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटीई द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा।

- 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी।
- घटिया स्तर के एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- **मार्गदर्शन मिशन:**
- मार्गदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा समूह होगा - जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता रखने वाले संकाय सदस्य भी शामिल होंगे - जो विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक मार्गदर्शन/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे।
- **छात्रों के लिए वित्तीय सहायता:**
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणी के छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन, प्रोत्साहन और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा।
- निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने विद्यार्थियों को अधिक संख्या में निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **व्यावसायिक शिक्षा:**
- समस्त व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी।
- एकल तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विधिक एवं कृषि विश्वविद्यालय आदि का लक्ष्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा।
- **प्रौढ़ शिक्षा:**
- नीति का लक्ष्य 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है।
- **शिक्षा का वित्तपोषण:**
- केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर इसे यथाशीघ्र सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा:**
- इसका विस्तार किया जाएगा ताकि यह जीईआर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
- ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, एमओओसी की क्रेडिट-आधारित मान्यता आदि जैसे उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के बराबर हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्व

- **प्रारंभिक वर्षों के महत्व को मान्यता:** 3 वर्ष की आयु से शुरू होने वाली स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 मॉडल को अपनाते हुए, नीति बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 वर्ष की आयु के प्रारंभिक वर्षों की प्रधानता को मान्यता देती है।
- **सिलोस मानसिकता से प्रस्थान:** नई नीति में स्कूली शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू हाई स्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान धाराओं के सख्त विभाजन को तोड़ना है। यह उच्च शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण की नींव रख सकता है।
- **शिक्षा और कौशल का संगम:** इस योजना का एक और सराहनीय पहलू इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत है। इससे समाज के कमज़ोर वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही, इससे स्किल इंडिया मिशन के लक्ष्य को साकार करने में भी मदद मिलेगी।
- **शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना:** एनईपी में 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के विस्तार का प्रस्ताव है। इसके अलावा, नीति उच्च शिक्षा में सकल नामांकन बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षण और सीखने के तरीकों की विशाल क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करती है।
- **हल्की लेकिन कड़ी निगरानी:** नीति के अनुसार, समय-समय पर निरीक्षण के बावजूद, पारदर्शिता, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना और अनुकूल जनधारणा संस्थानों के लिए 24X7 की प्राथमिकता बन जाएगी, जिससे उनके मानक में सर्वांगीण सुधार होगा। नीति में शिक्षा के लिए एक सुपर-रेगुलेटर की स्थापना का भी प्रावधान है जो भारत में उच्च शिक्षा के मानक निर्धारण, वित्त पोषण, मान्यता और विनियमन के लिए ज़िम्मेदार होगा।
- **विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति:** दस्तावेज़ में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित कर सकेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और नवाचार का संचार होगा, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनेगी।
- **हिंदी बनाम अंग्रेजी बहस को समाप्त करना:** सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनईपी, हमेशा के लिए, हिंदी बनाम अंग्रेजी भाषा की तीखी बहस को समाप्त कर देता है; इसके बजाय, यह कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने पर जोर देता है, जिसे शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है।

एनईपी- 2020 से संबंधित मुद्दे

नई नीति में सभी को खुश करने की कोशिश की गई है, और दस्तावेज़ में इसकी परतें साफ़ दिखाई देती हैं। इसमें सभी सही बातें कही गई हैं और सभी आधारों को कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन अक्सर यह नीति बेमानी साबित हो जाती है।

- **एकीकरण का अभाव:** सोच और दस्तावेज़ दोनों में ही, तकनीक और शिक्षण पद्धति के एकीकरण जैसी कमियाँ हैं। आजीवन सीखने जैसी बड़ी खामियाँ हैं, जो उभरते विज्ञानों के उन्नयन का एक प्रमुख तत्व होना चाहिए था।
- **भाषा संबंधी बाधा:** इस दस्तावेज़ में भाषा सहित कई मुद्दे बहस के लिए उपयुक्त हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पाँचवीं कक्षा तक घर की भाषा में शिक्षा को सक्षम बनाना है ताकि सीखने के परिणामों में सुधार हो सके।
    - निश्चित रूप से, अवधारणाओं की प्रारंभिक समझ घर की भाषा में बेहतर होती है और भविष्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यदि नींव मज़बूत नहीं है, तो सर्वोत्तम शिक्षण और बुनियादी ढाँचे के बावजूद, सीखने में बाधा आती है।
    - लेकिन यह भी सच है कि शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता है, और भारत में गतिशीलता की भाषा अंग्रेजी है।
- **बहुभाषावाद पर बहस:** घरेलू भाषा उन जगहों पर सफल होती है जहाँ यह पारिस्थितिकी तंत्र उच्च शिक्षा से लेकर रोज़गार तक फैला हुआ है। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के बिना, यह पर्याप्त नहीं हो सकता।

    - नई शिक्षा नीति बहुभाषावाद की बात करती है और इस पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं वस्तुतः द्विभाषी हैं। कुछ राज्य इस नीति को हिंदी थोपने का एक निरर्थक प्रयास मानकर खुश हैं।
- **धन की कमी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय (केंद्र और राज्य द्वारा) सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% था। शिक्षा की लागत संरचना में बदलाव अपरिहार्य है।
    - हालाँकि सकल घरेलू उत्पाद के 6% पर वित्त पोषण संदिग्ध बना हुआ है, यह संभव है कि परिवर्तन के कुछ हिस्से बड़े पैमाने पर कम लागत पर प्राप्त किए जा सकें।
- **जल्दबाजी में उठाया गया कदम:** देश महीनों से कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से जूझ रहा है। इस नीति पर संसदीय चर्चा होनी चाहिए थी; इस पर एक सभ्य संसदीय बहस और विविध विचारों पर विचार-विमर्श होना चाहिए था।
- **अतिमहत्वाकांक्षी:** उपरोक्त सभी नीतिगत कदमों के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता है। सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 6% पर लाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
    - वर्तमान कर-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर राष्ट्रीय खजाने पर प्रतिस्पर्धी दावों को देखते हुए, यह निश्चित रूप से एक कठिन कार्य है।
    - वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी खजाना स्वयं ही अवरुद्ध है।
- **शैक्षणिक सीमाएँ:** दस्तावेज़ लचीलेपन, विकल्प और प्रयोग की बात करता है। उच्च शिक्षा में, दस्तावेज़ यह मानता है कि शैक्षणिक आवश्यकताओं में विविधता है।
    - यदि यह एकल संस्थानों के भीतर एक अनिवार्य विकल्प है, तो यह एक आपदा होगी, क्योंकि एक ऐसे कक्षा-कक्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना जिसमें एक वर्षीय डिप्लोमा और चार वर्षीय डिग्री दोनों छात्र हों, संस्थान की पहचान को धूमिल कर देगा।
- **संस्थागत सीमाएँ:** एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली में संस्थानों की विविधता शामिल होगी, न कि एक थोपी हुई बहु-विषयक व्यवस्था। छात्रों के पास विभिन्न प्रकार के संस्थानों का विकल्प होना चाहिए। इस नीति से केंद्र द्वारा अनिवार्य एक नए प्रकार की संस्थागत समरूपता पैदा होने का खतरा है।
- **परीक्षाओं से जुड़ी समस्याएँ:** प्रतिस्पर्धा के कारण परीक्षाएँ एक विक्षिप्त अनुभव बन जाती हैं; प्रदर्शन में थोड़ी सी भी कमी के परिणाम अवसरों के संदर्भ में बहुत बड़े होते हैं। इसलिए परीक्षा की पहेली का समाधान अवसरों की संरचना में निहित है।
    - भारत उस स्थिति से बहुत दूर है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण संस्थानों तक पहुँच और उन संस्थानों तक पहुँच के परिणामस्वरूप होने वाले आय अंतर, दोनों के संदर्भ में कम असमानता वाले समाज की आवश्यकता होगी।
- **प्रदान किए जाने वाले ज्ञान और कौशल तथा उपलब्ध नौकरियों के बीच** निरंतर असंतुलन बना हुआ है। यह आज़ादी के बाद से भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक रही है।
- एनईपी 2020 इसकी जांच करने में विफल रही, क्योंकि यह **कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबरस्पेस, नैनोटेक आदि** जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित शिक्षा पर चुप है।
- सकल घरेलू उत्पाद के 6% पर सार्वजनिक व्यय का एक **महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है**। कम कर-से-जीडीपी अनुपात और स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के राष्ट्रीय खजाने पर प्रतिस्पर्धी दावों को देखते हुए, वित्तीय संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और **नई शिक्षा नीति, 2020** जैसी दो प्रभावी नीतियों की प्रयोज्यता से जुड़ी कानूनी जटिलताओं के कारण भी इस नीति की आलोचना की गई है। इस क़ानून और हाल ही में शुरू की गई नीति के बीच किसी भी तरह की उलझन को लंबे समय में सुलझाने के लिए स्कूली शिक्षा शुरू करने की उम्र जैसे कुछ प्रावधानों पर विचार-विमर्श करना ज़रूरी होगा।
- यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्ववर्ती नियामक व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय कानून बनाने के पिछले प्रयास सफल नहीं रहे हैं। इस विफलता का कारण नियामकों की भूमिका और अपेक्षित विधायी परिवर्तनों का बेमेल होना है, जैसा कि **विदेशी शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश एवं संचालन विनियमन) विधेयक, 2010 के** मामले में हुआ, जो समाप्त हो गया; और प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का निरसन) अधिनियम, 2018, जो संसद तक नहीं पहुँच पाया।

- यद्यपि **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** और **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने** प्रमुख भूमिका निभाई है, लेकिन नई नीति के अंतर्गत यूजीसी और एआईसीटीई की भूमिका से संबंधित प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक दोगुना करना, जो कि नीति के घोषित लक्ष्यों में से एक है, इसका अर्थ होगा कि हमें अगले 15 वर्षों तक हर सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खोलना होगा।
- उच्च शिक्षा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतःविषयक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। विश्वविद्यालय, विशेष रूप से भारत में, दशकों से बहुत ही एकाकी और विभागीकृत रहे हैं।

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय

- इस महत्वाकांक्षी नीति की कीमत चुकानी होगी और बाकी बातें इसके अक्षरशः क्रियान्वयन पर निर्भर करती हैं।
- नीति में परिकल्पित उच्च गुणवत्ता और न्यायसंगत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने के लिए **सार्वजनिक निवेश को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, जो भारत के भविष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और तकनीकी प्रगति और विकास के लिए वास्तव में आवश्यक है।**
- **नीति की भावना और उद्देश्य का कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण मामला है।**
- नीतिगत पहलों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक नीति बिंदु में कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए पिछले चरण को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना आवश्यक होता है।
- **नीतिगत बिन्दुओं के इष्टतम अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता निर्धारण** महत्वपूर्ण होगा, तथा सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल कार्रवाई पहले की जाएगी, जिससे एक मजबूत आधार तैयार होगा।
- इसके बाद, **कार्यान्वयन में व्यापकता महत्वपूर्ण होगी** ; चूंकि यह नीति परस्पर संबद्ध और समग्र है, इसलिए केवल पूर्ण कार्यान्वयन, न कि टुकड़ों में कार्यान्वयन, यह सुनिश्चित करेगा कि वांछित उद्देश्य प्राप्त किए जाएं।
- चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए इसके लिए केन्द्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।
- नीति के संतोषजनक क्रियान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर **आवश्यक संसाधनों - मानव, अवसंरचनात्मक और वित्तीय - का समय पर उपलब्ध होना महत्वपूर्ण होगा।**
- अंत में, सभी पहलों का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अनेक समानांतर कार्यान्वयन चरणों के बीच संबंधों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा आवश्यक होगी।
- **सहकारी संघवाद की आवश्यकता:** चूँकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है (केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून बना सकती हैं), प्रस्तावित सुधारों को केंद्र और राज्यों द्वारा मिलकर ही लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, केंद्र के सामने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर आम सहमति बनाने का विशाल कार्य है।
- **शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में प्रयास** : सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए 'समावेशी निधि' के निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही, एक नियामक प्रक्रिया स्थापित करने की भी आवश्यकता है जो शिक्षा से बेहिसाब दान के रूप में होने वाली मुनाफाखोरी पर रोक लगा सके।
- **डिजिटल विभाजन को पाटना:** यदि तकनीक एक बल-गुणक है, तो असमान पहुँच के साथ यह संपन्न और वंचितों के बीच की खाई को भी बढ़ा सकती है। इसलिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राज्य को डिजिटल उपकरणों तक पहुँच में व्याप्त असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय** : व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा, कौशल और श्रम मंत्रालय के बीच घनिष्ठ समन्वय होना आवश्यक है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है,** जिसमें एक समान शिक्षा प्रणाली शामिल है, जहां "अमीर और गरीब एक ही छत के नीचे शिक्षित होंगे"।
- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करता है।
- देश में भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को **उत्कृष्ट संस्थान** घोषित करना ।
- प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के लिए **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी** का निर्माण ।
- हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए **राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क ।**
- **जीआईएएन पहल के तहत** विश्व भर के प्रमुख संस्थानों से प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए **SWAYAM पोर्टल ।**
- **स्वयं प्रभा** 24X7 आधार पर डीटीएच के माध्यम से एचडी शैक्षिक चैनल प्रदान करता है।
- सोढगंगा भारत में विश्वविद्यालयों का एक राष्ट्रीय संग्रह और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री विकसित करेगा।
- **समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।**
- सरकार स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि छात्रों को ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण व्याख्यानों तक पहुंच मिल सके।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
- **सरकार को डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार लाने पर काम करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों के पास मोबाइल फोन या लैपटॉप तक पहुंच हो।**

नई शिक्षा नीति के लिए आगे का रास्ता

- नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एक समावेशी, सहभागी और समग्र दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना है, जो क्षेत्र के अनुभवों, अनुभवजन्य अनुसंधान, हितधारकों की प्रतिक्रिया के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए सबक को भी ध्यान में रखता है।
- यह शिक्षा के प्रति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर एक प्रगतिशील बदलाव है।
- निर्धारित संरचना बच्चे की क्षमता - संज्ञानात्मक विकास के चरणों के साथ-साथ सामाजिक और शारीरिक जागरूकता को पूरा करने में मदद करेगी।
- **यदि इसे सही दृष्टिकोण से क्रियान्वित किया जाए तो यह नई संरचना भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ला सकती है।**
- शिक्षा नीति को विभिन्न भाषाओं के अध्ययन के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहजीवी संबंध बनाए रखना चाहिए।
- देश में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि वह न केवल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करे, बल्कि देश में एक **विश्लेषणात्मक वातावरण भी तैयार करे।**

नई शिक्षा नीति-2020, वैश्विक शैक्षिक प्रयोगों के सर्वोत्तम पहलुओं को आत्मसात करते हुए, विश्व में ज्ञान का केंद्र बनने की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए **सतत विकास के 2030 के एजेंडे के लक्ष्य 4 (SDG4)** में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा , 2030 तक "समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने" का लक्ष्य रखता है। यह शिक्षा नीति सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि इसे अपने लक्ष्य के अनुरूप लंबी अवधि में लागू किया गया है।

मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

किसी देश के दृष्टिकोण से मानव संसाधन उन लोगों को कहते हैं जो विकास और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग प्रत्यक्ष करों में योगदान करते हैं
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।
- सरकार के सुचारू संचालन के लिए सार्वजनिक सेवा में लगे लोगों की आवश्यकता है।
- जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे देश के भविष्य के मानव संसाधन का निर्माण कर रहे हैं जिनकी देश को आवश्यकता होगी।

सामान्यतः गरीबी उन्मूलन, शहरी मलिन बस्तियों का विकास, ग्रामीण विकास आदि के माध्यम से लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान भी मानव संसाधन में सुधार में योगदान देता है।

भारत में मानव संसाधन

- **भारत की जनसंख्या 1.3 अरब है**। इसकी विशाल जनसंख्या भारत के लिए एक बड़ा लाभ है। भारतीय जनसंख्या की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसका **जनसांख्यिकीय लाभांश है।** यह 15-59 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को दर्शाता है।
- भारतीय जनसंख्या का 64% से अधिक हिस्सा इसी आयु वर्ग में आता है, इसलिए भारत में शिक्षा प्रदान करने तथा अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की अपार संभावनाएं हैं, जिससे आर्थिक विकास में सुधार होगा।

भारत को अपनी जनसांख्यिकीय लाभांश क्षमता का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित कुछ तरीके हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं:

1. **उद्यमियों का निर्माण**
2. **अधिक नौकरियों का सृजन**
3. **हमारी जनसंख्या को कुशल बनाना**
4. **ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित**

मूल तथ्य

- जनसांख्यिकीय लाभांश - कार्यशील आयु (15-59 वर्ष) में कुल जनसंख्या का 65%।
- श्रम बल अनुमान - 2030 तक विश्व की 1/3 कार्यशील जनसंख्या भारत से होगी।
- कुल जनसंख्या का 27.5% युवा (15-29 वर्ष) है।
- 2022 तक भारत में 24 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 109 मिलियन कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी।
- जीर्ण-शीर्ण वर्तमान स्थिति:
  - केवल 2.3% भारतीयों के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है।
  - भारत में 58% नियोक्ताओं को उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढने में कठिनाई होती है।
  - भारत में 47% स्नातक रोजगार योग्य नहीं हैं।

उद्यमियों का निर्माण

निम्नलिखित कारणों से अधिक उद्यमियों का निर्माण महत्वपूर्ण है:

- अल्पावधि में यह एक हद तक बेरोजगारी को कम करता है
- दीर्घकाल में इससे अधिक नौकरियां पैदा होंगी और बेरोजगारी में उल्लेखनीय कमी आएगी

सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किए हैं।

स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम:

- **उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया** योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अधिक संख्या में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आसान वित्तपोषण और कम सरकारी नियमों की सुविधा प्रदान करना है।
- **महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी)** के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए **स्टैंडअप इंडिया योजना शुरू की गई थी।**
- **दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना** के माध्यम से ग्रामीण भारत को भी कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्टार्टअप क्या है?

- एक इकाई जो 5 वर्ष से कम पुरानी है और
- जिनका टर्नओवर पिछले 5 वर्षों में 25 करोड़ से कम है और
- अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित है

इस योजना की मुख्य विशेषताएं:

अधिक नौकरियों का सृजन

भारत ने पिछले दशक में ज़बरदस्त आर्थिक विकास हासिल किया है। हालाँकि, इस विकास ने देश की आबादी के लिए ज़्यादा रोज़गार पैदा नहीं किए हैं। इसे रोज़गारविहीन विकास कहा जाता है।

विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोज़गार सृजन की अपार संभावनाएँ हैं। लेकिन सरकार को इस क्षेत्र में सुधार के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया की घोषणा की है।

मेक इन इंडिया

- मेक इन इंडिया कार्यक्रम विदेशी और घरेलू दोनों कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। निम्नलिखित फ़्लोचार्ट मेक इन इंडिया के प्रमुख फोकस क्षेत्रों की व्याख्या करता है।

इस योजना का अनुवर्तन:

1. इस योजना के शुभारंभ के बाद भारत विदेशी निवेश के लिए शीर्ष वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरा
2. मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है
3. नीतिगत उपाय के रूप में इनमें से अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति है
4. कंपनियों को आसानी से अपना व्यवसाय स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापार करने में आसानी में भी सुधार किया गया।

नौकरियों की संभावना:

मेक इन इंडिया पहल अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है और इसलिए इसमें और अधिक रोज़गार सृजित करने की क्षमता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- वस्त्र, परिधान और चमड़ा जैसे क्षेत्र श्रम प्रधान हैं
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों और ग्रामीण रोजगार के लिए वरदान बन सकता है
- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं और इसलिए इनमें अपार संभावनाएं हैं।

कौशल विकास में सुधार

कौशल विकास का अर्थ लोगों को रोज़गार योग्य कौशल प्रदान करना है। रोज़गार के लिए उद्योगों की ज़रूरतें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से पूरी नहीं होतीं। अनुमान है कि भारत में केवल 2.3% कार्यबल ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि जर्मनी में यह 75% और ब्रिटेन में 68% है।

कौशल भारत:

स्किल इंडिया पहल का लक्ष्य भारत में 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के मुख्य घटक नीचे दिए गए चार्ट में दिए गए हैं।

कौशल विकास की आवश्यकता

- **जीडीपी संरचना:** जीडीपी में वृद्धि के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है और विनिर्माण/सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। इन तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए सुप्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता है।
- **रोज़गार प्रवृत्ति:** कृषि क्षेत्र में रोज़गार लोच नकारात्मक हो गई है। लेकिन कौशल असंतुलन के कारण द्वितीयक/तृतीयक क्षेत्रों में वैकल्पिक रोज़गार भी अनौपचारिक क्षेत्र में ही है। इसलिए, यदि कौशल उन्नयन नहीं किया गया तो लाभकारी रोज़गार बढ़ाने के सभी प्रयास विफल हो जाएँगे।
- **जनसांख्यिकीय आवश्यकता:** 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, और यदि उनकी उत्पादक ऊर्जा को वांछित दिशा में निर्देशित नहीं किया गया, तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा। यह जनसांख्यिकीय लाभ केवल 2040 तक ही रहने का अनुमान है, इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने का अवसर बहुत कम है। कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार आदि के माध्यम से युवाओं की बढ़ती संख्या का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
- **उद्योग-कौशल असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता है,** जिसके कारण एक ओर औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है और दूसरी ओर बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों से निकलने वाले केवल 46% युवा ही रोजगार योग्य हैं (भारत कौशल रिपोर्ट 2018)।
- **बड़े सुधार:** मेक इन इंडिया का विजन तभी सफल हो सकता है जब हमारा कुशल स्थानीय श्रम बल विदेशी और घरेलू निर्माताओं के साथ मिलकर कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराए।
- **उच्च उत्पादकता** : कुशल श्रम अर्थव्यवस्था को कम प्रौद्योगिकी आधारित मैनुअल/मैकेनिकल तकनीक से अधिक कौशल उन्मुख, उच्च प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करता है।
- **कठोर वास्तविकता:** भारत के केवल 2.3% कार्यबल ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा 68%, जर्मनी में 75%, अमेरिका में 52%, जापान में 80%, दक्षिण कोरिया में 96% है।

बाधाएं

संरचनात्मक कमियाँ

- **अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता:** कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के लिए नौकरी सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण अपर्याप्त था - और यही कारण है कि रोजगार दर बहुत कम बनी हुई है।
- **उद्यमिता कौशल का अभाव** : जबकि सरकार को उम्मीद थी कि पीएमकेवीवाई-प्रशिक्षुओं में से कुछ अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करेंगे, केवल 24% प्रशिक्षुओं ने ही अपना व्यवसाय शुरू किया।

परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ

- **कम उद्योग संपर्क:** अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग संपर्क कम है, जिसके परिणामस्वरूप प्लेसमेंट रिकॉर्ड और प्रस्तावित वेतन के मामले में कौशल विकास क्षेत्र का प्रदर्शन खराब है।
- **कम छात्र जुड़ाव:** आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे कौशल संस्थानों में नामांकन उनकी नामांकन क्षमता की तुलना में कम बना हुआ है। इसका कारण कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में युवाओं में जागरूकता का कम स्तर है।
- **नियोक्ताओं की अनिच्छा:** भारत में बेरोजगारी की समस्या न केवल कौशल की समस्या है, बल्कि यह उद्योगपतियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों में भर्ती के प्रति रुचि की कमी का भी प्रतिनिधित्व करती है।
- **विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव:** रोजगार के अवसरों, आवश्यक कौशल के प्रकार के संबंध में पुराना और सीमित आधिकारिक डेटा उपलब्ध है, तथा निजी अनुमान भी अविश्वसनीय और विरोधाभासी हैं।

हाल की पहल

- 2014 में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन प्रशिक्षण प्रक्रियाओं, मूल्यांकन, प्रमाणन और परिणामों में सामंजस्य स्थापित करने तथा महत्वपूर्ण रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को विकसित करने के लिए किया गया था - जो इस प्रयास के आधार हैं।

- **कौशल भारत:** 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 2015 में शुरू किया गया। इस पहल में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और कौशल ऋण योजना शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)** , कौशल भारत मिशन का एक अंग है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसका मुख्य साधन "अल्पकालिक प्रशिक्षण" था, जो 150 से 300 घंटों तक चल सकता था, और जिसमें उम्मीदवारों द्वारा मूल्यांकन के सफल समापन पर प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा कुछ प्लेसमेंट सहायता भी शामिल थी।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन:** एक त्रिस्तरीय, उच्चस्तरीय निर्णय लेने वाली संरचना:
  - अपने शीर्ष स्तर पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिशन की शासी परिषद समग्र मार्गदर्शन और नीति निर्देश प्रदान करती है।
  - कौशल विकास के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली संचालन समिति, शासी परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करती है।
  - मिशन निदेशालय, जिसमें सचिव, कौशल विकास मिशन निदेशक हैं, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन, समन्वय और अभिसरण को सुनिश्चित करता है।
- **कौशल ऋण योजना:** अगले पाँच वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक लोगों को 5,000 से 1.5 लाख रुपये तक के ऋण वितरित किए जाएँगे। इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँचने में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करना है।
- **कौशल निर्माण मंच:**
  - आई.टी.आई. और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एन.एस.टी.आई.) में आई.बी.एम. द्वारा सह-निर्मित और डिजाइन किया गया, आईटी, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में दो वर्षीय उन्नत डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।
  - इस मंच का विस्तार आईटीआई और एनएसटीआई संकाय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में कौशल निर्माण के लिए प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना का उद्देश्य शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना तथा शिक्षुओं की संख्या को वर्तमान 2.3 लाख से बढ़ाकर 2020 तक संचयी रूप से 50 लाख करना है। इसका उद्देश्य उद्योग के लिए तैयार कार्यबल का सृजन करना है।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना** - (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा):
  - **गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना:** ग्रामीण गरीबों को बिना किसी लागत के मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण।
  - सामाजिक रूप से वंचित समूहों (एससी/एसटी 50%; अल्पसंख्यक 15%; महिला 33%) का अनिवार्य कवरेज।
  - प्रशिक्षण से कैरियर प्रगति पर जोर देना: नौकरी बनाए रखने, कैरियर प्रगति और प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
  - मौजूदा श्रमिकों की पूर्व शिक्षा को मान्यता देना।
- पारंपरिक कला/शिल्प के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए **यूएसटीटीएडी (विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण)।**
- **नई रोशनी:** अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम; तथा अल्पसंख्यक युवाओं के उद्यमशीलता कौशल उन्नयन के लिए मानस (मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी)।

कमियों

- वर्तमान वार्षिक कौशल क्षमता 7 मिलियन से अधिक नहीं है। यह श्रम बाजार में प्रतिवर्ष प्रवेश करने वाले 12 मिलियन कार्यबल से बहुत कम है।
- **अनेक योजनाएं, अनेक मंत्रालयों द्वारा संचालित** - समन्वय का अभाव, कपट और संसाधनों की बर्बादी।
- **विभिन्न कौशल पहलों की निगरानी के लिए कोई स्वतंत्र नियामक नहीं है** । कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय नीति निर्माण और विनियमन दोनों निकाय के रूप में कार्य करता है।
- **प्रशिक्षण की निराशाजनक गुणवत्ता** : प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि, जिनमें प्रशिक्षण/प्रशिक्षक/प्रशिक्षु की गुणवत्ता की जाँच के लिए कोई तंत्र नहीं है। घटिया कौशल वाले प्रशिक्षु रोजगार पाने में असमर्थ हैं।
- **आईटीआई की तरह व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं** , उच्च शिक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता सुविधाओं का अभाव है।

- **उद्योग जगत की खराब भागीदारी** - केवल 16% कंपनियां आंतरिक प्रशिक्षण देती हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश एमएसएमई हैं (चीन में 80% कंपनियां आंतरिक प्रशिक्षण देती हैं), पाठ्यक्रम विकास में कोई सहयोग नहीं, प्रशिक्षुता कार्यक्रम में पिछड़ापन।
- **प्लेसमेंट दर 50% से कम** - जो स्नातक हैं वे नौकरी पाने में असमर्थ हैं।
- **सामाजिक कलंक:** व्यावसायिक शिक्षा को अभी भी पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले गौण माना जाता है - इसलिए इसमें प्रवेश कम होते हैं (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर केवल 3% छात्र ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनते हैं)।

भारत में आईटीआई की स्थिति

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जो विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, केंद्र सरकार के तहत गठित किए गए हैं।
- आईटीआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी।
- 2007 तक 60 वर्षों की अवधि में लगभग 1,896 सार्वजनिक और 2,000 निजी आईटीआई स्थापित किये गये।
- हालाँकि, 2007 से 10 साल की अवधि में 9,000 से ज़्यादा अतिरिक्त निजी आईटीआई को मान्यता दी गई। जोखिम इस प्रकार हैं:
- किरीट सोमैया समिति का कहना है कि यह कार्यकुशल नहीं है तथा इसमें मानदंडों और मानकों की अवहेलना की गई है।
- इन घटिया आईटीआई में पढ़ रहे 13.8 लाख छात्रों (प्रति आईटीआई औसतन 206 छात्र) का भविष्य खतरे में है, क्योंकि ये संस्थान कभी भी बंद हो सकते हैं।

शारदा प्रसाद समिति

- **सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड के साथ बेहतर निगरानी की आवश्यकता है।**
- आईटीआई के लिए अनिवार्य रेटिंग प्रणाली होनी चाहिए जो समय-समय पर प्रकाशित की जाए।
- अन्य सभी शिक्षा बोर्ड (जैसे सीबीएसई) की तरह, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी एक जवाबदेह बोर्ड की आवश्यकता है।
- मुख्य कार्य (प्रत्यायन, मूल्यांकन, प्रमाणन और पाठ्यक्रम मानक) को आउटसोर्स नहीं किया जाना चाहिए।
- एक ही व्यवस्था होनी चाहिए, एक ही कानून और एक ही राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। भारत में वर्तमान में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो एकतरफा रवैया अपनाया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
- विभिन्न मापदंडों पर आईटीआई की रैंकिंग, जैसे कि तृतीयक शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा की गई रैंकिंग को दोहराया जा सकता है।
- एक एकीकृत कानूनी ढाँचा विभिन्न नियामक संस्थाओं के एकीकरण को सुगम बना सकता है। कानून के अभाव ने विनियमन और निगरानी को और कमज़ोर ही किया है।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक अधिनियम की आवश्यकता है जो सभी बिखरे हुए विनियमों को प्रतिस्थापित करे - जिसकी सिफारिश 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी।

सुधार आवश्यक

सरकारी प्रतिबद्धता

- **शैक्षिक सुधार (संरचना और प्रक्रियाएं):**
- शिक्षा नीति और कानून, प्राथमिक शिक्षा का वास्तविक सार्वभौमिकरण, औपचारिक शिक्षा प्रणाली के भीतर (कक्षा 9 से शुरू) और उसके बाहर व्यावसायिक प्रशिक्षण। माध्यमिक विद्यालय के मंच का लाभ उठाकर इसकी क्षमता की कमी को पूरा करना महत्वपूर्ण है (उदाहरण के लिए, चीन, जर्मनी)।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा पाठ्यक्रमों के बीच तथा व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता।
- बुनियादी ढांचा - विश्व स्तरीय स्कूल/विश्वविद्यालय स्थापित करना।
- सीखने के परिणामों में सुधार - गुणवत्ता/अद्यतित पाठ्यक्रम सामग्री, व्यावसायिक शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम समाप्ति मूल्यांकन, उद्योग/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन, व्यावसायिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान, कार्यस्थल प्रशिक्षण के साथ कक्षा प्रशिक्षण को संयोजित करना।
- प्रशिक्षित व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार के माध्यम से उद्योग से जोड़ना।

- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय** - राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रदान किया जाने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिनके अपने विशिष्ट लक्ष्य हैं (20 मंत्रालय 73 विभिन्न कौशल कार्यक्रमों को संभाल रहे हैं)।
- **राज्यों के साथ समन्वय** - शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्यों के साथ समन्वय आवश्यक है।
- प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्ध वित्त, प्रभावी निगरानी, परिणाम उन्मुखीकरण।
- **पहुंच का विस्तार** - कार्यशील आयु वर्ग की 90% आबादी के पास कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है, केवल 2% को औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, उभरते क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- **प्रशिक्षकों की गुणवत्ता** - प्रशिक्षण/प्रशिक्षक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसी तंत्र के बिना प्रशिक्षकों की संख्या में वृद्धि।
- उद्योग, छात्रों, राज्यों, स्थानीय स्वशासन, नागरिक समाज को मजबूत साझेदारी विकसित करने के लिए **प्रोत्साहन ।**
  पीपीपी, उद्योग-संस्था इंटरफेस, गुणवत्ता पाठ्यक्रम निर्माण, उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षण, सुनिश्चित प्लेसमेंट, प्रभावी प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम, इन-हाउस प्रशिक्षण, चीन की तरह उद्योग की भागीदारी को अनिवार्य करने वाले कानूनों के माध्यम से उद्योग-कौशल असंतुलन को दूर करने के लिए उद्योग की भागीदारी।

स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) की भूमिका

- वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है:
- अधिक कार्यात्मक, वित्तीय विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता।
- योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।
- पाठ्यक्रम को क्षेत्र के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जिसे परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से एलएसजी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कौशल मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना।
- 2020 तक 80% या उससे अधिक प्लेसमेंट दर का लक्ष्य (नीति कार्य एजेंडा)।

एनएसडीसी के लिए प्रदर्शन आधारित संकेतक निर्धारित करना (एस रामादुरई समिति पर आधारित):

- नियोजित प्रमाणित उम्मीदवारों का प्रतिशत.
- प्रमाणित उम्मीदवारों की अपने चुने हुए क्षेत्र में नौकरी में दीर्घायु।
- प्रमाणित और अकुशल उम्मीदवारों के बीच वेतन अंतर।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- कौशल प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन और श्रम गतिशीलता के लिए विभिन्न वैश्विक समझौतों और साझेदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी रोजगार संवर्धन एजेंसी की स्थापना की आवश्यकता है।
- विभिन्न भारतीय एजेंसियों के प्रयासों को कारगर बनाने में मदद करने के लिए एजेंसी

अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (आईआईएससी)।

- भारत में विदेशी प्रवासियों द्वारा पेश किए जाने वाले कौशल पर अलग से ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि उनके वैश्विक अनुभव और परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया जा सके।
- हस्तांतरणीय कौशल की पहचान करना - तथा विभिन्न व्यवसायों में हस्तांतरणीय तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी कौशल विकास पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना।

पारंपरिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा देना

- सांस्कृतिक क्षेत्र में कौशल विकास के लिए समर्पित क्षेत्र कौशल परिषद की आवश्यकता।
- इन उप-क्षेत्रों में उपयुक्त विशेषज्ञों का चयन करें, जैसे पुरातत्व, अभिलेखीय अध्ययन, संरक्षण, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण।
- यूएसटीटीएडी योजना सही दिशा में उठाया गया कदम है।

एस रामादुरई पैनल की सिफारिशें:

- **'कौशल विकास' को परिभाषित करें** : नए प्रशिक्षण, पुनः कौशल/अपस्किलिंग, औपचारिक कॉलेज आधारित प्रशिक्षण आदि।

- कार्यकुशलता में सुधार, लागत बचत, घाटे में कमी के लिए परिणाम आधारित वित्तपोषण।
- **प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों को प्रेरित करें:** प्रशिक्षक को कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर बोनस मिलेगा। प्रशिक्षु को 1000 रुपये की सुरक्षा राशि देनी होगी, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर वापस कर दी जाएगी।

ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित

ग्रामीण आबादी के कौशल में सुधार और गाँवों में विनिर्माण आधार तैयार करके ग्रामीण रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कम कुशल खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण और हथकरघा बुनाई ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ श्रम-प्रधान क्षेत्र हैं।

वेतन रोजगार कार्यक्रम

वेतन रोजगार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित न्यूनतम वेतन पर नौकरी प्रदान करके गरीबी उन्मूलन करना है। बदले में, वेतनभोगी लोग सामुदायिक संपत्ति निर्माण या आवश्यकतानुसार अन्य कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए: आपदाओं के दौरान और उसके बाद राहत कार्य।

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

मनरेगा निम्नलिखित दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करता है:

1. रोजगार सृजन
2. सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण

मनरेगा के तहत आमतौर पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण, स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, खुले कुओं की खुदाई के माध्यम से कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना, पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार आदि कार्य किए जाते हैं।

लाभ:

- इसने कर्मचारियों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेतन प्रदान किया और इस प्रकार उनके पोषण मानकों में सुधार हुआ
- इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों को अन्य नियोक्ताओं से अधिक वेतन की मांग करने के लिए बेहतर सौदेबाजी शक्ति प्राप्त हुई
- इससे नौकरियों की तलाश में ग्रामीण-शहरी प्रवास में कमी आई

नुकसान:

- यह कोई निश्चित आय नहीं थी क्योंकि रोजगार मौसमी प्रकृति का था
- इसके परिणामस्वरूप श्रम का आकस्मिकीकरण हो गया, अर्थात कार्य की प्रकृति कौशल आधारित या स्वरोजगार से निम्नतर हो गई।
- इसमें कौशल प्रदान नहीं किया गया और इस प्रकार इन कार्यक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों के अनुभव को तब नहीं गिना गया जब उन्होंने नई नौकरी की तलाश की।
- इसने गरीब, कमजोर वर्गों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है

गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे

- **भारत में गरीबी और भुखमरी** की समस्याएँ **व्यापक** हैं । सबसे **तेज़ विकास दर** वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत है। इसके बावजूद, भारत में गरीबी और भुखमरी का स्तर बहुत ऊँचा है।
- भारत के अधिकांश राज्यों में **20% से 35% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं**। **2021 के वैश्विक भूख सूचकांक रैंकिंग में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है**। भारत में भूख का स्तर गंभीर है और इसका स्कोर 27.5 है।

गरीबी

- गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है।
- **इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल हैं: भोजन, वस्त्र और आश्रय।** गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो लोगों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर के सार को समाप्त कर देती है।
- गरीबी एक दुष्चक्र बन जाती है जो धीरे-धीरे परिवार के सभी सदस्यों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अत्यधिक गरीबी अंततः मृत्यु का कारण बनती है।
- भारत में गरीबी को अर्थव्यवस्था, अर्ध-अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार तैयार की गई परिभाषाओं के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया गया है।
- भारत गरीबी के स्तर का आकलन उपभोग और आय दोनों के आधार पर करता है।भारत गरीबी के स्तर का आकलन उपभोग और आय दोनों के आधार पर करता है।
- उपभोग को एक परिवार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर खर्च किए गए धन के आधार पर मापा जाता है और आय की गणना किसी विशेष परिवार द्वारा अर्जित आय के आधार पर की जाती है।
- यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जिसका उल्लेख आवश्यक है, वह है गरीबी रेखा की अवधारणा। यह गरीबी रेखा अन्य देशों की तुलना में भारत में गरीबी मापने के लिए एक मानक का काम करती है।
- गरीबी रेखा को आय के उस अनुमानित न्यूनतम स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक परिवार को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
- 2014 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 32 रुपये प्रतिदिन और कस्बों व शहरों में 47 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई थी।

गरीबी के कारण

गरीबी के अनेक कारण हो सकते हैं जिन पर मोटे तौर पर नीचे चर्चा की जा सकती है:

सामाजिक

- **अति जनसंख्या:** अति जनसंख्या को अत्यधिक संख्या में लोगों के साथ बहुत कम संसाधनों और बहुत कम स्थान की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व देश में उपलब्ध संसाधनों पर दबाव डालता है, क्योंकि संसाधन केवल एक निश्चित संख्या में लोगों का ही भरण-पोषण कर सकते हैं।
- **संसाधनों का वितरण:** कई विकासशील देशों में गरीबी की समस्या बहुत बड़ी और व्यापक है, विकासशील देशों को आमतौर पर विनिर्मित वस्तुओं के लिए विकसित देशों के साथ व्यापार पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन वे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते।
- **शिक्षा का अभाव:** गरीब देशों में निरक्षरता और शिक्षा का अभाव आम बात है। गरीब लोग अक्सर न्यूनतम जीविका कमाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूली शिक्षा भी छोड़ देते हैं।

- **पर्यावरणीय क्षरण:** पर्यावरणीय समस्याओं के कारण भोजन, स्वच्छ जल, आश्रय सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी हो गई है।
- **जनसांख्यिकीय बदलाव:** कुछ शोधकर्ता समग्र गरीबी में वृद्धि के लिए जनसांख्यिकीय बदलावों को भी जिम्मेदार मानते हैं। विशेष रूप से, जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण बच्चों में गरीबी बढ़ी है।

आर्थिक

- **बेरोजगारी की उच्च दर:** बेरोजगारी के कारण जनसंख्या की क्रय क्षमता में गिरावट आती है, जो गरीबी में योगदान देती है।
- **अनुचित व्यापार:** विकसित देशों में कृषि के लिए उच्च सब्सिडी और सुरक्षात्मक टैरिफ प्रतिस्पर्धा और दक्षता को कम करते हैं और अधिक प्रतिस्पर्धी कृषि द्वारा निर्यात को रोकते हैं और विकासशील देशों में उद्योग के प्रकार को कमजोर करते हैं।
- **भ्रष्टाचार:** सरकार और व्यवसाय दोनों में, समाज पर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भ्रष्टाचार दुनिया भर में गरीबी का एक प्रमुख कारण और परिणाम दोनों है। भ्रष्टाचार सबसे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, चाहे वह अमीर देश हो या गरीब।
- **खराब शासन:** भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप व्यापारिक विश्वास कमजोर हुआ, आर्थिक विकास में गिरावट आई, बुनियादी अधिकारों पर सार्वजनिक व्यय में कमी आई, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में कम दक्षता आई, जैसा कि मानव विकास पर पिछले अनुभाग में चर्चा की गई है, तथा राज्य संस्थाओं और कानून के शासन को गंभीर रूप से कमजोर किया गया।

राजनीतिक

- **पूर्वाग्रह और असमानता:** सामाजिक असमानता जो विभिन्न लिंगों, नस्लों, जातीय समूहों और सामाजिक वर्गों के सापेक्ष मूल्य के बारे में सांस्कृतिक विचारों से उत्पन्न होती है। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए संसाधनों का उपयोग करने के बजाय, इन देशों की सरकारें विभिन्न नस्लों और पंथों के साथ पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहती हैं और दूसरों के साथ कम पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती हैं। यही गरीबी का कारण बनता है।
- **सत्ता का केंद्रीकरण:** शासन की केंद्रीकृत प्रणालियों में एक प्रमुख पार्टी, राजनेता या क्षेत्र पूरे देश में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

बाहरी और अन्य कारण

- **गृहयुद्ध:** गृहयुद्ध से जूझ रहे राष्ट्रों की आर्थिक विकास दर अवरुद्ध हो जाएगी। हालाँकि, यह बुनियादी ढाँचे और सामाजिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ जल तक पहुँच, को हुए नुकसान के व्यापक प्रभावों को दर्शाने में विफल रहता है।
- बुनियादी ढाँचे के नुकसान और समाज के विघटन के कारण राष्ट्र को अनिवार्य रूप से पुनर्निर्माण और अर्थव्यवस्था के लिए खुद को तैयार करने हेतु भारी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा, गृहयुद्ध दुर्लभ संसाधनों को गरीबी से लड़ने के बजाय सेना को बनाए रखने में लगा देता है।
- **ऐतिहासिक:** सड़कों और संचार साधनों जैसे एकसमान, बुनियादी ढाँचे का अभाव है, इसलिए गरीब देशों में विकास मुश्किल से ही हो पाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि औपनिवेशिक इतिहास वर्तमान स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक और कारण था।
- **प्राकृतिक आपदाएँ:** तूफ़ान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लाखों डॉलर का बुनियादी ढाँचा नष्ट हो गया है और जान-माल का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदाएँ वार्षिक कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करती हैं, उदाहरण के लिए, सूखे के कारण भूमि बंजर हो जाती है और खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।
- **विश्व अर्थव्यवस्था में संसाधनों का असमान वितरण/पर्याप्त संसाधनों का अभाव;** कई देश संसाधनों की कमी के कारण गरीबी का सामना कर रहे हैं। इन देशों में कच्चे माल और ज्ञान-कौशल का भी अभाव है। सामग्री की कमी के कारण लोगों के लिए रोज़गार के अवसर भी कम होते हैं, जिससे गरीबी की दर में वृद्धि होगी। जैसे-जैसे यह स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, गरीबी की दर में भारी वृद्धि होगी।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) और भारत

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2022 **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई)** द्वारा जारी किया गया था ।

- यह सूचकांक एक **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन** है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है।
- इसे **पहली बार 2010 में ओपीएचआई** और यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े **10 संकेतकों में अभावों की निगरानी करता है और इसमें गरीबी की तीव्रता के साथ-साथ घटना भी शामिल होती है।**

- **वैश्विक डेटा:**
  - 1.2 अरब लोग बहुआयामी रूप से गरीब हैं।
    - उनमें से लगभग आधे लोग घोर गरीबी में रहते हैं।
    - गरीब लोगों में से आधे (593 मिलियन) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं
    - उप-सहारा अफ्रीका (57.9 करोड़) में गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दक्षिण एशिया (38.5 करोड़) का स्थान है। इन दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 83% गरीब लोग रहते हैं।

भारत के बारे में मुख्य निष्कर्ष

- **डेटा:**
  - **विश्व भर में सबसे अधिक गरीब लोग** भारत में हैं, जिनकी संख्या 22.8 करोड़ है , जबकि दूसरे स्थान पर **नाइजीरिया है, जहां यह संख्या 9.6 करोड़ है।**
  - **इनमें से दो-तिहाई लोग ऐसे घरों में रहते हैं** जिनमें कम से कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है।
- **गरीबी में कमी:**
  - देश में गरीबी की दर **2005/06 में 55.1% से घटकर 2019/21 में 16.4% हो गई ।**
    - **सभी 10 एमपीआई संकेतकों में अभावों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई,** जिसके परिणामस्वरूप एमपीआई मूल्य और गरीबी का प्रभाव आधे से भी अधिक घट गया।
  - 2005-06 से 2019-21 के बीच 15 वर्ष की अवधि के दौरान भारत में 41.5 **करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।**
    - भारत के लिए एमपीआई में सुधार ने **दक्षिण एशिया में गरीबी में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।**
    - दक्षिण एशिया में अब **गरीब लोगों की संख्या उप-सहारा अफ्रीका से भी कम नहीं है।**
- **गरीबी में सापेक्ष कमी:**
  - **2015/2016** से 2019/21 तक सापेक्ष कमी अधिक तीव्र थी: 2005/2006 से 2015/2016 तक 8.1% की तुलना में 11.9% प्रति वर्ष।
- **राज्यों का प्रदर्शन:**
  - वर्ष 2015-16 में सबसे गरीब राज्य बिहार **में एमपीआई मूल्य में निरपेक्ष रूप से सबसे तेजी से कमी देखी गई।**
    - बिहार में गरीबों का प्रतिशत **2005-06 में 77.4% से घटकर 2015-16 में 52.4%** और 2019-21 में 34.7% हो गया।
  - हालाँकि, सापेक्षिक दृष्टि से, सबसे **गरीब राज्य अभी तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाए हैं।**
    - 2015/2016 में 10 सबसे गरीब राज्यों में से केवल एक (पश्चिम बंगाल) 2019-21 में सूची से बाहर आ पाया है।
    - शेष राज्य (बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान) 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल हैं।

- भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **सापेक्षिक दृष्टि से सबसे तीव्र गिरावट गोवा में हुई, उसके बाद जम्मू और कश्मीर,** आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का स्थान रहा।
- **बच्चों में गरीबी:**
- बच्चों में गरीबी में **निरपेक्ष रूप से तेजी से कमी आई है** , हालांकि भारत में अभी भी विश्व में सबसे अधिक गरीब बच्चे हैं।
- **भारत में पांच में से एक से अधिक बच्चे गरीब हैं,** जबकि सात में से एक वयस्क गरीब है।
- **क्षेत्रवार गरीबी में कमी:**
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर **2015-2016 में 36.6% से घटकर 2019-2021 में 21.2% हो गई और शहरी क्षेत्रों में 9.0% से घटकर 5.5% हो गई।**

एसडीजी लक्ष्य 1 लक्ष्य

1. **2030 तक , सभी लोगों के लिए हर जगह से अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना** , जिसका वर्तमान माप यह है कि लोग प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं।
2. 2030 तक, राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार **गरीबी के सभी आयामों में रहने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करना।**
3. सभी के लिए, जिनमें निम्न वर्ग भी शामिल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ और उपाय लागू करना, तथा 2030 तक गरीबों और कमजोर वर्गों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।
4. **2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी पुरुषों और महिलाओं, विशेष रूप से गरीबों और कमजोर लोगों को आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त हों** , साथ ही बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुंच हो, भूमि और अन्य प्रकार की संपत्ति, उत्तराधिकार, प्राकृतिक संसाधनों, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म वित्त सहित वित्तीय सेवाओं पर स्वामित्व और नियंत्रण हो।
5. **2030 तक, गरीबों और कमजोर स्थितियों में रहने वालों की सहनशीलता का निर्माण करना और जलवायु संबंधी चरम घटनाओं और अन्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय झटकों और आपदाओं के प्रति उनके जोखिम और भेद्यता को कम करना।**

- क. विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों को गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए कार्यक्रमों और नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त और पूर्वानुमानित साधन उपलब्ध कराने हेतु, संवर्धित विकास सहयोग सहित विभिन्न स्रोतों से संसाधनों का महत्वपूर्ण जुटाव सुनिश्चित करना।
- गरीबी उन्मूलन कार्यों में त्वरित निवेश को समर्थन देने के लिए, गरीब-समर्थक और लिंग-संवेदनशील विकास रणनीतियों के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ नीतिगत ढांचे का निर्माण करना।

सरकारी कदम और आलोचनात्मक विश्लेषण

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी योजनाएँ

- गरीबी पर चर्चा करते समय भारत में गरीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयासों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि गरीबी के अनुपात में जो भी मामूली गिरावट देखी गई है, वह लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के उद्देश्य से की गई सरकारी पहलों के कारण हुई है। हालाँकि, भ्रष्टाचार के स्तर के मामले में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** पीडीएस गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थ वितरित करता है।
- वितरित की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में देश भर के कई राज्यों में स्थापित सार्वजनिक वितरण दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे मुख्य खाद्यान्न शामिल हैं।
- लेकिन, पीडीएस द्वारा उपलब्ध कराया गया अनाज एक परिवार की उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

- पीडीएस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक परिवार हर महीने 35 किलोग्राम चावल या गेहूं के लिए पात्र है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है।
- सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होने के नाते, यह प्रणाली खामियों से रहित नहीं है। पीडीएस से अनाज का रिसाव और डायवर्जन अधिक है।
- सरकार द्वारा जारी किए गए अनाज का केवल 41% गरीबों तक पहुंचता है। पीडीएस के खिलाफ जो विकल्प सुझाया गया है, वह खाद्य सहायता के साथ नकद हस्तांतरण का है,
- **मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम):** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के अधिकार की गारंटी देना और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इसके तहत प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार प्रदान किया जाता है।
- इस अधिनियम के तहत रोज़गार सृजन अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक रहा है।
- **आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना):** यह गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा है। यह सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस बीमा प्रदान करता है।
- पीला राशन कार्ड धारक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को अपनी उंगलियों के निशान और तस्वीरों वाला बायोमेट्रिक-सक्षम स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए 30 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है।

सार्वभौमिक बुनियादी आय

- **सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) सामाजिक न्याय और उत्पादक अर्थव्यवस्था** , दोनों के बारे में सोच में एक क्रांतिकारी और प्रभावशाली बदलाव है । यह इक्कीसवीं सदी के लिए वही हो सकता है जो बीसवीं सदी के लिए नागरिक और राजनीतिक अधिकार थे।
- **यूबीआई अपनी परिभाषा के अनुसार, किसी देश या क्षेत्र के सभी नागरिकों तक पहुँचता है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो।** यह विचार दुनिया के कई हिस्सों में लोकप्रिय हो रहा है।
- इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सिर्फ़ नागरिक होने के नाते, बुनियादी आय का अधिकार होना चाहिए। हाल ही में सिक्किम यूबीआई लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
- **सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) के तीन घटक हैं: सार्वभौमिकता, बिना शर्त, और एजेंसी** (प्राप्तकर्ताओं की पसंद का सम्मान करने के लिए नकद हस्तांतरण के रूप में सहायता प्रदान करना, न कि उन्हें निर्देशित करना)।

यूबीआई के पक्ष और विपक्ष में तर्क

कृपादृष्टि	ख़िलाफ़
गरीबी और भेद्यता में कमी : **गरीबी और भेद्यता एक ही झटके में कम हो जाएगी।**	**अत्यधिक व्यय:** परिवार, विशेषकर पुरुष सदस्य, इस अतिरिक्त आय को फिजूलखर्ची पर खर्च कर सकते हैं।
विकल्प: **यूबीआई लाभार्थियों को एजेंट के रूप में मानता है और नागरिकों को कल्याणकारी व्यय का उपयोग करने की जिम्मेदारी सौंपता है, जैसा कि वे सर्वोत्तम समझते हैं; वस्तुगत हस्तांतरण के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है।**	**नैतिक जोखिम (श्रम आपूर्ति में कमी):** न्यूनतम गारंटीकृत आय लोगों को आलसी बना सकती है और वे श्रम बाजार से बाहर हो सकते हैं।
गरीबों को बेहतर तरीके से लक्ष्यित करना: **चूंकि सभी व्यक्तियों को लक्ष्यित किया गया है, इसलिए बहिष्करण त्रुटि (गरीबों को योजना से बाहर रखा जाना) शून्य है, जबकि समावेशन त्रुटि (अमीरों को योजना तक पहुंच प्राप्त होना) 60 प्रतिशत है।**	**नकदी से प्रेरित लैंगिक असमानता:** लैंगिक मानदंड किसी परिवार में यूबीआई के बंटवारे को नियंत्रित कर सकते हैं - पुरुषों द्वारा यूबीआई के खर्च पर नियंत्रण रखने की संभावना अधिक होती है। अन्य वस्तु-रूपी हस्तांतरणों के मामले में ऐसा

	हमेशा नहीं हो सकता है।
झटकों के विरुद्ध बीमा: **यह आय सीमा स्वास्थ्य, आय और अन्य झटकों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगी।**	**कार्यान्वयन:** गरीबों के बीच वित्तीय पहुंच की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यूबीआई बैंकिंग प्रणाली पर बहुत अधिक दबाव डाल सकती है।
वित्तीय समावेशन में सुधार: **भुगतान-हस्तांतरण बैंक खातों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करेगा, जिससे बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) का लाभ बढ़ेगा और वित्तीय समावेशन में अंतर्जात सुधार होगा। ऋण-वृद्धि से आय में वृद्धि होगी और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ऋण तक पहुँच की बाधाएँ दूर होंगी।**	**राजकोषीय लागत, निकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए** : एक बार लागू होने के बाद, विफलता की स्थिति में सरकार के लिए यूबीआई को समाप्त करना कठिन हो सकता है।
मनोवैज्ञानिक लाभ: **गारंटीकृत आय से दैनिक आधार पर बुनियादी जीवनयापन के दबाव में कमी आएगी।**	**सार्वभौमिकता की राजनीतिक अर्थव्यवस्था - आत्म-बहिष्कार के लिए विचार:** अमीर व्यक्तियों को हस्तांतरण के प्रावधान से विरोध उत्पन्न हो सकता है क्योंकि यह गरीबों के लिए समानता और राज्य कल्याण के विचार को नकार सकता है।
प्रशासनिक दक्षता: **ढेर सारी अलग-अलग सरकारी योजनाओं के स्थान पर यूबीआई से राज्य पर प्रशासनिक बोझ कम होगा।**	**बाजार जोखिमों से जोखिम (नकद बनाम खाद्य):** खाद्य सब्सिडी के विपरीत, जो बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं होती, नकद हस्तांतरण की क्रय शक्ति बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण गंभीर रूप से कम हो सकती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKISAN)

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमकिसान) का उद्देश्य **किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को** पूरा करना है ताकि वे अपनी अनुमानित कृषि आय के अनुरूप फसल की अच्छी सेहत और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निवेशों की खरीद कर सकें। इस योजना के तहत, देश भर के सभी किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की **तीन समान किश्तों** में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों को लाभ

- किसानों को प्रतिकूल व्यापार शर्तों, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम कीमतें भी शामिल हैं, के कारण अच्छी कीमतें नहीं मिल पा रही हैं।
- 6,000 रुपये की राशि से किसानों को सुनिश्चित अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा इससे उन्हें, विशेषकर फसल कटाई के तुरंत बाद, अपने आपातकालीन खर्चों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

मनरेगा बनाम पीएमकिसान

मनरेगा को मजबूत करने का महत्व

- **कवरेज:**
  - पीएमकिसान लक्षित नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है और मनरेगा एक सार्वभौमिक कार्यक्रम है।
  - 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना के अनुसार, लगभग 40% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं और शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं।

- भूमिहीन लोग मनरेगा के माध्यम से कमाई कर सकते हैं, लेकिन वे पीएमकिसान के तहत कवरेज के लिए पात्र नहीं हैं।
- इसलिए, पीएम-किसान योजना भूमिहीनों को कवर नहीं कर रही है।
- **वेतन:**
- यदि झारखंड में एक परिवार के दो सदस्य महात्मा गांधी नरेगा के तहत 30 दिन काम करते हैं, तो उन्हें 10,080 रुपये मिलेंगे और हरियाणा में उन्हें 16,860 रुपये मिलेंगे।
- झारखंड में महात्मा गांधी नरेगा की दैनिक दर सबसे कम है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा। एक परिवार के लिए मनरेगा की एक महीने की कमाई देश में कहीं भी पीएमकिसान के ज़रिए मिलने वाली एक साल की आय सहायता से ज़्यादा है।
- **पात्रता:**
- यह स्पष्ट नहीं है कि बटाईदार किसान, बिना मालिकाना हक वाले किसान और महिला किसान इस योजना के दायरे में कैसे आएंगे।
- **भ्रष्टाचार और त्रुटियाँ:**
- सार्वभौमिक योजनाओं में लक्षित योजनाओं की तुलना में भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
- लक्षित कार्यक्रमों में बहिष्करण/समावेश की त्रुटियां होना बहुत आम बात है।
- ऐसी त्रुटियां दर्ज नहीं की जातीं।
- **देरी**
- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक तिहाई से भी कम भुगतान समय पर किया गया।
- अकेले केंद्र सरकार ही वेतन वितरण में 50 दिनों से अधिक की देरी कर रही है।
- महात्मा गांधी नरेगा के कई भुगतानों को अस्वीकार कर दिया गया है, अन्यत्र भेज दिया गया है या रोक दिया गया है।
- इन्हें सुधारने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं।
- **सफलता:**
- पीएम किसान योजना की सफलता विश्वसनीय डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और विश्वसनीय ग्रामीण बैंकिंग बुनियादी ढांचे पर निर्भर है।

मनरेगा सहभागी लोकतंत्र का एक उदाहरण है

1. यह सामुदायिक कार्यों के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक श्रम कार्यक्रम है।
2. यह जीवन के अधिकार के संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करने के लिए एक विधायी तंत्र है।
3. इसका मजबूत गुणक प्रभाव होगा।
4. दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि 18 राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरें राज्य की न्यूनतम कृषि मजदूरी दरों से कम रखी गई हैं।
5. मनरेगा भूमिहीनों के लिए वरदान है।
6. इस वर्ष उपलब्ध कराए गए रोजगार की तुलना में काम की मांग 33% अधिक है।

निष्कर्ष

- अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और कई चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं। अत्यधिक गरीबी में रह रहे लोगों तक पहुँचना और भी मुश्किल होता जा रहा है, जो अक्सर नाज़ुक परिस्थितियों और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं।
- अच्छे स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, सुरक्षित पानी और अन्य ज़रूरी सेवाओं तक पहुँच कई लोगों के लिए अभी भी दुर्लभ है, जो अक्सर सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग, जातीयता और भूगोल के आधार पर तय होती है।
- इसके अलावा, जो लोग गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं, उनके लिए प्रगति अक्सर अस्थायी होती है।
- आर्थिक झटके, खाद्य असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित उपलब्धियों को छीनकर उन्हें फिर से गरीबी में धकेलने का खतरा पैदा करते हैं। जैसे-जैसे हम प्रगति करते हैं, इन मुद्दों से निपटने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण होगा।

- अधिकांश योजनाएँ कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों से घिरी हुई हैं। कार्यक्रम सब्सिडी में लीकेज से ग्रस्त हैं, जिससे गरीबों पर इसका प्रभाव सीमित हो जाता है। इन कार्यक्रमों को एक संगठन के अंतर्गत केंद्रीकृत करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न स्तरों पर लीकेज को रोका जा सके।
- विकासशील देशों में मानव अभाव के कई कारण हैं। एक है भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए आय की कमी। अन्य हैं लोगों की संपत्ति जिसमें कौशल, भूमि, बुनियादी ढांचे तक पहुंच, बचत, ऋण और संपर्कों का नेटवर्क शामिल है।
- क्योंकि गरीबों की विभिन्न श्रेणियां हैं - उदाहरण के लिए निर्वाह किसान, भूमिहीन मजदूर, शहरी अनाधिकृत निवासी, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले; उनके अभाव के कारण अलग-अलग हैं।
- उदाहरण के लिए, ग्रामीण गरीबों के मामले में: भूमि, सिंचाई, कृषि विस्तार सेवाओं और कृषि उपज के लिए पर्याप्त मूल्य निर्धारण तक पर्याप्त पहुंच का अभाव उनकी गरीबी के प्रमुख कारण हैं।
- झुग्गी-झोपड़ियों और अनाधिकृत बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीबों के मामले में, उनके घरों के लिए भूमि के स्वामित्व का नियमितीकरण और रोजगार के अपर्याप्त अवसर उनके रहने के माहौल को बेहतर बनाने की उनकी क्षमता में प्रमुख बाधाएं हैं।

भूख

भूख और कुपोषण

- हर किसी को अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। भूख शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत का संकेत होती है। एक बार जब हम अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन कर लेते हैं, तो भूख तब तक मिट जाती है जब तक हमारा पेट फिर से खाली न हो जाए। ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी 1971 के अनुसार, **भूख को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:**

- भोजन की कमी के कारण होने वाली बेचैनी **या दर्द भरी अनुभूति; भूख की तीव्र इच्छा। भोजन की कमी के कारण होने वाली थकावट की स्थिति भी।**
- **किसी देश में भोजन की कमी या अभाव** ,
- तीव्र **इच्छा या लालसा।**

- कुपोषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा और/या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है।
- इसमें दो व्यापक प्रकार की स्थितियाँ शामिल हैं। एक है 'अल्पपोषण', जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अपर्याप्तता के कारण बौनापन (उम्र के हिसाब से कम ऊँचाई), कमज़ोरी (ऊँचाई के हिसाब से कम वज़न), कम वज़न (उम्र के हिसाब से कम वज़न) शामिल हैं।
- दूसरा है अधिक वज़न, मोटापा और आहार संबंधी गैर-संचारी रोग (जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर)। आमतौर पर कुपोषण से प्रभावित लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में कम प्रदर्शन करते हैं और समाज के उत्पादक सदस्य बनने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

कुपोषण के प्रकार

- **प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण:** इस प्रकार का कुपोषण पर्याप्त प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन (कैलोरी में मापा जाता है) की कमी के कारण होता है, जो सभी बुनियादी खाद्य समूहों से प्राप्त होता है। विश्व की भुखमरी प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण पर आधारित है।
- **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी:** यह विटामिन और खनिजों की कमी से संबंधित है। हालाँकि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्व भूख में इस प्रकार के कुपोषण पर चर्चा नहीं की जाती है।

जो लोग लंबे समय से कुपोषित हैं, उन्हें उचित स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति लंबे या कम समय के लिए कुपोषित हो सकता है और यह स्थिति हल्की या गंभीर हो सकती है। कुपोषित लोगों के बीमार होने की संभावना अधिक होती है और गंभीर मामलों में उनकी मृत्यु भी हो सकती है।

- **भूख:** भोजन की कमी से संबंधित कष्ट।
- **कुपोषण:** एक असामान्य शारीरिक स्थिति जो आमतौर पर गलत मात्रा और/या गलत प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने के कारण होती है। इसमें अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों शामिल हैं।
- **अल्पपोषण:** ऊर्जा प्रोटीन और/या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।
- **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (छिपी हुई भूख):** कुपोषण का एक रूप जो तब होता है जब विटामिन और खनिजों का सेवन या अवशोषण इतना कम होता है कि बच्चों में अच्छा स्वास्थ्य और विकास तथा वयस्कों में सामान्य शारीरिक और मानसिक कार्य संभव नहीं हो पाता।
- **अल्पपोषण:** प्रतिदिन 1,800 किलोकैलोरी से कम की खपत के साथ दीर्घकालिक कैलोरी की कमी, जो कि अधिकांश लोगों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है।
- **अतिपोषण:** ऊर्जा या सूक्ष्म पोषक तत्वों का अत्यधिक सेवन।

भूख और कुपोषण के कारण

प्रचुरता से भरपूर दुनिया में भी भूख का बना रहना हमारे युग का सबसे गहरा नैतिक विरोधाभास है। भारत की लगभग 68.84% आबादी ग्रामीण है, जिसका एक बड़ा हिस्सा गरीबी, भूख और कुपोषण से बुरी तरह ग्रस्त है। भूख की स्थिति के लिए कई कारक ज़िम्मेदार हैं। इसके कारण जटिल और विविध हैं और अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- **पोषण संबंधी गुणवत्ता:** ज़्यादातर भूखे लोग कुपोषित होते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरी आहार नहीं मिल पाता जिससे उनका वज़न कम होने लगता है और गंभीर मामलों में उनका शरीर कमज़ोर होने लगता है।
- खराब आहार से विटामिन, खनिज और अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जिससे कुपोषण हो सकता है।
- सभी लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और अगर वे पर्याप्त मात्रा में इनका सेवन नहीं करते हैं तो वे बीमार पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
- शिशु और छोटे बच्चे छिपी हुई भूख के हानिकारक प्रभावों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं।
- **गरीबी:** वैश्विक स्तर पर भूख और कुपोषण का एक प्रमुख कारण गरीबी है - क्रय शक्ति और संसाधनों तक पहुँच का अभाव।
- यह बात अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण, लोकतंत्र और तानाशाही, हर जगह लागू होती है। ज़्यादातर भूखे लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं और उनके पास भोजन, आश्रय और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं हैं।
- **घरेलू खाद्य असुरक्षा:** भारत जैसे विकासशील देशों में अक्सर खाद्यान्न की कमी की स्थिति देखी जाती है, जहाँ लोग, खासकर गरीब, अपर्याप्त भोजन के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि पिछली फसल से संग्रहीत खाद्यान्न समाप्त हो जाता है और परिवार भोजन में कटौती कर देते हैं। पिछली फसल के आकार के आधार पर यह अवधि महीनों तक चल सकती है।
- छोटे किसानों के पास कीटों और मौसम से अपनी आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएँ नहीं होती हैं।
- **विशेष रूप से महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता का अभाव:** महिलाओं को न केवल अपने लिए, बल्कि बच्चों को जन्म देने और उनका पोषण करने के कारण भी विशेष पोषण संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं।
- महिलाओं में शिक्षा का अभाव परिवार में, विशेष रूप से बच्चों में, कुपोषण का कारण बनता है। इस प्रकार, महिला शिक्षा माताओं की अपने बच्चे की पर्याप्त देखभाल करने की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है।
- यद्यपि विकास प्रयासों में महिलाओं की आवश्यकताओं और अधिकारों को पहले की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है, फिर भी परिवार में कुपोषण और भूख की घटनाओं को कम करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

- **सुरक्षित जल की उपलब्धता का अभाव:** असुरक्षित या दुर्लभ जल कुपोषण को जन्म देता है और उसे बढ़ाता है। सुरक्षित जल की उपलब्धता के बिना फसलें ठीक से नहीं उग सकतीं और लोग जीवित नहीं रह सकते या स्वस्थ नहीं रह सकते।
- खराब स्वच्छता और पर्यावरण की स्थिति।
- **सांस्कृतिक प्रथाएं:** लड़कियों का कम उम्र में विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण के परिणामस्वरूप नवजात शिशुओं का जन्म के समय कम वजन होना, स्तनपान की खराब प्रथाएं, शिशुओं और छोटे बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता और बार-बार होने वाले संक्रमण से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
- **खराब बुनियादी ढाँचा:** खराब बुनियादी ढाँचा, कभी-कभी उन क्षेत्रों में भोजन पहुँचाना असंभव बनाकर भुखमरी का कारण बनता है जहाँ भोजन की कमी होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ एक क्षेत्र में लोग भूख से मर गए, जबकि दूसरे क्षेत्र में भोजन प्रचुर मात्रा में था। सड़कों की दयनीय स्थिति और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण, भोजन की ज़रूरत वाले गरीबों के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन में बहुत कम योगदान देने के बावजूद, सबसे गरीब विकासशील देश पहले से ही इसके प्रभावों का सामना कर रहे हैं।
- बाढ़, तूफ़ान, बारिश, सूखा, गर्मी और अन्य चरम मौसम समुदायों में भारी तबाही मचा सकते हैं और खेती को नष्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ समुदाय कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाते और कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं।
- **बढ़ती जनसंख्या:** विश्व भर में लगातार बढ़ती जनसंख्या और कृषि भूमि में कोई बड़ी वृद्धि न होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि होनी चाहिए।
- **युद्ध और संघर्ष:** संघर्ष अक्सर लोगों को उनके घरों और ज़मीन से बेदखल कर देता है, जिससे खाद्य उत्पादन कम हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। इससे पहले से ही कमज़ोर लोगों में कुपोषण का ख़तरा और बढ़ जाता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखना चाहते हैं, तो इसे चुनें।
- **भेदभाव:** हर देश, चाहे उसकी आर्थिक वृद्धि और प्रगति कितनी भी हो, उसके सामाजिक ताने-बाने में भेदभाव कूट-कूट कर भरा होता है। वंचित समूह, नस्लीय, जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर पीछे छूट जाते हैं।
- इसके अलावा, लगभग हर समाज में प्रचलित संस्कृति और रीति-रिवाजों के कारण महिलाएँ और लड़कियाँ अपने पुरुषों की तुलना में अधिक वंचित हैं।
- **भूख न लगना:** कैंसर, ट्यूमर, अवसादग्रस्तता और अन्य मानसिक बीमारियों, लीवर या किडनी की बीमारी, पुराने संक्रमण आदि से पीड़ित लोगों की भूख कम हो जाती है। इसके अलावा, जो लोग नशीली दवाओं और शराब की लत में पड़ जाते हैं, वे भी भोजन की उपेक्षा कर सकते हैं। ये आदतें उन्हें गरीबी और कुपोषण की ओर धकेलती हैं।
- **अस्थिर बाज़ार:** कम कमाने वाले लोग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। स्थिर परिस्थितियों में भी, वे खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को भूख से बचाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त भोजन जुटा पाते हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई भी उतार-चढ़ाव अतिरिक्त कठिनाई पैदा करता है।
- विकासशील देशों में भूखे लोगों के लिए, गेहूँ, चावल और मक्का जैसे बुनियादी अनाज कैलोरी का एक बड़ा हिस्सा हैं। जैसे-जैसे इन मुख्य अनाजों की कीमतें बढ़ती हैं, भूख भी बढ़ती है।
- अस्थिरता के इन अपेक्षाकृत संक्षिप्त दौरों के दौरान, माता-पिता अपने हिस्से का खाना कम कर देते हैं। लंबे समय तक, उन्हें अपने संघर्षरत परिवार के लिए आय अर्जित करने हेतु अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **मौसमी परिवर्तन:** ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और भोजन तथा आय के लिए खेती और पशुधन पर निर्भर लोगों के लिए, जलवायु में मौसमी परिवर्तन, खाद्य पदार्थों की कीमतें और उपलब्धता, भूख को प्रभावित करते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप भूख के वार्षिक चक्र बनते हैं जिन्हें "भूख का मौसम" कहा जाता है, जो विनाशकारी होते हैं।
- **कृषि अवसंरचना:** कई विकासशील देशों में पर्याप्त सड़कें, गोदाम और सिंचाई जैसी प्रमुख कृषि अवसंरचनाओं का अभाव है।
- इसके परिणामस्वरूप उच्च परिवहन लागत, भंडारण सुविधाओं का अभाव और अविश्वसनीय जल आपूर्ति होती है, जिससे अंततः कृषि उपज और भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है।

भूख से संबंधित आँकड़े और सूचकांक

वैश्विक भूख सूचकांक

वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उस पर नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है। भूख से निपटने में प्रगति और असफलताओं का आकलन करने के लिए हर साल GHI स्कोर की गणना की जाती है। GHI भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह देशों और क्षेत्रों के बीच भूख के स्तर की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करता है, और दुनिया के उन क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जहाँ भूख का स्तर सबसे अधिक है और जहाँ भूख को खत्म करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की सबसे अधिक आवश्यकता है।

GHI में संकेतक

जीएचआई की गणना तीन आयामों - (अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति, कुपोषित बच्चे और बाल मृत्यु दर) और चार संकेतकों के आधार पर की जाती है:

- पहला संकेतक अल्पपोषण है, यह पूरी आबादी का वह हिस्सा है, जो अल्पपोषित है और अपर्याप्त कैलोरी सेवन को दर्शाता है, (वजन 1/3)
- **अगले तीन संकेतक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के आंकड़ों का उपयोग करते हैं:**
- **बच्चों में दुर्बलता** (ऊंचाई के अनुपात में कम वजन), जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है, (वजन 1/6)
- **बच्चों का बौनापन** (उम्र के हिसाब से कम लंबाई), जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है, (वजन 1/6)
- **बाल मृत्यु दर** , (भार 1/3)

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का प्रदर्शन दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों से भी खराब रहा है। **121 देशों में** भारत 107वें स्थान पर है ।

भारत में बौनापन और दुर्बलता बहुत अधिक है	वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहता है?
इस साल के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का बाल दुर्बलता अनुपात 20.8% है, जो किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। यह गंभीर कुपोषण को दर्शाता है।	वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव जीवन के पहले हज़ार दिनों में मस्तिष्क का 90% हिस्सा विकसित हो जाता है। तंत्रिकाएँ विकसित होती हैं, जुड़ती हैं और एक ढाँचा बनाती हैं, जो यह निर्धारित करता है कि वयस्कता में व्यक्ति कैसे सोचेगा, महसूस करेगा और सीखेगा।
भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की दर (आयु के अनुपात में कम लंबाई) लगभग 38% है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाती है।	इन प्रारंभिक वर्षों में उचित पोषण और प्रोत्साहन से भविष्य के दशकों को 50% अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है।

माँ की शिक्षा महत्वपूर्ण है

- बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध है।
- व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण, जिसमें 2016-18 के बीच 1.2 लाख बच्चों का अध्ययन किया गया, ने मापा:
- **आहार विविधता**
- **भोजन की आवृत्ति**
- शिशुओं और छोटे बच्चों में पोषण की कमी के तीन मुख्य संकेतक **न्यूनतम स्वीकार्य आहार हैं ।**
- सर्वेक्षण के अनुसार, माताओं की उच्च स्कूली शिक्षा के परिणामस्वरूप बच्चों को बेहतर आहार प्राप्त हुआ। दो पहलुओं - भोजन की विविधता और न्यूनतम स्वीकार्य आहार, तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के संदर्भ में, बेहतर शिक्षा प्राप्त माताओं के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया।
- स्कूली शिक्षा से वंचित माताओं के केवल 11.4% बच्चों को पर्याप्त रूप से विविध भोजन प्राप्त हुआ, जबकि बारहवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाली माताओं के 31.8% बच्चों को विविध भोजन प्राप्त हुआ। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली माताओं के 9.6% बच्चों को

न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त हुआ, जबकि स्कूली शिक्षा पूरी न करने वाली माताओं के केवल 3.9% बच्चों को ही ऐसा आहार प्राप्त हुआ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- महिला साक्षरता में सुधार की आवश्यकता है।
- एक और महत्वपूर्ण कारक है अच्छे आहार के महत्व के बारे में जागरूकता। हमें विभिन्न पोषण योजनाओं का मूल्यांकन करना होगा ताकि पता चल सके कि वे कहाँ कम पड़ रही हैं।
- पूरक खाद्य कार्यक्रम परिवार के सबसे कमजोर सदस्यों तक पहुंचने में असफल हो रहे हैं।
- हमें एनीमिया से पीड़ित माताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि कम वजन वाले बच्चों के जन्म की समस्या को कम किया जा सके।
- स्तनपान की अपर्याप्त प्रथाएँ भी चिंता का विषय हैं। कुपोषण से निपटना केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कमज़ोर मानव पूँजी हमें भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक से तैयार नहीं करती।

छिपी हुई भूख: एक अलग तरह की भूख

- **विकासशील देशों में छिपी हुई भूख या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। यह आहार में आवश्यक विटामिन और खनिजों (जैसे, विटामिन ए, ज़िंक, आयरन, आयोडीन) के सेवन से उत्पन्न होती है।**
- अक्सर, इस प्रकार के कुपोषण के लक्षण 'छिपे' रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति 'ठीक-ठाक' दिख सकते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- उदाहरण के लिए, बच्चों का विकास अवरुद्ध हो सकता है, उनकी रात में देखने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है या वे अक्सर बीमार रहते हैं। वयस्क भी अक्सर बीमार पड़ सकते हैं और जल्दी थक जाते हैं।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी में योगदान देने वाले कारकों में कुपोषण, गर्भावस्था और स्तनपान जैसे जीवन के कुछ चरणों के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों की बढ़ी हुई ज़रूरतें और बीमारियों, संक्रमणों या परजीवियों जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ शामिल हैं।
- **छिपी हुई भूख से पीड़ित लोगों के आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। वे आदतन मुख्य खाद्यान्न फ़सलों (जैसे मक्का, गेहूँ और चावल) का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं जिनमें कैलोरी तो अधिक होती है लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है** , और वे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्ज़ियाँ, पशु और मछली उत्पाद कम मात्रा में खाते हैं।
- छिपी हुई भूख से पीड़ित लोग अक्सर इतने गरीब होते हैं कि वे अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते, या फिर इन खाद्य पदार्थों तक उनकी पहुँच नहीं होती।
- **छिपी हुई भूख बीमारी, अंधापन, असमय मृत्यु, उत्पादकता में कमी और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है** , विशेष रूप से विकासशील देशों में महिलाओं और बच्चों में।

  यद्यपि छिपी हुई भूख का एक बड़ा हिस्सा विकासशील देशों में पाया जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से लौह और आयोडीन की कमी विकसित देशों में भी व्यापक रूप से पाई जाती है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली **'छिपी हुई भूख', जैसा कि हम जानते हैं, भूख पैदा नहीं करती। हो सकता है कि आपको पेट में इसका एहसास न हो, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य और स्फूर्ति पर गहरा आघात करती है।**
- अधिकांश सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की भयावहता का वर्णन करना कठिन है। कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लिए, प्रचलन के आंकड़े दुर्लभ हैं।
- इसके अलावा, कई सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए, सेवन और उपयोग के बीच के संबंध को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है।
- भूख के विशिष्ट भौतिक माप, जैसे स्टंटिंग (किसी की उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई), वेस्टिंग (किसी की ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) और कम वजन प्रभावित आबादी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पकड़ सकते हैं लेकिन अपर्याप्त प्रॉक्सी हैं क्योंकि कमियां शायद ही कभी शामिल कारक होती हैं।
- रक्त के नमूनों के माध्यम से सटीक माप और रतौंधी, बेरीबेरी और स्कर्वी जैसे विशिष्ट निदानों द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का निर्धारण करने के अधिक विश्वसनीय तरीके हैं। कई महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रचलन के आंकड़ों का अभाव है,

छिपी हुई भूख के कारण

- **अस्वास्थ्यकर आहार** : अस्वास्थ्यकर आहार छिपी हुई भूख का एक आम कारण है। मक्का, गेहूँ, चावल और कसावा जैसी मुख्य फसलों पर आधारित आहार, जो ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं, लेकिन आवश्यक विटामिन और खनिजों की अपेक्षाकृत कम मात्रा प्रदान करते हैं, अक्सर छिपी हुई भूख का कारण बनते हैं।
- **गरीबी:** गरीबी एक ऐसा कारक है जो पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुँच को सीमित करता है। जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता मुख्य खाद्य पदार्थ खाना जारी रखते हैं और गैर-मुख्य खाद्य पदार्थों का सेवन कम कर देते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
- **पोषक तत्वों का अवशोषण या उपयोग में कमी:** संक्रमण या परजीवी के कारण अवशोषण में कमी आ सकती है, जिससे कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या उनकी आवश्यकता बढ़ सकती है।
- संक्रमण और परजीवी अस्वास्थ्यकर वातावरण में, जहाँ पानी और स्वच्छता की खराब व्यवस्था हो, आसानी से फैल सकते हैं। असुरक्षित खाद्य प्रबंधन और खिलाने की आदतें पोषक तत्वों की कमी को और बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा, शराब का सेवन सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है।

छिपी हुई भूख के प्रभाव	
बुज़ुर्ग	ऑस्टियोपोरोसिस और मानसिक दुर्बलता सहित रुग्णता में वृद्धि उच्च मृत्यु दर
बच्चा	कम जन्म वजन उच्च मृत्यु दर बिगड़ा हुआ मानसिक विकास
बच्चा	मानसिक क्षमता में कमी, बौनापन, बार-बार संक्रमण, संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी , उच्च मृत्यु दर
किशोर	मानसिक क्षमता में कमी, बौनापन, थकान, संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि
वयस्क	कम उत्पादकता, खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कुपोषण, दीर्घकालिक बीमारियों का बढ़ता जोखिम
प्रेग्नेंट औरत	मृत्यु दर में वृद्धि प्रसवकालीन जटिलताओं में वृद्धि

छिपी हुई भूख से निपटना

छिपी हुई भूख की जटिल समस्या के समाधान के लिए कई तरह के हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। इसके अंतर्निहित कारणों से स्थायी रूप से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- **आहार में विविधता:** आहार में विविधता, छिपी हुई भूख को स्थायी रूप से रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।
- यह एक स्वस्थ आहार सुनिश्चित करता है जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स (कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन), आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व और अन्य खाद्य-आधारित पदार्थ, जैसे आहारीय फाइबर, का संतुलित और पर्याप्त संयोजन होता है।
- विभिन्न प्रकार के अनाज, फलियाँ, फल, सब्ज़ियाँ और पशु-आधारित खाद्य पदार्थ अधिकांश लोगों को पर्याप्त पोषण प्रदान करते हैं, हालाँकि कुछ लोगों, जैसे गर्भवती महिलाओं, को अतिरिक्त पूरक आहार की आवश्यकता हो सकती है।
- आहार विविधता को बढ़ावा देने के प्रभावी तरीकों में खाद्य-आधारित रणनीतियाँ शामिल हैं, जैसे घर पर बागवानी करना और लोगों को शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार के बेहतर तरीकों, भोजन तैयार करने और पोषक तत्वों की हानि को रोकने के लिए भंडारण/संरक्षण के तरीकों के बारे में शिक्षित करना।
- **व्यावसायिक खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण:** व्यावसायिक खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण, जो प्रसंस्करण के दौरान मुख्य खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की थोड़ी मात्रा मिलाता है, उपभोक्ताओं को सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुशंसित स्तर प्राप्त करने में मदद करता है।
- सुदृढ़ीकरण, एक स्थायी और लागत प्रभावी जन स्वास्थ्य रणनीति, आयोडीन युक्त नमक के मामले में विशेष रूप से सफल रही है।
- सुदृढ़ीकरण के अन्य सामान्य उदाहरणों में गेहूँ के आटे में विटामिन, आयरन और/या जिंक मिलाना और खाना पकाने के तेल व चीनी में विटामिन ए मिलाना शामिल है।
- हालाँकि, सुदृढ़ीकरण उन शहरी उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है जो व्यावसायिक रूप से प्रसंस्कृत और सुदृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ खरीदते हैं।
- ग्रामीण उपभोक्ताओं तक इसकी पहुँच कम होने की संभावना है, जिनकी अक्सर व्यावसायिक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थों तक पहुँच नहीं होती।
- ज़रूरतमंदों, खासकर गरीब लोगों तक पहुँचने के लिए, सुदृढ़ीकरण पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। अन्यथा, वे सस्ते गैर-संरक्षित विकल्प खरीद सकते हैं।
- **जैव-प्रबलीकरण:** जैव-प्रबलीकरण एक अपेक्षाकृत नया हस्तक्षेप है जिसमें खाद्य फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए पारंपरिक या ट्रांसजेनिक विधियों का उपयोग करके उनका प्रजनन शामिल है।
- अब तक जारी की गई जैव-प्रबलित फसलों में विटामिन ए युक्त संतरा शकरकंद, विटामिन ए युक्त मक्का, विटामिन ए युक्त कसावा, लौह युक्त फलियाँ, लौह युक्त बाजरा, जस्ता युक्त चावल और जस्ता युक्त गेहूँ शामिल हैं।
- हालाँकि जैव-प्रबलित फसलें सभी विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी आने वाले वर्षों में जैव-प्रबलीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
- जैव-प्रबलित खाद्य पदार्थ उन लोगों के लिए कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक स्थिर और सुरक्षित स्रोत प्रदान कर सकते हैं जिन तक अन्य हस्तक्षेपों से पहुँच नहीं है।
- ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन की कमी को पूरा करने और व्यक्ति के जीवन भर विटामिन और खनिजों के दैनिक सेवन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
- **पूरक आहार:** विटामिन ए पूरक आहार बच्चों की जीवन दर में सुधार के लिए सबसे किफ़ायती उपायों में से एक है क्योंकि ये आमतौर पर छह महीने से पाँच साल की उम्र के बीच के संवेदनशील समूहों को ही लक्षित करते हैं।
- विटामिन ए पूरक आहार कार्यक्रमों को अक्सर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों में शामिल किया जाता है क्योंकि ये सभी कारणों से होने वाली मृत्यु दर के कम जोखिम और दस्त की घटनाओं में कमी से जुड़े हैं।

कुपोषण के परिणाम/प्रभाव

कुपोषण की समस्या जटिल, बहुआयामी और अंतर-पीढ़ीगत प्रकृति की है। कुपोषण हर देश के लोगों को प्रभावित करता है। इसके कुछ प्रभाव इस प्रकार हैं।

- दुनिया भर में लगभग 1.9 अरब वयस्क अधिक वजन वाले हैं, जबकि 46.2 करोड़ कम वजन वाले हैं। अनुमान है कि 5 साल से कम उम्र के 4.1 करोड़ बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि लगभग 15.9 करोड़ बच्चे बौनेपन के शिकार हैं और 5 करोड़ बच्चे कमज़ोर कद के हैं।
- इस बोझ के अलावा, दुनिया भर में प्रजनन आयु की 52.8 करोड़ यानी 29% महिलाएँ एनीमिया से प्रभावित हैं, जिनमें से लगभग आधी को आयरन सप्लीमेंट दिया जा सकता है।
- कुपोषण का सबसे बुरा असर गर्भावस्था और बचपन में गर्भधारण से लेकर दो साल तक यानी पहले 1000 दिनों तक होता है। कुपोषित बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है और इसलिए वे संक्रमण और बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं।
- लंबे समय तक अपर्याप्त पोषक तत्वों का सेवन और बार-बार होने वाले संक्रमणों के कारण शारीरिक विकास में रुकावट आ सकती है, जिसके कारण मोटर और संज्ञानात्मक विकास में देरी होती है, जो काफी हद तक अपरिवर्तनीय है।
- अत्यधिक खाद्यान्न की कमी, दस्त और निमोनिया जैसी सामान्य बाल्यावस्था की बीमारियाँ या दोनों ही तीव्र कुपोषण या दुर्बलता का कारण बन सकती हैं, जो उपचार न किए जाने पर शीघ्र ही मृत्यु का कारण बन सकती हैं।
- कुपोषण आर्थिक विकास को भी धीमा करता है और गरीबी को बढ़ाता है। कुपोषण से जुड़ी मृत्यु दर और रुग्णता, अर्थव्यवस्था के लिए मानव पूंजी और उत्पादकता में प्रत्यक्ष हानि दर्शाती है।
- बचपन में कुपोषण के कारण व्यक्ति को आगे चलकर मधुमेह और हृदय रोग सहित गैर-संचारी रोगों का खतरा अधिक हो जाता है, जिससे सीमित संसाधनों वाली स्वास्थ्य प्रणालियों में स्वास्थ्य लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- कई परिवार ताज़े फल, सब्ज़ियाँ, फलियाँ, मांस और दूध जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का खर्च नहीं उठा पाते या उन तक पहुँच नहीं पाते, जबकि वसा, चीनी और नमक से भरपूर खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके कारण गरीब और अमीर दोनों देशों में अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। एक ही समुदाय के घर या यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति में कुपोषण और अधिक वजन होना आम बात है - उदाहरण के लिए, अधिक वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दोनों होना संभव है।
- **बच्चों और बुजुर्गों की संवेदनशीलता:** बचपन में कुपोषण का असर जीवन भर और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहता है। विटामिन और खनिजों की कमी आसानी से पता नहीं चलती और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, औद्योगिक और विकासशील दोनों ही देशों में बुजुर्ग लोग भूख और कुपोषण के प्रति असमान रूप से संवेदनशील हैं। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है क्योंकि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हालाँकि, बदलती जीवनशैली और पारिवारिक संरचना के कारण कई देशों में बुजुर्गों को परिवार से कम देखभाल मिलती है। बुजुर्गों की देखभाल की रणनीतियों पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है।

एसडीजी लक्ष्य 2 के लक्ष्य

- **सतत विकास लक्ष्य 2.1** वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त करना तथा सभी लोगों, विशेषकर गरीबों और कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों, जिनमें शिशु भी शामिल हैं, को पूरे वर्ष सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।
- **सतत विकास लक्ष्य 2.2** वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना, जिसमें वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन और दुर्बलता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करना, तथा किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।
- **सतत विकास लक्ष्य 2.3** वर्ष 2030 तक, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना, जिसमें भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और

आदानों, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, बाजारों और मूल्य संवर्धन तथा गैर-कृषि रोजगार के अवसरों तक सुरक्षित और समान पहुंच शामिल है।

- **एसडीजी लक्ष्य 2.4** 2030 तक, टिकाऊ खाद्य उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करना और लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाएं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करें, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन के लिए क्षमता को मजबूत करें और जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करें।
- **सतत विकास लक्ष्य 2.5** वर्ष 2020 तक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित और विविधीकृत बीज और पौध बैंकों के माध्यम से बीजों, संवर्धित पौधों और कृषि एवं पालतू पशुओं तथा उनकी संबंधित जंगली प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति के अनुसार आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों तक पहुंच और उनके निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देना।
- **सतत् विकास लक्ष्य 2.ए** विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों में कृषि उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अवसंरचना, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी विकास और पादप एवं पशुधन जीन बैंकों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर निवेश बढ़ाना।
- **सतत् विकास लक्ष्य 2.बी** विश्व कृषि बाजारों में व्यापार प्रतिबंधों और विकृतियों को ठीक करना और रोकना, जिसमें दोहा विकास चक्र के अधिदेश के अनुसार, सभी प्रकार की कृषि निर्यात सब्सिडी और समतुल्य प्रभाव वाले सभी निर्यात उपायों को समानांतर रूप से समाप्त करना शामिल है।
- **एसडीजी लक्ष्य 2.सी** खाद्य वस्तु बाजारों और उनके व्युत्पन्नों के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय अपनाना तथा खाद्य भंडारों सहित बाजार की जानकारी तक समय पर पहुंच की सुविधा प्रदान करना, ताकि अत्यधिक खाद्य मूल्य अस्थिरता को सीमित करने में मदद मिल सके।

कुपोषण से निपटने के लिए भारत की पहल

हाल के दिनों में, भारत ने विशेष रूप से बच्चों और माताओं में कुपोषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

- सरकार **ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित किया था,** जिसका उद्देश्य लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराकर मानव जीवन चक्र में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना था।

प्रत्यक्ष हस्तक्षेप	अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप
एकीकृत बाल विकास सेवाएं **(आईसीडीएस)** ।	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (**टीपीडीएस**)।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (**एनआरएचएम**)।	राष्ट्रीय बागवानी मिशन.
मध्याह्न भोजन योजना (**एमडीएम**), राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (**आरजीएसईएजी**) अर्थात् **सबला।**	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (**आईजीएमएसवाई**)।	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (**एमजीएनआरईजीएस**), निर्मल भारत अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।

- **नीति आयोग ने** हितधारकों के परामर्श से **राष्ट्रीय पोषण रणनीति** तैयार की है और उसे जारी किया है , जिसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और वास्तविक समय पर निगरानी के लिए अंतर-विभागीय अभिसरण पर जोर दिया गया है।
- **विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच वांछित अभिसरण लाने और सभी जिलों तक डिजिटल निगरानी का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की** अवधारणा तैयार कर उसे अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इसकी निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु नीति आयोग के अंतर्गत एक तकनीकी सचिवालय के गठन का प्रस्ताव है।
- सरकार ने **प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY) शुरू की है। यह योजना** गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यक शर्तें पूरी करने पर 5,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी।
- पूरक पोषण के लिए लागत मानदंड बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने आंगनवाड़ियों और किशोरियों के लिए योजना में दिए जाने वाले पूरक पोषण के लागत मानदंडों में संशोधन करके देश में अगले तीन वर्षों में कुपोषण से लड़ने के लिए अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लागत मानदंडों को अब खाद्य मूल्य सूचकांक से भी जोड़ दिया गया है, जिससे सरकार बिना किसी बाधा के वार्षिक रूप से लागत मानदंडों में वृद्धि कर सकेगी।
- आईसीडीएस, एमडीएम और पीडीएस जैसे सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत प्रदान किए जाने वाले **भोजन को फोर्टिफाइड करना अनिवार्य कर दिया गया है।**
- वांछित पोषण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कार्यक्रमों की सामूहिक और समन्वित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के तीन सचिवों द्वारा एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आईसीडीएस के अंतर्गत एमआईएस और निगरानी का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है। इस संबंध में, आईसीडीएस-सीएएस प्रणाली विकसित और प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई है।
- आईसीडीएस-प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) को अगले तीन वर्षों में आईसीडीएस और उसके परिणामों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए 162 जिलों तक विस्तारित करने की मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा, मनरेगा के साथ मिलकर, आईसीडीएस के अंतर्गत आईसीडीएस सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए 1.1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, पोषण मानकों पर सबसे पिछड़े 113 जिलों की पहचान मिशन मोड में कार्रवाई के लिए की गई है।
- कमजोर समूहों के लिए लक्षित विशिष्ट हस्तक्षेपों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है, अर्थात् पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ।
- शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उचित आहार संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देना, जिसमें स्तनपान की शुरुआत, 6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान और 6 महीने की उम्र के बाद उचित पूरक आहार शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थापित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) नामक विशेष इकाइयों में गंभीर तीव्र कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का उपचार।
- 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों में विटामिन ए और आयरन एवं फोलिक एसिड (आईएफए) की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने और उससे निपटने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस तथा मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
- कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने बढ़ती खरीद और भंडारण आवश्यकताओं को देखते हुए खाद्यान्न प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। परिणामस्वरूप, भूख से निपटने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) की भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पोषण अभियान

पोषण (प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना) अभियान, बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह तकनीक, लक्षित दृष्टिकोण और अभिसरण का लाभ उठाकर देश का ध्यान कुपोषण की समस्या की ओर आकर्षित करता है और इसे मिशन-मोड में संबोधित करता है। कुपोषण के इर्द-गिर्द एक जन आंदोलन बनाने के व्यापक उद्देश्य के साथ, पोषण अभियान का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में कुपोषण को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।

पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए मिशन की चार सूत्री रणनीति/स्तंभ इस प्रकार हैं:

- बेहतर सेवा वितरण के लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण।
- महिलाओं और बच्चों की वास्तविक समय वृद्धि निगरानी और ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग।
- प्रथम 1000 दिनों के लिए गहन स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं।
- जन आंदोलन.

विशिष्ट लक्ष्य क्या हैं:

- पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, कुपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में) को कम करना तथा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष की कमी लाना है।
- यद्यपि स्टंटिंग को कम करने का लक्ष्य कम से कम 2% प्रति वर्ष है, मिशन 2022 तक स्टंटिंग में 38.4% (एनएफएचएस-4) से 25% तक कमी लाने का प्रयास करेगा (2022 तक मिशन 25)।

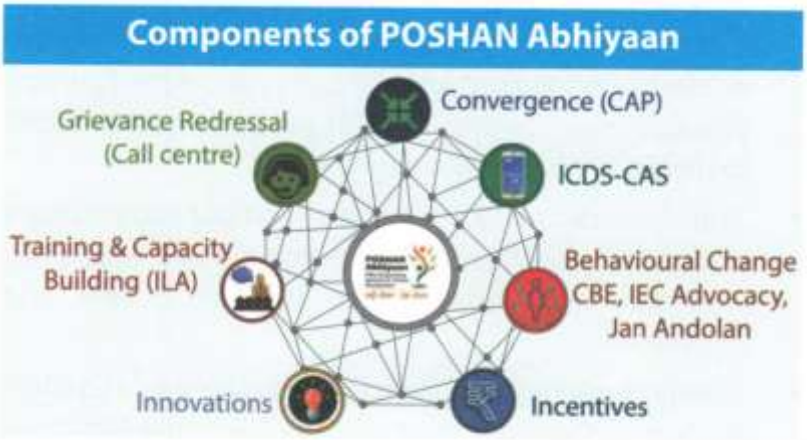

पोषण सुरक्षा और बाजरा

पोषण सुरक्षा

पोषण सुरक्षा का तात्पर्य संतुलित आहार, सुरक्षित पर्यावरण, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं तक किफायती पहुँच और जागरूकता से है। बाजरा संतुलित आहार के साथ-साथ सुरक्षित पर्यावरण में भी योगदान देता है। ये मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार हैं।

बाजरा शब्द में कई छोटे दाने वाली घासें शामिल हैं। दाने के आकार के आधार पर, बाजरे को मुख्य बाजरा (ज्वार और मोती बाजरा) और कई छोटे दाने वाले बाजरे (रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सावन और कुटकी) में वर्गीकृत किया गया है।

बाजरे के लाभ:

- इन फसलों की खेती के लाभों में सूखा सहनशीलता, फसल की मजबूती, कम से मध्यम अवधि, कम श्रम की आवश्यकता, न्यूनतम क्रय इनपुट, कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधिता शामिल हैं।
- बाजरा C4 फसल है और इसलिए यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है।
- बाजरा कार्बन को सोखता है और इस प्रकार ग्रीनहाउस गैस का बोझ कम करता है।
- बाजरा सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन और खनिजों का खजाना है, जिनकी भारत में कमी बहुत अधिक है।
- इनमें फाइबर और स्वास्थ्यवर्धक फाइटोकेमिकल भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिरक्षा उत्तेजक आदि के रूप में कार्य करते हैं, और इस प्रकार, इनमें मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर आदि जैसे अपक्षयी रोगों को कम करने की क्षमता होती है।
- बाजरे की खेती वर्षा आधारित खेती का मुख्य आधार है, जिस पर 60% भारतीय किसान निर्भर हैं। ये भोजन के साथ-साथ चारा भी प्रदान करते हैं और इन्हें दालों और सब्जियों के साथ मिश्रित खेती (बहु-कृषि) के रूप में भी उगाया जा सकता है।

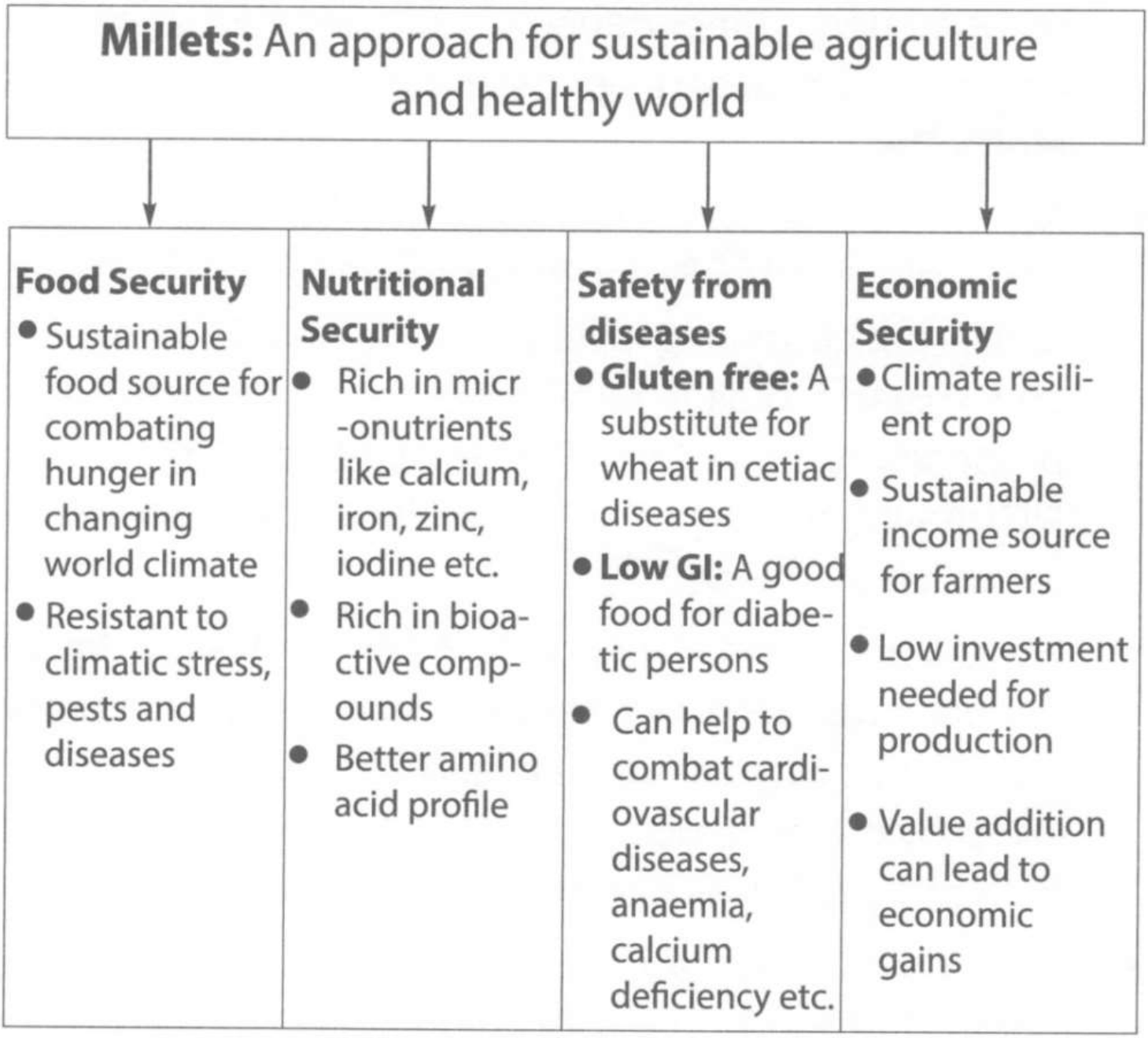

इन लाभों के बावजूद, भारत में बाजरे के उत्पादन और उपभोग में इसकी प्रमुखता कम होती जा रही है। हाल के वर्षों में, बाजरे के पुनरुद्धार की दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं।

निष्कर्ष

बाजरा सूखे, तापमान और कीटों के प्रति सहनशील है और इसलिए जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के माहौल में भविष्य के लिए उपयुक्त अनाज है। बाजरे के पुनर्मूल्यांकन के लिए कृषि वैज्ञानिकों, खाद्य प्रौद्योगिकीविदों, गृह वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और मीडिया के प्रयासों के अभिसरण सहित वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यवहारिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता है।

सुझाव

प्रत्यक्ष हस्तक्षेप	अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप
सभी कमजोर समूहों को कवर करने के लिए आईसीडीएस के माध्यम से सुरक्षा जाल का विस्तार करना।	खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रत्यक्ष हस्तक्षेप	अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप
आवश्यक खाद्य पदार्थों को उचित पोषक तत्वों से सुदृढ़ करें	उत्पादन को बढ़ावा देकर तथा पोषणयुक्त खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाकर आहार पद्धति में सुधार करें।
कम लागत वाले पौष्टिक भोजन को लोकप्रिय बनाएं।	आय हस्तांतरण को प्रभावी बनाना (भूमिहीन ग्रामीण और शहरी गरीबों की क्रय शक्ति में सुधार करना; सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार और सुधार करना)।
कमजोर समूहों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को नियंत्रित करें।	गरीबों की भेद्यता को कम करने के लिए भूमि सुधार (भूमि अधिग्रहण कानून) लागू करना; स्वास्थ्य और टीकाकरण सुविधाओं और पोषण ज्ञान को बढ़ाना; खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना; पोषण कार्यक्रमों की निगरानी करना और पोषण निगरानी को मजबूत करना; सामुदायिक भागीदारी।

निष्कर्ष

- भोजन की कमी, जीवन के लिए ख़तरों और गंभीर शारीरिक व मानसिक असुविधाओं के साथ, मानव अनुभव और मानव संस्कृति का अभिन्न अंग रही है।
- भूख परस्पर जुड़ी सामाजिक बुराइयों के एक जटिल समूह का एक हिस्सा है। यह वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सत्ता संरचनाओं; विकास और उपभोग के तरीकों; जनसंख्या गतिशीलता; और नस्ल, जातीयता, लिंग और आयु पर आधारित सामाजिक पूर्वाग्रहों से गहराई से जुड़ी हुई है।
- देश में 6 साल से कम उम्र के लगभग 16 करोड़ बच्चे हैं। आने वाले वर्षों में, ये बच्चे वैज्ञानिक, किसान, शिक्षक, डेटा ऑपरेटर, कारीगर और सेवा प्रदाता के रूप में हमारे कार्यबल में शामिल होंगे।
- इनमें से कई इस हॉल में उपस्थित आप जैसे कई लोगों की तरह समाजसेवी बनेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का स्वास्थ्य इस पीढ़ी के स्वास्थ्य में निहित है।
- हम बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चों के साथ अपने देश के स्वस्थ भविष्य की आशा नहीं कर सकते। कुपोषण की चुनौती से निपटने का पहला कदम इसे स्पष्ट रूप से समझना है।
- यद्यपि कुपोषण से लड़ने के लिए आईसीडीएस हमारा सबसे महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, फिर भी हम अब केवल इसी पर निर्भर नहीं रह सकते।
- हमें उन ज़िलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जहाँ कुपोषण का स्तर उच्च है और जहाँ कुपोषण पैदा करने वाली परिस्थितियाँ व्याप्त हैं।
- नीति निर्माताओं और कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं को शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई, पेयजल और पोषण के बीच कई संबंधों को स्पष्ट रूप से समझना होगा और फिर उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रियाएँ बनानी होंगी।
- व्यवहार परिवर्तन संचार जिसका उद्देश्य महिलाओं, शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ जल, अच्छी स्वच्छता और सफाई के उपयोग में सुधार करना है ताकि उन्हें पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने वाला संदेश, जैसे कि 6 महीने तक केवल स्तनपान की शुरुआत और उसके बाद 24 महीने तक पर्याप्त और पर्याप्त पूरक आहार के साथ स्तनपान, जो बच्चों में छिपी भूख को रोकने का एक आर्थिक और टिकाऊ तरीका है।
- सामाजिक सुरक्षा जो गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन तक पहुँच प्रदान करती है और उन्हें बढ़ती कीमतों से बचाती है; और शिक्षा तक पहुँच बढ़ाकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

- इस शोधपत्र में प्रस्तुत भारत में कुपोषण की स्थिति के अवलोकन से पता चलता है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कुपोषित और रक्तहीन है और इसके लिए कई कारक ज़िम्मेदार हैं।
- इनमें से कुछ कारक सीधे तौर पर लोगों में कुपोषण का कारण बनते हैं, जबकि कई अन्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
- इनमें प्रमुख हैं गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता और शिक्षा का अभाव, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, पौष्टिक भोजन, सुरक्षित जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का अभाव, विश्वसनीय और समय पर आँकड़ों और पर्याप्त धनराशि की अनुपलब्धता, और योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार का निराशाजनक प्रदर्शन।
- कुपोषण के कई कारण और इस चुनौती से निपटने के उपाय ज्ञात हैं, फिर भी, यह समझने पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश को पोषण संबंधी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से कौन रोक रहा है।
- निस्संदेह, राज्य सरकारों की एजेंसियों को एक व्यापक और समन्वित बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसे स्थानीय स्तर की चुनौतियों की विविध प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो।
- उन्हें बेहतर शासन भी प्रदर्शित करना होगा। अपनी ओर से, नागरिक समाज को ज़िम्मेदारी से प्रतिक्रिया देनी होगी। विशेष रूप से, आस-पड़ोस के स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल बनाने और पहचानी गई ज़रूरतों के आधार पर हस्तक्षेप करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- कुपोषण से निपटने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप सर्वविदित हैं, लेकिन इन्हें विकास और मानवीय नीतियों, दोनों में व्यापक रूप से शामिल और एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- पोषण-विशिष्ट हस्तक्षेप, जो किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति को सीधे प्रभावित करते हैं, उनमें पोषण सुधार के उपायों को बढ़ावा देना (जैसे, 0-6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान की दर में वृद्धि और 6 महीने के बाद समय पर पर्याप्त पूरक आहार देना), सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करना (जैसे, विटामिन ए की खुराक), और गंभीर तीव्र कुपोषण की रोकथाम और सामुदायिक प्रबंधन शामिल हैं।
- इसके अलावा, पोषण-संवेदनशील हस्तक्षेप कुपोषण के अंतर्निहित कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं, जो घरेलू और सामुदायिक स्तर के संदर्भ में अंतर्निहित हैं। इनमें खाद्य सुरक्षा में सुधार से लेकर महिलाओं की स्थिति में सुधार तक शामिल हैं।

भारत में बाल श्रम

- बाल श्रम का सामान्य अर्थ है **बच्चों को किसी भी शारीरिक श्रम में, चाहे वह भुगतान के साथ हो या बिना भुगतान के, नियोजित करना**। यह भारत में एक गहरी सामाजिक बुराई है।
- बाल श्रम से तात्पर्य ऐसे किसी भी कार्य में बच्चों को नियोजित करने से है **जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है, उनके नियमित स्कूल जाने की क्षमता में बाधा डालता है, तथा जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक है।**
- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार **5-14 वर्ष आयु वर्ग के 10.1 मिलियन कामकाजी बच्चे हैं** , जिनमें से 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक (26%) और कृषि मजदूर (32.9%) के रूप में कार्यरत हैं।
- यद्यपि कामकाजी बच्चों की संख्या 2001 में 5% से घटकर 2011 में 3.9% रह गई, फिर भी यह गिरावट दर **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 8.7 को** पूरा करने के लिए अपर्याप्त है , जिसका **लक्ष्य 2025 तक सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करना** है ।
- जब बात बंधुआ मजदूरी और गुलामी की स्थिति में रहने और काम करने वाले बच्चों की आती है तो भारत इस सूची में सबसे ऊपर है।
- कम उम्र में काम करने के दुष्प्रभाव हैं:
- त्वचा रोग, फेफड़ों के रोग, कमजोर दृष्टि, टीबी आदि जैसे व्यावसायिक रोगों के होने का खतरा;
- कार्यस्थल पर यौन शोषण के प्रति संवेदनशीलता;
- शिक्षा से वंचित.
- वे विकास के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं और जीवन भर अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं।

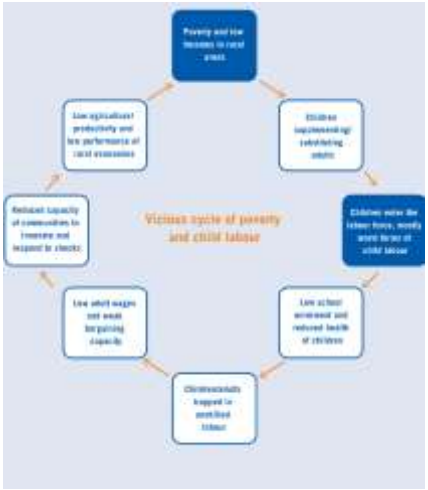

बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले कारक

- **'स्कूल से बाहर' बच्चों की संख्या में वृद्धि** : यूनेस्को का अनुमान है कि लगभग 38.1 मिलियन बच्चे "स्कूल से बाहर" हैं।
- **आर्थिक संकट** : आर्थिक संकुचन और लॉकडाउन के कारण उद्यमों और श्रमिकों की आय में कमी आई है, जिनमें से कई अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ** : प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण समस्या और जटिल हो गई है।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्दे** : भारत ने महामारी से पहले भी धीमी आर्थिक वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी का अनुभव किया था।

- **'डिजिटल डिवाइड':** इंटरनेट तक पहुँच की कमी , **डिजिटल उपकरणों ने बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा में चुनौतियाँ पैदा की हैं। ' भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग'** शीर्षक वाली एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार, केवल 24% भारतीय परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।
- **असंगठित क्षेत्र का विकास:** कड़े श्रम कानूनों के कारण, उद्योग स्थायी श्रमिकों की अपेक्षा संविदा श्रमिकों को नियुक्त करना पसंद करते हैं।
- **कमजोर कानून:** स्थिति की गंभीरता के अनुसार कानूनों को अद्यतन नहीं किया जाता है।
- **अन्य कारण:** बढ़ती आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और घरेलू आय में कमी, गरीब परिवारों के बच्चों को बाल श्रम में धकेला जा रहा है।

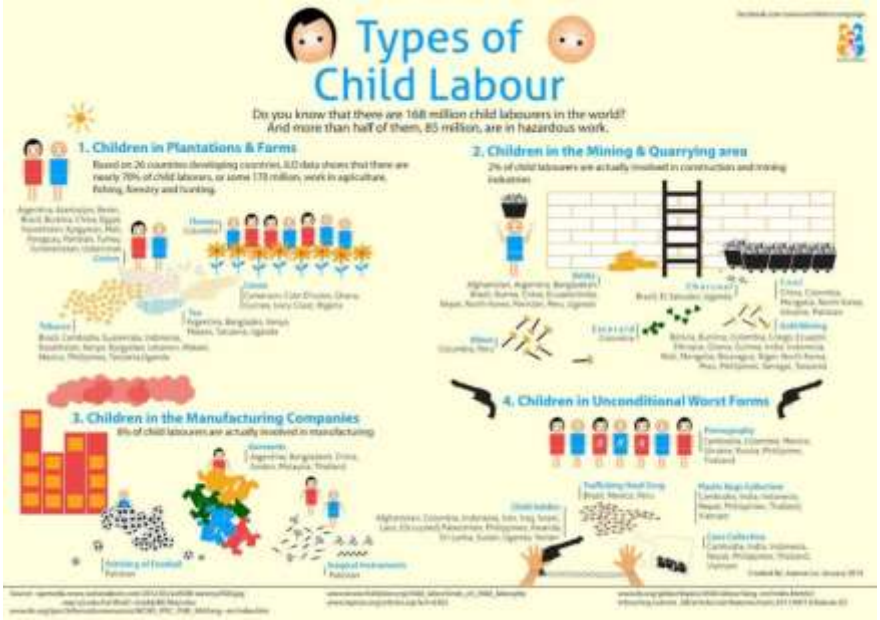

बाल श्रम के प्रभाव

- **बचपन पर असर:** बाल श्रम बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। यह न केवल उनके शिक्षा के अधिकार को छीनता है, बल्कि उनके आराम के अधिकार को भी छीन लेता है।
- **वयस्क जीवन पर प्रभाव:** बाल श्रम बच्चों को वह कौशल और शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है, जो वयस्क होने पर उन्हें अच्छे काम के अवसर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- **प्रमुख स्वास्थ्य और शारीरिक जोखिम:** क्योंकि वे लंबे समय तक काम करते हैं और उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनके लिए वे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। खतरनाक परिस्थितियों में काम करने से बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बौद्धिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास प्रभावित होता है।
- **गरीबी:** बाल श्रम गरीबी का कारण और परिणाम दोनों है। घरेलू गरीबी बच्चों को पैसा कमाने के लिए श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए मजबूर करती है = वे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर खो देते हैं = एक दुष्चक्र में पीढ़ियों तक घरेलू गरीबी जारी रहती है।
- **पूरे देश पर प्रभाव:** बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों का अस्तित्व अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है और यह देश के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए एक गंभीर बाधा है।

बाल श्रम: संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- भारतीय **संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।** 2001 से 2011 के दशक में भारत में बाल श्रम में कमी आई है, और यह दर्शाता है कि नीतिगत और कार्यक्रमगत हस्तक्षेपों का सही संयोजन बदलाव ला सकता है।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 23** के अनुसार किसी भी प्रकार का जबरन श्रम निषिद्ध है।
- **अनुच्छेद 24 में** कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 39 में** कहा गया है कि "श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं, तथा बच्चों की कोमल आयु के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा"।
- इसी प्रकार, **बाल श्रम अधिनियम (निषेध एवं विनियमन) 1986** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है।
- **मनरेगा 2005 , शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** और मध्याह्न भोजन योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी रोजगार (अकुशल) की गारंटी के साथ-साथ बच्चों के स्कूलों में जाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- **इसके अलावा, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन संख्या 138 (न्यूनतम आयु कन्वेंशन) और 182 (बाल श्रम के सबसे बुरे रूप) के अनुसमर्थन के साथ,** भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

भारत में बाल श्रम की स्थिति

- **पिछले दो दशकों (1991 से 2011)** में बाल श्रमिकों के रूप में काम करने वाले बच्चों की संख्या में 100 मिलियन की कमी आई है, जो दर्शाता है कि **नीति और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों का सही संयोजन एक अंतर ला सकता है** ; लेकिन COVID-19 महामारी ने बहुत सारे लाभों को खत्म कर दिया है
- कोविड-19 संकट ने पहले से ही कमजोर आबादी में **अतिरिक्त गरीबी** ला दी है और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में वर्षों की प्रगति को उलट सकता है- **आईएलओ**
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और यूनिसेफ** की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि महामारी के परिणामस्वरूप, **2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 9 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को बाल श्रम में धकेले जाने का खतरा है।**
- भारत में, महामारी के कारण **स्कूलों का बंद होना और कमजोर परिवारों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट , बच्चों को गरीबी और इस प्रकार बाल श्रम तथा असुरक्षित प्रवास की ओर धकेलने वाले कारक हैं।**
- **कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर (सीएसीएल) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए 818 बच्चों में से कामकाजी बच्चों के अनुपात में 28.2% से 79.6% तक उल्लेखनीय वृद्धि** हुई है , जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी और स्कूलों का बंद होना है।
- कोरोना वायरस महामारी **भारत के बच्चों को स्कूल से निकालकर खेतों और कारखानों में काम करने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे बाल श्रम की समस्या और भी बदतर हो गई है,** जो पहले से ही दुनिया में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक थी।

- **अनाथ बच्चे विशेष रूप से** तस्करी और जबरन भीख मांगने या बाल श्रम जैसे अन्य शोषण के शिकार होते हैं। ऐसे परिवारों में, बड़े बच्चों के अपने छोटे भाई-बहनों की मदद के लिए स्कूल छोड़ने की भी संभावना रहती है।
- बच्चों को लॉकडाउन के दौरान शहरों से अपने ग्रामीण घरों की ओर पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों द्वारा खाली छोड़ी गई नौकरियों को भरने के लिए एक **अस्थायी उपाय के रूप में देखा जा रहा है।**
- **सीएसीएल के सर्वेक्षण** के अनुसार , 94% से ज़्यादा बच्चों ने कहा है कि घर में आर्थिक संकट और पारिवारिक दबाव ने उन्हें काम पर धकेल दिया है। महामारी के दौरान ज़्यादातर बच्चों के माता-पिता की नौकरी चली गई थी या उनकी तनख्वाह बहुत कम थी।
- बच्चों के अधिकारों पर एक नागरिक समाज समूह, **बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों से जबरन काम और बंधुआ मजदूरी से** कुल 591 बच्चों को बचाया गया।

2011 की जनगणना के अनुसार , भारत में पांच प्रमुख राज्य ऐसे हैं जहां देश के कुल बाल श्रमिकों की संख्या का 55% हिस्सा है।

राज्य	\%	संख्याएँ (मिलियन में)
उ. प्र.	21.5	2.18
बिहार	10.7	1.09
राजस्थान	8.4	0.85
महाराष्ट्र	7.2	0.73
मध्य प्रदेश	6.9	0.70

महामारी का प्रभाव

- कोरोना वायरस महामारी भारत के बच्चों को स्कूल से निकालकर खेतों और कारखानों में काम करने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे बाल श्रम की समस्या और भी बदतर हो गई है, जो पहले से ही दुनिया में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक थी।
- कोविड-19 संकट ने पहले से ही कमजोर आबादी में अतिरिक्त गरीबी ला दी है और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में वर्षों की प्रगति को उलट सकता है- आईएलओ
- देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लाखों लोग गरीबी में धकेल दिए गए हैं, जिससे सस्ते श्रम के लिए गांवों से शहरों में बच्चों की तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है।
- स्कूल बंद होने से स्थिति और बिगड़ गई है और लाखों बच्चे परिवार की आय में योगदान देने के लिए काम कर रहे हैं। महामारी ने महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को शोषण के प्रति और भी संवेदनशील बना दिया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अनुसार, इस महामारी के दौरान लगभग 25 मिलियन लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं, जिनमें अनौपचारिक रोजगार में लगे लोग सामाजिक सुरक्षा की कमी से सबसे अधिक पीड़ित होंगे।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के साप्ताहिक ट्रैकर सर्वेक्षण के अनुसार, COVID-19 के प्रभाव ने शहरी बेरोजगारी दर को पहले ही 30.9% तक बढ़ा दिया है।
- अनाथ बच्चे विशेष रूप से तस्करी और जबरन भीख मांगने या बाल श्रम जैसे अन्य शोषण के शिकार होते हैं। ऐसे परिवारों में, बड़े बच्चों के अपने छोटे भाई-बहनों की मदद के लिए स्कूल छोड़ने की भी संभावना रहती है।
- बच्चों को लॉकडाउन के दौरान शहरों से अपने ग्रामीण घरों की ओर पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों द्वारा खाली छोड़ी गई नौकरियों को भरने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा जाता है।
- बच्चों के अधिकारों पर एक नागरिक समाज समूह, बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों से जबरन काम और बंधुआ मजदूरी से कुल 591 बच्चों को बचाया गया।

बाल श्रम के संबंध में नीति निर्माताओं के समक्ष चुनौतियाँ

- **परिभाषा संबंधी मुद्दा:** बाल श्रम उन्मूलन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बाल श्रम से संबंधित विभिन्न कानूनों में उम्र के संदर्भ में बच्चे की परिभाषा को लेकर भ्रम की स्थिति।
- **पहचान का अभाव:** पहचान संबंधी दस्तावेज़ों की कमी के कारण भारत में बच्चों की उम्र की पहचान एक मुश्किल काम है। बाल मज़दूरों के पास अक्सर स्कूल पंजीकरण प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते, जिससे क़ानून में शोषण का एक आसान रास्ता बन जाता है। अक्सर प्रवासी मज़दूरों और घरेलू कामों में लगे बच्चों के मामले दर्ज नहीं किए जाते।
- **कानून का कमजोर प्रवर्तन और खराब प्रशासन:** कानून का कमजोर प्रवर्तन, पर्याप्त रोकथाम का अभाव और भ्रष्टाचार बाल श्रम उन्मूलन में प्रमुख बाधा है।
- महामारी के **कारण बाल श्रम विरोधी कानूनों के प्रवर्तन में बाधा आ रही है , कार्यस्थलों पर निरीक्षण कम हो रहे हैं तथा मानव तस्करों की तलाश में भी कम सख्ती बरती जा रही है** ।
- गैर-सरकारी संगठन इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि **बाल श्रम में वास्तविक वृद्धि अभी आनी बाकी है**। जब आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होने लगेंगी, तो प्रवासियों द्वारा बच्चों को अपने साथ शहरों में ले जाने का जोखिम होगा।
- **बच्चों की शिक्षा, बुनियादी पोषण और उनके विकास तथा कल्याण के लिए अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं तक पहुंच को** भारी झटका लगा है और कई नए बच्चे जबरन मजदूरी के जाल में फंस गए हैं, साथ ही मौजूदा बाल श्रमिकों की स्थिति और भी खराब हो गई है।
- **रोज़गार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाले कानूनों** और अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले कानूनों के बीच असंगति। इसका अर्थ यह भी है कि गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा का विस्तार वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति से आगे बढ़ना होगा।
- **बाल श्रम के कई रूप हैं:** बाल श्रम एक समान नहीं है। यह कई रूपों में होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों से किस प्रकार का काम करवाया जाता है, बच्चे की उम्र और लिंग क्या है और वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं या परिवारों के साथ।
- **बाल श्रम की जटिल प्रकृति के कारण, इसे समाप्त करने के लिए कोई एक रणनीति नहीं है।**
- खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार के साथ-साथ काम की न्यूनतम आयु पर वैश्विक सम्मेलनों को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय कानून का अभाव।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताओं और घरेलू प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य का** अभाव ।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रभावी श्रम निरीक्षणों का अभाव। लगभग 71% कामकाजी बच्चे कृषि क्षेत्र में केंद्रित हैं, और उनमें से 69% परिवार इकाइयों में बिना वेतन के काम करते हैं।

भारत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम (1986)** कुछ रोजगारों में बच्चों की नियुक्ति पर रोक लगाने तथा कुछ अन्य रोजगारों में बच्चों की कार्य स्थितियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था।
- **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016:** यह संशोधन अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है।
- संशोधन में 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है तथा जहां यह प्रतिबंधित नहीं है, वहां उनकी कार्य स्थितियों को विनियमित किया गया है।
- **2017 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून)** पर भारत ने **बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन** के **दो मुख्य सम्मेलनों** की पुष्टि की ।
- **बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति (1987)** , जिसमें रोकथाम के बजाय खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर अधिक ध्यान दिया गया।

- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000** और **जेजे अधिनियम 2006 में संशोधन** : इसमें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में कामकाजी बच्चों को शामिल किया गया है, जिसमें आयु या व्यवसाय के प्रकार की कोई सीमा नहीं है।
- **धारा 23 (किशोरों के प्रति क्रूरता) और धारा 26 (किशोर कर्मचारियों का शोषण)** विशेष रूप से देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित हैं।
- **पेंसिल** : सरकार ने बाल श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए pencil.gov.in नामक एक समर्पित मंच शुरू किया है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने** राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है कि छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे स्कूल जाएँ और उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने के साथ, यह भारत में बाल श्रम से निपटने के लिए शिक्षा का उपयोग करने का एक उपयुक्त अवसर है।
- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** में किए गए संशोधनों में बंधुआ मजदूरी कराने के दोषी पाए गए लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
- संशोधन में उन लोगों के लिए कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है जो बच्चों को भीख मांगने, मानव मल और पशु शवों को उठाने या ढोने के लिए मजबूर करते हैं।
- **घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा** जब लागू होगा तो घरेलू सहायकों के लिए न्यूनतम 9,000 रुपये वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
- देश के प्रत्येक पुलिस थाने में किशोर, महिला एवं बाल संरक्षण के लिए अलग प्रकोष्ठ है।
- **बचपन बचाओ आंदोलन, केयर इंडिया, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइड इंडिया, चाइल्ड लाइन आदि** कई गैर सरकारी संगठन भारत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- बाल तस्करी का उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा जीवन स्तर के बुनियादी मानकों से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- पार्टियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण को रोकने के लिए श्रम कानूनों का सख्त कार्यान्वयन भी आवश्यक है।
- नीति और विधायी प्रवर्तन को मजबूत करना, तथा सरकार, श्रमिक और नियोक्ता संगठनों के साथ-साथ राष्ट्रीय, राज्य और सामुदायिक स्तर पर अन्य भागीदारों की क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिक्षा:

- साक्षरता और शिक्षा का प्रसार बाल श्रम की प्रथा के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति बाल श्रम के निहितार्थों को नहीं समझते हैं।
- स्कूल जाने वाले बच्चों को बाल श्रम में जाने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका स्कूली शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है।

बेरोजगारी उन्मूलन:

- बाल श्रम रोकने का एक और तरीका है बेरोज़गारी को खत्म करना या उस पर लगाम लगाना। अपर्याप्त रोज़गार के कारण, कई परिवार अपने सभी खर्चे नहीं उठा पाते। अगर रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएँ, तो वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा सकेंगे और उन्हें योग्य नागरिक बना सकेंगे।

- बाल श्रम के विरुद्ध निरंतर प्रगति के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो परिवारों की आर्थिक कमज़ोरियों को कम करने में मदद करें। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा गरीब परिवारों को बाल श्रम पर निर्भर रहने से बचाने में मदद करती है।

  पंचायत की भूमिका: चूँकि भारत में लगभग 80% बाल श्रम ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, इसलिए पंचायत बाल श्रम को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इस संदर्भ में, पंचायत को चाहिए:

- बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना,
- माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करें,
- ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे काम करना बंद कर दें और स्कूलों में दाखिला लें।
- यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों,
- उद्योग मालिकों को बाल श्रम निषेध कानूनों और इन कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड के बारे में जानकारी देना,
- गांव में बालवाड़ी और आंगनवाड़ी को सक्रिय करें ताकि कामकाजी माताएं छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई-बहनों पर न छोड़ें।
- स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों (वीईसी) को प्रेरित करें।

  दृष्टिकोण परिवर्तन:

- यह महत्वपूर्ण है कि लोगों के दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव लाया जाए, ताकि वयस्कों को रोजगार दिया जा सके और सभी बच्चों को स्कूल जाने दिया जा सके तथा उन्हें सीखने, खेलने और सामाजिक मेलजोल का अवसर दिया जा सके।
- बाल श्रम मुक्त व्यवसायों की एक क्षेत्र-व्यापी संस्कृति को पोषित किया जाना चाहिए।
- अर्थव्यवस्था और श्रम मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार और आय सहायता प्रदान करने के लिए समन्वित नीतिगत प्रयास किए जाने चाहिए।
- राज्यों को सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सभी बच्चों के लिए शिक्षा जारी रखने के प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- उन बच्चों को स्कूल फीस और अन्य संबंधित स्कूल खर्चों में वित्तीय सहायता या छूट दी जानी चाहिए जो अन्यथा स्कूल वापस नहीं आ पाएंगे।
- स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल खुलने तक हर छात्र को घर पर मुफ़्त दोपहर का भोजन मिले। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की पहचान के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और उनके लिए आश्रय और पालन-पोषण की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।

  संकलित दृष्टिकोण:

- बाल श्रम और शोषण के अन्य रूपों को एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से रोका जा सकता है, जो बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ गरीबी और असमानता को दूर करने, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने में सहायक हो।

  बच्चों को सक्रिय हितधारक मानना:

- बच्चों में बाल श्रम को रोकने और उस पर प्रतिक्रिया देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति है।

  बाल श्रम उन्मूलन सतत **विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 8** में दृढ़ता से शामिल है । सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा और बाल श्रम उन्मूलन पर चर्चा के बीच एक मज़बूत संबंध, दोनों क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न हितधारकों की पूरकताओं और तालमेल का लाभ उठा सकता है। बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई केवल एक की नहीं, बल्कि सभी की ज़िम्मेदारी है।

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

- **भारत में 51.80% पुरुष आबादी की तुलना में 48.20% महिला आबादी है**। वे भारत की आबादी का आधा हिस्सा बनाते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ सहस्राब्दियों में कई बड़े बदलावों के अधीन रही है।
- प्राचीन काल में पुरुषों के साथ समान दर्जा से लेकर मध्यकाल के निम्न बिंदुओं तक, कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, भारत में महिलाओं का इतिहास घटनापूर्ण रहा है।
- **आधुनिक भारत में, महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता सहित उच्च पदों को संभाला है।** हालांकि, भारत में महिलाओं को बलात्कार, एसिड फेंकने, दहेज हत्याओं और युवा लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने जैसे अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है।
- **आधुनिक भारत में कुछ समुदायों में सती, जौहर और देवदासी** जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रथाएँ काफ़ी हद तक लुप्त हो चुकी हैं।
- हालाँकि, भारत के दूरदराज के इलाकों में इन प्रथाओं के कुछ उदाहरण अभी भी देखने को मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह अभी भी आम है, हालाँकि वर्तमान भारतीय कानून के तहत यह अवैध है।
- भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा से ही गंभीर चिंता का विषय रही है। पिछली कई शताब्दियों से, भारत की महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कभी भी समान दर्जा और अवसर नहीं दिए गए।
- भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति, जो महिलाओं को हमारी माताओं और बहनों के रूप में सम्मान देती है, ने महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों को बहुत बाधित किया है।
- भारत **में महिलाओं को गर्भ से लेकर कब्र तक हिंसा का सामना करना पड़ता है**।
- गर्भ में रहते हुए उन्हें भ्रूण हत्या के खतरे का सामना करना पड़ता है और जन्म के बाद, वे अपने जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न अभिनेताओं के हाथों विभिन्न प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न के अधीन होती हैं, जिनमें उनके माता-पिता से लेकर उनके पति, आम जनता के सदस्य और उनके नियोक्ता शामिल हैं।
- यह स्थिति तब है जब भारत का संविधान **सभी भारतीय महिलाओं को समानता (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा भेदभाव न करने (अनुच्छेद 15(1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) और समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(डी)) की गारंटी देता है।**
- इसके अलावा, यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है **(अनुच्छेद 15(3))** , महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करता है **(अनुच्छेद 51(ए)(ई)**), और राज्य को न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करने की भी अनुमति देता है (**अनुच्छेद 42**)।
- इन सभी संवैधानिक और कानूनी उपायों के बावजूद, भारत में अत्याचार और अन्याय व्याप्त हैं।
- **यह विडंबना ही है कि जिस देश में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ महिलाओं को उच्च सम्मान देती हैं और महिलाओं को कई देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता है, वहाँ उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं।**
- 1992-93 के आंकड़ों के अनुसार **, भारत में केवल 9.2% घरों की मुखिया महिलाएँ थीं**। हालाँकि, **गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 35% घरों की मुखिया महिलाएँ थीं** ।
- हर रोज़ अकेली महिलाओं, युवतियों, माताओं और हर वर्ग की महिलाओं पर हमला, छेड़छाड़ और शोषण हो रहा है। सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, ख़ासकर सार्वजनिक स्थान शिकारियों का इलाका बन गए हैं।
- जो पहले ही शिकार हो चुकी हैं, वे चुपचाप या तिरस्कार से रो रही हैं, जबकि बाकी लोग सम्मान के साथ बुनियादी ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सड़कों पर एक अनकहा युद्ध चल रहा है।

- स्कूल और कॉलेज जाने वाली युवा लड़कियाँ किताबों से खुद को बचाती हैं, कुछ महिलाएँ अपने शरीर की रक्षा के लिए पूरे ढके हुए कपड़े पहनती हैं, और कुछ घूमती नज़रों से बचती हैं।
- इस भयावह सच्चाई का सामना करने के लिए हमें आँकड़ों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। **पूरे भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार, मारपीट और हत्या की खबरें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं – और हम सभी इससे वाकिफ हैं** ।
- निर्भया **सामूहिक बलात्कार की घटना** के बाद दिल्ली की सड़कों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए – भारत में महिलाओं की नाज़ुक स्थिति पर रोष व्यक्त किया गया।
- मोमबत्ती जुलूस, हमारे देश की पितृसत्तात्मक और लैंगिकवादी परंपराओं की पड़ताल करने वाले संपादकीय, सोशल मीडिया पर जागरूकता – यहाँ तक कि सड़कों पर भी बातचीत उस रात के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे वे भूल नहीं सकते: वह रात जिसने निर्भया को मौत के घाट उतार दिया।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के विभिन्न आयामों और उनके कारणों पर चर्चा करने से पहले आइए हम **भारत में महिला आंदोलन के संक्षिप्त इतिहास** पर नजर डालें ।

महिला कल्याण और सुरक्षा के लिए आंदोलन

- **भारत में नारीवादी सक्रियता 1970 के दशक के उत्तरार्ध में ज़ोर पकड़ी** । महिला समूहों को एकजुट करने वाले पहले राष्ट्रीय मुद्दों में से एक **मथुरा बलात्कार कांड** था ।
- एक थाने में एक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी किए जाने पर 1979-1980 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए।
- राष्ट्रीय मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किए गए इन विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने के लिए मजबूर किया; और एक नया अपराध, हिरासत में बलात्कार, बनाया। महिला कार्यकर्ता **कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक पूर्वाग्रह, महिला स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर भी एकजुट हुईं।**
- चूँकि **भारत में शराबखोरी को अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है** , इसलिए कई महिला समूहों ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में **शराब विरोधी अभियान** चलाए हैं ।
- कई भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों की मौलिक नेताओं की व्याख्या पर सवाल उठाए हैं **और तीन तलाक प्रथा की आलोचना की है** ।
- 1990 के दशक में, विदेशी दाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों ने नए महिला-उन्मुख गैर-सरकारी संगठनों के गठन को संभव बनाया।
- स्वयं सहायता समूहों और **स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा)** जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने भारत में महिला अधिकारों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई महिलाएँ स्थानीय आंदोलनों की अगुआ बनकर उभरी हैं; उदाहरण के लिए, **नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर।**
- भारत सरकार **ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया।** 2001 में राष्ट्रीय **महिला सशक्तिकरण नीति शुरू की गई** ।
- इस नीति के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए गए। हाल ही में, इस नीति के तहत, बेहतर समन्वय के लिए महिला सशक्तिकरण हेतु चल रही नीतियों का विलय कर दिया गया।
- इन सबके बावजूद, एक अनकही सच्चाई यह है कि भारत में महिलाओं को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- शायद मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध महिलाओं के खिलाफ ही होता है, जिससे उनकी सुरक्षा और संरक्षा को खतरा होता है। आइए महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुछ अपराधों पर चर्चा करें।

भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 14:**
  - यह भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 15:**
  - यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार, राज्य महिलाओं और बच्चों के हित के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 16:**
  - रोज़गार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर रोज़गार से वंचित नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 39:**
  - अनुच्छेद 39(ए) सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराता है।
  - अनुच्छेद 39 (बी) में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है।
  - अनुच्छेद 39 (सी) में श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति को सुरक्षित रखने तथा बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न करने का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 42:**
  - यह काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद 42 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 23 और 25 के अनुरूप है
- **अनुच्छेद 325 और 326:**
  - वे क्रमशः राजनीतिक समानता, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अधिकार और मतदान का अधिकार की गारंटी देते हैं।
- **अनुच्छेद 243 (डी):**
  - इसमें प्रत्येक पंचायत चुनाव में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का प्रावधान है।
  - इसने इस आरक्षण को निर्वाचित पदों तक भी बढ़ा दिया है।

महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याएं और उनके समाधान

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक तीन में से एक महिला और लड़की अपने जीवन में अपने अंतरंग साथी द्वारा **शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती है ।**
- एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में **पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता** के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए।
- भारत में महिलाओं की सुरक्षा को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इस मुद्दे से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं।
- **आंकड़े:**
  - **3 में से 1 महिला और लड़की अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती है** , और यह हिंसा अधिकतर उनके अंतरंग साथी द्वारा ही होती है।
  - **केवल 52% विवाहित या विवाहित महिलाएं ही** यौन संबंधों, गर्भनिरोधक उपयोग और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं।

- विश्वभर में आज जीवित लगभग **750 मिलियन महिलाओं और लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले हो गई थी** ; जबकि 200 मिलियन महिलाओं और लड़कियों का महिला जननांग विच्छेदन (FGM) किया गया है।
- **वर्ष 2012 में विश्व भर में मारी गई 2 में से 1 महिला की हत्या उसके साथी या परिवार द्वारा की गई** ; जबकि 20 में से केवल 1 पुरुष की हत्या समान परिस्थितियों में हुई।
- **विश्व भर में मानव तस्करी की 71% पीड़ित महिलाएं और लड़कियां हैं, तथा इनमें से 4 में से 3 महिलाओं और लड़कियों का** यौन शोषण किया जाता है।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4)** से पता चलता है कि भारत में 15-49 आयु वर्ग की 30 प्रतिशत महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इसी आयु वर्ग की 6 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का अनुभव किया है।

हिंसा के रूप

वे लिंग-चयनात्मक गर्भपात और शिशु-हत्या के अभ्यास से शुरू होते हैं , और **किशोरावस्था और वयस्क जीवन के दौरान उच्च स्तर की महिला शिशु मृत्यु दर, बाल विवाह, किशोरावस्था में गर्भावस्था, महिलाओं के लिए कम मजदूरी, असुरक्षित कार्यस्थल, घरेलू हिंसा, मातृ मृत्यु दर, यौन उत्पीड़न और बुजुर्ग महिलाओं की उपेक्षा के साथ जारी रहते हैं।**

- **घरेलू हिंसा**
- घरेलू हिंसा एक अंतरंग संबंध जैसे डेटिंग, विवाह, सहवास या पारिवारिक संबंध में एक साथी द्वारा दूसरे के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है।
- इसे घरेलू दुर्व्यवहार, वैवाहिक दुर्व्यवहार, मारपीट, पारिवारिक हिंसा, डेटिंग दुर्व्यवहार और अंतरंग साथी हिंसा (आईपीवी) के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।
- यह शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन दुर्व्यवहार के साथ-साथ सूक्ष्म, बलपूर्वक या हिंसक भी हो सकता है।
- **हत्याओं**
- **कन्या भ्रूण हत्या और लिंग-चयनात्मक गर्भपात**
  - कन्या शिशु हत्या, नवजात बालिका की हत्या या लिंग-चयनात्मक गर्भपात के माध्यम से कन्या भ्रूण की हत्या है।
  - भारत में पुत्र प्राप्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि वे वृद्धावस्था में परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा मृत माता-पिता और पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करने में सक्षम होते हैं।
  - इसके विपरीत, बेटियों को सामाजिक और आर्थिक बोझ माना जाता है
- **दहेज हत्याएं**
  - दहेज मृत्यु, दहेज को लेकर हुए विवाद के कारण विवाहित महिला की हत्या या आत्महत्या है।
  - कुछ मामलों में, पति और ससुराल वाले लगातार उत्पीड़न और यातना के माध्यम से अधिक दहेज वसूलने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी पत्नी आत्महत्या कर लेती है।
- **सम्मान के नाम पर हत्याएं**
  - सम्मान के नाम पर हत्या (ऑनर किलिंग) परिवार के किसी सदस्य की हत्या है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने परिवार के लिए अपमान और शर्म की बात की है।
  - सम्मान हत्या के कारणों में शामिल हैं, तयशुदा विवाह से इंकार करना, व्यभिचार करना, ऐसा साथी चुनना जिसे परिवार अस्वीकार करता हो, तथा बलात्कार का शिकार होना।
  - भारत के कुछ क्षेत्रों में ग्राम जाति परिषदें या खाप पंचायतें नियमित रूप से उन लोगों को मौत की सजा सुनाती हैं जो जाति या गोत्र संबंधी उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं।
- **जादू-टोना के आरोप और संबंधित हत्याएं**

- जादू-टोना वह अभ्यास है जिसे अभ्यासकर्ता जादुई कौशल और क्षमताएं मानता है, तथा इसमें मंत्र, मन्त्र और जादुई अनुष्ठान जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं।
- भारत में जादू-टोने के आरोप में महिलाओं की हत्याएँ आज भी होती हैं। गरीब महिलाओं, विधवाओं और निचली जातियों की महिलाओं को ऐसी हत्याओं का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है।

- **यौन शोषण/ छेड़छाड़/ बलात्कार**
- बलात्कार भारत में सबसे आम अपराधों में से एक है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है।
- **वैवाहिक अपराध**
- **वैवाहिक बलात्कार**
- भारत में वैवाहिक बलात्कार कोई आपराधिक कृत्य नहीं है।
- भारत उन पचास देशों में से एक है, जिन्होंने अभी तक वैवाहिक बलात्कार को गैरकानूनी घोषित नहीं किया है।

- **जबरन विवाह**
- लड़कियां कम उम्र में ही विवाह के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिससे उन्हें दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है: एक तो बच्ची होने के नाते और दूसरी महिला होने के नाते।
- बाल वधुएं प्रायः विवाह का अर्थ और जिम्मेदारियों को नहीं समझती हैं।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि के कारण

- **लिंग भूमिकाएँ और संबंध**
- पुरुषों की लैंगिकवादी, पितृसत्तात्मक और यौन रूप से शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण के साथ सहमति
- लिंग और कामुकता के संबंध में हिंसा-समर्थक सामाजिक मानदंड
- रिश्तों और परिवारों में पुरुष-प्रधान शक्ति संबंध
- लिंगभेदी और हिंसा-समर्थक संदर्भ और संस्कृतियाँ
- **हिंसा से संबंधित सामाजिक मानदंड और प्रथाएँ**
- घरेलू हिंसा संसाधनों की कमी
- समुदाय में हिंसा
- अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का बचपन का अनुभव (विशेषकर लड़कों में)
- **संसाधनों और सहायता प्रणालियों तक पहुंच**
- निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति, गरीबी और बेरोजगारी
- सामाजिक संबंधों और सामाजिक पूंजी का अभाव
- व्यक्तित्व विशेषताएँ
- शराब और मादक द्रव्यों का सेवन
- अलगाव और अन्य परिस्थितिजन्य कारक
- **कानून का कोई डर नहीं: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और विशाखा दिशानिर्देश** जैसे कई कानून मौजूद हैं। दुर्भाग्य से, ये कानून महिलाओं की सुरक्षा और दोषियों को सज़ा दिलाने में नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि कानून में भी कई खामियाँ हैं। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत, कानून कहता है कि कंपनियों को एक वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, लेकिन इसके प्रारूप या दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।

- **जवाबदेही और दोषसिद्धि का अभाव:** कानून-व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं की जवाबदेही का अभाव और अपराधियों को दोषसिद्धि का अभाव महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि का कारण बनता है। महिला उत्पीड़न के आँकड़े एकत्र करने के लिए केंद्रीकृत तंत्र के अभाव के कारण, महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले उत्पीड़न के पैटर्न का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कानून का क्रियान्वयन खराब होता है।
- **पितृसत्ता:** शिक्षा के बढ़ते स्तर और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद, महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। लोग अपनी पितृसत्तात्मक मानसिकता से मुक्त नहीं हो रहे हैं। महिलाओं की बढ़ती आवाज़ों के कारण ऑनर किलिंग और घरेलू हिंसा में वृद्धि हो रही है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती दे रही है।
- **पुलिस की नाकामी:** पुलिस का उदासीन रवैया लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर करता है। पुलिस की देरी और अपराधियों को पकड़ने में असमर्थता महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देती है। यौन अपराध के खिलाफ कानूनों को लागू करने में राज्य पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के कई मामले सामने आए हैं।
- **सार्वजनिक सुरक्षा का अभाव:** आमतौर पर महिलाएं अपने घरों के बाहर सुरक्षित नहीं रहतीं। कई सड़कों पर रोशनी कम होती है और महिलाओं के लिए शौचालयों का अभाव है। भारतीय समाज में शराब पीने, धूम्रपान करने या पब जाने वाली महिलाओं को नैतिक रूप से भ्रष्ट माना जाता है, और गाँव की पंचायतों ने बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के लिए महिलाओं के मोबाइल फोन पर बात करने और बाज़ार जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को ज़िम्मेदार ठहराया है।
- **अधिक रिपोर्टिंग:** एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि **यौन अपराधों में 12% की वृद्धि हुई है । महिलाओं द्वारा अपनी शर्म छोड़ने और अधिक महिलाओं के शिक्षित होने के कारण, अपराधों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है। #MeToo आंदोलन** में देखा गया कि अधिक महिलाएं अपनी आवाज़ उठा रही हैं। इसके कारण दर्ज मामलों में वृद्धि हुई है, जैसा कि NCRB की रिपोर्ट में दर्शाया गया है।
- **सुस्त न्यायिक व्यवस्था:** न्यायाधीशों की कमी के कारण भारत की न्यायिक व्यवस्था बेहद धीमी है। देश में प्रति दस लाख लोगों पर लगभग 15 न्यायाधीश हैं। इससे न्याय में देरी होती है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था अपराधियों की जाँच, उन पर मुकदमा चलाने और उन्हें सज़ा देने में विफल रही है, साथ ही पीड़ितों को प्रभावी राहत प्रदान करने में भी विफल रही है।
- **पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ:**
- **महिला जननांग विकृति:** इससे मृत्यु, बांझपन, तथा दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात के साथ-साथ शारीरिक कष्ट भी बढ़ सकता है।
- **एसिड हमले:** एसिड हमले महिलाओं और लड़कियों को विकृत करने और कभी-कभी उनकी हत्या करने के लिए एक सस्ते और आसानी से उपलब्ध हथियार के रूप में उभरे हैं, जिसके पीछे पारिवारिक झगड़े, दहेज की मांग को पूरा करने में असमर्थता और विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार करने जैसे विभिन्न कारण हो सकते हैं।
- **परिवार के सम्मान के नाम पर हत्या:** बांग्लादेश, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, पाकिस्तान, तुर्की और भारत सहित दुनिया के कई देशों में, महिलाओं को परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए विभिन्न कारणों से मार दिया जाता है, जैसे - कथित व्यभिचार, विवाह पूर्व संबंध (यौन संबंधों के साथ या बिना), बलात्कार, किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो जाना जिसे परिवार अस्वीकार करता है, जो परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा संबंधित महिला की हत्या को उचित ठहराता है।
- **कम उम्र में विवाह:** लड़की की सहमति से या उसके बिना कम उम्र में विवाह करना हिंसा का एक रूप है, क्योंकि यह लाखों लड़कियों के स्वास्थ्य और स्वायत्तता को कमजोर करता है।
- **न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन तंत्र:** एक असंवेदनशील, अक्षम, भ्रष्ट और गैर-जवाबदेह न्यायिक प्रणाली और कानून प्रवर्तन तंत्र विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने में विफल रहता है।
- **महिलाओं के प्रति प्रतिकूल सामाजिक-सांस्कृतिक कारक: लिंग भूमिकाओं की रूढ़िबद्ध धारणाएं** सदियों से जारी रही हैं।
- महिलाओं की प्राथमिक भूमिकाएं **विवाह और मातृत्व** रही हैं ।
- महिलाओं को विवाह करना ही होगा क्योंकि अविवाहित, अलग या तलाकशुदा होना एक कलंक है।
- भारतीय विवाहों में **दहेज प्रथा** आज भी प्रचलित है।

कानूनी प्रावधान:

- **पोक्सो:**
- **नाबालिगों की सुरक्षा के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO)** कानून बनाया गया था।
- यह उन पहले कानूनों में से एक है जो लिंग-तटस्थ हैं।
- **आईपीसी:**
- भारतीय **दंड संहिता (आईपीसी)** में कई कड़े प्रावधान हैं।
- निर्भया मामले के बाद न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों पर 2013 में संहिता में संशोधन किए गए।
- संशोधनों से संहिता और अधिक कठोर हो गई है।
- **पॉश अधिनियम:**
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन **उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (POSH अधिनियम) 2013 में लागू किया गया था**
- यह एक व्यापक कानून है जो कार्यस्थल पर प्रत्येक महिला को यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और सक्षम वातावरण प्रदान करता है।
- **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005**
- **दहेज निषेध अधिनियम, 1961**
- **महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986**
- **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006**
- सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं, जो नीचे दी गई हैं:
- महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए **निर्भया कोष**
- **वन-स्टॉप सेंटर योजना,** हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करती है।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रैक करने के लिए पुलिस के लिए **"यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली"** नामक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण।
- **यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ)** कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा।
- महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलों के समन्वय हेतु गृह मंत्रालय ने **महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की है।**

सुझाव:

- **लिंग संवेदीकरण:**
- भावी पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के बारे में लड़कों और लड़कियों को बहुत कम उम्र से ही जानकारी दी जानी चाहिए।
- परिवारों में माता-पिता और उनके बच्चों के बीच अधिकार और सम्मान का रिश्ता भी होना चाहिए।
- घर में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जब घर में महिलाओं का सम्मान होता है, तो बच्चे भी महिलाओं के सम्मान के महत्व को समझते हैं। माता-पिता अपने बेटे और बेटियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकते।
- **कलंक लगाना बंद करें:**
- हिंसा के पीड़ितों से जुड़े कलंक को समुदाय तक पहुंच कार्यक्रमों के माध्यम से ठोस रूप देकर दूर किया जाना चाहिए।
- परिवार-केंद्रित प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और अपनाना जो लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देती हैं, और सफलतापूर्वक स्कूली शिक्षा पूरी करने और शैक्षिक विकल्प चुनने के अवसर सुनिश्चित करती हैं।
- **कानूनी साक्षरता** :
- स्थानीय समुदाय स्तर पर नियमित एवं व्यवस्थित आधार पर शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।

- लोगों को जीरो एफआईआर के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- **उचित परामर्श**
- घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट वाली विशेष अदालत
- सरकार को मौजूदा कानूनों का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए।
- पुलिस को संकटग्रस्त महिलाओं के प्रति सम्मानजनक और विनम्र व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- **अन्य:**
- मीडिया का उपयोग अधिकारियों और जनता को हिंसा के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए किया जाना चाहिए ताकि सामान्य रूप से महिलाओं और विशेष रूप से महिला पीड़ितों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके।
- साथी हिंसा से निपटने के लिए हस्तक्षेप का आकलन करने हेतु अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना।

शिक्षा

- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता की गति में वृद्धि देखी गई है (2001 में 46.13% से 2011 में 58.75%)** , लेकिन फिर भी, ग्रामीण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शैक्षिक अवसरों के मामले में **बहुत असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है ।**
- पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, जबकि **महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है,** अर्थात पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 16.95% का अंतर है।
- अनुमान बताते हैं कि **ग्रामीण भारत में प्रत्येक 100 लड़कियों में से केवल एक ही 12वीं कक्षा तक पहुंच पाती है और लगभग 40% लड़कियां पांचवीं कक्षा तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं।**
- प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 94.32% है, जबकि लड़कों के लिए यह 89.28% है, माध्यमिक स्तर पर 81.32% है, जबकि लड़कों के लिए यह 78% है, तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों ने 59.7% का स्तर हासिल किया है, जबकि लड़कों के लिए यह केवल 57.54% है।
- स्वच्छ भारत मिशन के कारण, लगभग 14 लाख स्कूलों में अब लड़कियों के लिए शौचालय उपलब्ध हैं, जो 2013-14 की तुलना में 4.17% की वृद्धि है। इस मिशन के प्रभाव से 2013-14 की तुलना में 2018-19 में लड़कियों के नामांकन में 25% की वृद्धि हुई है।
- एनआईटी में लड़कियों की संख्या 2017-18 में 14.11% से बढ़कर 2019-20 में 17.53% हो गई है और आईआईटी में बी.टेक कार्यक्रमों के लिए 2016 में कुल छात्र संख्या के 8% से बढ़कर 2019-20 में 18% हो गई है।
- एनसीईआरटी की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, **ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षकों में महिलाओं की संख्या केवल 23% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 60% है** । इससे स्पष्ट है कि विशेष रूप से ग्रामीण भारत में सक्षम और योग्य महिला शिक्षकों की भारी कमी है।
- यद्यपि छात्राओं के नामांकन का अनुपात बढ़ रहा है, फिर भी उनमें स्कूल छोड़ने की उच्च दर एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
- 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स फॉर वीमेन' 2018 रिपोर्ट के अनुसार, पहले से कहीं अधिक महिलाएं आज शिक्षित हैं और श्रम बाजार में भाग ले रही हैं।

भारत में महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दे:

- पारंपरिक भारतीय समाज में बेटों को संपत्ति माना जाता है जबकि लड़कियों को दायित्व माना जाता है, इसलिए उनकी शिक्षा पर खर्च को प्राथमिकता नहीं माना जाता।
- पारंपरिक भारतीय समाज के अनुसार, समाज में महिला की भूमिका केवल घर और बच्चों की देखभाल करना है, जिसके लिए किसी स्कूली शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।

- ऐसी चिंता है कि यदि महिला शिक्षित होगी तो वह कमाने लगेगी और स्वतंत्र हो जाएगी, जिससे पुरुष के अहंकार को ठेस पहुंच सकती है।
- भारतीय समाज की संरचना पितृसत्तात्मक है जिसमें सब कुछ पुरुषों के इर्द-गिर्द घूमता है और महिलाओं की भूमिका नगण्य हो जाती है।
- गरीब परिवारों में बालिकाओं को अपने भाई-बहनों की देखभाल के साथ-साथ घर के कामकाज भी करने पड़ते हैं, इसलिए उनके पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन और समय नहीं होता।
- इसके अलावा, स्कूलों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए खराब स्वच्छता की स्थिति उन्हें स्कूली शिक्षा में दाखिला लेने से रोकती है।
- सड़कों की कमी, गांव से स्कूल की दूरी आदि जैसी बुनियादी संरचना संबंधी समस्याएं महिलाओं की शिक्षा में बाधा बनती हैं।

महिलाओं को शिक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **स्वास्थ्य सुविधाएं:**
  - महिला साक्षरता समाज के स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण में सुधार लाने के लिए सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है।
  - यह सुनिश्चित करने से कि बालिकाएं शिक्षित हों, एक सकारात्मक श्रृंखला शुरू होती है; साक्षरता में सुधार के परिणामस्वरूप विवाह की आयु में देरी होती है, बच्चे कम और स्वस्थ होते हैं, तथा गरीबी में भी कमी आती है।
- **गरीबी:**
  - महिला शिक्षा, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करती है।
  - भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 2018 में 26% के निम्न स्तर पर है।
  - इस प्रकार महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है।
  - इसके अलावा, महिलाओं में शराब पीने जैसी बुरी आदतें कम होती हैं और वे अक्सर बचत करने की प्रवृत्ति रखती हैं।
- **सामाजिक विकास:**
  - महिलाओं की शिक्षा से समाज के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।
  - 1968 के कोठारी आयोग ने शिक्षा को सामाजिक विकास के साधन के रूप में अनुशंसित किया।
  - महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर भारत सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
- **लैंगिक समानता:**
  - महिलाएँ समाज के वंचित वर्ग का हिस्सा हैं। शिक्षा समाज में लैंगिक अंतर को कम करने में मदद करेगी।
  - सह-शिक्षा संस्थान बच्चों को महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखने में मदद करेंगे।
- **आर्थिक उत्पादकता:**
  - इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा।
- **शिशु मृत्यु दर में कमी:**
  - एक सुशिक्षित महिला के पास अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए बेहतर निर्णय लेने की अधिक संभावना होगी।
  - अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं में साक्षरता बढ़ने से शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी।
- **समाज का समावेशी विकास:**
  - एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, भारत समाज के सभी वर्गों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए प्रयासरत है और शिक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका है।
- **महिला सशक्तिकरण:**
  - शिक्षा महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली साधन है।
  - लंबे समय से महिलाएँ अपने अधिकारों से वंचित रही हैं। खुद को शिक्षित करके वह समाज में अपना स्थान बना सकती हैं।
- **लोकतंत्र को मजबूत करना:**

- शिक्षा से महिलाओं में जागरूकता आएगी जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और अंततः लोकतंत्र को मज़बूती मिलेगी। वे लामबंदी के ज़रिए अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकेंगी।

महिला शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी उपाय

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना:** इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और बालिकाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। इस अभियान का प्रारंभिक उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को कम करना था, लेकिन इसमें बालिकाओं की शिक्षा, जीवन रक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना भी शामिल है।
- **डिजिटल जेंडर एटलस:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक डिजिटल जेंडर एटलस तैयार किया है।
- **माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई):** इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करने तथा माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करना है।
- **सर्व शिक्षा अभियान:** प्रारंभिक शिक्षा में लड़कियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान ने लड़कियों के लिए हस्तक्षेप को लक्षित किया है जिसमें स्कूल खोलना, अतिरिक्त महिला शिक्षकों की नियुक्ति, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, शिक्षकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं।
- **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)** : इसका उद्देश्य प्रत्येक बस्ती से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना है।
- **उड़ान:** सीबीएसई ने ग्यारहवीं और बारहवीं की छात्राओं को तैयारी के लिए मुफ़्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराने हेतु 'उड़ान' योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन अनुपात को कम करना है।
- **STEM शिक्षा:** STEM शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, IIT और NIT में अतिरिक्त सीटें सृजित की गई हैं।

सुझाव

- महिला शिक्षा के महत्व के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाना।
- छात्राओं की सुविधा के अनुरूप अनौपचारिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम एवं योग्य महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करना।
- गांवों में स्कूलों की स्थापना और समुचित संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- छात्राओं एवं महिला शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा के पक्ष में अनुकूल वातावरण बनाने में जनसंचार माध्यमों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- विकलांग बालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था एवं प्रावधान किए जाने चाहिए।
- महिला शिक्षा की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

स्वास्थ्य

- भारत में महिलाओं को भारी लैंगिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में असुविधाएं होने की संभावना अधिक होती है, विशेषकर जब स्वास्थ्य देखभाल की बात आती है।
- **कुपोषण, बुनियादी स्वच्छता का अभाव, तथा बीमारियों के उपचार की कमी,** ये सभी भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी में योगदान करते हैं।
- यहां महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे दिए गए हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **प्रतिरक्षा**

- टीकाकरण गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारियों के हानिकारक अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।
- उनके महत्व पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा सकता।
- यूनिसेफ के अनुसार, भारत में 7.4 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है - यह विश्व में सबसे बड़ी संख्या है।
- दुर्भाग्यवश, बच्चों को टीका लगाया जाए या नहीं, इसमें लिंग भी भूमिका निभाता है, तथा लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम टीके लगाए जाते हैं।

कुपोषण

- ऐसा माना जाता है कि विकासशील देशों में भारत उन देशों में से एक है जहां कुपोषित महिलाओं की दर सबसे अधिक है।
- यह उन परिस्थितियों में विशेष रूप से गंभीर है जहां आर्थिक असमानता व्याप्त है, जिसके कारण गरीब नागरिकों को पर्याप्त भोजन या पर्याप्त पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता है।
- कुपोषण के कारण व्यक्ति संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिसके कुछ मामलों में, जैसे निमोनिया और तपेदिक, घातक परिणाम हो सकते हैं।
- खराब पोषण से मातृ स्वास्थ्य और शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।

मातृ स्वास्थ्य देखभाल

- भारत में खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण बहुत सी महिलाओं की पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सीमित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, साथ ही मां की घर, समाज या यहां तक कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण, उत्पादक जीवन जीने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
- कई क्षेत्रों में गरीबी, पिछड़ी प्रथाओं और विचारों तथा उचित चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी के कारण मातृ मृत्यु दर अभी भी अधिक है।

मासिक धर्म स्वच्छता

- अरबों लोगों के साथ, यह आश्चर्यजनक और निराशाजनक है कि भारत में केवल कुछ प्रतिशत महिलाओं को ही मासिक धर्म देखभाल के मामले में स्वच्छ स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त है।
- सांस्कृतिक रूप से, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मासिक धर्म को अस्वच्छता से जोड़ता है, और महिलाओं को अक्सर मासिक धर्म के दौरान धार्मिक स्थानों पर जाने या यहां तक कि भोजन बनाने से भी मना किया जाता है।
- यह आमतौर पर एक वर्जित विषय है, जिससे युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए गलत धारणाओं के दुष्चक्र से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है।
- आज भी, भारत में लाखों महिलाओं के पास सैनिटरी पैड्स की पहुँच नहीं है या वे उन्हें खरीदने का खर्च नहीं उठा सकतीं, क्योंकि वे महंगे होने के कारण कपड़े, पत्ते या भूसी जैसे अस्वास्थ्यकर तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। इससे संक्रमण, चकत्ते और बेचैनी हो सकती है।

स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में लैंगिक पूर्वाग्रह

- लिंग स्वास्थ्य के मुख्य सामाजिक निर्धारकों में से एक है - जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं - जो भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों और भारत में स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में लिंग की भूमिका का निर्धारण घरेलू और सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधन आवंटन की जांच करके किया जा सकता है।
- पितृसत्ता, पदानुक्रम और बहु-पीढ़ीगत परिवारों की सामाजिक ताकतें भारतीय लिंग भूमिकाओं में योगदान करती हैं।
- पुरुष अधिक विशेषाधिकारों और उच्च अधिकारों का उपयोग एक असमान समाज बनाने के लिए करते हैं, जिसमें महिलाओं के पास बहुत कम या कोई शक्ति नहीं बचती।
- यह पाया गया है कि भारतीय महिलाएँ अक्सर अपनी बीमारियों की रिपोर्ट कम करके बताती हैं। बीमारी की कम रिपोर्ट करने का कारण घर के भीतर मौजूद सांस्कृतिक मानदंड और लैंगिक अपेक्षाएँ हो सकती हैं।
- लिंग, प्रसवपूर्व देखभाल और टीकाकरण के उपयोग को भी नाटकीय रूप से प्रभावित करता है।

महिलाओं का स्वास्थ्य परिदृश्य

- **जन्म के समय लिंग अनुपात:** यूएनएफपीए **स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020** ने भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात का अनुमान 910 लगाया है, जो सूचकांक के निचले स्तर पर है।
- **किशोरियों का स्वास्थ्य:** किशोरावस्था में 70% लड़कियां एनीमिया से ग्रस्त होती हैं और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित उनकी समस्याओं का अक्सर समाधान नहीं हो पाता।
- **किशोर प्रजनन दर (एएफआर):** संयुक्त राष्ट्र किशोर प्रजनन दर (एएफआर) को प्रति 1,000 महिलाओं पर 15-19 वर्ष की आयु की महिलाओं द्वारा जन्म लेने वाले बच्चों की वार्षिक संख्या के रूप में परिभाषित करता है।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5** के अनुसार , सर्वेक्षण किये गये 22 राज्यों में से त्रिपुरा में प्रति 1,000 महिलाओं पर 69 जन्मों के साथ सबसे अधिक AFR दर्ज किया गया।
- सबसे कम किशोर प्रजनन दर गोवा में दर्ज की गई, जहां प्रति 1,000 महिलाओं पर 14 बच्चे पैदा हुए।
- **किशोरावस्था में गर्भधारण:** किशोरावस्था में गर्भधारण करने वाली लड़कियों की मृत्यु की संभावना तीन गुना ज़्यादा होती है। महिलाओं की प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- भारत में हर साल लगभग 113 महिलाएं किशोरावस्था में गर्भधारण के कारण बदनामी के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। इसके अलावा, ऐसी मौतों की रिपोर्टिंग भी कम ही की जाती है।
- **प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं:** भारत की 70% महिलाएं प्रजनन पथ के संक्रमण से पीड़ित हैं, जिसके कारण बांझपन, गर्भपात और इसी तरह की अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें सामान्य माना जाता है।
- **मातृ मृत्यु दर: मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को** एक निश्चित समयावधि के दौरान प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- देश की एमएमआर 2015-17 में 122 और 2014-2016 में 130 से घटकर 2016-18 में 113 हो गई।
- **महामारी के बीच महिलाएं:** जो महिलाएं महामारी के बीच अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही हैं, उनमें से कई के **पास ऐसे समय में पीपीई किट जैसी साधारण आवश्यकताएं भी नहीं हैं,** जिससे वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
- पीपीई पहनते समय महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी उत्पादों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। गर्भनिरोधक की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है।
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के अलावा, संक्रमित होने वाली महिलाओं को भी दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें **न केवल अपनी देखभाल करनी होती है, बल्कि परिवार के अन्य संक्रमित सदस्यों की भी देखभाल करनी होती है।**
- यहां तक कि कोविड-19 से पीड़ित महिलाएं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके **भर्ती होने के दिनों की औसत संख्या उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत कम है।**
- स्कूल छोड़ने वालों में अधिकांश लड़कियां हैं।

महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकारी पहल

- **स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र:** भारत में लगभग 76,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र हैं जो 5 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करते हैं; उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर, मुख कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर।
- इन स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में आने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 46.4 करोड़ है। इनमें से 24.91 करोड़ यानी 53.7% महिलाएं हैं।
- **किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम: राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम** के तहत किशोरियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है।
- यह कार्यक्रम लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर (एलजीबीटीक्यू) सहित सभी किशोरों तक पहुंचने पर केंद्रित है।

- **सहायक नर्स मिडवाइफ: सहायक नर्स मिडवाइफ** , जिसे आमतौर पर एएनएम के रूप में जाना जाता है, भारत में एक गांव स्तर की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसे समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच पहले संपर्क व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।
- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई): जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)** के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है ।
  - इसे 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था और इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
  - जेएसवाई 100 प्रतिशत **केन्द्र प्रायोजित योजना** है और यह प्रसव एवं प्रसवोत्तर देखभाल के साथ नकद सहायता को एकीकृत करती है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई): पीएमएमवीवाई** गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक योजना है।
  - इस योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ को पार कर गई है।
  - यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक खाते में सीधे नकद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई की जा सके।

भारत में कुपोषण की स्थिति

- औसतन **, पाँच वर्ष से कम आयु की बालिकाएँ अपने सहपाठियों की तुलना में अधिक स्वस्थ होती हैं**। हालाँकि, **समय के साथ, भारत में वे कुपोषित महिलाओं में बदल जाती हैं।**
- भारतीय वयस्कों में कुपोषण और एनीमिया आम बात है।
- भारत में प्रजनन आयु की एक चौथाई महिलाएं कुपोषित हैं, जिनका **बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 18.5 किलोग्राम/मी से कम है** (स्रोत: एनएफएचएस 4 2015-16)।
- 1998-99 से महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया दोनों में वृद्धि हुई है।
- बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) के अनुसार, **33% विवाहित महिलाएं और 28% पुरुष बहुत पतले हैं । बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) ऊंचाई और वजन माप से प्राप्त एक संकेतक है।**
- कम वजन की समस्या गरीब, ग्रामीण आबादी, अशिक्षित वयस्कों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में सबसे आम है।
- **2% महिलाएं और 24.3% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं** , तथा उनके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम है।
- 1998-99 से अविवाहित महिलाओं में एनीमिया की दर बढ़ी है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया 50% से बढ़कर लगभग 58% हो गया है।

पोषण संबंधी स्थिति में लिंग अंतर के विभिन्न कारण हैं

- **पितृसत्तात्मक मानसिकता:** सामाजिक प्रगति के बावजूद, महिलाएँ अब भी बड़े पैमाने पर पुरुषत्व द्वारा परिभाषित व्यवस्थाओं से गुज़र रही हैं। वर्ग और जातिगत पदानुक्रम पितृसत्तात्मक पकड़ को और मज़बूत करते हैं, जिससे महिलाओं के लिए भेदभाव से बचना मुश्किल हो जाता है।
- **शीघ्र विवाह:** इससे उन्हें आयरन युक्त आहार से वंचित होना पड़ता है तथा शीघ्र यौन संबंध और बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है।
- **निम्न सामाजिक स्थिति:** बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना बालिकाओं के स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है।

- **कम आहार विविधता:** भारत में महिलाओं का आहार अक्सर उनकी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत खराब होता है। आयरन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
- **गरीबी:** कम आय के कारण लोगों को भोजन की कम उपलब्धता होती है।
- **कम साक्षरता:** माताओं और बालिकाओं में कम साक्षरता के कारण उन्हें कम पौष्टिक आहार और शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है।
- **जागरूकता का अभाव:** विशेष पोषण और विटामिन के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी स्थिति को बदतर बना देती है।
- **महिलाओं की प्रजनन संबंधी जीवविज्ञान तथा स्वास्थ्य देखभाल और उचित दवाओं तक पहुंच का अभाव:** जब माताएं गर्भधारण के बीच बहुत कम अंतराल रखती हैं और कई बच्चे पैदा करती हैं, तो इससे पोषण की कमी बढ़ सकती है, जो बाद में उनके बच्चों में भी आ जाती है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराएं और घरेलू कार्य पद्धति में असमानताएं भी महिलाओं के कुपोषित होने की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं।

कुपोषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.
- मध्याह्न भोजन योजना.
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)।
- माँ का परम स्नेह.
- सबला.
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) का उद्देश्य 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" सुनिश्चित करना है।
- बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा को मजबूत बनाया जाए।

सुझाव

- महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार से परिवार और नवजात शिशुओं के समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
- चूंकि वंचित वर्ग की आय का एक बड़ा हिस्सा चिकित्सा उपचार पर खर्च होता है, इसलिए महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार से घरेलू खर्च में भारी कमी आ सकती है।
- परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, साथ ही लड़कियों की शिक्षा, आमतौर पर महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर और कम प्रजनन दर का परिणाम होती है।

कम महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

- भारत में महिला श्रमबल भागीदारी विश्व में सबसे कम है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 से पता चला है कि **भारतीय कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 24% है** ।
- **कार्यबल में महिलाओं की वैश्विक हिस्सेदारी 40% है, जिसका अर्थ है कि भारत औसत से काफी नीचे** है ।
- मैकिन्ज़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा 2015 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, **भारत अपने कार्यबल में अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 60% तक बढ़ा सकता है।**
- जबकि **37.1 प्रतिशत युवा श्रम बल में हैं, पुरुषों (57.1 प्रतिशत)** और **महिलाओं (12.7 प्रतिशत)** की भागीदारी दर में भारी अंतर है ।
- भारत में समन्वित श्रम संरचना और लैंगिक समानता का अभाव है।
- **भारत में हर 4 में से 3 महिलाएं किसी भी मान्यता प्राप्त आर्थिक गतिविधि में भाग नहीं लेती हैं।**

- ऐसे परिदृश्य में, जब हमारे आधे से अधिक युवा औपचारिक श्रम बल में भाग नहीं लेते, भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को महसूस करना कठिन है।
- भारत के कार्यबल में लैंगिक अंतर को कम करने के तरीकों में से एक देश के 253 मिलियन युवाओं (15-24 वर्ष की आयु) पर ध्यान केंद्रित करना है, जिनमें से 48.5 प्रतिशत युवा महिलाएं हैं।
- **2004 और 2018 के बीच -** शैक्षिक उपलब्धि में घटते लिंग अंतर के विपरीत - कार्यबल भागीदारी में लिंग अंतर कम नहीं हुआ, जिससे महिलाओं के लिए सबसे कम श्रम भागीदारी दरों में से एक प्रदर्शित हुई, जो 1950 के बाद से लगातार घट रही है।
- **हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस),** 2018-19 पुरुषों और विशेषकर महिलाओं के लिए पूर्ण रोजगार में नाटकीय गिरावट दर्शाता है, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी दर (2011 से 2019 तक) में 35.8% से 26.4% की गिरावट का सामना करना पड़ा, और शहरी क्षेत्रों में लगभग 20.4% पर स्थिरता रही ।
- **ऑक्सफैम की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, लिंग-आधारित वेतन अंतर एशिया में सबसे ज़्यादा है,** जहाँ महिलाएँ पुरुषों से 34% कम हैं (समान योग्यता और काम के मामले में)। भारत के समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की गारंटी के बावजूद, यह महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी को बाधित करता है।
- **भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं की संख्या असमान रूप से अधिक है,** तथा वे कम वेतन वाली, अत्यधिक अनिश्चित नौकरियों में संकेन्द्रित हैं।
- **कृषि में लगभग 60% महिलाएं कार्यरत हैं,** जो लगभग पूर्णतः अनौपचारिक क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों का बड़ा हिस्सा हैं, जिनके पास ऋण की कोई सुविधा नहीं है, सब्सिडी नहीं है, उपकरण बहुत कम हैं, तथा संपत्ति का स्वामित्व बहुत कम है।
- **इंडियास्पेंड के अनुसार, 2019 में केवल 13% महिला किसानों के पास ही अपनी जमीन थी।**

भारत में महिला श्रम शक्ति के समक्ष चुनौतियाँ

- **आर्थिक सशक्तिकरण का अभाव:**
  - विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 51% है, जबकि पुरुषों के लिए यह 80% है। **नवीनतम पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में यह 23%** है ।
  - वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और कम वेतन वाली नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। **ऑक्सफ़ोर्ड** सर्वेक्षण से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर **केवल 19% फर्मों** में ही महिला वरिष्ठ प्रबंधक हैं।
- **उत्पादक पूंजी तक पहुंच:**
  - महिलाओं के लिए खेती, व्यवसाय शुरू करने या अन्य विकास कार्यों के लिए धन और पूंजी प्राप्त करना कठिन है।
  - **महिलाओं को अनौपचारिक नेटवर्क तक पहुंच की कमी होती है** जो उच्च-प्रोफ़ाइल परियोजनाओं में काम करने के अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें विदेश में सम्मेलनों में भाग लेना या नौकरी के अवसर शामिल हैं।
- **नियमित रोजगार का संकट:**
  - जब महिलाओं को श्रमिक के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो इसका कारण रोजगार के अवसरों की कमी होती है, न कि श्रम बल से किसी "वापसी" का परिणाम।
  - महामारी और लॉकडाउन के दौरान नियमित रोजगार का यह संकट और भी बढ़ गया होगा।
- **महिलाओं के लिए आवश्यक विशेष मानदंडों की पूर्ति न होना:**
  - युवा और अधिक शिक्षित महिलाएं अक्सर काम की तलाश नहीं करतीं, क्योंकि वे कुशल गैर-कृषि कार्य की आकांक्षा रखती हैं, जबकि वृद्ध महिलाएं शारीरिक श्रम करने के लिए अधिक इच्छुक होती हैं।
  - अधिकांश देशों में महिलाओं की **माध्यमिक शिक्षा** पुरुषों की तुलना में कम है, जबकि भारत में यह **80% से भी कम है।**
- **असमान वेतन:**
  - कुछ अपवादों को छोड़कर, महिलाओं का वेतन पुरुषों के वेतन के बराबर कभी नहीं होता।

- वैश्विक स्तर पर महिलाएं अभी भी पुरुषों की तुलना में 20% कम कमाती हैं। हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 34** प्रतिशत के लैंगिक वेतन अंतर के साथ सबसे निचले पाँच देशों में शामिल था ।
- अर्थात् समान योग्यता के साथ समान कार्य करने के लिए **महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 34 प्रतिशत कम वेतन मिलता है।**
- महिला और पुरुष वेतन के बीच का अंतर गैर-कृषि कार्यों में सबसे अधिक है - जो रोजगार का नया और बढ़ता स्रोत है।
- **ग्लास छत प्रभाव:**
- **कॉर्पोरेट्स** : महिलाएं अभी भी पुरुषों की तुलना में औसतन 79 प्रतिशत कमाती हैं, फॉर्च्यून 500 के सीईओ पदों में से केवल 5 प्रतिशत पर उनका कब्जा है, तथा वैश्विक बोर्ड पदों में औसतन 17 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- जब बात **सहकर्मियों से मान्यता** की आती है तो महिलाएं नुकसान में रहती हैं, क्योंकि उन्हें कम समर्थन मिलता है।
- मैकिन्जी की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल जैसी कंपनियों में भी महिलाओं को उनके प्रजनन संबंधी विकल्पों के कारण पदोन्नति में नजरअंदाज किया जाता है।
- महिलाओं को कार्यस्थल पर भी उसी प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है जैसा कि वे समाज में करती हैं।
- एक्सेंचर की हालिया **शोध रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कॉरपोरेट जगत में लिंग वेतन अंतर 67 प्रतिशत** तक है ।
- **महिलाओं का अत्यधिक लम्बा कार्यदिवस:**
- सभी प्रकार के कार्यों को शामिल करें - आर्थिक गतिविधि और देखभाल संबंधी कार्य या खाना पकाने, सफाई, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल संबंधी कार्य - तो एक महिला का कार्यदिवस बहुत लंबा और कठिन परिश्रम से भरा होता है।
- एफएएस समय-उपयोग सर्वेक्षण में, महिलाओं द्वारा काम किए गए कुल घंटे (आर्थिक गतिविधि और देखभाल में) पीक सीजन में अधिकतम 91 घंटे (या प्रतिदिन 13 घंटे) तक थे।
- कोई भी महिला सप्ताह में 60 घंटे से कम काम नहीं करती।
- **सुरक्षा मुद्दे:**
- **कार्य स्थल पर सुरक्षा और उत्पीड़न के बारे में चिंताएं** , स्पष्ट और अंतर्निहित दोनों।
- **सामाजिक आदर्श:**
- घरेलू काम-काज से जुड़े सामाजिक मानदंड महिलाओं की गतिशीलता और वेतनभोगी कामों में भागीदारी के ख़िलाफ़ हैं। **बच्चे को जन्म देना और बुज़ुर्ग माता-पिता या ससुराल वालों की देखभाल करना,** उन बाद के पड़ावों में शामिल हैं जहाँ महिलाएँ रोज़गार की तलाश से बाहर हो जाती हैं।
- **घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं के बारे में सांस्कृतिक धारणा** इतनी मजबूत है कि अधिकांश पारंपरिक भारतीय परिवारों में, शादी से पहले काम छोड़ना एक आवश्यक शर्त है।
- जब **परिवार की आय में वृद्धि होती** है, तो सांस्कृतिक कारकों के कारण महिलाएं परिवार की देखभाल करने के लिए काम छोड़ देती हैं और बाहर काम करने के कलंक से बच जाती हैं।
- **सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता:** ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्वे में पुरुषों को "रोज़गार कमाने वाली" और नौकरीपेशा महिलाओं को "करियर वाली महिला" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि ज़्यादातर अवैतनिक काम महिलाओं का काम माना जाता है।
- **गहराई से जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रह:** विडंबना यह है कि यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में मौजूद है – वास्तविक समानता के विरुद्ध। पीआईएसए परीक्षण के आंकड़ों के अनुसार, यह धारणा कि "लड़के गणित में बेहतर होते हैं" निराधार है। फिर भी यह धारणा अभी भी मौजूद है।
- **मातृत्व दंड:**
- कई महिलाएं जो कार्यबल में शामिल होती हैं, वे बच्चे के जन्म के बाद पुनः शामिल नहीं हो पातीं।
- ऐतिहासिक कानून मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017, जो महिलाओं को 26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है, एक बड़ी बाधा बन रहा है, क्योंकि स्टार्ट-अप और एसएमई उन्हें काम पर रखने के लिए अनिच्छुक हो गए हैं।
- **उचित अवसर का अभाव:**

- एनएसएसओ के अनुसार, भारत की जनसंख्या में शहरी पुरुषों की हिस्सेदारी 16% है, लेकिन 2011-12 में कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में 77% नौकरियां शहरी पुरुषों के पास थीं।
- इससे पता चलता है कि किस प्रकार लिंग कुछ विशेष नौकरियों के लिए भेदभावपूर्ण कारक बन गया है।

सुझाव:

- **महिलाओं के लिए गैर-कृषि रोजगार सृजन:**
- ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में गैर-कृषि आधारित रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है।
- **बाल देखभाल सुविधा:**
- स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से कस्बों और शहरों में अधिक शिशुगृह खोलने चाहिए ताकि बच्चों वाली महिलाएं बाहर निकलकर काम कर सकें।
- क्रेच से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।
- **शिक्षा और सशक्तिकरण:**
- शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र में अधिक व्यय से मानव पूंजी में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देकर महिला श्रम बल में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।
- **कौशल विकास:**
- स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और कॉर्पोरेट बोर्ड से लेकर पुलिस बल तक नए लिंग-आधारित कोटा जैसी पहल सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। लेकिन हमें कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार सहायता में निवेश करने की ज़रूरत है।
- निजी क्षेत्र भी महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।
- *उदाहरण के लिए,* यूनिलीवर के शक्ति कार्यक्रम ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षित किया, ताकि वे ग्रामीण भारत में अपने ब्रांड उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद बेच सकें।
- **समान वेतन:**
- भारतीय कानून द्वारा संरक्षित समान मूल्य के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक के सिद्धांत को वास्तविक व्यवहार में लाया जाना चाहिए।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर वेतन-पारदर्शिता और लिंग-तटस्थ नौकरी मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- **कार्य तक सुरक्षित पहुंच:**
- मौजूदा परिवहन और संचार नेटवर्क में सुधार करना तथा काम के लिए यात्रा करने वाली या प्रवास करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

भारत में 'अदृश्य' महिला किसान

- खाद्य **एवं कृषि संगठन (एफएओ)** का कहना है कि यदि महिला किसानों को पुरुषों के समान संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो, तो वे **उत्पादन में 20-30% की वृद्धि** कर सकती हैं , जिसका अर्थ होगा कि भुखमरी में नाटकीय कमी आएगी।
- इससे विकासशील देशों में कुल कृषि उत्पादन में 4% तक की वृद्धि हो सकती है।
- **ग्रामीण भारत में लगभग 33% किसान महिलाएं हैं तथा लगभग 47% कृषि मजदूर महिलाएं हैं।**
- कुल मिलाकर, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत 84% है।
- **संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद महिलाओं के पास मात्र 12.8% भूमि है।**
- **प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने** बताया कि यह महिला ही थी जिसने पहली बार फसल पौधों को पालतू बनाया और इस तरह खेती की कला और विज्ञान की शुरुआत की।

- पिछले कुछ वर्षों में कृषि विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा कृषि, खाद्य सुरक्षा, बागवानी, प्रसंस्करण, पोषण, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान का धीरे-धीरे एहसास हो रहा है।
- महिलाओं ने भूमि, जल, वनस्पति और जीव-जंतुओं जैसी बुनियादी जीवन रक्षक प्रणालियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाती आ रही हैं। उन्होंने जैविक पुनर्चक्रण के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य की रक्षा की है और विभिन्न किस्मों की विविधता और आनुवंशिक प्रतिरोध को बनाए रखकर फसल सुरक्षा को बढ़ावा दिया है।
- घरेलू स्तर पर मुर्गीपालन में महिलाओं की हिस्सेदारी मुर्गीपालन उद्योग में केन्द्रीय है।
- भारत में महिला किसान बुवाई से लेकर कटाई तक, खेती के ज़्यादातर बड़े काम करती हैं, फिर भी संसाधनों तक उनकी पहुँच पुरुषों की तुलना में कम है। कृषि क्षेत्र में विकास की गति को तेज़ करने के लिए इस लैंगिक अंतर को पाटना ज़रूरी है।
- इस क्षेत्र की सहायक शाखाओं जैसे पशुपालन, मत्स्यपालन और सब्जी की खेती का संचालन लगभग पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर करता है।

महिला किसानों के सामने आने वाली समस्याएं:

- **अपरिचित:**
  - फसल की खेती, पशुधन प्रबंधन या घर पर महिला किसानों द्वारा किया गया काम अक्सर अनदेखा रह जाता है।
- **समर्थन का अभाव:**
  - उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए, सरकार द्वारा उन्हें मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन और ग्रामीण हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देने के प्रयास नगण्य हैं।
- **प्रतिनिधित्व का अभाव:**
  - महिला किसानों का समाज में शायद ही कोई प्रतिनिधित्व है और वे किसान संगठनों या कभी-कभार होने वाले विरोध प्रदर्शनों में कहीं भी नजर नहीं आतीं।
- **भूमि स्वामित्व नहीं:**
  - सबसे बड़ी चुनौती यह है कि महिलाएं जिस भूमि पर खेती करती रही हैं, उस पर स्वामित्व का दावा करने में असमर्थ हैं।
  - जनगणना 2015 के अनुसार, लगभग 86% महिला किसान भूमि पर संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं, जिसका कारण संभवतः हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है।
  - केवल 14% के पास भूमि है
- **ऋण सुविधा का अभाव:**
  - वित्त, इनपुट, विस्तार सेवाओं और भूमि अधिकारों के लिए प्रणालीगत बाधाओं ने कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य आधार के रूप में उनकी क्षमता और मान्यता को सीमित कर दिया है।
  - भूमि पर स्वामित्व का अभाव महिला किसानों को संस्थागत ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि बैंक आमतौर पर भूमि को संपार्श्विक के रूप में मान लेते हैं।
- **संसाधनों तक कम पहुंच:**
  - खेती को अधिक उत्पादक बनाने के लिए महिलाओं के पास संसाधनों और आधुनिक इनपुट (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) तक कम पहुंच है।
  - ऋण प्राप्त करना, मंडी पंचायतों में भाग लेना, फसल पैटर्न का आकलन और निर्णय करना, जिला अधिकारियों, बैंक प्रबंधकों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना, और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य), ऋण और सब्सिडी के लिए सौदेबाजी करना अभी भी पुरुषों की गतिविधियां हैं।
- **प्रवास:**
  - पिछले दशक में, जब खेती कम लाभदायक होती गई और छोटे तथा सीमांत किसान शहरों की ओर पलायन करने लगे, तो पूर्णकालिक महिला दिहाड़ी मजदूरों के लिए ग्रामीण नौकरियां कम हो गईं।

- जब पुरुष काम के लिए शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता।
- **किसान आत्महत्याएं:**
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2014 में 8,007 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें से 441 महिलाएं थीं।
- इसके अलावा, उस वर्ष 577 महिला मजदूरों ने आत्महत्या की।
- **मशीनीकरण का अभाव:**
- उपलब्ध डिज़ाइन किए गए कृषि उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से पुरुष किसानों द्वारा किया जाता है, और ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कम दक्षता, कठिन परिश्रम, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम और कम आय होती है।

सुझाव:

- **ऋण सुविधा:**
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की सूक्ष्म वित्त पहल के अंतर्गत बिना किसी जमानत के ऋण के प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, नाबार्ड का एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम
- **सामूहिक खेती:**
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक खेती की संभावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- कुछ स्वयं सहायता समूहों और सहकारी आधारित दैनिक गतिविधियों (राजस्थान में सरस और गुजरात में अमूल) द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया गया है।
- किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से इनका और अधिक अन्वेषण किया जा सकता है।
- **महिला-केंद्रित दृष्टिकोण:**
- कई राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित कृषि मशीनरी बैंकों और कस्टम हायरिंग केंद्रों को महिला किसानों को रियायती किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल किया जा सकता है।
- प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्रों को विस्तार सेवाओं के साथ-साथ नवीन प्रौद्योगिकी के बारे में महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।
- कृषि विस्तार प्रयासों से महिलाओं को खाद्य उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी, साथ ही उन्हें अपने श्रम का अधिक हिस्सा निर्यात उत्पादन में लगाने की अनुमति भी मिलेगी।
- **शिक्षा और जागरूकता:**
- दीर्घावधि में ग्रामीण विकास में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक योगदान को बढ़ाने के लिए कानूनी, वित्तीय और शैक्षिक प्रणालियों में परिवर्तन किए जाने चाहिए।
- महिलाओं को उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी और बाज़ारों से सम्पर्क तक सीधी पहुंच की आवश्यकता है।
- आज की डिजिटल दुनिया में, उन सूचना और संचार उपकरणों के बारे में गंभीरता से सोचना भी महत्वपूर्ण है जो उन महिला किसानों की मदद कर सकते हैं, जो बाजारों तक पहुंचने के लिए अधिक शारीरिक गतिशीलता का आनंद नहीं ले पाती हैं।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक असमानता

- **संयुक्त राष्ट्र की राजनीति में महिलाएं 2019 रिपोर्ट** के अनुसार कार्यकारी सरकार और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत **149वें** स्थान पर है ।
- आर्थिक **सर्वेक्षण 2018 में देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया गया है** , जिसमें कहा गया है कि 49% आबादी होने के बावजूद उनकी राजनीतिक भागीदारी कम है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2018 में कहा गया है कि **रवांडा जैसे विकासशील देश हैं जहां 2017 में संसद में 60% से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं** ।

- **17वीं लोकसभा तक केवल 14% महिलाएं थीं।**
- भारत में, 2010 और 2017 के बीच **निचले सदन** (लोकसभा) में **महिलाओं की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत बढ़ी ।**
- अक्टूबर 2016 तक देश भर में **कुल 4,118 विधायकों में से केवल 9 प्रतिशत** महिलाएं थीं।
- महिला विधायकों का सबसे अधिक प्रतिशत बिहार, हरियाणा और राजस्थान (14%) से आता है, इसके बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल (13%) और पंजाब (12%) का स्थान आता है।
- **घरेलू जिम्मेदारियां, समाज में महिलाओं की भूमिका के संबंध में प्रचलित सांस्कृतिक दृष्टिकोण और परिवार से समर्थन की कमी** जैसे कारक मुख्य कारणों में से थे, जिन्होंने उन्हें राजनीति में प्रवेश करने से रोका।
- **आत्मविश्वास की कमी और वित्तीय स्थिति** अन्य प्रमुख अवरोधक कारक थे, जो महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से रोकते थे।
- देश में किसी भी चुनाव अभियान से पहले, महिला उम्मीदवारों के खिलाफ **लैंगिकवादी और अपमानजनक टिप्पणियां** शुरू हो जाती हैं, कुछ मामलों में तो उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **1996 में महिला आरक्षण विधेयक** प्रस्तुत किया गया था , जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें चक्रीय आधार पर आरक्षित की जाएंगी, लेकिन यह विधेयक 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया।
- संविधान राज्यों को जनसंख्या के आधार पर कुल सीटें आवंटित करता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12% है, जो महिलाओं की वास्तविक जनसंख्या से बहुत कम है। इसलिए, निष्पक्षता के आधार पर, यह एक विसंगति है।

कम भागीदारी के कारण:

- **सामाजिक:**
  - घरेलू जिम्मेदारियां, समाज में महिलाओं की भूमिका के संबंध में प्रचलित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और परिवार से समर्थन की कमी जैसे कारक उन मुख्य कारणों में से थे, जिन्होंने उन्हें राजनीति में प्रवेश करने से रोका।
  - देश में किसी भी चुनाव अभियान से पहले, महिला उम्मीदवारों के खिलाफ लैंगिकवादी और अपमानजनक टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, कुछ मामलों में तो उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **किफायती:**
  - आत्मविश्वास की कमी और वित्तीय स्थिति अन्य प्रमुख अवरोधक कारक थे, जो महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से रोकते थे।

महिला नेता का महत्व:

- भारत में महिला विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आर्थिक प्रदर्शन को पुरुष विधायकों की तुलना में प्रति वर्ष **लगभग 1.8 प्रतिशत अंक अधिक बढ़ाती हैं ।**
- जब औसत वृद्धि 7% है, तो इसका तात्पर्य यह है कि महिला विधायकों से जुड़ा विकास प्रीमियम लगभग 25% है।
- **राजनीति में अपराधीकरण में कमी:** चुनाव लड़ते समय पुरुष विधायकों पर महिला विधायकों की तुलना में आपराधिक आरोप लंबित होने की संभावना लगभग तीन गुना ज़्यादा होती है। यही ऊपर बताए गए विकास अंतर की व्याख्या करता है।
- **नीति निर्माण** - नीति निर्माण में महिलाओं और बच्चों की चिंताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व। उदाहरण: पंचायत राज संस्थाएँ इस मोर्चे पर एक अच्छा उदाहरण हैं।
- **कम भ्रष्टाचार** : पद पर रहते हुए महिलाओं द्वारा संपत्ति संचय की दर पुरुषों की तुलना में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत कम है। ये निष्कर्ष प्रायोगिक साक्ष्यों से मेल खाते हैं कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक न्यायप्रिय, जोखिम-मुक्त होती हैं और आपराधिक तथा अन्य जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की संभावना कम होती है।
- **आर्थिक विकास** : यह पाया गया कि पुरुष और महिला राजनेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए संघीय परियोजनाओं पर बातचीत करने में समान रूप से सक्षम हैं। हालाँकि, इन परियोजनाओं के **पूरा होने की देखरेख करने की संभावना महिलाओं की** अधिक होती है ।

- **उदाहरण** : महिला-प्रधान निर्वाचन क्षेत्रों में अधूरी सड़क परियोजनाओं का हिस्सा 22 प्रतिशत कम है।
- नारीवादी दृष्टिकोण से राजनीति को ऐसे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है जो महिलाओं को पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक हाशिये से बाहर निकाले।
- महिलाओं के लिए इतने सारे अनुकूल बिंदुओं के बावजूद, **लोकसभा में महिलाओं की संख्या 14% और राज्यसभा में 11% है।**
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर इस बात के दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं कि निर्वाचित पदों पर महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व , निर्वाचित निकायों द्वारा ध्यान केन्द्रित की जाने वाली **प्रक्रिया तथा प्राथमिकताओं में संतुलन स्थापित करता है ।**
- नीतिगत शैलियों के संदर्भ में, महिलाओं को शामिल करने से सदन में प्रत्यक्ष टकराव के बजाय **पर्दे के पीछे चर्चा को बढ़ावा मिलता है ।**
- एजेंडा के संदर्भ में (जैसा कि रवांडा में मापा गया है), **पारिवारिक मुद्दों की एक व्यापक श्रृंखला से निपटा जाता है ।**
- एस्तेर डुफ्लो और राघबेन्द्र चट्टोपाध्याय (एनबीईआर वर्किंग पेपर 8615) ने दिखाया कि पश्चिम बंगाल में एक यादृच्छिक परीक्षण में, महिला प्रधान (ग्राम पंचायतों की प्रमुख) ग्रामीण महिलाओं की जरूरतों के लिए प्रासंगिक **बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करती हैं** , जिससे पता चलता है कि कम से कम स्थानीय स्तर पर परिणाम अलग हो सकते हैं।

सुझाव:

- भारत में राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग के नेतृत्व में प्रयास होना चाहिए।
- राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए आरक्षण एक अधिक व्यवहार्य विकल्प है।
- महिला आरक्षण विधेयक में संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा की परिकल्पना की गई है।
- जागरूकता, शिक्षा और रोल मॉडल महिलाओं को राजनीति की ओर प्रोत्साहित करते हैं और लैंगिक रूढ़िवादिता को मिटाते हैं जो महिलाओं को कमजोर प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं।
- समावेशी आर्थिक संस्थाएं और विकास, जो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक और उस पर निर्भर हैं, के लिए समावेशी राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता बढ़ाकर महिलाओं के नेतृत्व और संचार कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने और समाज में अपनी स्थिति सुधारने के लिए उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए।

महिलाओं के प्रजनन अधिकार

- प्रजनन अधिकारों के प्रति भारतीय राज्य का दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत स्वायत्तता को बढ़ाने और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के बजाय जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित रहा है, जो सेवाओं के प्रावधान में बाधाओं में परिलक्षित होता है।
- 1950 के दशक में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण उपायों को शीघ्र अपनाने के परिणामस्वरूप, भारत गर्भपात पर कानून बनाने और सशर्त गर्भपात को वैध बनाने वाले पहले देशों में से एक था।
- यद्यपि गर्भनिरोधक भी उपलब्ध कराए गए, लेकिन ध्यान अस्थायी अंतराल विधियों के बजाय नसबंदी के लक्ष्यों को पूरा करने पर था।
- इससे गर्भपात और गर्भनिरोधक के सार्वभौमिक प्रावधान से ध्यान हटकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए शीर्ष-स्तरीय लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित हो गया है।

महिलाओं के प्रजनन अधिकारों में शामिल हैं:

1. कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार;
2. जन्म नियंत्रण का अधिकार;
3. जबरन नसबंदी और गर्भनिरोधक से मुक्ति;

4. अच्छी गुणवत्ता वाली प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अधिकार; और
5. स्वतंत्र एवं सूचित प्रजनन विकल्प चुनने के लिए शिक्षा एवं पहुंच का अधिकार।

चिंताएँ:

- **चुनाव की स्वतंत्रता का अभाव:**
  - लाखों लोगों को मान्यता प्राप्त गर्भपात सेवाओं का उपयोग करने में संरचनात्मक, संस्थागत और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है - जैसे कि कलंक, कानून की जानकारी न होना, खर्च, गोपनीयता के बारे में भय और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों तक पहुंच की कमी।
  - ऐसी बाधाएं गरीब महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जो अक्सर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहती हैं।
- **जागरूकता की कमी**
  - कम उम्र में विवाह, कम उम्र में बच्चे पैदा करने का दबाव, परिवार में निर्णय लेने की शक्ति का अभाव, शारीरिक हिंसा, तथा यौन और पारिवारिक संबंधों में दबाव के कारण महिलाओं की शिक्षा कम होती है और परिणामस्वरूप उनकी आय भी कम होती है।
- **पितृसत्तात्मक मानसिकता**
  - जब तक अपेक्षित संख्या में पुत्रों का जन्म नहीं हो जाता, बच्चों के बीच उचित अंतराल न रखने से वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती है और उसके जीवन को खतरा हो जाता है।
  - यह भय कि शिक्षित महिलाओं को उनके पति और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उनके शिक्षा अधिकारों पर और अधिक अंकुश लगाता है।

सुझाव:

- **स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता:**
  - महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं, उनकी पोषण स्थिति, कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने के जोखिम पर ध्यान देना चिंता का एक संवेदनशील मुद्दा है और यदि महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है तो इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - साथ ही, बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- **कानूनी ढांचा:**
  - महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए प्रजनन अधिकार (संरक्षण) अधिनियम के रूप में कानून बनाने की आवश्यकता है, तथा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के सभी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वह चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित हो या जागरूकता पैदा करने से संबंधित हो या महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य नीतियां और कार्यक्रम बनाने से संबंधित हो।

महिलाएं और सोशल मीडिया

- आज का युग सोशल मीडिया का युग है, जिसकी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण की विचारधाराओं को तेज़ी से और व्यापक रूप से फैलाया है।
- सोशल मीडिया सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गया है, जिसने महिला सशक्तिकरण को विभिन्न पहलुओं में मदद और समर्थन दिया है, जैसे कि महिला अधिकारों के प्रति वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करना और दुनिया भर में भेदभाव और रूढ़िवादिता को चुनौती देना।
- सोशल मीडिया ने ब्लॉग, चैट, ऑनलाइन अभियान, ऑनलाइन चर्चा मंचों और ऑनलाइन समुदायों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है, जो मुख्यधारा के मीडिया द्वारा ज़्यादातर प्रसारित या प्रचारित नहीं किया जाता है।

महिलाओं के जीवन में सोशल मीडिया का महत्व

- सोशल मीडिया **आसानी से सुलभ** है और यह आज के इंटरनेट प्रेमी दर्शकों का मिलन स्थल भी है।
- **महिला अधिकार**
- **सोशल मीडिया और महिला अधिकारों के बीच निश्चित रूप से** एक ठोस संबंध मौजूद है
- सोशल मीडिया ने दरवाजे खोल दिए हैं और हर जगह हर किसी के लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया है, इस प्रकार किसी भी प्रकार के द्वार और गेटकीपिंग को समाप्त कर दिया है।
- स्वाभाविक रूप से, **महिलाओं के अधिकारों के** उल्लंघन और महिला अधिकार आंदोलनों को सोशल मीडिया की अद्वितीय जागरूकता बढ़ाने की क्षमता का तेजी से लाभ उठाया गया है।
- सोशल मीडिया महिलाओं के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक दमन आदि जैसे मुद्दों के खिलाफ अभियान चलाने का एक साधन बन गया है।
- **महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाना**
- इंटरनेट और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को **मिथकों और रूढ़ियों को चुनौती देने के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा** को रोकने के लिए नए मंच बनाने में सक्षम बना सकते हैं ।
- हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए हैशटैग आंदोलन
- सोशल मीडिया यौन हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए हैशटैग आंदोलनों को दिशा देने हेतु विचारों और अनुभवों पर चर्चा करने और साझा करने का एक मजबूत मंच है।
- यह महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा आगे आकर लैंगिक समानता के लिए लड़ने के लिए अभियान या रैली आयोजित करने का एक नया आयाम है।
- सोशल मीडिया के माध्यम से, दुनिया भर की महिलाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और लैंगिक समानता के लिए एक-दूसरे का समर्थन कर रही हैं।
- **ट्विटर का हैशटैग फ़ीचर** ख़ास तौर पर महिलाओं को उन मुद्दों पर आसानी से नज़र रखने और साझा चिंताओं के आधार पर गठबंधन बनाने की सुविधा देता है, चाहे वे तात्कालिक व्यक्तिगत ज़रूरतें हों या बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव की माँग। उदाहरण: #MeToo आंदोलन, #SelfieWithDaughter आदि।
- **महिला उद्यमी**
- सोशल मीडिया सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक बनता जा रहा है, जहां महिलाएं नई कंपनियां, उद्यम या स्टार्ट-अप शुरू कर सकती हैं, क्योंकि वे ग्राहकों और उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क और बातचीत कर सकती हैं।
- **महिला उद्यमी** सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग कर सकती हैं जो बहुत लागत प्रभावी है और इसे आसानी से चैनलाइज़ किया जा सकता है।
- नई प्रौद्योगिकी की मदद से सोशल मीडिया ने लाखों लोगों के लिए स्वयं के लिए ऑनलाइन नौकरियां ढूंढने या वैश्विक स्तर पर दूसरों के लिए व्यवसाय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- उदाहरण के लिए, श्रद्धा शर्मा Yourstory.com की संस्थापक और मुख्य संपादक हैं, जो स्टार्ट-अप के लिए एक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है और यह भारत की अग्रणी ऑनलाइन मीडिया तकनीक है, जिसने उद्यमियों की 12 भारतीय भाषाओं में 20,000 से अधिक कहानियां सुनाई हैं, जो हर महीने 10 मिलियन से अधिक पाठकों तक पहुंचती हैं।
- **आवाज़ों को सुनाना**
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर किसी मुद्दे या विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की लागत कम होती है। इससे ज़्यादा लोग इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और सरकारें भी ध्यान देने के लिए मजबूर होती हैं।
- यद्यपि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, फिर भी सोशल मीडिया, पारंपरिक शक्ति के साथ या उसके बिना, व्यापक पृष्ठभूमि से आने वाली व्यक्तिगत आवाजों को सुनने का अवसर प्रदान करके, समान अवसर प्रदान करता है।

- यह पारंपरिक मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई कमी को पूरा करता है, जहां महिलाओं को केवल 38% बायलाइन मिलती हैं।
- **वैश्विक समुदाय**
- **महिला-आधारित समुदाय** इस तरह से विकसित हो रहे हैं कि वे विशेष कंपनियों और भौतिक सीमाओं को पार कर, विभिन्न उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में महिला खिलाड़ियों को जोड़ते हैं।
- क्योंकि इंटरनेट ने हमें अलग करने वाली अनेक बाधाओं को दूर कर दिया है, इसलिए जो महिलाएं पहले अलग-थलग थीं, वे अब अपने क्षेत्र की उच्च-प्रोफ़ाइल वाली हस्तियों तक पहुंच सकती हैं और इसके विपरीत, आत्म-प्रचार के लिए एक सुलभ, अत्यधिक दृश्यमान मंच का निर्माण कर सकती हैं।
- ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को अवधारणाओं और प्रस्तावों का लाभ उठाने में अधिक कठिनाई होती रही है, लेकिन **सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग का परस्पर प्रभाव** इस प्रतिमान को बदल रहा है।
- उदाहरण के लिए, जुलाई 2020 में, महिलाओं ने इंस्टाग्राम पर अपनी ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरें "#challengeaccepted" कैप्शन के साथ पोस्ट कीं। इस चुनौती में भाग लेने वाली महिलाओं को एक अन्य महिला को नामांकित करना था और अपनी सेल्फी पोस्ट में उन्हें टैग करना था, और उन्हें अपनी एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर पोस्ट करने और किसी और को नामांकित करने की चुनौती देनी थी।
- **बाधाओं को तोड़ना**
- सोशल मीडिया सांस्कृतिक बाधाओं, कानूनी प्रतिबंधों, आर्थिक बाधाओं आदि को तोड़ता है, जिससे दुनिया भर की महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व संभव होता है, यहां तक कि उन देशों की महिलाओं का भी जो स्त्री-द्वेषी व्यवस्था का पालन करते हैं।
- इसने महामारी के दौरान लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के बीच भी सक्रियता को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सोशल मीडिया पर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

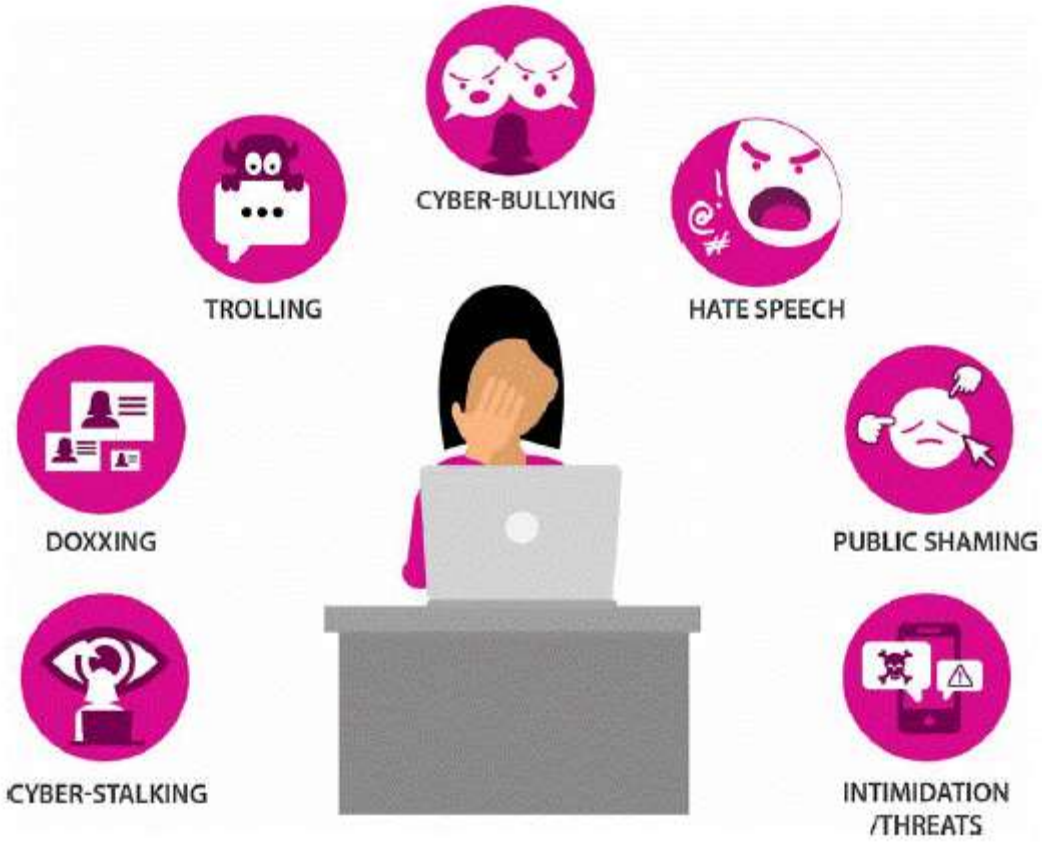

- **महिलाएं ऑनलाइन उत्पीड़न** जैसे साइबर दुर्व्यवहार के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं ।
- सोशल मीडिया पर महिलाओं की बढ़ती लोकप्रियता अक्सर उन्हें **दमनकारी गतिविधियों का निशाना** बना देती है । इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थानों की तरह ऑनलाइन भी महिलाओं के लिए लैंगिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

- अपराधियों का पता लगाने में कठिनाई और न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की जटिलता और दुर्गमता के कारण **ऑनलाइन अपराध अक्सर सामान्य हो जाते हैं।**
- इससे न्याय प्रणाली के प्रति जनता में अविश्वास पैदा होता है, जिससे महिलाओं का और अधिक हाशिए पर जाना होता है।
- इस पृष्ठभूमि में, सोशल मीडिया बलात्कारियों के लिए पीड़ितों को अपराध की रिपोर्ट न करने की धमकी देने का एक साधन बन गया है।
- ऐसे मंचों का उपयोग उत्पीड़कों द्वारा **उन महिलाओं को चुप कराने के लिए किया जाता है जो स्त्री-द्वेषी सामाजिक मानदंडों को तोड़ने का प्रयास करती हैं।**
- एक अध्ययन से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल एक तिहाई महिलाओं ने दुर्व्यवहार करने वालों के डर के कारण ऑनलाइन राय व्यक्त करना बंद कर दिया।
- **ऑनलाइन ट्रोलिंग** अब डिजिटल दायरे से आगे बढ़ रही है, जिसके कारण आत्महत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं।
- एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि ऑफलाइन उत्पीड़न का शिकार होने वाली 20% महिलाओं का मानना है कि ये हमले उनके साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार से जुड़े थे।
- कुछ लोग अपनी ऑनलाइन मौजूदगी की वजह से **स्टॉकर्स के निशाने पर** भी आ जाते हैं । यह खासकर उन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ कानून व्यवस्था कमज़ोर है, पितृसत्ता मज़बूत है और ऑनलाइन ट्रोलिंग आम बात है।
- अक्सर पीड़ितों की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए **फर्जी प्रोफाइल बनाई जाती हैं।**
- हाल के वर्षों में, इंटरनेट **महिलाओं के खिलाफ भेदभाव** का एक साधन बन गया है, और दुनिया भर में **नफरत भरे अभियान** खूब चल रहे हैं । जैसे, रिवेंज पोर्न।
- महामारी के कारण विश्वव्यापी प्रतिबंधों के कारण अधिकाधिक लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे ऑनलाइन लैंगिक दुर्व्यवहार के मामले बढ़ गए हैं।

महिलाओं और सोशल मीडिया में आवश्यक उपाय

- **सरकारी स्तर:**
  - **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को** इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के मामले में POCSO अधिनियम में कम रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने वाले राष्ट्रीय पोर्टल के रूप में नामित किया जाएगा।
  - केंद्र सरकार को अपने निर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री रखने वाली सभी वेबसाइटों/मध्यस्थों को ब्लॉक करने और/या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा।
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल पोर्नोग्राफी के वितरकों का पता लगाने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को रोकने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - नागरिकों को अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए 2018 में एक साइबर अपराध पोर्टल शुरू किया गया था।
  - साइबर अपराध के मामलों की रिपोर्टिंग और जांच के लिए प्रत्येक राज्य में साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए गए।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग:**
  - ऐसे उपकरण विकसित किए जा सकते हैं जो प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण कर सकें। इससे उपयोगकर्ता को साइबर बदमाशी का शिकार होने से बचाने में मदद मिल सकती है।
  - कुछ मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करना जो माता-पिता को सचेत कर सकें कि बच्चा साइबर बदमाशी के खतरे में है।
  - एंटीवायरस एजेंसियों के साथ गठजोड़ करके मैलवेयर हमलों को रोकें।
- **मामलों को संभालने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण:**
  - साइबर बदमाशी के मामलों को बहुआयामी दृष्टिकोण से संभालने की आवश्यकता है, जैसे मनोचिकित्सक के माध्यम से परामर्श, पुलिस से संपर्क करना आदि।

आगे बढ़ने का रास्ता

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करना नैतिक दायित्व है।
- उन्हें पारदर्शी और कुशल रिपोर्टिंग प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि लोग साइबर धमकी को रोकने के लिए उनका उपयोग कर सकें।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाना
- ऑनलाइन ट्रोलिंग के विरुद्ध प्रतिकार उपायों को महिला सशक्तिकरण नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए
- सोशल मीडिया के महिला उपयोगकर्ताओं के लक्षित उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए ऑनलाइन महिला-विशिष्ट अपराध रिपोर्टिंग इकाई की स्थापना की जानी चाहिए।
- सामाजिक असमानता, भेदभाव और स्त्री-द्वेष को दूर करने के लिए महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराधों को मुख्य रूप से आईपीसी प्रावधानों के तहत संबोधित किया जाता है जो यौन उत्पीड़न, गोपनीयता उल्लंघन आदि जैसे पारंपरिक अपराधों से निपटते हैं।
- वे तकनीक-प्रेरित अपराधों से निपटने में काफी हद तक अक्षम हैं, क्योंकि न्याय की कमी के कारण पारंपरिक अपराधों की तुलना में पीड़ितों पर इनका अधिक प्रभाव पड़ता है।
- इसलिए, आईटी अधिनियम के तहत साइबर अपराधों को निरस्त किया जाना चाहिए और आईपीसी को सभी साइबर अपराधों को कवर करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए, जिनमें वर्तमान में आईटी अधिनियम के तहत कवर किए गए अपराध भी शामिल हैं।

  नए मीडिया युग में ज्ञान समाज के एक भाग के रूप में, सोशल मीडिया सूचना और शिक्षा प्रदान करके महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो महिला उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी और हर जगह बेहतर निर्णय लेने की रणनीति प्रदान करता है, जो अन्यथा संभव नहीं हो सकता है।

अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे

- राष्ट्रीय **अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम** अल्पसंख्यक को **"केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय" के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। हालाँकि, संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।**
- सर्वोच्च न्यायालय में टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले के अनुसार **, किसी अल्पसंख्यक को चाहे वह भाषाई हो या धार्मिक, केवल राज्य की जनसांख्यिकी के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है, न कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर।**
- जब हम अल्पसंख्यक शब्द पर चर्चा करते हैं, तो हमें खुद को धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर आदि को भी व्यापक सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में अल्पसंख्यक माना जाता है।
- **भारत सरकार, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है ;**
  - **सिखों**
  - **मुसलमानों**
  - **ईसाइयों**
  - **पारसियों**
  - **बौद्धों**
  - **जैन**

CENSUS 2011: RELIGIOUS PROFILE

India's population data based on religion, which was part of Census 2011, was released by the government on Tuesday

	Population in 2011 (cr)	Proportion of population in %	Decadal change in proportion in % pts
Hindu	96.63	79.8	-0.7
Muslim	17.22	14.2	+0.8
Christian	2.78	2.3	No change
Sikh	2.08	1.7	-0.2
Buddhist	0.84	0.7	-0.1
Jain	0.45	0.4	No change
Others	0.79	0.7	-
Religion not stated	0.29	0.2	-

- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र के अनुच्छेद 1 में कहा गया है : " सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सम्मान व अधिकारों में समान होते हैं।** उन्हें तर्क और विवेक से संपन्न किया गया है और उन्हें एक-दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से कार्य करना चाहिए।"
- **दुनिया भर में आप्रवासी-विरोधी/अल्पसंख्यक-विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं।**
- **" एल पासो "** नरसंहार के लिए जिम्मेदार शूटर ने दावा किया कि वह कथित अनियमित आव्रजन के बाद अल्पसंख्यकों को अधिक शक्ति मिलने से परेशान था।
- **यूरोप में भी अल्पसंख्यक विरोधी घृणा अपराधों की कुछ घटनाएँ हुई हैं**। हाल ही में लंदन में एक समलैंगिक जोड़े पर बस में यात्रा करते समय हमला किया गया। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट अभियान में भी आव्रजन विरोधी संदेश प्रबल थे।
- दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो रहा है।
- लेकिन जब ऐसे शरणार्थी अपेक्षाकृत सुरक्षित देशों में पहुंचते हैं तो उन्हें उनके धर्म, नस्ल, जातीयता आदि के आधार पर निशाना बनाया जाता है।

भारत में अल्पसंख्यकों का भौगोलिक विस्तार

- 2011 की जनगणना के अनुसार, **देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है।**
- **मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं।**

- 2009-10 के दौरान, ग्रामीण भारत में **11 प्रतिशत परिवार इस्लाम धर्म को मानते थे,** जो कुल जनसंख्या का लगभग 12 प्रतिशत है। **ईसाई धर्म को मानने वाले परिवारों की संख्या लगभग 2 प्रतिशत थी,** जो कुल जनसंख्या का लगभग 2 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में, इस्लाम धर्म को मानने वाले परिवारों और जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः लगभग 13 और 16 था, जबकि ईसाई धर्म को मानने वाले परिवारों और जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 3 और 3 था।
- भारत सरकार ने कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची भी भेजी है, जिसमें वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं (जम्मू-कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप)।

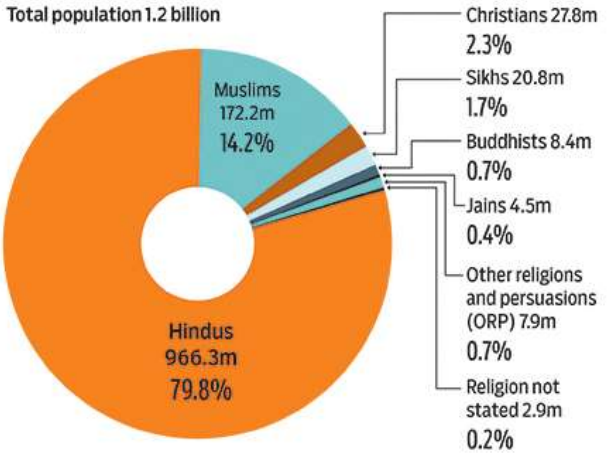

जनगणना 2011

भारत में अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

एनएसएस के 66वें दौर के अनुसार,

- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुसलमानों के लिंगानुपात में 2004-05 और 2009-10 के बीच गिरावट देखी गई; हालांकि इस अवधि के दौरान ईसाइयों के लिंगानुपात में सुधार देखा गया।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, मुसलमानों के लिए औसत घरेलू आकार अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में ज़्यादा था, और ईसाइयों के लिए औसत घरेलू आकार सबसे कम था। प्रत्येक धार्मिक समूह के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आकार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी धार्मिक समूहों के लिए स्व-रोज़गार मुख्य आधार था। कृषि में स्व-रोज़गार से मुख्य आय प्राप्त करने वाले परिवारों का अनुपात सिख परिवारों में सबसे अधिक (लगभग 36 प्रतिशत) था। घरेलू प्रकार के ग्रामीण श्रम से संबंधित परिवारों का अनुपात मुसलमानों में सबसे अधिक (लगभग 41 प्रतिशत) था। शहरी भारत में, स्व-रोज़गार को आय का मुख्य स्रोत बनाने वाले परिवारों का अनुपात मुसलमानों में सबसे अधिक (46 प्रतिशत) था। शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन/वेतनभोगी आय का मुख्य स्रोत ईसाई परिवारों में सबसे अधिक (43 प्रतिशत) था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भूमि स्वामित्व वाले वर्गों में, '0.005-0.40' हेक्टेयर भूमि स्वामित्व वाले वर्ग से संबंधित परिवारों का अनुपात सभी प्रमुख धार्मिक समूहों के लिए सबसे अधिक था, जो 40 प्रतिशत से अधिक था।
- लगभग 43 प्रतिशत ईसाई परिवार और 38 प्रतिशत मुस्लिम परिवार 0.001 हेक्टेयर से ज़्यादा या उसके बराबर लेकिन 1.00 हेक्टेयर से कम ज़मीन पर खेती करते थे। 4.00 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर खेती करने वाले परिवारों का अनुपात सबसे ज़्यादा सिखों (6 प्रतिशत) में था, उसके बाद हिंदुओं (3 प्रतिशत) का नंबर था।
- ग्रामीण और शहरी भारत, दोनों में, औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) सिख परिवारों के लिए सबसे ज़्यादा था, उसके बाद ईसाइयों का। अखिल भारतीय स्तर पर, सिख परिवारों का औसत एमपीसीई 1659 रुपये था, जबकि मुस्लिम परिवारों के लिए यह 980 रुपये था।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता दर ईसाइयों में सबसे अधिक थी, चाहे वे दोनों लिंगों के हों। माध्यमिक और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुपात ईसाइयों में सबसे अधिक था, उसके बाद सिखों का स्थान था।
- शैक्षणिक संस्थानों में वर्तमान उपस्थिति दर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक थी और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी।
- 0-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के बीच शैक्षणिक संस्थानों में वर्तमान उपस्थिति दर ग्रामीण पुरुषों, ग्रामीण महिलाओं, शहरी पुरुषों और शहरी महिलाओं में ईसाइयों में सबसे अधिक थी।
- सभी धार्मिक समूहों में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) महिलाओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी - शहरी क्षेत्रों में यह अंतर और भी ज़्यादा था।
- ईसाइयों में एलएफपीआर में पुरुष-महिला का अंतर सबसे कम था। ग्रामीण पुरुषों, ग्रामीण महिलाओं और शहरी महिलाओं के लिए एलएफपीआर ईसाइयों में सबसे ज़्यादा थी, जबकि शहरी पुरुषों के लिए सिखों में यह सबसे ज़्यादा थी।
- सभी धार्मिक समूहों में पुरुषों की कार्य सहभागिता दर (WPR) महिलाओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी - शहरी क्षेत्रों में यह अंतर और भी ज़्यादा था। WPR में पुरुष-महिला का अंतर ईसाइयों में सबसे कम था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांश पुरुष श्रमिक अशिक्षित (28 प्रतिशत) या साक्षर और प्राथमिक स्तर तक शिक्षित (28 प्रतिशत) श्रेणियों में आते थे, जबकि अधिकांश महिला श्रमिक अशिक्षित (59 प्रतिशत) श्रेणी में आती थीं।
- माध्यमिक और उससे ऊपर की सामान्य शिक्षा वाले पुरुष श्रमिकों का अनुपात ईसाइयों (32 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, उसके बाद सिखों (30 प्रतिशत) का स्थान था।
- शहरी क्षेत्रों में, अधिकांश पुरुष श्रमिक माध्यमिक और उससे ऊपर की शिक्षा श्रेणी (52 प्रतिशत) के थे। शहरी पुरुषों में, माध्यमिक और उससे ऊपर की शिक्षा वाले श्रमिकों का अनुपात ईसाइयों और सिखों में 58-58 प्रतिशत था, जबकि मुसलमानों में यह 30 प्रतिशत था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। 2009-10 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों (3 प्रतिशत) और महिलाओं (6 प्रतिशत) दोनों के लिए बेरोज़गारी दर ईसाइयों में सबसे अधिक थी। शहरी क्षेत्रों में, पुरुषों (6 प्रतिशत) और महिलाओं (8 प्रतिशत) दोनों के लिए बेरोज़गारी दर सिखों में सबसे अधिक थी।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता का महत्व

- भारतीय सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना बहुत जटिल है क्योंकि यह जाति, धर्म और क्षेत्रीय/भाषाई भिन्नताओं से काफी प्रभावित है।
- साथ ही, सदियों से चली आ रही भारतीय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का ऐतिहासिक आधार है
- इन कारकों ने भारतीय समाज को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान किया है। यह विभिन्न स्तरों और खंडों का एक समूह बन गया है जो विभाजित और उप-विभाजित हैं।
- संविधान के दूरदर्शी निर्माता अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के प्रति सचेत थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने और उसका पालन करने का अधिकार दिया तथा उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
- महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि किसी देश के सभ्य होने का दावा इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने में शामिल मुद्दे

- अंतर्राष्ट्रीय कानून अल्पसंख्यकों को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो देश की बाकी आबादी से अलग और स्थिर जातीय, धार्मिक और भाषाई विशेषताएँ रखते हैं।

- भारत में, हालाँकि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग चार विशिष्ट अवसरों पर किया गया है, लेकिन यह इस शब्द को परिभाषित नहीं करता है, जिससे यह न्यायिक व्याख्या के अधीन है।
- **वर्तमान में निम्नलिखित 2 समूहों को उनकी संख्यात्मक हीनता के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है:**

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक।
2. भाषाई अल्पसंख्यक वे समूह हैं जिनकी एक अलग बोली जाने वाली भाषा है और यह भारत के अलग-अलग राज्यों से संबंधित मामला है।

भारत में अल्पसंख्यक को परिभाषित करने के मानदंड

- विलुप्त होने का खतरा - इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि उनके विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है।
- संख्यात्मक हीनता - सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि संख्यात्मक हीनता ही निर्णायक मानदंड है। धर्म के आधार पर - पंजाब, पूर्वोत्तर में हिंदू।
- राज्यवार परिभाषा - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि राज्यों का निर्माण भाषाई भेद के आधार पर हुआ था। लेकिन हाल के दशक में, हमने देखा है कि नए राज्यों (जैसे तेलंगाना) की माँग के लिए भाषाई भेद अब कोई भेद नहीं रह गया है।
- संभावित समुदायों द्वारा मांगों की तत्परता और संगठित प्रतिनिधित्व।

अल्पसंख्यकों के निर्धारण में एकरूपता का अभाव

- हालाँकि, वर्तमान में निम्नलिखित मुद्दों के कारण अल्पसंख्यकों को निर्धारित करने का कोई एक समान राष्ट्रीय तरीका नहीं है:
- भारत भर में समुदायों का असमान वितरण, किसी विशेष समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करने में विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है, जबकि कुछ राज्यों में यह वास्तव में बहुसंख्यक हो सकता है।
- नागरिकों का लगातार प्रवास जनसांख्यिकी को बिगाड़ता है। समय-समय पर धार्मिक या भाषाई समुदाय की संरचना में बदलाव होता रहता है, इसलिए किसी भी स्थायी नीति का पालन नहीं किया जा सकता।
- 1500 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं के कारण भाषाई अल्पसंख्यकों का नामकरण कठिन हो गया है।
- एक कठोर अल्पसंख्यक समूह का होना पूरे समाज के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि एक समूह की जनसंख्या में वृद्धि से जनसांख्यिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा।
  संभावित समाधान यह हो सकता है कि कानून के स्रोत और क्षेत्रीय अनुप्रयोग के संबंध में अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण किया जाए, जैसा कि **भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीएमए पाई मामले में बताया गया है।**

अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे

पूर्वाग्रह और भेदभाव

- जहाँ तक पूर्वाग्रहों का सवाल है, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध सोच एक जटिल समाज की सामान्य विशेषताएँ हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।
- आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कथन जैसे - "हिंदू कायर होते हैं और मुसलमान उपद्रवी होते हैं; सिख मूर्ख होते हैं और ईसाई धर्मांतरण करने वाले होते हैं", आदि - प्रचलित धार्मिक पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं।

- इस तरह के पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बीच सामाजिक दूरी को और बढ़ाते हैं। यह समस्या भारत में अभी भी बनी हुई है। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर, पूर्वाग्रह की यह समस्या अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न समुदायों के दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर रही है।
- अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव का यह कृत्य केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है और महिलाओं को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है, अल्पसंख्यक महिलाओं को अक्सर अपने समुदायों के भीतर और बाहर दोनों जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने से असमान रूप से पीड़ित होती हैं, जिससे उनका पूरा समुदाय प्रभावित होता है।
- अल्पसंख्यक महिलाओं को अक्सर दुर्व्यवहार, भेदभाव और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के लिए, हाथ से मैला ढोने का काम अक्सर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दलित महिलाओं के लिए आरक्षित होता है और उन्हें इस अपमानजनक और अस्वास्थ्यकर कार्य के लिए बहुत कम वेतन दिया जाता है।
- इन महिलाओं को असम्मानजनक और अनुपयुक्त काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि वे कोई वैकल्पिक आजीविका अपनाने का प्रयास करती हैं तो उन्हें धमकाया जाता है।
- उनका दैनिक जीवन घृणास्पद भाषणों, अल्पसंख्यक विरोधी भावनाओं, उल्लंघनों, भेदभाव से भरा हुआ है और विभिन्न कानूनी अधिकार होने के बावजूद वे कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं तथा जागरूकता की कमी, गरीबी और भय इस समस्या को और बढ़ा देते हैं।

पहचान की समस्या

- सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, इतिहास और पृष्ठभूमि में अंतर के कारण अल्पसंख्यकों को पहचान के मुद्दे से जूझना पड़ता है
- इससे बहुसंख्यक समुदाय के साथ समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है।

सुरक्षा की समस्या

- समाज के बाकी लोगों की तुलना में अलग पहचान और उनकी कम संख्या के कारण उनमें अपने जीवन, संपत्ति और कल्याण के प्रति असुरक्षा की भावना विकसित होती है।
- असुरक्षा की यह भावना उस समय और अधिक बढ़ जाती है जब समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण या सौहार्दपूर्ण नहीं होते।

इक्विटी से संबंधित समस्या

- किसी समाज में अल्पसंख्यक समुदाय भेदभाव के परिणामस्वरूप विकास के अवसरों के लाभ से वंचित रह सकता है।
- पहचान में अंतर के कारण अल्पसंख्यक समुदाय में असमानता की भावना विकसित हो जाती है।

सांप्रदायिक तनाव और दंगों की समस्या

- आजादी के बाद से सांप्रदायिक तनाव और दंगे लगातार बढ़ते रहे हैं।
- जब भी किसी भी कारण से सांप्रदायिक तनाव और दंगे होते हैं, तो अल्पसंख्यक हितों को खतरा पैदा हो जाता है।

सिविल सेवा और राजनीति में प्रतिनिधित्व का अभाव

- संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों को समानता और समान अवसर प्रदान करता है
- सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों में यह भावना है कि उन्हें उपेक्षित किया जाता है
- हालाँकि, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, सिख, जैन और बौद्धों के बीच ऐसी भावना मौजूद नहीं है, क्योंकि वे बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बेहतर हैं।

सुरक्षा प्रदान करने की समस्या

- अल्पसंख्यकों को अक्सर सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है।
- विशेषकर सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत संघर्ष, त्योहारों और धार्मिक समारोहों के बड़े पैमाने पर आयोजन के समय अल्पसंख्यक समूह अक्सर पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं।
- सत्तासीन सरकार को भी अल्पसंख्यकों के सभी सदस्यों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करना कठिन लगता है।

- यह बहुत महंगा भी है। जो राज्य सरकारें ऐसी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहती हैं, उनकी हमेशा आलोचना होती है।
- उदाहरण के लिए, (i) 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा की पूर्व संध्या पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सिख समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए राजीव गांधी सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी। (ii) हाल ही में भड़की [फरवरी-मार्च-2002] सांप्रदायिक हिंसा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता के लिए गुजरात राज्य सरकार की आलोचना की गई थी। (iii) इसी तरह, मुस्लिम चरमपंथियों के अत्याचारों के खिलाफ उस राज्य में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में जम्मू-कश्मीर सरकार की अक्षमता की भी व्यापक रूप से निंदा की जाती है।

धर्मनिरपेक्षता पर दृढ़ता से कायम रहने में विफलता

- भारत ने खुद को एक "धर्मनिरपेक्ष" देश घोषित किया है। हमारे संविधान की मूल भावना ही धर्मनिरपेक्ष है।
- लेकिन वास्तविक व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है, विशुद्ध रूप से धार्मिक मुद्दों को अक्सर इन दलों द्वारा राजनीतिक रंग दिया जाता है।

सिविल सेवा और राजनीति में प्रतिनिधित्व की कमी की समस्या

- यद्यपि संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों को समानता और समान अवसर प्रदान करता है, फिर भी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमान, इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। उनमें यह भावना व्याप्त है कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है।
- हालाँकि, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, सिख, जैन और बौद्धों के बीच ऐसी भावना मौजूद नहीं है, क्योंकि वे बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बेहतर हैं।

उच्च शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2018-19 के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट जारी की गई। 2010-11 से उच्च शिक्षा की स्थिति पर एक वार्षिक, वेब-आधारित, अखिल भारतीय सर्वेक्षण के रूप में किया गया यह सर्वेक्षण देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कवर करता है। यह सर्वेक्षण शिक्षकों, छात्र नामांकन, कार्यक्रमों, परीक्षा परिणामों, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढाँचे आदि जैसे कई मानदंडों पर आँकड़े एकत्र करता है।

अलगाववाद की समस्या

- कुछ क्षेत्रों में कुछ धार्मिक समुदायों द्वारा रखी गई कुछ मांगें अन्य लोगों को स्वीकार्य नहीं हैं।
- इससे उनके और अन्य लोगों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है, उदाहरण: कश्मीर में कुछ मुस्लिम चरमपंथियों में अलगाववादी प्रवृत्ति मौजूद है और स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना की उनकी मांग दूसरों को स्वीकार्य नहीं है।
- ऐसी मांग को राष्ट्र-विरोधी माना जाता है। इसी तरह, नागालैंड और मिज़ोरम में कुछ ईसाई चरमपंथी अपने प्रांतों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।
- ये दोनों मांगें “अलगाववाद” का समर्थन करती हैं और इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- ऐसी मांगों के समर्थक संबंधित राज्यों में काफी गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं।

समान नागरिक संहिता की शुरूआत से संबंधित समस्या

- बहुमत और अल्पमत के बीच संबंधों में एक और बड़ी बाधा जो हम पाते हैं, वह अब तक सत्ता संभालने वाली सरकारों द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने में विफलता से संबंधित है।
- यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक समानता तभी संभव है जब पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए।
- कुछ समुदाय, विशेषकर मुसलमान इसका विरोध करते हैं।
- उनका तर्क है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से, क्योंकि यह “शरीयत” के विपरीत है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी।
- यह मुद्दा आज विवादास्पद हो गया है। इसने धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है।

भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के सामने आने वाली समस्याएँ

- लंबे समय तक भारत में महिलाएं **पितृसत्तात्मक समाज के चंगुल** में थीं और उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया था, यह सब लैंगिक असमानता और दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ था।

- **महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा शोषण, देवदासी प्रथा आदि** जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों का शिकार होना पड़ता था।
- लेकिन हाल के वर्षों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है, इन सामाजिक बुराइयों का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है और लैंगिक असमानता का कलंक कम हुआ है।
- ये परिवर्तन देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, जागरूकता में वृद्धि, शैक्षिक अवसरों और यहां तक कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण संभव हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये विकास और परिवर्तन अल्पसंख्यक समुदायों तक नहीं पहुंचे और उनमें से बहुत से पिछड़े और अशिक्षित रह गए, जिससे उनके समुदाय की महिलाओं का जीवन विभिन्न मुद्दों से उलझ गया।
- धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं को हर जगह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे मदद के लिए अपने समुदाय की ओर भी नहीं जा सकतीं।
- **वे लगातार शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं, यहां तक कि गरीबी से ग्रस्त पृष्ठभूमि के कारण उन्हें सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव रहता है।**
- अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने और पुरुष प्रधान समाज में महिला होने के कारण वे अधिक असुरक्षित स्थिति में होती हैं, जिसका फायदा अक्सर समुदाय के बाहर और भीतर के लोग उठाते हैं।
- **उन्हें जीवन के हर पहलू जैसे: शिक्षा, नौकरी के अवसर, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अन्यायपूर्ण और अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है।**
- अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अक्सर हीन समझा जाता है तथा उन्हें निम्नस्तरीय नौकरियों, असमान वेतन, जबरन मजदूरी आदि से जोड़ा जाता है।
- यह सच है कि भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा और भेदभाव से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को इससे भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ईसाइयों और सिखों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी भेदभाव का कम सामना करना पड़ता है।

अल्पसंख्यकों के प्रति गुस्से के कारण

- **समाज के निचले तबके का सामाजिक-आर्थिक उत्थान** सामाजिक परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन है।
- पिछड़े **वर्गों को उचित शिक्षा तक पहुंच नहीं होने के** कारण आरक्षण का लाभ मिला हुआ है, जो नौकरियों या स्कूलों/कॉलेजों में सीटों का बड़ा हिस्सा ले लेता है - इससे सामान्य वर्ग के लोग आरक्षित वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं।
- युवाओं के एक बड़े वर्ग के लिए **बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की असमर्थता ने आर्थिक पिछड़ापन पैदा किया है।**
- **सांस्कृतिक/धार्मिक पुनरुत्थानवाद और महिमामंडन**
- **अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीतिक संस्कृति** एक वर्ग बन गई है, जो अन्य वर्गों को स्वीकार्य नहीं है।

अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 14:** लोगों को 'कानून के समक्ष समानता' और 'कानूनों के समान संरक्षण' का अधिकार।
- **अनुच्छेद 15 (1) और (2):** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव का निषेध
- **अनुच्छेद 15 (4):** राज्य को 'नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग' (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा) की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 16(1) और (2):** राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में नागरिकों को 'अवसर की समानता' का अधिकार - और इस संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद 16(4):** राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने का अधिकार है, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 25(1):** लोगों की अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन।

- **अनुच्छेद 26:** 'प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन - धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने, 'धार्मिक मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने', और चल अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने और उसे 'कानून के अनुसार' प्रशासित करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 27:** किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य करने पर प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद 28:** शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में लोगों की स्वतंत्रता, जो राज्य द्वारा पूर्णतः संरक्षित, मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त हो।
- **अनुच्छेद 29(1):** 'नागरिकों के किसी भी वर्ग' को अपनी 'विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति' को 'संरक्षित' करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 29(2):** राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को 'केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर' प्रवेश देने से मना करने पर प्रतिबंध।
- **अनुच्छेद 30(1):** सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 30(2):** राज्य से सहायता प्राप्त करने के मामले में अल्पसंख्यक-प्रबंधित शैक्षणिक संस्थाओं को भेदभाव से स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 38 (2):** राज्य का दायित्व है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों और लोगों के समूहों के बीच 'स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करे।'
- **अनुच्छेद 46:** राज्य का दायित्व 'जनता के कमजोर वर्गों' (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को 'विशेष ध्यान से बढ़ावा देना' है।
- **अनुच्छेद 347:** किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान।
- **अनुच्छेद 350 ए:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान।
- **अनुच्छेद 350 बी:** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी और उसके कर्तव्यों का प्रावधान;

विधायी संरक्षण:

- राष्ट्रीय **अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** - इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, बशर्ते अध्यक्ष सहित कम से कम 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से हों।
- **वक्फ अधिनियम** — यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय में दान से संबंधित है। केंद्रीय वक्फ परिषद, एक वैधानिक निकाय, भारत में वक्फ के प्रशासन का प्रबंधन करती है। वक्फ, मुस्लिम परोपकारियों द्वारा धार्मिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दी गई चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण है। इस दान को मुसरत-उल-खिदमत कहा जाता है और ऐसा समर्पण करने वाले व्यक्ति को वाकिफ कहा जाता है।
- **नागरिकता संशोधन अधिनियम** — यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से सताए गए अल्पसंख्यकों को 12 वर्षों के बजाय 6 वर्षों के भीतर नागरिकता प्रदान करता है। 2014 से पहले प्रवास करने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी (हिंदुओं को छोड़कर सभी भारत में अल्पसंख्यक हैं) इसके पात्र हैं।

कार्यकारी विशेषाधिकार:

- विधायी उपायों के अतिरिक्त, केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों, विभागों और आयोगों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को कई विशेषाधिकार प्रदान करती है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं
- अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए **2006 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया था** ।
- **विदेश मंत्रालय हज समिति से संबंधित मामलों को देखता है** ।
- मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की **योजनाओं से संबंधित है** ।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके 29 जनवरी, 2006 को बनाया गया था,** ताकि अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन से संबंधित मुद्दों के प्रति अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
- मंत्रालय के अधिदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति और योजना तैयार करना, नियामक ढांचे और विकास कार्यक्रमों का समन्वय, मूल्यांकन और समीक्षा करना शामिल है।

अन्य निकाय:

1. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग:** - यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा हेतु एक वैधानिक निकाय है। यह भाषाई अल्पसंख्यकों को कवर नहीं करता है। इसमें एक अध्यक्ष (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) और केंद्र सरकार द्वारा नामित दो अन्य सदस्य होते हैं, सभी किसी न किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित होने चाहिए।
2. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम:** अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह निकाय अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करता है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जो कंपनी अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंड:

- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है** ।
- इसके अतिरिक्त, **" राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र "** वह दस्तावेज़ है जो आवश्यक मानक निर्धारित करता है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त विधायी एवं अन्य उपाय अपनाने में राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी कल्याणकारी उपाय

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम

- भारत सरकार ने **अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है।**
- कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का उचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित हो तथा विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग भी शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसमें अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कुछ अनुपात में विकास परियोजनाओं को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

शैक्षिक सशक्तिकरण

- छात्रवृत्ति योजनाएँ
- मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फैलोशिप (MANF)
- **पढ़ो परदेश** - अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना
- **नया सवेरा** – निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना
- **नई उड़ान** - यूपीएससी/एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सहायता।

आर्थिक सशक्तिकरण

- **कौशल विकास**
- **सीखो और कमाओ** : अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों में बेरोजगारी दर को कम करना है।

- **उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)** : अल्पसंख्यकों की पारंपरिक पैतृक कला या शिल्प के संरक्षण के लिए कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन करना।
- **नई मंजिल** : मदरसा छात्रों और उनके मुख्यधारा समकक्षों के बीच शैक्षणिक और कौशल विकास के अंतराल को भरने के लिए एक ब्रिज कोर्स।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से **रियायती ऋण**

बुनियादी ढांचे का विकास

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

विशेष जरूरतों

- **नई रोशनी** - अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास
- **हमारी धरोहर**
- **जियो पारसी** - भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना
- **वक्फ प्रबंधन**
- कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की योजना (रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजना)
- शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (वक्फ को अनुदान सहायता योजना - शहरी वक्फ संपत्तियों का विकास)
- प्रचार सहित विकास योजना का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन

संस्थाओं को सहायता

- **मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन** (MAEF) को कॉर्पस फंड
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम** (एनएमडीएफसी) को इक्विटी
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को **अनुदान सहायता योजना**

आगे बढ़ने का रास्ता

- व्यक्तिगत गरिमा, समानता और स्वतंत्रता के हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमें अपने समाज से **घृणा भरे संदेशों को हतोत्साहित करने और हटाने का प्रयास करना चाहिए।**
- **राजनीतिक नेतृत्व को** अपनी पार्टी के भीतर घृणा फैलाने वाले तत्वों को बाहर निकालने में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए तथा हमारे संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखना चाहिए।
- घृणा अपराधों के विरुद्ध **निवारक के रूप में कार्य करने के लिए** एक व्यापक घृणा-विरोधी कानून और नीति लाई जानी चाहिए।
- **समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने** जैसे हालिया सकारात्मक घटनाक्रमों ने यह दर्शाया है कि हमारा समाज अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति रखता है। कुछ असामाजिक तत्वों को इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- केवल सभी धर्मों के उत्पीड़ित जातियों, वर्गों और लिंगों का गठबंधन ही सांप्रदायिकता पर विजय प्राप्त कर सकता है
- सांप्रदायिक घृणा और हिंसा के संकट और चक्र को केवल झूठे समानताओं और चुनिंदा चुप्पी के इतिहास को समाप्त करके ही रोका जा सकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत, केंद्र सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन के लिए **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) की स्थापना की है।**

- **केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।**
- 1993 की मूल अधिसूचना 5 धार्मिक समुदायों के लिए थी; सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और मुस्लिम।
- 2014 में जैन समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया।
- 2001 की जनगणना के अनुसार, इन छह समुदायों की जनसंख्या देश की 18.8% है।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) 1992 के संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुरूप है,** जिसमें कहा गया है कि "राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय या जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान के अस्तित्व की रक्षा करेंगे और उस पहचान को बढ़ावा देने के लिए परिस्थितियों को प्रोत्साहित करेंगे।"
- **संघटन**
- एक अध्यक्ष
- केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों में से पांच सदस्यों को नामित किया जाएगा।
- **सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे।**

आयोग के कार्य और शक्तियाँ

- संघ एवं राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- संविधान में प्रदत्त सुरक्षा उपायों तथा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- **केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।**
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर गौर करना तथा ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।
- अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना।
- **अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले पर तथा विशेष रूप से उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों पर केन्द्र सरकार को आवधिक या विशेष रिपोर्ट देना।**
- कोई अन्य मामला जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

धार्मिक रूपांतरण और धर्मांतरण विरोधी कानून

- धार्मिक रूपांतरण, **किसी एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से जुड़ी मान्यताओं को अपनाना** है , जिसमें अन्य संप्रदायों को शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार, **"धार्मिक रूपांतरण" का अर्थ होगा एक संप्रदाय के प्रति अपनी आस्था को त्यागकर दूसरे संप्रदाय से जुड़ना।**
- यह एक ही धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में हो सकता है, उदाहरण के लिए, **बैपटिस्ट से कैथोलिक ईसाई धर्म में या सुन्नी इस्लाम से शिया इस्लाम में**। कुछ मामलों में, धार्मिक रूपांतरण "धार्मिक पहचान में परिवर्तन का प्रतीक है और विशेष अनुष्ठानों द्वारा इसका प्रतीक है"।
- **लोग विभिन्न कारणों** से अलग धर्म अपनाते हैं , जिनमें विश्वास में परिवर्तन के कारण स्वतंत्र इच्छा से सक्रिय धर्म परिवर्तन , **द्वितीयक धर्म परिवर्तन, मृत्युशय्या पर धर्म परिवर्तन, सुविधा के लिए धर्म परिवर्तन, वैवाहिक धर्म परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन** शामिल हैं ।

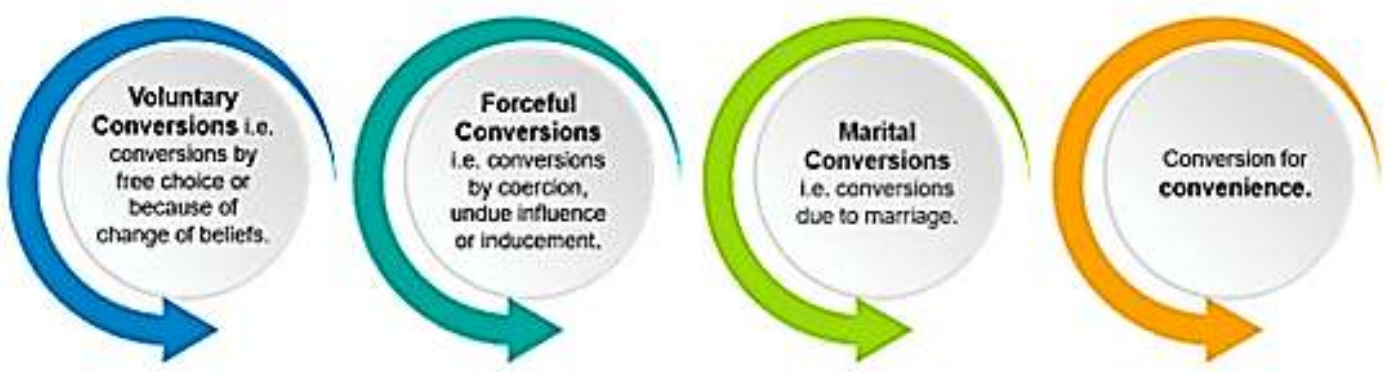

'प्रचार का अधिकार' बनाम 'धर्मांतरण का अधिकार' पर बहस

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** अनुच्छेद 25 में "प्रचार" शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना या प्रसारित करना।
- भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय, **प्रारूपकारों ने "धर्मांतरण" शब्द का प्रयोग किया था।**
- लेकिन अंतिम मसौदे में उन्होंने **अल्पसंख्यकों पर उप-समिति (एम. रूथनास्वामी)** द्वारा की गई सिफारिशों को अपनाया और 'धर्मांतरण' के स्थान पर 'प्रचार' शब्द का प्रयोग किया तथा इस बहस को खुला छोड़ दिया कि क्या प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण भी शामिल है।
- **इस संबंध में न्यायिक घोषणाएँ:**
- **रेव. स्टैनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश, 1977** : सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि **धर्म प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार** शामिल नहीं है ।
- हाल ही में, **न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने** कहा कि धार्मिक समूहों द्वारा **दान का स्वागत है** , लेकिन ऐसे कृत्यों का उद्देश्य **धर्मांतरण नहीं हो सकता।** पीठ ने यह भी कहा कि जबरन धर्मांतरण एक "बेहद गंभीर मुद्दा" है जो **राष्ट्रीय सुरक्षा** , धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

संविधान में धर्म की स्वतंत्रता

- भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है और न ही यह किसी विशिष्ट धर्म को संरक्षण देता है। धर्म मूलतः पसंद, आस्था या विश्वासों के समूह का विषय है।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28** भारत में न केवल व्यक्तियों को बल्कि धार्मिक समूहों को भी **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार** प्रदान करते हैं ।
- **अनुच्छेद 25** (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता):
- अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- हालाँकि, इन स्वतंत्रताओं को सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है
- **अनुच्छेद 26** (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता):

- धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएँ बनाने और बनाए रखने का अधिकार
- अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार
- चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार
- कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार
- **अनुच्छेद 27** (किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता):
- किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिनकी आय का उपयोग विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए व्यय के भुगतान में किया जाता है।
- **अनुच्छेद 28** (धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता):
- पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म की शिक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यह शर्त ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित है, लेकिन किसी ऐसे बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले व्यक्ति को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की स्थिति क्या है?

- **स्वतंत्रता-पूर्व:** धार्मिक रूपांतरणों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून मूलतः ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान **हिंदू राजपरिवारों के नेतृत्व वाली रियासतों** द्वारा लागू किए गए थे - विशेष रूप से 1930 और 1940 के दशक के उत्तरार्ध में।
- **इन राज्यों ने " ब्रिटिश मिशनरियों के सामने** हिंदू धार्मिक पहचान को संरक्षित करने के प्रयास में" कानून बनाए।
- जिन राज्यों में ऐसे कानून थे उनमें कोटा, बीकानेर, जोधपुर, रायगढ़, पटना, सरगुजा, उदयपुर और कालाहांडी आदि शामिल हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान**: अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान **धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है,** और सभी धार्मिक वर्गों को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है; सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन।
- हालाँकि, **किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों को थोपने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा** और परिणामस्वरूप, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
- **मौजूदा कानून:** धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला **कोई केंद्रीय कानून नहीं** है .
- हालाँकि, 1954 के बाद से, कई अवसरों पर, धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने के लिए **संसद में निजी सदस्य विधेयक** पेश किए गए (**लेकिन कभी भी स्वीकृत नहीं हुए**) ।
- इसके अलावा, 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की **विधायी क्षमता नहीं है ।**
- पिछले कुछ वर्षों में, कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने के लिए **'धर्म की स्वतंत्रता' कानून बनाया है.**
  - उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967, गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003, झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2017, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018, कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2021।

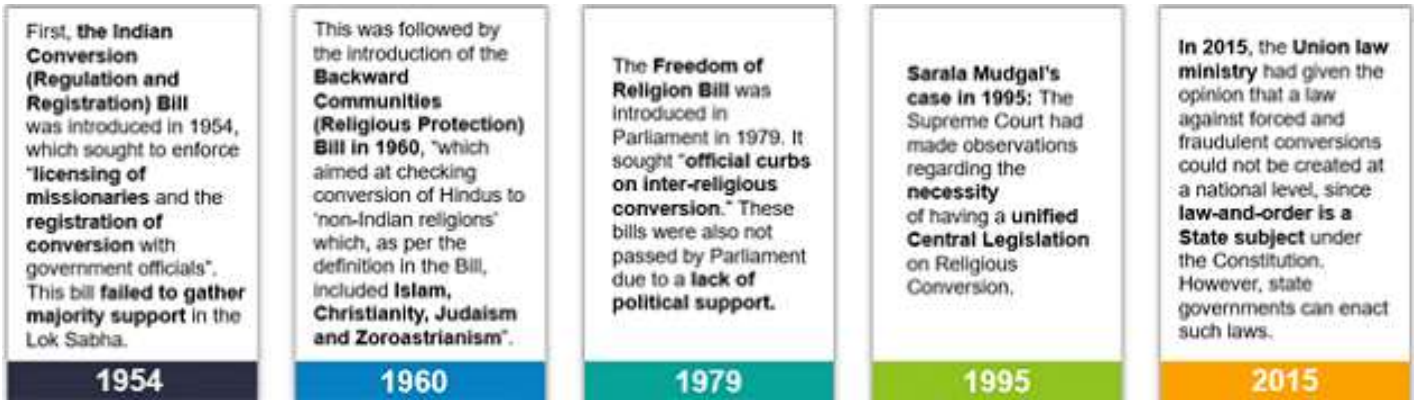

धर्मांतरण विरोधी कानूनों से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- **अनिश्चित एवं अस्पष्ट शब्दावली:**
  - गलत बयानी, बल प्रयोग, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली दुरुपयोग का गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।
  - ये शब्द अस्पष्टता के लिए जगह छोड़ते हैं या बहुत व्यापक हैं, तथा धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से कहीं आगे तक फैले हुए हैं।
- **अल्पसंख्यकों के प्रति विरोधी:**
  - एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - हालाँकि, निषेधात्मक कानून द्वारा प्रयुक्त व्यापक भाषा का उपयोग अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने और उनके साथ भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है।
- **धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल:**
  - ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने तथा हमारे समाज के अंतर्निहित मूल्यों और कानूनी प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय धारणा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

धर्मांतरण विरोधी कानून की क्या आवश्यकता है?

- **धर्मांतरण का कोई अधिकार नहीं:**
  - संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
    - धर्मांतरण वह कार्य है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित व्यक्ति के धर्म से धर्मांतरित व्यक्ति के धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है।
  - अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को **धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सकता।**
  - क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति दोनों को समान रूप से प्राप्त है।
- **धोखाधड़ीपूर्ण विवाह:**
  - हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोग अपने धर्म को **गलत तरीके से प्रस्तुत करके या छिपाकर दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर लेते हैं** और शादी के बाद वे ऐसे दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं।

विवाह और धर्मांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या हैं?

- **हदिया फैसला 2017:**
  - पोशाक और भोजन, विचार और विचारधारा, प्रेम और साझेदारी के मामले पहचान के केंद्रीय पहलुओं में आते हैं।
  - न तो राज्य और न ही कानून साझेदारों के चयन को निर्देशित कर सकता है या इन मामलों पर निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र क्षमता को सीमित कर सकता है।
  - अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार **अनुच्छेद 21** का अभिन्न अंग है ।
- **के.एस. पुट्टस्वामी या 'गोपनीयता' निर्णय 2017:**
  - व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने की क्षमता थी।
- **अन्य निर्णय:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह माना है कि **धर्म, राज्य और न्यायालयों को किसी वयस्क के** जीवन साथी चुनने के पूर्ण अधिकार पर कोई अधिकार नहीं है।
  - भारत एक **"स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश"** है और किसी वयस्क के प्रेम और विवाह के अधिकार में राज्य द्वारा किया गया कोई भी हस्तक्षेप स्वतंत्रता पर **"घबराहट भरा प्रभाव" डालता है।**
  - विवाह की अंतरंगता **गोपनीयता के एक मुख्य क्षेत्र के भीतर होती है,** जो अलंघनीय है और जीवन साथी का चुनाव, चाहे वह विवाह द्वारा हो या विवाह से बाहर, **व्यक्ति के "व्यक्तित्व और पहचान" का हिस्सा है।**
  - किसी व्यक्ति का जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार **आस्था के मामलों से कतई प्रभावित नहीं होता।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- ऐसे कानूनों को लागू करने वाली सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये **किसी के मौलिक अधिकारों पर अंकुश न लगाएं या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा न डालें** , बल्कि इन कानूनों को स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

भारत में वृद्ध जनसंख्या से संबंधित मुद्दे

- भारत अपने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के एक अनोखे दौर से गुज़र रहा है। भारत **की युवा आबादी में तेज़ी से वृद्धि** इसकी पहचान है , जो विकास को गति देने के लिए एक अवसर की खिड़की हो सकती है। हालाँकि, भारत के आर्थिक विकास पथ के संदर्भ में एक समानांतर घटना जिस पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है **तेज़ी से बढ़ती उम्र, यानी बढ़ती बुजुर्ग आबादी।**
- वृद्धावस्था एक सतत, अपरिवर्तनीय, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलती है।
- हालाँकि, जिस उम्र में किसी व्यक्ति का उत्पादक योगदान कम हो जाता है और वह आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, उसे संभवतः जीवन के वृद्धावस्था की शुरुआत माना जा सकता है।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007** के अनुसार , **वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य भारत का नागरिक** होने वाले किसी भी व्यक्ति से है , जिसने **साठ वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली है** ।
- **भारत जैसा जनसांख्यिकीय रूप से युवा देश धीरे-धीरे वृद्ध हो रहा है**। 2050 तक **, भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा।**
- विश्व **की बुजुर्ग आबादी का 1/8 हिस्सा भारत में रहता है।**
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव ने कहा कि भारत की जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत **हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है और यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।**
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की **विश्व जनसंख्या स्थिति 2019 रिपोर्ट** के अनुसार **, भारत की बुजुर्ग आबादी 2011 में 104 मिलियन से बढ़कर 2050 तक 300 मिलियन हो जाने की उम्मीद है, जो कुल जनसंख्या का 18% है।**
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में** कहा गया है कि **भारत को जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देशों की तरह बढ़ती हुई वृद्ध आबादी का सामना करना पड़ सकता है।**
- हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्य पहले से ही वृद्धावस्था की समस्या से जूझ रहे हैं।
- जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, लोगों को **स्वास्थ्य सेवा, सूचना और प्रजनन क्षमता के बारे में जागरूकता तक बेहतर पहुँच मिली है।** इस प्रकार, देश में 1980 के दशक के मध्य से कुल प्रजनन दर (TFR) में भारी गिरावट देखी गई है।

वृद्धावस्था पर जनसंख्या के आंकड़े

- भारतीय जनसंख्या का आयु वर्ग (0-14) 30.8%, (15-59) 60.3%, (60+) 8.6% है।
- **जनगणना 2011** के अनुसार भारत में **लगभग 104 मिलियन बुजुर्ग व्यक्ति** हैं ।
- यह **1951 में 5.5% से बढ़कर 2011 में 8.6% हो गयी है।**
- **2026 तक 12.5% तथा 2050 में 19% तक वृद्धि का अनुमान है** ।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में, **73 मिलियन से अधिक व्यक्ति अर्थात 71% बुजुर्ग आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है,** जबकि **31 मिलियन या 29% बुजुर्ग आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है** ।

उम्र बढ़ने का स्त्रीकरण

- यूएनपीएफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उनमें **वृद्धावस्था का स्त्रीकरण एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।**
- वृद्धों का लिंगानुपात 1971 में 938 महिलाओं और 1,000 पुरुषों से बढ़कर 2011 में 1,033 हो गया है और अनुमान है कि 2026 तक यह बढ़कर 1,060 **हो जाएगा।**
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि **2000 से 2050 के बीच 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या में 700% की वृद्धि होगी,** जिसमें विधवा और अत्यधिक आश्रित वृद्ध महिलाओं की संख्या अधिक होगी, इसलिए ऐसी वृद्ध महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं पर नीति और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की "भारत में बुजुर्ग 2021" रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में महिलाओं और पुरुषों के लिए **अनुमानित निर्भरता अनुपात क्रमशः 14.8% और 16.7% है** ।

भारत में बुजुर्ग आबादी की समस्याएँ

आर्थिक:

- **आय की कमी और खराब वित्तीय स्थिति:**
- **कम आय या गरीबी को** वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा पाया गया है। कम आर्थिक संसाधनों को एक प्रासंगिक या

परिस्थितिजन्य तनाव कारक के रूप में देखा गया है जो वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार में योगदान देता है।

- बैंक जमा पर ब्याज दरों में लगातार गिरावट के कारण अधिकांश मध्यम वर्ग के बुजुर्ग लोग अपने जीवनयापन के लिए वृद्धावस्था पेंशन पर निर्भर रहते हैं।
- भारत में, 74 प्रतिशत बुजुर्ग पुरुषों और 41 प्रतिशत बुजुर्ग महिलाओं को कुछ व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है, जबकि **43 प्रतिशत वृद्ध आबादी कुछ भी नहीं कमाती है** । व्यक्तिगत आय प्राप्त करने वाले बुजुर्ग भारतीयों में से 22 प्रतिशत को प्रति वर्ष 12,000 रुपये से कम प्राप्त होता है - **भारत के बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा पर पीएफआरडीए की रिपोर्ट, अप्रैल 2017** ।

- **स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि:**

- जैसे-जैसे वृद्ध लोग काम करना बंद कर देंगे और उनकी स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, सरकारें अभूतपूर्व लागतों से अभिभूत हो सकती हैं।
- हालांकि कुछ देशों में वृद्धावस्था के बारे में आशावादी होने का कारण हो सकता है, लेकिन प्यू सर्वेक्षण से पता चलता है कि जापान, इटली और रूस जैसे देशों के निवासी वृद्धावस्था में पर्याप्त जीवन स्तर प्राप्त करने के बारे में सबसे कम आश्वस्त हैं।

- **आवास सुविधा अपर्याप्त है।**

- एनजीओ हेल्पएज इंडिया द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 47 **% बुजुर्ग लोग** आय के लिए आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं और **34% पेंशन और नकद हस्तांतरण पर निर्भर हैं** , जबकि सर्वेक्षण में शामिल 40% लोगों ने "जितना संभव हो सके" काम करने की इच्छा व्यक्त की है।

स्वास्थ्य:

- **आयु-संबंधी दीर्घकालिक बीमारियों में वृद्धि:**

- **भारत में हर पाँच में से एक बुज़ुर्ग** मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है। **इनमें से लगभग 75 प्रतिशत किसी न किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं** । और **40 प्रतिशत किसी न किसी तरह की विकलांगता से ग्रस्त हैं** । ये निष्कर्ष **2021 में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया (LASI) के हैं।**
- वृद्ध लोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के कारण **अपक्षयी और संक्रामक दोनों प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं।**
- रुग्णता के प्रमुख कारण संक्रमण हैं, जबकि दृष्टि दोष, चलने, चबाने, सुनने में कठिनाई, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया और असंयम अन्य सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं।

- **वृद्धावस्था देखभाल की बढ़ती आवश्यकता:**

- किफायती नर्सिंग होम या सहायता प्राप्त आवास केन्द्रों की आवश्यकता वाले बीमार और कमजोर बुजुर्गों की संख्या में संभवतः वृद्धि होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में वृद्धावस्था देखभाल सुविधाओं का अभाव।
- एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, **30% से 50% बुज़ुर्गों में ऐसे लक्षण पाए गए जो उन्हें अवसादग्रस्त बनाते हैं।** अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों में से ज़्यादातर महिलाएँ हैं, खासकर विधवाएँ।
- अवसाद का गरीबी, खराब स्वास्थ्य और अकेलेपन से गहरा संबंध है।

सामाजिक:

- **शहरी क्षेत्र, बदलती सामाजिक व्यवस्थाएं और बुजुर्ग:**

- वयस्कों के औपचारिक नौकरियों में और बच्चों के स्कूल की गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण घर पर बुज़ुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचता। पड़ोसियों के बीच रिश्ते ग्रामीण इलाकों जितने मज़बूत नहीं होते।
- वित्तीय बाधाएं उन्हें रचनात्मकता को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देतीं।
- परिवार के सदस्यों की उपेक्षा के कारण कई लोग बच्चों के साथ रहने की अपेक्षा डे केयर सेंटर और वृद्धाश्रम को प्राथमिकता देते हैं।

- **बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार** :

- वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार एक बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जिसकी अभिव्यक्तियाँ विभिन्न देशों और संस्कृतियों में अलग-अलग रूपों में होती हैं। यह मानवाधिकारों का एक मूलभूत उल्लंघन है और इससे कई स्वास्थ्य और भावनात्मक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- दुर्व्यवहार को शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, बुजुर्ग महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के साथ दुर्व्यवहार अपेक्षाकृत अधिक होता है।

- **बुजुर्गों में अलगाव और अकेलापन बढ़ रहा है:**

- लगभग आधे बुजुर्ग लोग दुखी और उपेक्षित महसूस करते थे, 36 प्रतिशत लोगों को लगता था कि वे परिवार पर बोझ हैं।
- मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार से उत्पन्न होने वाली भावनात्मक क्षति में यातना, दुःख, भय, विकृत भावनात्मक असुविधा, व्यक्तिगत गौरव या संप्रभुता की हानि शामिल है।

- **नैतिक मूल्य प्रणाली में गिरावट:**
- सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर, वृद्ध व्यक्ति को कमजोर और आश्रित के रूप में प्रस्तुत करना, देखभाल के लिए धन की कमी, सहायता की आवश्यकता वाले वृद्ध व्यक्ति, जो अकेले रहते हैं, तथा परिवार की पीढ़ियों के बीच संबंधों का नष्ट होना, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार के संभावित कारक हैं।
- **जाति और बुजुर्ग:**
- आर्थिक तंगी के कारण: निम्न जाति के बुजुर्गों को आर्थिक तंगी के कारण बुढ़ापे में भी जीविका के लिए काम करना पड़ता है। हालाँकि यह मुश्किल है, लेकिन इससे वे सक्रिय रहते हैं, आत्म-सम्मान बनाए रखते हैं और परिवार से सम्मान प्राप्त करते हैं।
- जबकि उच्च जाति के बुजुर्गों के लिए अच्छी नौकरियां कम उपलब्ध होती हैं और वे छोटी-मोटी नौकरियां करने में हिचकिचाते हैं।
- इससे वे बेरोजगार हो जाते हैं और उनमें 'बेकारपन' और हताशा की भावना पैदा होती है।
- **आवास:**
- **स्थान की कमी:**
  - जीवनसाथी के अलावा घर में अन्य सदस्यों के साथ रहने से दुर्व्यवहार, विशेषकर वित्तीय दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है।
- **अनुपयुक्त आवास:**
  - अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध आवास उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुपयुक्त एवं अनुपयुक्त पाया जा सकता है।
- **बुजुर्ग महिलाओं के मुद्दे:**
- उन्हें **जीवन भर लिंग-आधारित भेदभाव का** सामना करना पड़ता है । उम्र बढ़ने की लिंग-आधारित प्रकृति ऐसी है कि सार्वभौमिक रूप से, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं।
- 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु में, विधवापन महिलाओं की स्थिति पर हावी हो जाता है, जिसमें 71 प्रतिशत महिलाएं और केवल 29 प्रतिशत पुरुष अपने जीवनसाथी को खो चुके होते हैं।
- सामाजिक रीति-रिवाज महिलाओं को पुनर्विवाह करने से रोकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के अकेले रह जाने की संभावना बढ़ जाती है।
- **विधवा का जीवन कठोर नैतिक संहिताओं से भरा होता है,** जिसमें उसके मूलभूत अधिकारों का परित्याग कर दिया जाता है तथा स्वतंत्रताओं का हनन किया जाता है।
- **सामाजिक पूर्वाग्रह** के परिणामस्वरूप प्रायः **संसाधनों का अनुचित आवंटन, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शोषण, लिंग आधारित हिंसा, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में कमी और परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर रोक लगती है।**
- **कम साक्षरता और जागरूकता के** कारण वृद्ध महिलाओं के **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर होने की संभावना अधिक होती है**
- **मनोवैज्ञानिक मुद्दे:**
- अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली सामान्य मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं-
  - **शक्तिहीनता की भावना**
  - **हीनता की भावना**
  - **अवसाद**
  - **अनुपयोगिता**
  - **कम क्षमता**

डिजिटलीकरण :

डिजिटलीकरण और बढ़ते ई-गवर्नेंस ने बुजुर्गों के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं:

- **डिजिटल निरक्षरता:**
- डिजिटल इंडिया सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसके चलते बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान से लेकर पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बैंकिंग और बीमा तक, अधिकांश सेवाएँ डिजिटल हो गई हैं। **डिजिटल निरक्षरता** बुजुर्गों के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि उन्हें इन सुविधाओं का उपयोग करने में कठिनाई होती है।
- **डिजिटल विभाजन:**
- यह युवा और वृद्ध पीढ़ियों के बीच **" लगातार बढ़ती पीढ़ी की खाई " को और बढ़ाता है। यह डिजिटल उपकरणों** और डिजिटल दुनिया तक पहुँच और सामर्थ्य में कमी के रूप में देखा जा सकता है।
- 4 प्रतिशत डिजिटल रूप से निरक्षर उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वे स्वयं को आधुनिक आईटी और इंटरनेट द्वारा संचालित नई परिस्थितियों में समाज के हाशिए पर और वंचित वर्ग के रूप में देखते हैं।
- **गरीबी:**

- झारखंड में ऐसे मामले सामने आए जहां वरिष्ठ नागरिकों के फिंगर प्रिंट गायब होने के कारण आधार सत्यापन विफल होने के कारण बुजुर्गों को पीडीएस अनाज नहीं मिल सका।
- **देश में लगभग 70% महिलाएं ऐसी आबादी का हिस्सा हैं जो संपर्क से वंचित है।**
- संपन्न और वंचित के बीच का अंतर लगातार बना हुआ है तथा यह समस्याजनक होता जा रहा है।
- हाल की प्राकृतिक आपदाओं ने यह दर्शाया है कि संपर्क से अलग-थलग रहने से बुजुर्गों और उनके परिवारों पर विनाशकारी परिणाम होते हैं।

- **विश्वास की कमी और भय:**
- **कई बुज़ुर्ग लोग डर के साये में जीते हैं।** कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल से जुड़ी जटिलताओं, साइबर खतरों, मेहनत की कमाई के नुकसान आदि के कारण यह डर दोगुना हो जाता है।
- उन्हें लगता है कि मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक ऐसी पीढ़ी है जो मोबाइल तकनीक के साथ नहीं बढ़ी है और आमतौर पर नए तकनीकी कौशल से कतराती है।

- **व्यक्तिगत संबंधों को कम करना:**
- **85 प्रतिशत लोगों ने अपने परिवार के युवा सदस्यों के साथ संवाद की कमी पर अफसोस जताया** , जिसका कारण उनकी "अधिक मांग वाली जीवनशैली और संचार की आधुनिक डिजिटल भाषा को समझने में परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की अक्षमता" है।
- डिजिटल युग में बहुत से वृद्ध लोगों को लगता है कि वे **प्रासंगिक नहीं हैं या उन्हें शामिल नहीं किया जाता।**

वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उपाय

संवैधानिक:

- **समानता का अधिकार** संविधान द्वारा **मौलिक अधिकार** के रूप में गारंटीकृत है, जबकि **सामाजिक सुरक्षा केन्द्र और राज्य सरकार की समवर्ती जिम्मेदारी है** ।
- **वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार के कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग IV के** अनुच्छेदों में किया गया है , जो **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों** के अनुरूप है ।
- **यद्यपि अनुच्छेद 37** के अनुसार इन प्रावधानों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता , फिर भी ये वह आधार हैं जिन पर किसी भी कानून का मसौदा तैयार किया जाता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 41** वरिष्ठ नागरिकों के **रोज़गार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के** अधिकारों को सुरक्षित करता है । इसमें कहा गया है कि राज्य को विकलांगता, वृद्धावस्था या बीमारी की स्थिति में उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
- **अनुच्छेद 46 में** कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों को सरकार द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- **अनुच्छेद 47 में** कहा गया है कि राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा तथा लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना होगा।

विधान:

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011:

- इस नीति का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर वृद्ध महिलाओं की चिंताओं को मुख्यधारा में लाना तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास बहस में शामिल करना है।
- आय सुरक्षा, गृह देखभाल सेवाएं, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, आवास और अन्य कार्यक्रमों/सेवाओं को बढ़ावा देना
- वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को बढ़ावा दें और संस्थागत देखभाल को अंतिम उपाय मानें
- समावेशी, बाधा-मुक्त और आयु-अनुकूल समाज सुनिश्चित करना जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को मान्यता दे और उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करे
- वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्र की संपत्ति के रूप में पहचानें
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक बचत साधनों और ऋण गतिविधियों को बढ़ावा देना

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण संशोधन विधेयक 2019

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019, **2007 के अधिनियम में संशोधन करता है,** जो **सभी वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को संरक्षण प्रदान करता है,** जिनमें वे भी शामिल हैं जो उपेक्षित हैं और स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
- यह विधेयक **2007 के अधिनियम के दायरे का विस्तार करता है** तथा **उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान जोड़ता है** ।
- "बच्चों" की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें बहू और दामाद को भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ तक कि वरिष्ठ

नागरिकों की बहू और दामाद भी उनकी देखभाल के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

- यह कानून लापरवाह बच्चों के लिए जेल की अवधि बढ़ाने, जैविक बच्चों और नाती-पोतों से आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी बढ़ाने और भरण-पोषण की परिभाषा में सुरक्षा को शामिल करने का प्रयास करता है। यह कानून अंततः उन बुज़ुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा जिन्होंने दुर्व्यवहार देखा है और उन्हें कानूनी कार्रवाई करने में मदद करेगा।
- अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को देय भरण-पोषण राशि पर निर्णय लेने के लिए भरण-पोषण न्यायाधिकरण स्थापित करना चाहिए।
- ये न्यायाधिकरण बच्चों और रिश्तेदारों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रुपये तक का मासिक भरण-पोषण शुल्क देने का आदेश दे सकते हैं।
- यह वरिष्ठ नागरिकों को उनका अधिकार मानकर उन्हें गरिमा और सम्मान का जीवन प्रदान करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक परिवर्तन लाता है।

सरकारी योजनाएँ और पहल

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

- वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **मई 2017 में** प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएनवीवीवाई) शुरू की गई थी।
- यह वीपीबीवाई का सरलीकृत संस्करण है और इसे **भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)** द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए 1,50,000 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए अधिकतम 7,50,000 रुपये तक की प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर, ग्राहकों को मासिक/तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक रूप से देय 8% प्रति वर्ष की गारंटीकृत रिटर्न दर के आधार पर एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- जिला स्तर तक की गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार कुल बजट का 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 25 प्रतिशत का योगदान करेगी।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)

- यह योजना **वित्त मंत्रालय** द्वारा संचालित की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) पहली बार 2003 में शुरू की गई थी और फिर 2014 में इसे फिर से शुरू किया गया।
- दोनों ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य सदस्यता राशि पर गारंटीकृत न्यूनतम रिटर्न पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)

- यह योजना **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा संचालित की जाती है।
- यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वित्त पोषित एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। इस कोष को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था। लघु बचत खातों, पीपीएफ और ईपीएफ से प्राप्त सभी अघोषित राशियों को इस कोष में स्थानांतरित किया जाना है।
- आरवीवाई योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और जीवन रक्षक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जो आयु-संबंधी विकलांगताओं जैसे कम दृष्टि, श्रवण दोष, दांतों का गिरना और चलने-फिरने में अक्षमता से पीड़ित हैं। पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण और उपकरण, जैसे चलने की छड़ियाँ, कोहनी की बैसाखी, वॉकर/बैसाखी, ट्राइपॉड/क्वाड पॉड, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम डेन्चर और चश्मे प्रदान किए जाते हैं।
- यह योजना भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

वयोश्रेष्ठ सम्मान

- यह राष्ट्रीय पुरस्कार 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों एवं संस्थाओं को **उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

- **ग्रामीण विकास मंत्रालय** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) चलाता है, जो वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों तथा कमाने वाले की मृत्यु के मामलों में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना के अंतर्गत **60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार को** भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 60-79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को **200 रुपये प्रति माह** तथा 80 वर्ष या उससे अधिक **आयु वर्ग के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह** की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी)

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** वृद्धजनों के कल्याण के लिए एक नोडल एजेंसी है।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके **उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।**

सम्पन्न परियोजना:

- इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह **दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली** है ।
- यह पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पेंशन की सीधी राशि जमा कराता है।

बुजुर्गों के लिए SACRED पोर्टल :

- यह पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
- **60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक** पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और **नौकरी एवं कार्य के अवसर पा सकते हैं।**

एल्डर लाइन: बुजुर्गों के लिए टोल-फ्री नंबर:

- यह **दुर्व्यवहार के मामलों में तत्काल सहायता के अलावा सूचना, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन** - विशेष रूप से पेंशन, चिकित्सा और कानूनी मुद्दों पर - प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों या उनके शुभचिंतकों को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे आपस में जुड़कर अपनी चिंताओं को साझा कर सकें तथा दिन-प्रतिदिन सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

SAGE (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पहल:

- यह विश्वसनीय स्टार्ट-अप्स द्वारा **वृद्धों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की "वन-स्टॉप पहुंच" है।**
- इसे ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए शुरू किया गया है जो वृद्धों की देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में उद्यमिता में रुचि रखते हैं।

मौजूदा सरकारी तंत्र से जुड़ी समस्याएं:

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। यह राशि 2006 में शुरू होने के बाद से अपरिवर्तित बनी हुई है।
- मुद्रास्फीति के कारण पिछले 11 वर्षों में इसका मूल्य घटकर 100 रुपये से भी कम रह गया है, जो एक दिन के अधिसूचित न्यूनतम वेतन से भी कम है।
- केंद्र सरकार ने 2007 में एक कानून (माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम) पारित किया, जिसके तहत बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को अनिवार्य बनाया गया तथा न्यायाधिकरणों के माध्यम से इसे न्यायोचित बनाया गया।
- अधिनियम में रिश्तेदारों की लापरवाही के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने, परित्याग के लिए दंडात्मक प्रावधान आदि का भी प्रावधान है।
- लेकिन यह **अधिनियम अपना उद्देश्य पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा है** ।
- वृद्धजनों के लिए नोडल मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय के पास भी वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम नामक एक बड़ी योजना है, जो 1992 से कार्यरत है।
- लेकिन इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन नहीं है और इसका संचालन भी सुस्त है, 2015-2016 में यह कार्यक्रम केवल 23,095 लाभार्थियों तक ही पहुंच पाया।
- भारत **अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.45 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पर** खर्च करता है , जो एशिया में सबसे कम है, तथा चीन, श्रीलंका, थाईलैंड और यहां तक कि नेपाल से भी कम है।
- भारत में **पेंशन उद्योग अपरिपक्व है और कुल भारतीय जनसंख्या का मात्र 7.4 प्रतिशत ही किसी प्रकार की पेंशन योजना के अंतर्गत आता है,** जो चिंताजनक है।
- लगभग 85 प्रतिशत भारतीय श्रमिक अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश दैनिक वेतनभोगी हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल करना अत्यंत कठिन है।
- लोग अपनी आय का कोई भी हिस्सा लम्बे समय तक निवेश करने के प्रति भी अनिच्छुक हैं।

उठाए जाने वाले कदम:

- भारत जैसी 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बुजुर्गों के लिए **2,000 रुपये की न्यूनतम सार्वभौमिक मासिक पेंशन** काफी संभव है।
- **वृद्धों, विशेषकर वृद्ध गरीबों के लिए आवास को** प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का एक उप-भाग बनाया जाना चाहिए।
- गरीब बुजुर्गों, विशेषकर डिमेंशिया जैसी आयु-संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए **सहायतायुक्त आवास सुविधाओं पर नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है।**

- वित्त मंत्रालय **अधिक कर छूट दे सकता है, या कम से कम वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा ब्याज पर कर हटा सकता है**।
- **माइक्रो-पेंशन एक व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति बचत योजना है**, जिसमें लोग अपने कामकाजी जीवन के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी आय का एक छोटा हिस्सा बचाते हैं, जिसे आवधिक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए सामूहिक रूप से निवेश किया जाता है।
- जब लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो उनकी **संचित पूंजी का भुगतान मासिक रूप से किया जाता है**।
- ऐसी योजना आर्थिक व्यवहार्यता और प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त रिटर्न के सृजन के बीच संतुलन बनाए रखेगी
- सरकार अपनी ओर से, ऐसी सूक्ष्म पेंशन योजनाओं की सदस्यता को प्रोत्साहित करने के लिए, कम आय वाले समुदायों को न्यूनतम अंशदान की आवश्यकता कम या शून्य रखने के लिए **वित्तीय लचीलेपन की पेशकश कर सकती है।**
- निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा बार-बार जमा करने की सुविधा के लिए, सरकार द्वारा **घर-घर जाकर जमा संग्रह की सुविधा प्रदान की जा सकती है।**
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **वृद्धावस्था देखभाल स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ाना।**
- दोनों स्तरों पर बुजुर्ग आबादी के लिए **विशेष बजट का आवंटन।**
- पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और क्लब जैसी **मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।**
- **गांव स्तर पर बुजुर्गों के योगदान की सराहना**।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- **सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग**
  - वृद्धों की ज़रूरतें और समस्याएँ उनकी आयु, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य विशेषताओं के अनुसार भिन्न होती हैं। स्वस्थ वृद्धावस्था एक जटिल मुद्दा है। वृद्धों की देखभाल को प्रभावी ढंग से करने के लिए, **सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग** आवश्यक है।
  - बुजुर्गों को बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में देखा जाना चाहिए। बुजुर्ग मानवता के लिए उपलब्ध सबसे तेज़ी से बढ़ते, लेकिन कम इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधन बनते जा रहे हैं। **उन्हें शारीरिक (और मानसिक) रूप से अलग रखकर उनकी अलग से देखभाल करने के बजाय, उन्हें समुदायों के जीवन में एकीकृत किया जाना चाहिए जहाँ वे सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।** बुजुर्गों की 'समस्या' को अन्य सामाजिक समस्याओं के 'समाधान' में बदलने के लाभ कई देशों में प्रदर्शित हो रहे हैं।
- **अभाव से सुरक्षा:**
  - **बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन** की दिशा में पहला कदम उन्हें अभाव और उसके साथ आने वाली सभी कठिनाइयों से बचाना है।
  - **पेंशन के रूप में नकद राशि** कई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और अकेलेपन से बचने में मदद कर सकती है।
  - यही कारण है कि **वृद्धावस्था पेंशन** दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **अग्रणी लोगों का अनुकरण करना:**
  - दक्षिणी राज्यों और ओडिशा तथा राजस्थान जैसे भारत के गरीब राज्यों ने लगभग सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हासिल कर ली है। उनके कार्य अनुकरणीय हैं।
  - यदि केंद्र सरकार एनएसएपी में सुधार कर दे तो **सभी राज्यों के लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाएगा**।
- **पेंशन योजनाओं के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित:**
  - एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन में **सुधार लाना होगा।**
  - उन्हें **अन्य सहायता और सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है**, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, विकलांगता सहायता, दैनिक कार्यों में सहायता, मनोरंजन के अवसर और अच्छा सामाजिक जीवन।
- **पारदर्शी "बहिष्करण मानदंड":**
  - बेहतर दृष्टिकोण यह है कि **सभी विधवाओं और बुजुर्गों या विकलांग व्यक्तियों को** सरल और पारदर्शी "बहिष्करण मानदंडों" के अधीन पात्र माना जाए।
  - **पात्रता की घोषणा स्वयं भी की जा सकती है**, तथा समयबद्ध सत्यापन का भार स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायत पर डाला जाएगा।
  - **यद्यपि , विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों द्वारा लाभ उठाने** की संभावना है , फिर भी आज की तरह बड़े पैमाने पर बहिष्करण त्रुटियों को जारी रखने की अपेक्षा कुछ समावेशन त्रुटियों को समायोजित करना अधिक बेहतर है।

रजत अर्थव्यवस्था

यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की एक प्रणाली है **जिसका लक्ष्य वृद्ध और बुजुर्ग लोगों की क्रय शक्ति का उपयोग करना** और उनकी उपभोग, जीवन और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

जेरोनटेक्नोलॉजी

जेरोनटेक्नोलॉजी **में तकनीकी प्रणालियों और समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो बुजुर्गों** और/या उनके देखभाल करने वालों को बुनियादी दैनिक कार्यों में सहायता करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दे

- विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) वे लोग हैं जो **शारीरिक, मानसिक, संवेदी और मनोवैज्ञानिक स्थितियों के संदर्भ में दीर्घकालिक विकलांगता से** ग्रस्त हैं , जो विभिन्न बाधाओं के कारण समाज के सभी पहलुओं में उनकी समान भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- विकलांगता एक व्यापक शब्द है, जिसमें **विकलांगता, गतिविधि सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल हैं।**
  - विकलांगता शरीर के कार्य या संरचना में कोई समस्या है ;
  - गतिविधि **सीमा** एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या कार्रवाई को निष्पादित करने में आने वाली कठिनाई है;
  - भागीदारी **प्रतिबंध** एक ऐसी समस्या है जिसका अनुभव व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों में भागीदारी करते समय करता है।

- भारत ने **विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और तत्पश्चात 1 अक्टूबर, 2007 को इसकी पुष्टि की** ।
  - एक नए विकलांगता कानून (दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016) के अधिनियमन से **विकलांगताओं की संख्या 7 स्थितियों से बढ़कर 21 हो गई।**
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में से लगभग **2.68 करोड़ व्यक्ति 'दिव्यांग' हैं (कुल जनसंख्या का 2.21%)**
  - 2.68 करोड़ में से **1.5 करोड़ पुरुष** और **1.18 करोड़ महिलाएं हैं**
  - **7.62% दिव्यांगजन 0-6 वर्ष** आयु वर्ग के हैं।
  - अधिकांश विकलांग आबादी (69%) **ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है**

Disabled Population by Type of Disability (%)
India : 2011

Proportion of Disabled Population by Type of Disability
India : 2011 (%)

Type of Disability	Persons	Males	Females
Total	100.0	100.0	100.0
In Seeing	18.8	17.6	20.2
In Hearing	18.9	17.9	20.2
In Speech	7.5	7.5	7.4
In Movement	20.3	22.5	17.5
Mental Retardation	5.6	5.8	5.4
Mental Illness	2.7	2.8	2.6
Any Other	18.4	18.2	18.6
Multiple Disability	7.9	7.8	8.1

Source: C-Series, Table C-20, Census of India 2011

विकलांगता के विभिन्न मॉडल

- **चिकित्सा मॉडल:**
  - चिकित्सा मॉडल में, कुछ **शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकलांगता** वाले व्यक्तियों को विकलांग माना जाता है।
    - इसके अनुसार, **विकलांगता व्यक्ति में निहित है क्योंकि इसे उपचार, इलाज और पुनर्वास** के माध्यम से पर्यावरण के साथ समायोजन के बोझ के साथ गतिविधि के प्रतिबंधों के बराबर माना जाता है।
- **सामाजिक मॉडल:**
  - सामाजिक मॉडल उस **समाज पर केंद्रित है जो विकलांग व्यक्तियों के व्यवहार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है।**
    - इसमें **विकलांगता व्यक्ति में नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच अंतःक्रिया में निहित है।**

भारत में विकलांगों के लिए संवैधानिक ढाँचा

- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी)** के **अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में** सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा ।
- **'विकलांगों और बेरोजगारों की राहत'** का विषय **संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची** में निर्दिष्ट है ।

विकलांगों के लिए कानून

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016

- यह अधिनियम दिव्यांगजन **(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लेता है।**
- **"विकलांग व्यक्ति"** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता से ग्रस्त है, जिसके कारण बाधाओं के कारण समाज में अन्य लोगों के समान उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है।
- **"बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति"** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसमें निर्दिष्ट विकलांगता का **40% से कम हिस्सा न हो,** जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाला ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- विकलांगता को एक **विकासशील और गतिशील अवधारणा** के आधार पर परिभाषित किया गया है ।
- दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांतों में अंतर्निहित गरिमा का सम्मान, अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता सहित व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल हैं। यह सिद्धांत दिव्यांगजनों के बारे में सोच में एक सामाजिक कल्याण संबंधी चिंता से मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में बदलाव को दर्शाता है।
- **विकलांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।** अधिनियम में **मानसिक बीमारी, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, भाषण और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरापन सहित कई विकलांगताएं शामिल हैं।एसिड अटैक पीड़ितों और पार्किंसंस रोग** जिन्हें पहले के अधिनियम में बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज़ कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार को निर्दिष्ट विकलांगता की किसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है।
- इससे सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए **आरक्षण की मात्रा 3% से बढ़कर 4% हो गई है तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की मात्रा 3% से बढ़कर 5% हो गई है।**
- **6 से 18 वर्ष की आयु के** प्रत्येक मानक विकलांगता वाले बच्चे को **निःशुल्क शिक्षा का अधिकार** होगा । सरकारी वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को भी समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।
- **सुगम्य भारत अभियान** के साथ-साथ निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक भवनों में सुगम्यता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया **है** ।
- दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त, अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हुए नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे।
- विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग **राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा।**
- इसमें जिला न्यायालय द्वारा संरक्षकता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके तहत संरक्षक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लिया जाएगा।
- दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त विनियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे।
- अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए अपराधों तथा नए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है।
- दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।
- नया अधिनियम हमारे कानून को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) के अनुरूप लाएगा, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।

भारत में विकलांगों के लिए कार्यक्रम/पहल

- **सुगम्य भारत अभियान** (या सुगम्य भारत अभियान) **: दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य वातावरण का सृजन:**
- **सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने** के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान , जो विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से रहने और समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएगा।
- इस अभियान का लक्ष्य निर्मित पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र **की सुगम्यता को बढ़ाना है।**
- **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना:** इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए **गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे विशेष विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, समुदाय आधारित पुनर्वास, पूर्व-विद्यालय और प्रारंभिक हस्तक्षेप आदि।**
- **दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं सहायता उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडीआईपी):** इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनकी पहुंच के भीतर उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक उपकरण एवं सहायता उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करना है।
- **विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (आरजीएमएफ)**
- इस योजना का उद्देश्य विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना है।
- इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों को प्रति वर्ष **200 फेलोशिप प्रदान की जाती हैं।**
- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले **व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की योजनाएं।**
- **विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) पोर्टल:**
- **इस परियोजना का क्रियान्वयन दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने** तथा प्रत्येक दिव्यांगजन को **एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने** के उद्देश्य से किया जा रहा है ।
- यह परियोजना न केवल दिव्यांगजनों को **सरकारी लाभ पहुंचाने में पारदर्शिता, दक्षता और आसानी को बढ़ावा देगी , बल्कि एकरूपता भी सुनिश्चित करेगी।**

- यह परियोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों - ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर **लाभार्थियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करेगी।**

वैश्विक :

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में **विकलांग व्यक्तियों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाना" हेतु इंचियोन रणनीति ।**
- **विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन।**
- **अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस** : हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है ।
- **विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत** : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने **विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सामाजिक न्याय तक पहुँच पर अपने पहले दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि दुनिया भर की न्याय प्रणालियों तक उनकी पहुँच आसान हो सके। ये दिशानिर्देश 10 सिद्धांतों** की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और कार्यान्वयन के चरणों का विवरण देते हैं।
- **सिद्धांत 1:** दिव्यांगजनों को विकलांगता के आधार पर न्याय तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **सिद्धांत 2:** सुविधाएं और सेवाएं दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव किए बिना **सार्वभौमिक रूप से सुलभ होनी चाहिए।**
- **सिद्धांत 3:** दिव्यांगजनों, जिनमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, को **उचित प्रक्रियागत सुविधाओं का अधिकार है।**
- **सिद्धांत 4:** दिव्यांगजनों को अन्य लोगों के समान **समय पर तथा सुलभ तरीके से कानूनी नोटिस और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।**
- **सिद्धांत 5:** दिव्यांगजन अन्य लोगों के समान ही **अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त सभी मूलभूत और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं, तथा राज्यों को** उचित प्रक्रिया की गारंटी के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
- **सिद्धांत 6:** दिव्यांगजनों को **निःशुल्क या किफायती कानूनी सहायता पाने का अधिकार है।**
- **सिद्धांत 7:** दिव्यांगजनों को **न्याय प्रशासन में** अन्य लोगों के साथ समान आधार पर भाग लेने का अधिकार है।
- **सिद्धांत 8:** दिव्यांगजनों को मानवाधिकार उल्लंघनों और अपराधों से संबंधित **शिकायतें दर्ज कराने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है।**
- **सिद्धांत 9: प्रभावी और मजबूत निगरानी तंत्र** दिव्यांगजनों के लिए न्याय तक पहुंच को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **सिद्धांत 10:** न्याय प्रणाली में काम करने वाले सभी लोगों को दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में **जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने चाहिए।**

मुद्दे और चुनौतियाँ

- **स्वास्थ्य:**
- बड़ी संख्या में विकलांगताओं को रोका जा सकता है, जिनमें जन्म के दौरान चिकित्सा संबंधी समस्याओं, मातृ स्थितियों, कुपोषण, साथ ही दुर्घटनाओं और चोटों से उत्पन्न विकलांगताएं भी शामिल हैं।
- हालाँकि, स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, विकलांगता के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया देने में विफल रहा है।
- इसके अलावा, उचित स्वास्थ्य देखभाल, सहायक उपकरण और उपकरणों तक सस्ती पहुंच का अभाव है।
- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और पुनर्वास केंद्रों में खराब प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक और चिंता का विषय है।
- **शिक्षा:**
- शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है। हल्के से मध्यम विकलांगता वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में शामिल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- इसमें विभिन्न मुद्दे शामिल हैं जैसे विशेष स्कूलों की उपलब्धता, स्कूलों तक पहुंच, प्रशिक्षित शिक्षक और विकलांगों के लिए शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता।
- इसके अलावा, उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिए आरक्षण कई मामलों में पूरा नहीं किया गया है।
- **रोज़गार:**
- यद्यपि अनेक विकलांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम हैं, फिर भी विकलांग वयस्कों की रोजगार दर सामान्य जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है।

- निजी क्षेत्र में स्थिति और भी खराब है, जहां विकलांगों को बहुत कम रोजगार मिलता है।
- **सुगम्यता:** भवनों में भौतिक सुगम्यता, परिवहन, सेवाओं तक पहुंच आदि अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **भेदभाव/सामाजिक बहिष्कार:**
- विकलांग व्यक्तियों के परिवारों, तथा प्रायः स्वयं विकलांग व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए नकारात्मक दृष्टिकोण, विकलांग व्यक्तियों को परिवार, समुदाय या कार्यबल में सक्रिय भाग लेने से रोकते हैं।
- दिव्यांग लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मानसिक बीमारी या मानसिक विकलांगता से पीड़ित लोगों को सबसे ज़्यादा कलंक का सामना करना पड़ता है और उन्हें गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
- **अपर्याप्त आँकड़े और आँकड़े:** सटीक और तुलनीय आँकड़ों और सांख्यिकी का अभाव विकलांग व्यक्तियों के समावेशन में और भी बाधा डालता है। आँकड़ों के संग्रह और विकलांगता के मापन में प्रमुख समस्याएँ ये हैं:
- विकलांगता को परिभाषित करना कठिन
- कवरेज: विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग विकलांगता डेटा की आवश्यकता होती है
- विकलांगता को विकलांगता के रूप में रिपोर्ट करने में अनिच्छा को कई स्थानों/समाजों में कलंक माना जाता है
- **नीतियों और योजनाओं का खराब क्रियान्वयन** दिव्यांगजनों के समावेशन में बाधा डालता है। यद्यपि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियम और योजनाएँ बनाई गई हैं, फिर भी उनके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **रोकथाम:**
- निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा सभी बच्चों की छोटी उम्र में ही जांच की जानी चाहिए।
- केरल ने पहले ही एक प्रारंभिक रोकथाम कार्यक्रम शुरू कर दिया है। व्यापक नवजात जांच (सीएनएस) कार्यक्रम का उद्देश्य शिशुओं में विकलांगता की प्रारंभिक पहचान करना और राज्य पर विकलांगता के बोझ को कम करना है।
- **जागरूकता:**
- विकलांग लोगों को कलंक से उबरकर समाज में बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता है
- लोगों को विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
- विकलांग लोगों की सफलता की कहानियों को लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है।
- **रोज़गार:**
- विकलांग वयस्कों को रोजगारपरक कौशल से सशक्त बनाने की आवश्यकता है
- उन्हें रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **बेहतर मापन:** भारत में विकलांगता के पैमाने को बेहतर ढंग से समझने के लिए विकलांगता के मापन में सुधार की आवश्यकता है।
- **शिक्षा:**
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए राज्यवार रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें नियमित स्कूलों में शामिल करने के लिए उचित शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए।
- इसके अलावा और अधिक विशेष स्कूल होने चाहिए तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **पहुँच:**
- सड़क सुरक्षा, आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आदि जैसे सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
- इसके अलावा, इमारतों को विकलांगों के अनुकूल बनाना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए
- **नीतिगत हस्तक्षेप:**
- विकलांगों के कल्याण के लिए अधिक बजटीय आवंटन। लैंगिक बजट की तर्ज पर विकलांगता बजट भी होना चाहिए।
- योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक धन की उचित निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

तृतीय लिंग एवं LGBTQIA से संबंधित मुद्दे

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** के अनुसार , **ट्रांसजेंडर** उन लोगों के लिए एक **व्यापक शब्द है जिनकी लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति, जन्म के समय उन्हें दिए गए लिंग से जुड़े पारंपरिक मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती।** अगर वे एक जैविक लिंग से दूसरे जैविक लिंग में संक्रमण के लिए चिकित्सा सहायता चाहते हैं, तो उन्हें ट्रांससेक्सुअल कहा जाता है।
- भारतीय जनगणना में कभी भी तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर को जनगणना के आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया। **लेकिन 2011 में, ट्रांसजेंडरों के रोजगार, साक्षरता और जाति से संबंधित विवरणों के साथ उनके आंकड़े एकत्र किए गए** ।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, **ट्रांसजेंडर की कुल जनसंख्या 4.88 लाख है** , जिसमें **सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है,** उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है।
- 2014 में, **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ*** के मामले में , **'ट्रांसजेंडर' को 'तीसरे लिंग' के रूप में** मान्यता देकर भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की नींव रखी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव के निषेध और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई उपाय निर्धारित किए।
- इस निर्णय में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडरों के लिए **आरक्षण** तथा लिंग परिवर्तन सर्जरी के बिना **स्वयं की लिंग पहचान घोषित करने के उनके अधिकार की सिफारिश की गई थी।**

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी समस्याएं

- **भेदभाव:** ट्रांसजेंडर आबादी सबसे हाशिए पर पड़े समूहों में से एक है। लैंगिकता या लैंगिक पहचान अक्सर ट्रांसजेंडरों को समाज द्वारा कलंक और बहिष्कार का शिकार बनाती है।
- **बहिष्कार:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है और कभी-कभी तो उनके अपने परिवार भी उन्हें बोझ समझते हैं और उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं।
- **गरीबी:** कई मामलों में, कानूनी सुरक्षा का अभाव ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बेरोजगारी का कारण बनता है
- **शिक्षा:** उत्पीड़न, भेदभाव और यहाँ तक कि हिंसा के कारण ट्रांसजेंडर लोगों को समान शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते। ज़्यादातर ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है क्योंकि भारतीय स्कूल वैकल्पिक यौन पहचान वाले बच्चों को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाते।
- **स्वास्थ्य:** ट्रांसजेंडरों को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करते समय अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें अनादर और उत्पीड़न से लेकर हिंसा और सेवा से सीधे इनकार तक शामिल है। यह समुदाय एचआईवी और एड्स जैसी यौन संचारित बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना रहता है। यूएनएड्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ट्रांसजेंडरों में एचआईवी का प्रसार 3.1% (2017) है।
- **मानसिक स्वास्थ्य** समस्याओं में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति, और हिंसा से संबंधित तनाव शामिल हैं
- **रोजगार:** वे आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं और आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति और भीख मांगने जैसे व्यवसायों में मजबूर हैं या शोषणकारी मनोरंजन उद्योग का सहारा लेते हैं।
- **सार्वजनिक स्थानों और आश्रय तक पहुँच:** ट्रांसजेंडरों को घरों या अपार्टमेंट तक पहुँचने में सीधे भेदभाव और इनकार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, उन्हें लिंग-तटस्थ/अलग ट्रांसजेंडर शौचालयों की कमी और सार्वजनिक शौचालयों तक पहुँचने में भेदभाव के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **नागरिक स्थिति:** सटीक और सुसंगत पहचान दस्तावेज रखना ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है।
- **लिंग आधारित हिंसा:** ट्रांसजेंडरों को अक्सर यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार और शोषण का शिकार होना पड़ता है।

ट्रांसजेंडर के प्रति नकारात्मक रवैये के कारण:

- भारत और अन्य दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में लिंग और कामुकता हमेशा से ही विविध रही है और बहुलवाद की परंपराओं में निहित रही है।
- ट्रांसजेंडर आबादी सबसे हाशिए पर पड़े समूहों में से एक बनी हुई है। लैंगिकता या लैंगिक पहचान अक्सर ट्रांसजेंडरों को समाज द्वारा कलंक और बहिष्कार का शिकार बनाती है।
- मिसाल के तौर पर, अगर आप भारत में लोगों से पूछें कि वे ट्रांस लोगों के बारे में क्या जानते हैं, तो ज़्यादातर लोग बस यही जवाब देते हैं कि उन्होंने उन्हें ट्रैफ़िक सिग्नल के पास और ट्रेनों के अंदर भीख मांगते देखा है। कुछ लोग उनके 'बुरे' व्यवहार की शिकायत करने लगते हैं।
- अधिकांश ट्रांसजेंडर गरीब जातियों और वर्गों से आते हैं, और आर्थिक हाशिए पर होने के कारण उनका अनुभव बहुत अधिक प्रभावित होता है।
- ट्रांसजेंडरों को समाज में एक ऐसा स्थान प्राप्त है जो एक साथ आदरणीय और कलंकित माना जाता है।
- उनकी आध्यात्मिक विरासत के कारण, उन्हें लोगों को श्राप देने या आशीर्वाद देने की शक्ति रखने वाला माना जाता है, और उनमें शर्मिंदगी की भी बहुत अधिक संभावना देखी जाती है, क्योंकि वे धमकी देते हैं कि यदि उन्हें विवाह जैसे आयोजनों में भाग लेने के लिए भुगतान नहीं किया गया तो वे स्वयं को शारीरिक रूप से उजागर कर देंगे।
- **ट्रांसजेंडर बच्चे का माता-पिता होना शर्मनाक है:** यह समाज में मौजूद सबसे आम पूर्वाग्रहों में से एक है, जिसके कारण लोग अपने बच्चों को इस दुनिया में अकेले कष्ट सहने के लिए छोड़ देते हैं।
- इस प्रकार, इन युवाओं को “अपने ही परिवारों (विशेषकर पुरुष रिश्तेदारों) द्वारा त्याग दिया जाता है”, और उन्हें पारिवारिक शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने वाले कई बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वे स्कूल प्रशासन द्वारा उन पर थोपे गए कठोर लैंगिक मानदंडों को झेलने में असमर्थ होते हैं।
- कार्यस्थलों में, "ट्रांस-पुरुषों को अक्सर उनके सहकर्मी उनके "मर्दाना" रूप और/या लैंगिक अभिकथन/अभिकथनों के कारण रूढ़िबद्ध मान लेते हैं। इसलिए, वे आसानी से हिंसा और/या उल्लंघन का आसान निशाना बन जाते हैं।"
- वे आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं और आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति और भीख मांगने जैसे व्यवसायों में मजबूर हैं या शोषणकारी मनोरंजन उद्योग का सहारा ले रहे हैं।
- लिंग आधारित हिंसा: ट्रांसजेंडर अक्सर यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार और शोषण का शिकार होते हैं
- अंत में, यह माना जाता है कि ट्रांसजेंडर होना एक विकल्प है और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति विपरीत लिंग के लोगों के साथ डेट करने के लिए अपना लिंग बदलता है। नहीं, यह पहले ही महत्वपूर्ण शोधों में सिद्ध हो चुका है कि ट्रांसजेंडर होना कोई विकल्प नहीं है। समाज में ट्रांस लोगों के बारे में अज्ञानता या जागरूकता की कमी के कारण ही कुछ लोग अभी भी यही सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर होना एक विकल्प है।

इन मुद्दों से निपटने के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019:

- अधिनियम में कहा गया है कि एक **ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी स्वयं की लिंग पहचान का अधिकार होगा। पहचान प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है** और लिंग परिवर्तन होने पर संशोधित प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
- इस अधिनियम में एक प्रावधान है जो ट्रांसजेंडर को **माता-पिता और निकटतम परिवार के सदस्यों के साथ निवास का अधिकार प्रदान करता है।**
- यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में **ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव पर रोक लगाता है।**
- इसमें कहा गया है कि **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध के लिए जुर्माने के अलावा छह महीने से दो वर्ष तक की कैद की सजा होगी।**

- इसमें **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद (एनसीटी) की स्थापना का आह्वान किया गया है।**
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के कार्य :**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण पर **केंद्र सरकार को सलाह देना ।**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की **निगरानी और मूल्यांकन करना ।**
  - सभी विभागों की गतिविधियों की **समीक्षा और समन्वय करना ।**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की **शिकायतों का निवारण करना ।**
  - केंद्र द्वारा निर्धारित **अन्य कार्य** करना ।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020

- केंद्र सरकार ने **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम बनाए।**
- यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में पहला ठोस कदम है।
- नियमों का उद्देश्य **ट्रांसजेंडरों की पहचान को मान्यता प्रदान करना तथा** शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, संपत्ति के स्वामित्व या निपटान, सार्वजनिक या निजी पद धारण करने तथा सार्वजनिक सेवाओं और लाभों तक पहुंच और उपयोग के क्षेत्र में भेदभाव पर रोक लगाना है।
- **'इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति' और 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति'** की परिभाषाओं में ट्रांस पुरुषों और ट्रांस महिलाओं को शामिल किया गया है (चाहे ऐसे व्यक्ति ने सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी, हार्मोन या अन्य थेरेपी ली हो या नहीं)।
- **यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति के आवागमन, निवास, किराये पर रहने या अन्यथा संपत्ति पर कब्जा करने के अधिकार को** और मजबूत करता है ।
- **यह विधेयक स्वयं-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार** का प्रावधान करता है तथा जिला मजिस्ट्रेट पर यह दायित्व डालता है कि वह किसी भी चिकित्सीय या शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता के बिना, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जारी करे।
- यदि ट्रांसजेंडर व्यक्ति पुरुष या महिला के रूप में **लिंग परिवर्तन** के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप करवाता है और उसे संशोधित पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो उसे संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा।
- प्रत्येक प्रतिष्ठान को कानून के तहत निर्धारित कुछ विशिष्ट जानकारी के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति तैयार करने का आदेश दिया गया है।
- इससे समावेशी शिक्षा आदि जैसे समावेशी प्रतिष्ठानों के निर्माण में मदद मिलेगी।
- समावेशन की प्रक्रिया में अस्पतालों में अलग वार्ड और शौचालय (यूनिसेक्स शौचालय) जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण भी आवश्यक है।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद:** एनसीटी का संविधान सरकार को नीतियों के निर्माण और निगरानी तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण पर सलाह देता है।
- अपराध, जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जबरन या बंधुआ मजदूरी में शामिल करना या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना या शारीरिक, भावनात्मक या यौन दुर्व्यवहार करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए गए अन्य अपराधों के लिए कम से कम छह महीने से लेकर दो साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

कल्याणकारी उपाय

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:

- **इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के** अनुरूप लॉन्च किया गया है ।
- इससे ट्रांसजेंडरों को देश में कहीं से भी **प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने** में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अधिकारियों के साथ **किसी भी प्रकार के शारीरिक संपर्क से बचना होगा।**
- इससे उन्हें आवेदन, अस्वीकृति, शिकायत निवारण आदि की **स्थिति पर नज़र रखने में मदद मिलेगी,** जिससे प्रक्रिया में **पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।**
- जारी करने वाले प्राधिकारियों को भी आवेदनों पर **कार्रवाई करने तथा बिना किसी देरी के प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए सख्त समय-सीमा का पालन करना होता है।**

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद:

- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का** गठन किया , **जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** के तहत एक आवश्यकता है ।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे:**
- केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री (अध्यक्ष)
- सामाजिक न्याय राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष)
- सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव
- स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों से एक प्रतिनिधि।
- अन्य सदस्यों में नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकारों का भी प्रतिनिधित्व होगा। परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच सदस्य और गैर-सरकारी संगठनों के पाँच विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

गरिमा गृह:

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक योजना तैयार कर रहा है, जिसमें **निराश्रित और जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों की स्थापना को** एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- इसे **गुजरात के वडोदरा** में खोला गया है और इसे लक्ष्य ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जाएगा **, जो** पूरी तरह से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय-आधारित संगठन है।
- **'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह' योजना** में आश्रय सुविधा, भोजन, कपड़े, मनोरंजन सुविधाएं, कौशल विकास के अवसर, योग, शारीरिक फिटनेस, पुस्तकालय सुविधाएं, कानूनी सहायता, लिंग परिवर्तन और सर्जरी के लिए तकनीकी सलाह, ट्रांस-फ्रेंडली संगठनों की क्षमता निर्माण, रोजगार आदि शामिल हैं।
- इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा चिन्हित प्रत्येक गृह में **कम से कम 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाएगा।**

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भत्ता

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है, जिसने **प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को** उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता के रूप में 1500 रुपये का निर्वाह भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

- इस वित्तीय सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को **अपनी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में** मदद मिलेगी । ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) को इस कदम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है।
- मंत्रालय ने पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इसी तरह की वित्तीय सहायता और राशन किट प्रदान की थी। इस पर कुल 98.50 लाख रुपये खर्च हुए थे, जिससे देश भर के लगभग 7000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ हुआ था।

परामर्श सेवा हेल्पलाइन – 8882133897

- चूँकि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग इससे जुड़े कलंक के कारण मदद लेने में सहज महसूस नहीं करते, इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्तमान महामारी के कारण संकटग्रस्त ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु एक निःशुल्क हेल्पलाइन की भी घोषणा की है। **कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 8882133897 पर विशेषज्ञों से संपर्क कर सकता है।**
- **यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेगी।**
- इस हेल्पलाइन पर पेशेवर मनोवैज्ञानिकों द्वारा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

ट्रांसजेंडरों का टीकाकरण

- मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को एक पत्र भी लिखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **मौजूदा कोविड/टीकाकरण केंद्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव न** हो ।
- उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जागरूकता अभियान चलाएं, विशेष रूप से विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंच बनाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी और जागरूकता हो।
- राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए हरियाणा और असम राज्यों की तरह अलग मोबाइल टीकाकरण केंद्र या बूथ आयोजित करें।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए SMILE योजना

- सरकार ने **"आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल)" नामक एक व्यापक योजना को मंजूरी दी है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की एक उप-योजना शामिल है।**
- आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE) योजना का ध्यान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं और हस्तक्षेप, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक संबंधों के प्रावधान पर केंद्रित है।

ट्रांसजेंडर आबादी की सुरक्षा के लिए राज्य कानून:

- **ओडिशा -** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'स्वीकृति'। कौशल उन्नयन, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान।
- **केरल** : 2015 में ट्रांसजेंडर नीति, स्कूल, ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए न्याय बोर्ड, पूर्णतः ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित मेट्रो स्टेशन, **जी-टैक्सी** : पूर्णतः ट्रांसजेंडरों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित, निःशुल्क लिंग-पुनर्निर्धारण सर्जरी।
- **तमिलनाडु** : ट्रांसजेंडर कल्याण नीति, निःशुल्क सर्जरी, समुदाय के सदस्यों के साथ ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य।
- **चंडीगढ़** : ट्रांसजेंडर बोर्ड में सभी विभागों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा और कानून विभाग के सदस्य शामिल हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े **सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिए जन जागरूकता अभियानों** पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहु-दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।
- ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग स्वीकार करने के लिए स्कूल स्तर से ही **बड़े पैमाने पर संवेदनशीलता लाने की आवश्यकता है।**
- **कानूनी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को** ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों पर सशक्त और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- ट्रांसजेंडर के खिलाफ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद** की स्थापना, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सम्मान और स्वीकृति की भावना विकसित करना है, एक स्वागत योग्य कदम है।
- हालाँकि, परिषद के प्रभावी कामकाज से ही वह ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करने और तदनुसार सरकार को सलाह देने में सक्षम हो पाएगी।
- नीतियों और विनियमों के अलावा, एक समावेशी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है , विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों के प्रति **कानूनी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को संवेदनशील बनाना ।**
- लोगों के नकारात्मक दृष्टिकोण से हमें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने में उनके सामने आने वाली बाधाओं को समझने में मदद मिल सकती है।
- भविष्य के जागरूकता कार्यक्रमों में इन बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- ट्रांसजेंडरों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों की बेहतर समझ से नीतियों में बदलाव लाने और उन्हें उनके उचित अधिकार दिलाने में मदद मिलेगी।

एलजीबीटीक्यूआईए

- यह जादुई लगता है कि भारत अपनी विकास यात्रा में परंपराओं और संस्कृति को कैसे बनाए रखते हुए एक अविश्वसनीय यात्रा कर रहा है। यहाँ की विविधता हमेशा से एक अंतरराष्ट्रीय आकर्षण रही है। लेकिन जब अलग-अलग यौनिकताओं को स्वीकार करने की बात आती है, तो इस विषय पर अभी भी एक **बड़ी वर्जना बनी हुई है।**
- **LGBTIQ** का अर्थ है **लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटर-सेक्स और क्वीर** ।
- **LGBTIQ+** : **धन** चिह्न **विविध SOGIESC वाले लोगों को दर्शाता है** जो अन्य शब्दों का उपयोग करके अपनी पहचान बनाते हैं। कुछ संदर्भों में, LGB, LGBT या LGBTI का उपयोग विशिष्ट आबादी के लिए किया जाता है।
- **एसओजीआईईएससी का अर्थ है यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताएं।**
- ये वे लोग हैं जो सिसजेंडर विषमलैंगिक "आदर्शों" से अपनी पहचान नहीं रखते। भारत में, LGBTQIA+ समुदाय में एक विशिष्ट सामाजिक समूह, एक विशिष्ट समुदाय भी शामिल है: **हिजड़े** । सांस्कृतिक रूप से उन्हें या तो "न पुरुष, न महिला" के रूप में परिभाषित किया जाता है **, या ऐसे पुरुषों के रूप में जो महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं । वर्तमान में उन्हें** *तृतीय लिंग* कहा जाता है ।
- हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, फिर भी LGBTQIA+ समूह अपनी सामाजिक आज़ादी और बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। **भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 सितंबर 2018 को धारा 377[1] को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया** , जिसके तहत समलैंगिक संबंधों को " **अप्राकृतिक अपराध** " माना जाता था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य पर नज़र डालें तो अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

LGBTQAI+ इतिहास

- जब से हमारी प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं तथा उनके संबंधों को रचा है, तब से उसने अलग-अलग लिंग वरीयताओं वाले लोगों को भी रचा है, जो हमारे समाज के अनुसार, अप्राकृतिक प्राणी हैं। **फ्रांसीसी इतिहासकार फूको ने पुष्टि की है कि लिंगों के आधुनिक वर्गीकरण की** शुरुआत उन्नीसवीं सदी के यूरोप में हुई थी और तब तक ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी (फूको-1990)।
- आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने समाज की इन धारणाओं का खंडन किया है और ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जहाँ समलैंगिकता को समाज का एक अंग और स्वाभाविक माना गया है। हालाँकि **ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि इन लोगों को समाज से बहिष्कृत किया गया था, बल्कि यह माना जाता था कि वे दैवीय अंतर्दृष्टि के साथ पैदा हुए थे । आधुनिक समय में भी, भारतीय समाज में कई लोग, जो केवल प्रजननशील और विषमलैंगिक हैं, मानते हैं कि *किन्नरों*** का आशीर्वाद उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है और उनका श्राप उनके जीवन को नष्ट कर सकता है।
- **पवित्र ग्रंथ, भगवद पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव ने भी विष्णु को मोहिनी रूप में देखा और उन पर मोहित हो गए और उनके मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ । शिखंडिनी** और **बृहन्नला** के प्रसिद्ध पात्र महाभारत के सबसे सम्मानित किन्नर पात्र हैं। वाल्मीकि रामायण में, **राजा भगीरथ** का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से उनकी दो माताओं और राजा दिलीप की विधवाओं के मिलन का परिणाम था।
- मध्यकाल में, अमीर खुसरो के अनुसार, दक्षिण भारत के असली आक्रमणकारी **अलाउद्दीन खिलजी और उसके गुलाम मलिक काफूर के बीच समलैंगिक संबंध थे** । वह अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बुद्धिमान और वफादार गुलाम था।
- उन्नीसवीं सदी समलैंगिकों के विकास का काल था। ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के साथ, भारतीयों के विचार भी उसी के अनुरूप बदले और कानून समलैंगिकता-विरोधी बन गए और समलैंगिक गतिविधियाँ क्रमशः अवैध हो गईं।
- आज़ादी के बाद भी LGBTQ+ समुदाय के लोगों की समस्याएँ हल नहीं हुईं। 1994 में, दिल्ली की तिहाड़ जेल में एचआईवी/एड्स के मामलों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें कंडोम पहनने की अनुमति नहीं दी और इसकी वजह समलैंगिक वयस्कों के बीच अवैध शारीरिक अंतरंगता की अनुमति थी। नतीजतन, इसके खिलाफ कई जनहित याचिकाएँ दायर की गईं।

भारत में LGBTQIA+ आंदोलन की समयरेखा

1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान समलैंगिक संभोग को अप्राकृतिक माना जाता था और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की **धारा 377 के अध्याय 16 के तहत इसे आपराधिक अपराध घोषित किया गया था।**

- स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार लागू किया गया लेकिन समलैंगिकता अभी भी एक आपराधिक अपराध बना रहा।
- दशकों बाद, 11 अगस्त 1992 को समलैंगिक अधिकारों के लिए पहला विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।
- 1999 में, कोलकाता ने भारत की पहली समलैंगिक गौरव परेड की मेजबानी की। केवल 15 लोगों की उपस्थिति वाली इस परेड को कलकत्ता रेनबो प्राइड नाम दिया गया।
- **2009 में, नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संभोग को अपराध मानना भारत के संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।**
- 2013 में **सुरेश कुमार कौशल एवं अन्य बनाम नाज़ फाउंडेशन** एवं अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार मामले को **पलट दिया** और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को बहाल कर दिया।
- 2015 के अंत में सांसद शशि थरूर ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए एक विधेयक पेश किया लेकिन इसे लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया।

- **अगस्त 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पुट्टुस्वामी फैसले में निजता के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा**। इससे एलजीबीटी कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी।
- **6 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि धारा 377 असंवैधानिक है "जहां तक यह समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन आचरण को अपराध बनाती है "।**

धारा 377 के खिलाफ लड़ाई समाप्त हो गई है, लेकिन एलजीबीटी समुदाय के लिए समान अधिकारों की बड़ी लड़ाई अभी भी जारी है।

LGBTQIA+ अधिकारों में योगदान देने वाले निर्णय

नाज़ फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

- यह मामला दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन, नाज़ फाउंडेशन, जो एचआईवी/एड्स के मुद्दे पर काम करता है, ने दायर किया था। उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर तर्क दिया कि धारा 377 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह समान व्यवहार और जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप करती है। उन्होंने दलील दी कि अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव न करने के अधिकार को प्रतिबंधात्मक रूप से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसमें "यौन अभिविन्यास" को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में कहा गया था कि धारा 377 अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 377 सार्वजनिक और निजी कृत्यों, या सहमति और गैर-सहमति वाले कृत्यों के बीच अंतर नहीं करती है। यह फैसला वयस्कों तक ही सीमित था, जबकि धारा 377 नाबालिगों पर भी लागू होती थी। धारा 377 कानून में एलजीबीटी लोगों के उत्पीड़न की अनुमति देती थी।

सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन

- इस मामले में, नाज़ फाउंडेशन मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 377 लिंग-तटस्थ है और इसमें लिंग की परवाह किए बिना स्वेच्छा से किए गए यौन संबंध भी शामिल हैं। यह अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, और निजता के अधिकार में धारा 377 के तहत किसी भी अपराध का निर्धारण करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबकि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि धारा 377 एलजीबीटी समुदाय को उनके यौन अभिविन्यास के माध्यम से लक्षित करती है। अनुच्छेद 21 के तहत यौन अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसलिए, धारा 377 उन्हें नैतिक नागरिकता से वंचित करती है। अनुच्छेद 14 और 21 एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने नाज़ फाउंडेशन मामले के फैसले को पलट दिया और इस फैसले को "कानूनी रूप से अस्थिर" घोषित कर दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को वैध ठहराया और समलैंगिकता, यानी प्रकृति के विरुद्ध यौन संबंध को फिर से अपराध घोषित कर दिया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ

- जुलाई 2014 में दो न्यायाधीशों की पीठ ने ट्रांसजेंडरों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया और उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ

- 6 सितंबर 2018 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया। इस फैसले में सुरेश कौशल मामले को खारिज कर दिया गया और केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले पर आधारित निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा घोषित किया गया।

भेदभाव के कारण LGBTQ के सामने आने वाली समस्याएँ

- समलैंगिक गौरव परेड, मिलन समारोहों और ट्विटर पर गरमागरम बहसों से दूर, ग्रामीण भारत में परिवारों के पास एलजीबीटी व्यक्तियों से निपटने के अपने तरीके हैं।
- कुछ भागों में, गुप्त रूप से झूठी शान के नाम पर हत्याएं की जाती हैं, ताकि किसी युवा समलैंगिक व्यक्ति के लिए जीवित रहने का एकमात्र तरीका यह हो कि वह रात के अंधेरे में किसी शहर में भाग जाए, और उसके पास न तो पैसा हो और न ही सामाजिक समर्थन।
- एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के विरुद्ध घृणा अपराध अभी भी देश भर में आश्चर्यजनक रूप से प्रचलित हैं।
- गाँव के डॉक्टर और बाबा अक्सर समलैंगिक महिलाओं को समलैंगिकता से मुक्त करने के लिए बलात्कार की सलाह देते हैं। शादी से इनकार करने पर शारीरिक शोषण और बढ़ जाता है। टीवी और अन्य मीडिया पर परिवार द्वारा स्वीकृति की जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं, वे ज़्यादातर शहरी होती हैं।
- एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि एलजीबीटी लोगों को कलंकित करने का एक प्रमुख कारण समलैंगिकता के प्रति माता-पिता की प्रतिक्रिया है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि ज़्यादातर एलजीबीटी लोग परिवार को तभी स्वीकार्य होते हैं जब वे विषमलैंगिकों की तरह व्यवहार करने के लिए सहमत हों।
- जब LGBTQ व्यक्तियों ने अपने परिवारों के सामने अपनी बात रखी तो उन्हें मनोरोग वार्ड में भेज दिया गया।
- जो परिवार उनकी पहचान को स्वीकार करते हैं, वे उनके पहनावे और अपने जीवनसाथी के साथ बातचीत करने के तरीके पर कई प्रतिबंध लगाते हैं।
- पारिवारिक सहयोग के अभाव में, ऑनलाइन समूहों और सोशल मीडिया ने परिवार से बाहर एक समुदाय बनाने के सुलभ विकल्प प्रदान किए हैं। गेसी और गेलेक्सी जैसे प्लेटफ़ॉर्म और क्वीर इंक जैसे प्रकाशकों ने एलजीबीटी लोगों के लिए बातचीत, साझा करने और सहयोग करने के लिए जगह बनाने में मदद की है।

भारत वर्तमान में कहां खड़ा है

- जबकि **मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन के संविधान यौन अभिविन्यास के आधार पर सुरक्षा प्रदान करते हैं** , भारत में अभी भी एक बुनियादी कानून का अभाव है जो LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को मान्यता देता है या उनके खिलाफ किसी भी उत्पीड़न या भेदभाव को आपराधिक बनाता है।
- **समलैंगिक विवाह, गोद लेने और सरोगेसी की अनुमति देने के अलावा, बोलीविया, इक्वाडोर, फिजी, माल्टा और यूके जैसे देशों ने एक कदम आगे बढ़कर अपने संविधानों में लैंगिक अभिविन्यास और लैंगिक पहचान के आधार पर नागरिकों के लिए समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया है।** हालाँकि, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विवाह, गोद लेने, सरोगेसी और स्वास्थ्य के संबंध में LGBTQ समुदाय के लोगों के अधिकारों को स्पष्ट करता हो।
- प्रगतिशील और विकसित देशों के राजनीतिक-कानूनी परिदृश्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि **इस समुदाय के समानता के अधिकार और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। भारतीय समाज में गैर-सीस-जेंडर लोगों के प्रति स्वीकार्यता की मानसिकता विकसित करने के लिए शिक्षा और**

जागरूकता का अभाव है। पर्याप्त कानून और भेदभाव-विरोधी कानूनों की कमी ने सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के नवतेज सिंह जौहर फैसले से किसी भी प्रगति को रोक दिया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अपराधमुक्त कर दिया है। अब अगला कदम समाज को LGBTQIA+ समुदाय के अनुकूल बनाना और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव या क्रूरता को रोकना होना चाहिए। स्कूलों में यौन शिक्षा शुरू करने जैसी विभिन्न प्रथाओं को शामिल करके इसे हासिल किया जा सकता है।
- यद्यपि, सैद्धांतिक रूप से, अधिकांश शिक्षित नागरिक वैकल्पिक यौनिकता और लैंगिक पहचान का समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात दिन-प्रतिदिन के व्यवहार की आती है, तो जमीनी हकीकत को बदलने की तत्काल आवश्यकता है।
- शैक्षणिक ज्ञान और रोजमर्रा के अनुभव के बीच की खाई को पाटने का मतलब है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो रूढ़िवादिता पर सवाल उठाएं।
- उदाहरण के लिए, समलैंगिकता-विरोधी चुटकुलों का बेतहाशा प्रचार। हमें चाहिए कि लोग रुकें और पूछें कि इस दमनकारी टिप्पणी में मज़ाकिया क्या है।
- हमें अपने सहयोगियों से यह बताने की ज़रूरत है कि इस तरह के व्यवहार से हमारी आज़ादी और गरिमा को ठेस पहुँचती है। ऐसे जागरूक समूह का एक महत्वपूर्ण समूह बनाना सक्रियता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **योग्याकार्ता सिद्धांत** , जो यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान की स्वतंत्रता को मानवाधिकारों का हिस्सा मानते हैं, को पूरी तरह से अपनाया जाना चाहिए। इन्हें 2006 में योग्याकार्ता, इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित समूह द्वारा रेखांकित किया गया था।
- एक बार जब पूरे देश में शैक्षणिक संस्थान LGBTQ के सहयोगी बन जाएँगे, तो आने वाली पीढ़ियों के पास समानता के आदर्शों पर चलने के बेहतर अवसर होंगे। हर बार जब कोई स्कूल या कॉलेज LGBT सक्रियता में भाग लेने का फैसला करता है, तो हम वास्तविकता और एक सच्चे समावेशी समाज के बीच की खाई को पाटने के और करीब पहुँच जाते हैं।
- भारत एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जहां **विविध संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं** निवास करती हैं , फिर विभिन्न लिंगों वाले लोगों के इस छोटे समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह क्यों है?
- यह 21वीं सदी है, **अब समय आ गया है कि हम, इस देश के लोगों के रूप में, LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को सशक्त, संरक्षित, स्वीकार्य और प्यार महसूस कराने के लिए सामूहिक प्रयास करें।** इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बनाए रखने वाले नए कानूनों के साथ, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

योग्याकार्ता सिद्धांत

- योग्याकार्ता सिद्धांत यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के क्षेत्रों में **मानवाधिकारों के बारे में एक दस्तावेज है।**
- **इसे नवंबर 2006 में इंडोनेशिया के योग्याकार्ता** में मानवाधिकार समूहों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के परिणाम के रूप में प्रकाशित किया गया था ।
- **योग्याकार्ता सिद्धांत प्लस 10:**
- 2017 में, कुछ और सिद्धांतों को पूरक बनाया गया, जिसमें लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं के नए आधार और कई नए सिद्धांतों को शामिल किया गया।
- सिद्धांतों और पूरक में नियमों का एक सेट शामिल है जिसका उद्देश्य समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स (एलजीबीटीआई) लोगों के मानवाधिकारों के दुरुपयोग को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मानकों को लागू करना है।

आईपीसी की धारा 377

- **2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले को बहाल कर दिया, जिसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।**
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की **धारा 377 को कमजोर कर दिया, ताकि वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले सभी प्रकार के यौन व्यवहार को इससे बाहर रखा जा सके।**
- दीपक मिश्रा की राय परिवर्तनकारी संविधानवाद पर जोर देती है, अर्थात संविधान को एक गतिशील दस्तावेज के रूप में देखना जो विभिन्न अधिकारों को उत्तरोत्तर साकार करता है।

आईपीसी की धारा 377 क्या है?

- **भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में कहा गया है कि** ***"जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति के आदेश के विरुद्ध शारीरिक संभोग करता है, उसे दंडित किया जाएगा"***।
- यह **औपनिवेशिक काल का एक कानून** था जो न्याय और समस्त मानव जाति की समानता की आधुनिक धारणाओं के विपरीत था। धारा 377 वयस्कों के बीच निजी सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को भी अपराध घोषित करती थी।
- यहां तक कि कुछ विषमलैंगिक कृत्य जिन्हें " **प्रकृति के आदेश के विरुद्ध** " माना जाता है, इस धारा के अंतर्गत अपराध हैं।
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सहमति से वयस्क समलैंगिकता के खिलाफ इस धारा का उपयोग **तर्कहीन, मनमाना और न्यायोचित नहीं था।**
- **इस फैसले के बाद, धारा 377 केवल गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों, नाबालिगों के साथ यौन संबंध और पशुगमन पर ही लागू होगी। ये अब भी दंडनीय अपराध हैं।**

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ प्रमुख टिप्पणियाँ

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र में **प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।**
- न्यायालय ने **संवैधानिक नैतिकता की प्रधानता को** बरकरार रखते हुए कहा कि धार्मिक या सार्वजनिक नैतिकता को प्राथमिकता देकर कानून के समक्ष समानता से इनकार नहीं किया जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया कि कई कानून और आधुनिक मनोचिकित्सा समलैंगिकता को मानसिक विकार नहीं मानते, इसलिए इसे दंडित नहीं किया जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि समलैंगिकता पशु जगत में भी देखी जाती है और इससे यह मिथक दूर हो जाता है कि यह प्रकृति के विरुद्ध है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ' यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के मुद्दों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग पर **योग्याकार्ता सिद्धांत ' को भारतीय कानून पर लागू किया जाना चाहिए।**
- योग्याकार्ता **सिद्धांतों की** रूपरेखा 2006 में योग्याकार्ता, इंडोनेशिया में प्रख्यात मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा तैयार की गई थी।

- ये सिद्धांतों का एक समूह है जो यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुप्रयोग से संबंधित है।

धारा 377 पर बहस की पृष्ठभूमि/समयरेखा

- धारा 377 के खिलाफ आंदोलन **1991 में शुरू हुआ** जब **एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने 'लेस दैन गे: ए सिटिज़न्स रिपोर्ट '** शीर्षक से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रकाशित की । इस रिपोर्ट में इस धारा की समस्याओं को रेखांकित किया गया और इसे हटाने की वकालत की गई।
- इस दिशा में दूसरा, हाल ही का प्रयास **एनजीओ, नाज़ फाउंडेशन** द्वारा किया गया था ।
- 2001 में, समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें दो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध को वैध बनाने की मांग की गई थी।
- इस मामले को 2004 में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को मामले की पुनः सुनवाई करने का आदेश दिए जाने के परिणामस्वरूप, **2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह** निर्णय देते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया कि वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध बनाना अवैध नहीं है।
- इस फैसले में धारा 377 को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21, 14 और 15** का उल्लंघन बताया गया ।
- **इस फैसले को सुरेश कुमार कौशल नामक एक ज्योतिषी और पत्रकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।**
- **2013 में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कौशल की अपील को बरकरार रखा और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले पहले के फैसले को पलट दिया।**
- इस फैसले में कहा गया कि यह संसद पर निर्भर है कि वह इस बात पर विचार करे कि इस धारा को कानून की किताबों से हटाया जाना चाहिए या नहीं।

- इस फैसले की भारत और विदेशों में LGBTQ समुदाय की ओर से काफी आलोचना की गई और कार्यकर्ताओं ने इसे " **क्रोध का वैश्विक दिवस** " बताया।
- कई पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गईं और 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुधारात्मक याचिका को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया।
- **सर्वोच्च न्यायालय के दो ऐतिहासिक फैसले धारा 377** के विरुद्ध मामले में मददगार साबित हुए।
- **इनमें से एक 2014 में था** जब सुप्रीम कोर्ट ने NALSA फैसले में ट्रांसजेंडर समुदाय को **तीसरा लिंग** कहलाने का अधिकार दिया था ।
- दूसरा **मामला 2017 में आया जब पुट्टस्वामी मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है**। इस आदेश में कहा गया था कि निजता में पारिवारिक जीवन की पवित्रता, व्यक्तिगत अंतरंगता का संरक्षण, विवाह, संतानोत्पत्ति, घर और यौन अभिविन्यास शामिल हैं।
- **2018 में, इस मुद्दे को एक संविधान पीठ द्वारा फिर से खोला गया,** जिसमें कहा गया कि लोगों का एक वर्ग उस कानून के डर में नहीं रह सकता, जो उनकी निजता और सम्मान तथा चुनने के अधिकारों को कमजोर करता है।
- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अस्तित्व का अर्थ यह है कि संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता, सम्मान, बंधुत्व, स्वतंत्रता और जीवन उन्हें नहीं मिलता।

संबंधित निर्णय

- **नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार (2009)**
- यह उन पहले मामलों में से एक है जिसमें आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक ठहराया गया था, क्योंकि यह देश के एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ भेदभाव करता था और व्यक्तियों के रूप में उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करता था।
- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि धारा 377 अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 377 सार्वजनिक और निजी कृत्यों के बीच, या सहमति और गैर-सहमति वाले कृत्यों के बीच अंतर नहीं करती है।
- यह फैसला वयस्कों तक ही सीमित था, जबकि धारा 377 नाबालिगों पर भी लागू होती थी। धारा 377 कानून में एलजीबीटी लोगों के उत्पीड़न की अनुमति देती थी।
- **सुरेश कुमार कौशल केस (2013)**
- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) के पिछले फैसले को पलट दिया, जिसमें समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था और समलैंगिकता को एक बार फिर अपराध की श्रेणी में रखा गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि 150 वर्षों में धारा 377 के तहत 200 से भी कम व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है।
- इसलिए, "यौन अल्पसंख्यकों की दुर्दशा" को कानून की संवैधानिकता तय करने के तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आईपीसी की धारा 377 को हटाने की वांछनीयता पर विचार करना विधायिका का काम है।
- **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)**
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निजता का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि शारीरिक स्वायत्तता निजता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
- इस शारीरिक स्वायत्तता के दायरे में व्यक्ति का यौन अभिविन्यास भी शामिल है।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)**
- समलैंगिकता को अपराधमुक्त किया गया।

- सुरेश कुमार कौशल मामले (2013) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए इस रुख को खारिज कर दिया गया कि एलजीबीटीक्यू समुदाय एक अत्यंत अल्पसंख्यांक अल्पसंख्यक है और इसलिए समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014):**
- न्यायालय **ने ट्रांसजेंडरों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया** तथा उन्हें दिए गए मौलिक अधिकारों की पुष्टि की।
- उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया।

धारा 377 को निरस्त करने के पक्ष में तर्क

मौलिक अधिकार

- धारा 377 ने समाज के एक वर्ग को यौन अल्पसंख्यक होने के कारण अपराधी बना दिया।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कामुकता, यौन स्वायत्तता और स्वतंत्रता का अधिकार मानव गरिमा के लिए अपरिहार्य है।
- यह धारा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध थी तथा इसके आधार पर लोगों के एक वर्ग को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया था।

स्वास्थ्य के मुद्दों

- समलैंगिकता को अपराध घोषित किये जाने के कारण समाज के एक वर्ग को स्वास्थ्य देखभाल तक पर्याप्त पहुंच नहीं मिल सकी।
- इसने एड्स/ एचआईवी की प्रभावी रोकथाम, परीक्षण और उपचार में बाधाएं पैदा कीं ।
- इस बात के प्रमाण मिले हैं कि सामाजिक स्वीकृति और अधिकारों की कमी के कारण मादक द्रव्यों के सेवन, हिंसा और मानसिक बीमारी में वृद्धि हुई है।

कानून बनाम नैतिकता का मुद्दा

- कई लोगों ने तर्क दिया कि जो चीज अधिकांश धर्मों और पारंपरिक रीति-रिवाजों में निषिद्ध है, उसे कानून की नजर में निषिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून सभी को समान दृष्टि से देखता है।

धारा 377 और बाल दुर्व्यवहार

- बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से यह आलोचना की गई कि इस धारा को निरस्त करने से बाल दुर्व्यवहार के मामलों से निपटने में समस्या उत्पन्न होगी।
- लेकिन, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 के लागू होने के बाद, बाल शोषण के मामलों से निपटने के लिए इस धारा की आवश्यकता समाप्त हो गई। POCSO ज़्यादा कठोर होने के साथ-साथ बच्चों के अनुकूल भी है।

विषमलैंगिकों के लिए निहितार्थ

- धारा 377 में विषमलैंगिकों के बीच सहमति से किये गए कुछ कृत्य शामिल थे, जिन्हें 'अप्राकृतिक' और दंडनीय माना जाता था।

धारा 377 को निरस्त करने के खिलाफ तर्क

- कुछ समूह इस धारा को हटाने के खिलाफ थे। **कई धार्मिक समूह और संप्रदाय इस बात का विरोध कर रहे थे कि समलैंगिकता ईश्वर और धार्मिक रीति-रिवाजों के विरुद्ध है।**
- इस धारा को निरस्त करने की एक और आलोचना यह भी थी कि समलैंगिकता को वैध बनाने से एड्स जैसी बीमारियाँ फैलेंगी **और देश में स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होगा** ।

समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने का प्रभाव

- धारा 377 को निरस्त करना **और इसके परिणामस्वरूप भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करना भारत में LGBTQ समुदाय के लिए एक बड़ी छलांग है।**
- यह भारत को **सभी वर्गों के लोगों की समानता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे** ले जाता है , और लैंगिक अल्पसंख्यकों के जीवन को काफ़ी आसान बनाता है, हालाँकि सामाजिक स्वीकृति के मामले में अभी लंबा रास्ता तय करना है। फिर भी, **यह तथ्य कि कानूनी तौर पर सभी लोगों के लिए समान स्तर है, अपने आप में एक उपलब्धि है।**
- इस धारा के निरस्त होने से पहले, LGBTQ समुदाय के लोग इस धारा के कारण **कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न** की शिकायत करते थे । अब यह सिलसिला खत्म हो जाएगा क्योंकि **भारत में समलैंगिकता अब कानूनी तौर पर अपराध नहीं है।**
- यह याद रखना ज़रूरी है कि **सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरी धारा को रद्द नहीं किया है । बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध, बिना सहमति के यौन गतिविधि और पशुगमन अब भी दंडनीय हैं।**
- इस फैसले का मतलब है कि यौन अल्पसंख्यकों को सभी मौलिक अधिकारों तक पूरी पहुँच मिलेगी। **वे कानून के डर के बिना सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे।**
- **जैसा कि पहले बताया गया है, कानूनी पहलुओं (जिनका अब ध्यान रखा जा रहा है) के साथ-साथ, सामाजिक बदलाव** लाने की भी ज़रूरत है । समाज में यौन अल्पसंख्यकों को स्वीकार किए जाने की ज़रूरत है, ख़ासकर परिवारों को LGBTQ सदस्यों को अपनाने के बारे में ज़्यादा खुले विचारों वाला होना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बहुआयामी दृष्टिकोण:**
- यद्यपि यह निर्णय एलजीबीटी समुदाय से जुड़े कलंक को दूर करने में काफी मददगार साबित होगा, लेकिन समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर करने के लिए **बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।**
- **भेदभाव विरोधी कानून:**
- एलजीटीबीक्यू समुदाय को **भेदभाव-विरोधी कानूनों द्वारा सशक्त बनाया जाना चाहिए** , जिससे उनके लिए अपनी लैंगिक पहचान या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना उत्पादक जीवन और रिश्ते जीना आसान हो सके।
- **सरकारी निकायों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता**
- सरकारी निकायों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और कानून एवं व्यवस्था से संबंधित निकायों को कानून की बदली हुई स्थिति के बारे में संवेदनशील और जागरूक बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि LGBTQ समुदाय को सार्वजनिक सेवाओं से वंचित न किया जाए या उनके यौन अभिविन्यास के लिए उन्हें परेशान न किया जाए।

भारत में समलैंगिक विवाह

- **समलैंगिक विवाह, जिसे समलैंगिक विवाह भी कहा जाता है, एक ही लिंग या जेंडर के दो व्यक्तियों का विवाह है।**
- 2022 तक, 33 देशों में समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह कानूनी रूप से संपन्न और मान्यता प्राप्त है।
- **अगस्त 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार भारत समलैंगिक जोड़ों को लिव-इन जोड़े के रूप में विवाहित जोड़ों के समान अधिकार और लाभ प्रदान करता है (सहवास या सामान्य कानून विवाह के समान)** , जो एक ऐसे देश में समानता की कुछ झलक प्रदान करता है जहां अधिकांश विवाह सरकार के पास पंजीकृत नहीं हैं।
- यद्यपि **यह समलैंगिक विवाह या नागरिक संघों को मान्यता नहीं देता है, तथापि अधिकांश विषमलैंगिक विवाह सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते हैं, तथा** पारंपरिक रीति-रिवाजों पर आधारित सामान्य कानून विवाह ही विवाह का प्रमुख रूप बना हुआ है।
- **भारत में एकीकृत विवाह कानून नहीं है, और इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह चुनने का अधिकार है कि उनके समुदाय या धर्म के आधार पर कौन सा कानून उन पर लागू होगा।** हालाँकि विवाह संबंधी कानून संघीय स्तर पर बना हुआ है, फिर भी कई विवाह कानूनों का अस्तित्व इस मुद्दे को जटिल बना देता है।
- विवाह समाज और कानून के चौराहे पर स्थित है। सामाजिक परंपराएँ कानून द्वारा विवाह से संबंधित नियमों में समाहित हैं। **पिछले दो दशकों में LGBTQIA+ समुदाय के नागरिक अधिकारों की स्थापना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।**

भारतीय न्यायालय और नागरिक अधिकार

- भारत में **विवाह व्यक्तिगत कानूनों के तहत संपन्न होते हैं,** जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937।
- वर्तमान में, भारत में समलैंगिक और समलैंगिक विवाहों को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। फिर भी, हम न्यायिक मार्गदर्शन से वंचित नहीं हैं।
- **अरुणकुमार और श्रीजा बनाम पंजीकरण महानिरीक्षक और अन्य:** मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने यह व्याख्या की कि **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत 'दुल्हन' शब्द में महिला के रूप में पहचान करने वाले ट्रांसवुमेन और इंटरसेक्स व्यक्ति शामिल हैं** ।
- यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में प्रयुक्त शब्द के दायरे को प्रगतिशील तरीके से विस्तारित करता है और LGBTQIA+ समुदाय के विवाह अधिकारों की पुनःकल्पना के लिए मंच तैयार करता है।
- **शफीन जहां बनाम अशोकन केएम एवं अन्य (हादिया मामला):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवनसाथी चुनने और उससे विवाह करने के अधिकार को संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता माना गया है।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "विवाह की अंतरंगता गोपनीयता के एक मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता" और "हमारे जीवनसाथी के चयन में समाज की कोई भूमिका नहीं है।"**
- इन निर्णयों की तार्किक व्याख्या से यह स्पष्ट है कि **समलैंगिक और विचित्र विवाहों पर किसी भी कानूनी या वैधानिक रोक को अनिवार्य रूप से असंवैधानिक माना जाएगा तथा यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का विशेष रूप से उल्लंघन है।**

सरकार का रुख

- 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि **भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच हो जो बच्चे पैदा करने में सक्षम हो।**
- केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि किसी कानून की वैधता पर विचार करते समय "सामाजिक नैतिकता" के विचार प्रासंगिक हैं और **भारतीय लोकाचार के आधार पर ऐसी सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति को लागू करना विधानमंडल का काम है।**

विवाह के दायरे का विस्तार

- विवाह का क्षेत्र **सुधार और समीक्षा से अछूता नहीं रह सकता** ।
- **आत्म-सम्मानपूर्ण विवाहों को इसके अंतर्गत लाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में सुधार को** विवाह संस्था के भीतर जाति-आधारित प्रथाओं को तोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है।

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन के माध्यम से तमिलनाडु (बाद में, पुडुचेरी) में **आत्म-सम्मान विवाह को वैध बनाया गया।**
- आत्म-सम्मान विवाहों ने पुरोहितों और अग्नि या सप्तपदी जैसे धार्मिक प्रतीकों को समाप्त कर दिया है।
- ऐसे विवाहों को संपन्न करने के लिए केवल अंगूठियों या मालाओं का आदान-प्रदान या मंगलसूत्र बांधना ही पर्याप्त होता है।
- इसी प्रकार, LGBTQIA+ समुदाय की आवश्यकताओं को समझते हुए, कानून को विवाह संस्था का विस्तार करना चाहिए ताकि इसमें सभी लिंग और यौन पहचानों को शामिल किया जा सके।

वैश्विक परिदृश्य

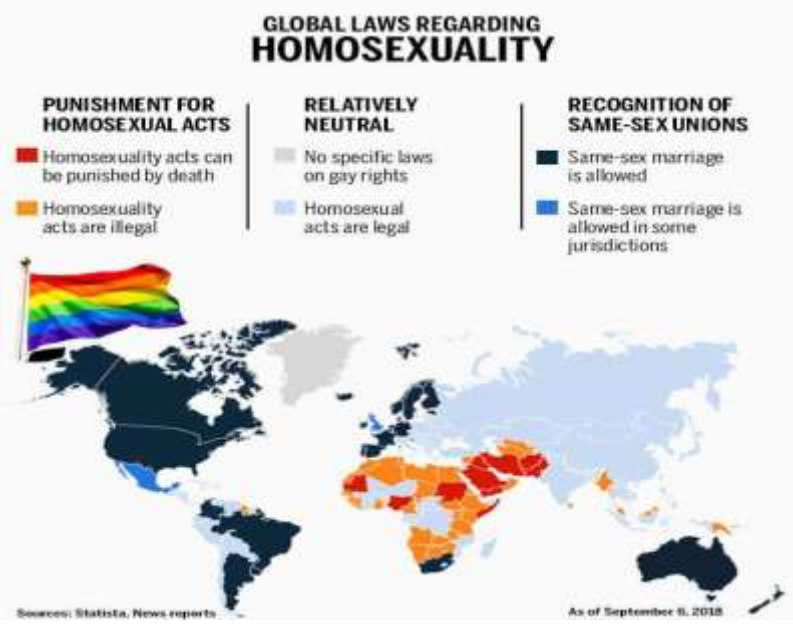

- वैश्विक स्तर पर, LGBTQIA+ समुदाय के विरुद्ध भेदभाव करने वाले असमान कानूनों की मान्यता ने कानूनी ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है, ताकि इसे अधिक समावेशी और समान बनाया जा सके।
- **दक्षिण अफ्रीका** के संवैधानिक न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप , सिविल यूनियन अधिनियम, 2006 लागू किया गया, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के दो व्यक्तियों को विवाह के माध्यम से स्वैच्छिक मिलन की अनुमति दी गई।
- **ऑस्ट्रेलिया** में , समलैंगिक संबंध (राष्ट्रमंडल कानूनों में समान व्यवहार - सामान्य कानून सुधार) अधिनियम 2008 को, अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और कराधान के मामलों में समलैंगिक जोड़ों के लिए समान अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- **इंग्लैंड और वेल्स** में , विवाह (समान लिंग जोड़े) अधिनियम 2013 ने समान लिंग वाले जोड़ों को नागरिक समारोहों या धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह करने का अधिकार दिया।
- 2015 में, **संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट** ने फैसला दिया कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने का मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसने समलैंगिक जोड़ों को विवाह के अधिकार से वंचित करना एक गंभीर और निरंतर नुकसान माना, जो समलैंगिकों का अनादर और उन्हें अधीन करने का काम करता है।
- 2022 तक, **दुनिया के 33 देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है**। अब समय आ गया है कि भारत द्विआधारी विकल्प से आगे बढ़कर सोचे और लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास से परे विवाहों को वैध बनाने के लिए अपने मौजूदा कानूनी ढाँचे की समीक्षा करे। **हालाँकि, कानून एक गतिशील अवधारणा है**। समाज में बदलाव होने पर विवाह का स्वरूप भी अनिवार्य रूप से बदलेगा।

वैधीकरण का मार्ग क्या है?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय **द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने के बाद, कई लोगों ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की दिशा में कदम उठाने का** प्रश्न उठाया है ।

- विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) मूल रूप से अंतरधार्मिक विवाहों को वैध बनाने के लिए पारित किया गया एक कानून है। अब, **एलजीबीटीक्यू+ जोड़े यह तर्क दे रहे हैं कि उनके विवाह को एसएमए के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।**
- हालाँकि **भारत में LGBTQ+ समुदाय के बारे में जागरूकता बढ़ी है,** फिर भी इसे पूरी तरह स्वीकार करने में अभी भी कलंक और प्रतिरोध है। अब तक, **दुनिया भर के 33 देशों ने समलैंगिक विवाह और नागरिक संघों को मान्यता दे दी है।**
- समलैंगिक विवाहों को मान्यता न देने के साथ-साथ, भारतीय कानून नागरिक संघों का भी प्रावधान नहीं करता। समलैंगिक जोड़ों को **भारतीय सरोगेट माँ की मदद से बच्चे पैदा करने की भी अनुमति नहीं है।**
- LGBTQ+ **व्यक्ति केवल एकल अभिभावक के रूप में ही गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण समीक्षा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है।**

भारत में विवाह की स्थिति क्या है?

- भारतीय संविधान के तहत विवाह के अधिकार को **मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है।**
- हालाँकि, **भारत में समलैंगिक विवाह को भी वैध नहीं माना गया है** ।
- यद्यपि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, फिर भी इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ही मिली है। **संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, इस प्रकार की कानून घोषणा पूरे भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।**

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता कैसे दी जा सकती है?

- समलैंगिक विवाहों की वैधता निम्नलिखित में से किसी भी दृष्टिकोण का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है:
- **समान लिंग के साझेदारी संघों को कानूनी रूप से वैध बनाने** के लिए वर्तमान कानून की व्याख्या करना ।
- **LGBTQ+ संस्कृति को एक अलग श्रेणी के रूप में परिभाषित करना** तथा जिनकी प्रथाएं समान लिंग के साथ संबंधों को बढ़ावा देती हैं।
- **समान लिंगों के बीच विवाह को वैध बनाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन किया जा सकता** है ।

आगे का रास्ता क्या हो सकता है?

- **भेदभाव विरोधी कानून:** एलजीटीबीक्यू+ समुदाय को एक भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता है जो उन्हें **लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास के बावजूद उत्पादक जीवन और संबंध बनाने के लिए** सशक्त बनाए तथा राज्य, समाज और व्यक्तियों पर भी बदलाव का दायित्व डाले।
- **विशिष्टता का उन्मूलन:** समलैंगिक विवाह की शुरुआत से LGBTQ+ लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह के इन रूपों को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि यह LGBTQ+ लोगों की आधिकारिक **"अन्यता" की स्थिति को समाप्त कर देगा।**
- **अधिकारों का पूर्ण दायरा:** एक बार जब LGBTQ+ समुदाय के सदस्य "संवैधानिक अधिकारों की पूरी श्रृंखला के हकदार हो जाते हैं", तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का मौलिक अधिकार विवाह करने के इच्छुक समान-लिंग जोड़ों को प्रदान किया जाना चाहिए।
- **जागरूकता पैदा करना और LGBTQ+ युवाओं को सशक्त बनाना:** एक खुले और सुलभ मंच की आवश्यकता है ताकि वे पहचाने जाने का अनुभव करें और अपनी भावनाओं को साझा करने में सहज महसूस करें।
- गेसी और गेलेक्सी जैसे प्लेटफार्मों ने एलजीबीटीक्यू+ लोगों के लिए बातचीत, साझा करने और सहयोग करने के लिए जगह बनाने में मदद की है।
- प्राइड मंथ और **प्राइड परेड पहल** भी इस दिशा में एक अच्छा कदम है।

विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954 क्या है?

- भारत में विवाह को **संबंधित व्यक्तिगत कानूनों** हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954, **या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत** पंजीकृत किया जा सकता है ।
- न्यायपालिका का यह **कर्तव्य है कि वह पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे।**
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 **भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसमें भारत के लोगों** तथा विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म या आस्था को मानते हों, सिविल विवाह का प्रावधान है।
- जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह करता है, तो **विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है।**

भारत में अनुसूचित जातियों से संबंधित मुद्दे

- **अनुसूचित जातियां** देश की वे जातियां/नस्लें हैं जो **सदियों पुरानी अस्पृश्यता प्रथा के कारण उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं, तथा कुछ अन्य लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी और भौगोलिक अलगाव के कारण पीड़ित हैं**, तथा जिनके हितों की रक्षा और उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इन समुदायों को **संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड 1** में निहित प्रावधानों के अनुसार **अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया** था ।
- अनुसूचित जातियां हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत आने वाले उप-समुदाय हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भारत में उनकी कथित 'निम्न स्थिति' के कारण वंचना, उत्पीड़न और अत्यधिक सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा है।
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार, भारत में **केवल हाशिए पर रहने वाले हिंदू समुदायों को ही अनुसूचित जाति माना जा सकता है।**
- जो लोग चार प्रमुख ***वर्णों में से एक से संबंधित थे उन्हें सवर्ण*** **कहा जाता है** । हिंदू चार-स्तरीय जाति व्यवस्था, या *वर्ण* व्यवस्था, इन समुदायों को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करती थी जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता, पशु शवों का निपटान, मल की सफाई और अन्य कार्य शामिल थे जिनमें " **अशुद्ध** " सामग्रियों के संपर्क में आना शामिल था। समुदायों ने **दलित, या हरिजन नाम को अपनाया, जिसका अर्थ है 'भगवान के बच्चे'।** अवर्ण समुदायों ***को*** " **अछूत** " भी कहा जाता था । उन्हें साझा जल स्रोतों से पानी पीने, " **उच्च जातियों** " के क्षेत्रों में रहने या उनका उपयोग करने से मना किया गया था , और सामाजिक और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ा, अक्सर उन्हें उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित किया गया, जिन्हें *सवर्ण* जातियों में पैदा हुए कई लोग " **मौलिक अधिकार** " मानते हैं।
- **2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत या लगभग 166,635,700 है।**
- राष्ट्रीय **अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी 2017 की** वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2016 में एससी/एसटी के खिलाफ 40,801 अपराध हुए। हालांकि, द वायर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अपराध, जिनमें कथित अपराधी एक सार्वजनिक अधिकारी थे, उन्हें "अन्य आईपीसी धाराओं" के तहत दर्ज किया जाएगा, इस प्रकार एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की संख्या कम हो जाएगी।
- **हर 15 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध होता है और लगभग 6 दलित महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार होता है**। दलितों पर होने वाले सभी उत्पीड़न का मूल कारण निरंतर चलती जाति व्यवस्था है। **दलितों की हत्या की जाती है, उन्हें पीटा जाता है और समाज से बहिष्कृत किया जाता है, लेकिन मीडिया द्वारा बहुत कम कवरेज दी जाती है**। कम रिपोर्टिंग के कारण ही विशेषाधिकार प्राप्त और अज्ञानी लोग यह मानने लगते हैं कि भारत में अब जातिवाद का कोई अस्तित्व नहीं है।

अनुसूचित जातियों के समक्ष आने वाले मुद्दे

- **दलितों के विरुद्ध अपराध:**
  - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के** आंकड़ों से पता चलता है कि दलितों के खिलाफ अपराध पिछले दशक में 50 से भी कम (प्रति दस लाख लोगों पर) से बढ़कर 2015 में 223 हो गए।
  - राज्यों में राजस्थान का रिकॉर्ड सबसे खराब है, हालांकि दलितों के खिलाफ अपराधों के मामले में बिहार शीर्ष 5 राज्यों में नियमित रूप से शामिल है।
  - कई समाजशास्त्रियों ने इस मान्यता पर सवाल उठाया है कि दलितों की आर्थिक उन्नति से उनके विरुद्ध अपराध कम हो सकते हैं।
  - दलितों के विरुद्ध होने वाले अधिकांश अपराध प्रतिशोध के भय, पुलिस की सूचना, पुलिस द्वारा मांगी गई रिश्वत देने में असमर्थता आदि के कारण रिपोर्ट नहीं किए जाते।
  - **नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस (एनडीएमजे) - नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स द्वारा 2020 में जारी 'क्वेस्ट फॉर जस्टिस'** शीर्षक वाली रिपोर्ट में अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ-साथ 2009 से 2018 तक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए एससी और एसटी लोगों के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों का आकलन किया गया।

- **2009 से 2018 तक दलितों के खिलाफ अपराध में 6% की वृद्धि हुई,** जिसमें 3.91 लाख से अधिक अत्याचार की घटनाएं दर्ज की गईं, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और इसके तहत बनाए गए 1995 के नियमों के कार्यान्वयन में अंतराल बना रहा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध दर में लगभग 1.6% की कमी दर्ज की गई है, 2009-2018 में कुल 72,367 अपराध दर्ज किए गए।
- रिपोर्ट में दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि पर भी ध्यान दिलाया गया है।
- 2009 से 2018 के दौरान पीओए अधिनियम के तहत औसतन 88.5% मामले लंबित रहे
- **केवल आर्थिक सशक्तिकरण पर्याप्त नहीं** : प्रताप भानु मेहता के अनुसार, केवल आर्थिक उन्नति जाति के मानसिक आघातों को कम नहीं करेगी; बल्कि इससे और अधिक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इन समूहों का सशक्तिकरण न्याय का उत्सव बनने के बजाय, अपराधबोध और शक्ति-हानि के घातक मिश्रण का प्रतीक बन जाता है।
- **दलितों में औसत संपत्ति स्वामित्व** अभी भी सबसे कम है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व** : निर्धारित कोटे से ऊपर दलितों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। अशोका विश्वविद्यालय के **त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा** द्वारा एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि 2004 से अब तक हुए 63 राज्य विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीट से निर्वाचित होना बेहद मुश्किल लगा।
- हालांकि प्राथमिक शिक्षा की दर बढ़ाने के लिए बनाए गए सामाजिक कार्यक्रमों और सरकारी नीतियों के कुछ लाभ देखे जा सकते हैं, लेकिन **दलितों की साक्षर आबादी अभी भी शेष भारत की तुलना में काफी कम है।**
- भारतीय समाज में अभी भी वैमनस्य, उत्पीड़न और सामाजिक कार्यक्रमों में खामियां मौजूद हैं, जो शिक्षा के विकास में बाधा डालती हैं।
- जातिगत भेदभाव को कम करने और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, भारत के दलितों को शेष भारत की तुलना में कम नामांकन दर और **प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच की कमी का सामना करना पड़ रहा है।**
- यहां तक कि दलित शीर्ष अधिकारियों को भी जातिगत गालियों से **अपमानित किया जाता है।**
- उन्हें अक्सर **किसी भी पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोका जाता है** जो जनता और उसी धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, उन्हें जात्रा सहित सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूसों का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं होती है।
- **मध्याह्न भोजन** और **स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच** के मामले में दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है ।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की रोकथाम के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद प्रकाश में आए।
- इस बीच, दलित महिलाओं को डायन बता दिया जाता है; जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि गांव में परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो जाता है।
- यहां तक कि **दलितों की रक्षा करने वाले लोक सेवक भी कभी-कभी जातिगत पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं और उनके अधिकारों के खिलाफ काम करते हैं** ।

अनुसूचित जातियों की दयनीय स्थिति के प्रमुख कारण

- **अस्पृश्यता:**
  - यद्यपि आधुनिक भारतीय कानून ने आधिकारिक तौर पर जातिगत पदानुक्रम को समाप्त कर दिया है, फिर भी कई मायनों में अस्पृश्यता अभी भी एक प्रथा है।
  - राजस्थान के अधिकांश गांवों में दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने या मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
- **राजनीतिक:**
  - दुनिया भर के पहचान आंदोलनों की तरह दलित आंदोलन ने भी अपना ध्यान उत्पीड़न के विभिन्न रूपों तक सीमित कर लिया है।
  - अधिकांश दलित आंदोलन आरक्षण और कॉलेजों में भेदभाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो दलित आबादी के एक छोटे से हिस्से को ही प्रभावित करते हैं।
  - आज दलितों को उच्च जाति की स्थापित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के लिए ख़तरा माना जाता है। **अपराध उच्च जाति की श्रेष्ठता स्थापित करने का एक तरीक़ा है** ।
  - पिछले कुछ वर्षों में कृषि आय में आई स्थिरता के कारण मुख्यतः कृषि प्रधान मध्यम जाति समूहों में बेचैनी पैदा हो गई है, जो महसूस कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में उनका प्रभुत्व कमजोर हो रहा है।

- विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दलित वोटों के लिए बढ़ती होड़ ने पिछले कुछ समय से चल रहे संघर्ष को और नया मोड़ दे दिया है।

- **आर्थिक:**
- ऐसा प्रतीत होता है कि दलितों के बढ़ते जीवन स्तर के कारण ऐतिहासिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त समुदायों में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है।
- दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक अध्ययन में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपभोग व्यय अनुपात में उच्च जातियों की तुलना में वृद्धि, उच्च जातियों द्वारा उच्च जातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों में वृद्धि से जुड़ी है।
- बढ़ती आय और बढ़ती शैक्षिक उपलब्धियों ने कई दलितों को जातिगत बाधाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया होगा, जिससे उच्च जाति समूहों में नाराजगी पैदा हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया हुई।
- ऐसे अपराधों के पंजीकरण और पहचान में वृद्धि के कारण भी ऐसे अपराधों में वृद्धि होने की संभावना है।
- दलितों के विरुद्ध होने वाले सभी अत्याचारों में से आधे भूमि विवाद से संबंधित हैं।

- **शिक्षण संस्थानों:**
- सरकारी स्कूलों में दलितों को उच्च जातियों को भोजन परोसने की अनुमति नहीं है; उन्हें अक्सर कक्षा के बाहर बैठना पड़ता है; तथा उनसे शौचालय साफ करने को कहा जाता है।
- यहां तक कि विश्वविद्यालयों में भी उनके लिए आरक्षित अधिकांश संकाय पद रिक्त पड़े हैं और छात्रों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है।
- रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्महत्या की हालिया घटनाएं दलित छात्रों के खिलाफ भेदभाव के उपरोक्त दावों की पुष्टि करती हैं।

- **दलित महिलाएँ:**
- अन्य जातियों की महिलाओं की तुलना में लड़कियों को कम उम्र में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है और यह दर भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष की आयु तक 33.2% अनुसूचित जाति की महिलाएँ शारीरिक हिंसा का अनुभव करती हैं। "अन्य" श्रेणी की महिलाओं के लिए यह आँकड़ा 19.7% है।
- हिंसा जारी है, जिसका मुख्य कारण प्रभुत्वशाली जातियों में दंड से मुक्ति की भावना है।
- दलित महिलाएँ और लड़कियाँ अक्सर घृणा अपराधों का निशाना बनती हैं। न्याय तक पहुँच बेहद खराब रही है, दोषसिद्धि दर मात्र 16.8 प्रतिशत है। दलितों के खिलाफ अपराधों में दोषसिद्धि दर आमतौर पर कुल अपराधों की तुलना में आधी होती है। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि कम दोषसिद्धि दर और अत्याचार के ऐसे मामलों में अभियोजन का अभाव ही दलितों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि का कारण है।

- **राजनीतिक शक्ति से कोई मदद नहीं मिलती:**
- यहां तक कि जब दलित महिलाएं राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती हैं, जैसे कि जब वे सरपंच के रूप में निर्वाचित होती हैं, तो अक्सर उन्हें उस सामाजिक शक्ति से कोई सुरक्षा नहीं मिलती जो उनके विरुद्ध हिंसा और भेदभाव को मंजूरी देती है।
- एक दलित महिला सरपंच वाले गांव में एक दलित महिला को जला दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- **कार्यस्थल पर हिंसा:**
- जोखिम भरे कार्यस्थलों और श्रम अधिकार संरक्षण उपायों की कमी के कारण प्रवासी दलित महिलाएं व्यावसायिक चोट के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
- इसके अलावा, अल्पकालिक श्रमिकों को उप-ठेके पर देने की उभरती समस्या के कारण कार्यस्थल पर घायल होने पर उनके लिए मुआवजे का दावा करना अधिक कठिन हो जाता है।
- दलित महिलाएं नियोक्ताओं, प्रवास एजेंटों, भ्रष्ट नौकरशाहों और आपराधिक गिरोहों द्वारा दुर्व्यवहार और शोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
- दासता के लिए तस्करी भी दलित महिलाओं के बड़े अनुपात के पलायन में योगदान देती है।

अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए संवैधानिक तंत्र

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान निर्माताओं की गहरी चिंता उनके उत्थान के लिए स्थापित विस्तृत संवैधानिक तंत्र में परिलक्षित होती है।

- **अनुच्छेद 17** अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- **अनुच्छेद 46 में** राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह 'लोगों के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

- **अनुच्छेद 15(4)** उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है।
- **अनुच्छेद 16(4ए) में** 'राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण' की बात कही गई है, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 243डी** में पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है, जिस अनुपात में गांव में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है।
- **अनुच्छेद 243टी** नगर पालिकाओं में सीटों के समानुपातिक आरक्षण का वादा करता है।
- **संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332** क्रमशः लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग IXA के अंतर्गत, स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की परिकल्पना और व्यवस्था की गई है।
- **अनुच्छेद 335** में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग** की स्थापना करता है । आयोग का कर्तव्य संविधान या किसी अन्य कानून में अनुसूचित जातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों की निगरानी करना है। इसके कर्तव्यों में शिकायतों की जाँच करना और अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना भी शामिल है, और इस प्रक्रिया के दौरान इसे एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- **अनुच्छेद 340** राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की जाँच करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सिफारिशें करने हेतु एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था ।

भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा और संरक्षण निर्धारित किए हैं; चाहे विशेष रूप से या नागरिक के रूप में उनके सामान्य अधिकारों पर ज़ोर देने के तरीके; उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अक्षमताओं को दूर करने के उद्देश्य से। इन सामाजिक समूहों को वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से संस्थागत प्रतिबद्धताएँ भी प्रदान की गई हैं। **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** अनुसूचित जातियों के हितों की देखरेख करने वाला नोडल मंत्रालय है।

अनुसूचित जाति के विकास के लिए सरकार द्वारा की गई पहल

नागरिक अधिकारों का संरक्षण

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 17** के अनुसरण में **अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955** अधिनियमित किया गया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता की निर्योग्यता के लिए मजबूर करने पर **छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।**
- यह अधिनियम किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मंदिरों या पूजा स्थलों में प्रवेश करने से रोकने, पवित्र झीलों, टैंकों, कुओं आदि और अन्य सार्वजनिक स्थानों से पानी निकालने से रोकने जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है।

'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' (एमएस अधिनियम, 2013)

- शुष्क शौचालयों और मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन तथा वैकल्पिक व्यवसाय में मैला ढोने वालों का पुनर्वास सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है।
- इस अधिनियम के तहत शुष्क शौचालयों की मैन्युअल सफाई के लिए मैनुअल स्कैवेंजरों की नियुक्ति तथा शुष्क शौचालयों (जो फ्लश से संचालित नहीं होते) के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया।
- इसमें **एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया।**
- **अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:**
  - अस्वास्थ्यकर शौचालयों के निर्माण या रखरखाव पर प्रतिबंध लगाता है।

- किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में नियुक्त करने या रोजगार देने पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- किसी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के लिए नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती हैं।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअल स्कैवेंजरों का समयबद्ध ढांचे के भीतर सर्वेक्षण करने का आह्वान किया गया।
- मार्च 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह 1993 से सीवरेज कार्य के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करे तथा उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अधिनियम का उद्देश्य **सक्रिय प्रयासों के माध्यम से इन समुदायों को न्याय प्रदान करना है ताकि वे समाज में सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ,** भय, हिंसा या दमन के बिना रह सकें। **महत्वपूर्ण धाराएँ:**

- **धारा 3(1)** : लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उच्च सम्मान में रखे गए किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करने वाले अत्याचार के अपराधों के लिए सजा छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना के साथ दंडनीय होगी।
- **धारा 15(ए)(5)** : पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा या किसी संबंधित कार्यवाही या बहस के संबंध में किसी कार्यवाही में सुनवाई का हकदार होगा और दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या सजा पर लिखित प्रस्तुतिकरण दाखिल कर सकेगा।
- **धारा 4 कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड:** जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए, किन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

शैक्षिक सशक्तिकरण

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

- यह एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** है , जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत कुल व्यय के लिए **100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।**
- इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षित समूहों के **बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है** , अर्थात (i) शुष्क शौचालयों के सफाईकर्मी, (ii) चर्मकार, (iii) रंगकर्मी और (iv) कचरा बीनने वाले।

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

- इस योजना में **संस्थानों द्वारा** वास्तविक शुल्क, मासिक रखरखाव भत्ता, यात्रा वीजा शुल्क और बीमा प्रीमियम, वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ता आदि का प्रावधान है।
- इस योजना के अंतर्गत **पीएचडी के लिए अधिकतम 4 वर्ष और मास्टर्स कार्यक्रम के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप

- यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में **एम.फिल, पीएचडी और समकक्ष शोध डिग्री के लिए शोध अध्ययन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)

- यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी योजना है।
- सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति समूहों के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 59,000 करोड़ रुपये का परिव्यय पारित किया है।
- **योजना की लागत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।**

विशेष केंद्रीय सहायता

अनुसूचित जाति विकास निगम

- ऐसे निगमों का मुख्य कार्य **पात्र अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित करना** , ऋण सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों

को योजनाएं प्रायोजित करना, पुनर्भुगतान दायित्व को कम करने के लिए कम ब्याज दर और सब्सिडी पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक गठजोड़ प्रदान करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडी)

- एनएसएफडीसी का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गरीबी रेखा से दोगुनी दर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लक्षित समूह के **युवाओं को कौशल-सह-उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है , ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके।**

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

- यह मंत्रालय के अधीन एक अन्य निगम है जो राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आय सृजन गतिविधियों हेतु सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)

- यह अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विकास के सभी सामान्य क्षेत्रों से लक्षित वित्तीय और भौतिक लाभों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति है।

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष

- **सरकार ने 2014 में अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम पूंजी कोष** की स्थापना की घोषणा की । इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करना था।

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

- 2014 में, सरकार ने घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों से संबंधित **युवा और स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि सुविधा के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी** , जो नव मध्यम वर्ग श्रेणी का हिस्सा बनने की आकांक्षा रखते हैं, जिसका उद्देश्य समाज के निचले तबके में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन होगा।

अन्य योजनाएँ:

- ***प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई):*** केंद्र प्रायोजित पायलट योजना 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' (पीएमएजीवाई) अनुसूचित जाति (एससी) बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है, जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है। शुरुआत में यह योजना 5 राज्यों - असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के 1000 गांवों में शुरू की गई थी। 22.01.2015 से इस योजना में और संशोधन किया गया और इसे पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 1500 अनुसूचित जाति बहुल गांवों तक विस्तारित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास है:

1. मुख्य रूप से प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण कार्यान्वयन के माध्यम से;
2. इन गांवों को अंतर-पूर्ति निधि के रूप में प्रति गांव 20.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे राज्य द्वारा समान योगदान दिए जाने पर 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
3. अंतर-पूर्ति घटक प्रदान करके उन गतिविधियों को शुरू किया जाएगा जो मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं, उन्हें 'अंतराल भरने' के घटक के अंतर्गत लिया जाएगा।

- ***बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना:*** इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रावास निर्माण कार्यक्रम चलाने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को आकर्षित करना है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को छात्रावास भवनों के नए निर्माण और मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। निजी क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठन और मानद विश्वविद्यालय केवल अपनी मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए ही केंद्रीय सहायता के पात्र हैं।
- ***अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता में सुधार:*** इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करके उनकी योग्यता में सुधार लाना है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उपचारात्मक और विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। जहाँ उपचारात्मक कोचिंग का उद्देश्य स्कूली विषयों में कमियों को दूर करना है, वहीं इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रों को विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है।

- ***डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन:*** डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन की स्थापना 24 मार्च 1992 को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी। फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य डॉ. आंबेडकर की विचारधारा और दर्शन को बढ़ावा देना और शताब्दी समारोह समिति की सिफारिशों से उत्पन्न कुछ योजनाओं का संचालन करना है।
- ***जनपथ, नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र:*** जनपथ, नई दिल्ली में 'डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय', जिसका नाम अब 'डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र' रखा गया है, की स्थापना बाबासाहेब डॉ. बीआर अंबेडकर की शताब्दी समारोह समिति (सीसीसी) द्वारा भारत के तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था। आज की तारीख में जनपथ, नई दिल्ली में प्लॉट 'ए' की 3.25 एकड़ की पूरी जमीन 'केंद्र' की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कब्जे में है। 'केंद्र' के निर्माण की जिम्मेदारी 195.00 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को सौंपी गई है। माननीय प्रधान मंत्री ने 20 अप्रैल, 2015 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय भवन निर्माण कंपनी (एनबीसीसी) ने निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया है और यह अग्रिम चरण में है।
- ***26, अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक:*** 26, अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर महापरिनिर्वाण स्थल को भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने 02.12.2003 को राष्ट्र को समर्पित किया था और उन्होंने 26, अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित स्मारक पर विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया था। डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को लगभग 99.00 करोड़ रुपये की लागत से सौंपी गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने 21 मार्च, 2016 को स्मारक की आधारशिला रखी थी और घोषणा की थी कि यह परियोजना बीस महीनों के भीतर पूरी हो जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
- ***बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन***: बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और 14 मार्च 2008 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के सामाजिक सुधार के आदर्शों के साथ-साथ उनकी विचारधारा, जीवन दर्शन, मिशन और जातिविहीन और वर्गविहीन समाज बनाने के दृष्टिकोण का प्रचार करना है।

अनुसूचित जाति के लिए आवश्यक उपाय

- स्थानीय पंचायत स्तर के अधिकारियों के माध्यम से उच्च जाति के लोगों के बीच व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिन्हें अधिकारों, कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सामुदायिक स्थान सभी के लिए खुले हों।
- पुलिस को दलितों के अधिकारों के उल्लंघन पर उचित ध्यान देने तथा आंखें मूंद लेने के बजाय कड़ी कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- दलित अपने समुदाय में होने वाले विरोध के डर से ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने से डरते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जैसी पहले से मौजूद संस्थाओं के माध्यम से दलितों को मज़बूत करके और उन तक पहुँच बनाकर ऐसी बाधाओं को दूर करने की ज़रूरत है।
- स्कूलों, कॉलेज प्रशासन, कर्मचारियों और छात्रों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से दृष्टिकोण में प्रभावी परिवर्तन लाया जा सकता है।
- **श्रम कानूनों में समझदारीपूर्ण सुधार करके** व्यवस्था में फंसे दलितों को बाहर निकलने का विकल्प दिया जाना चाहिए।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को** आर्थिक विकल्प के साथ एकीकृत करना महत्वपूर्ण है।
- **दलितों को कौशल प्रदान करने और शिक्षित करने में भारी निवेश की आवश्यकता होगी** और सरकार को औपचारिक क्षेत्र में नई नौकरियों का सृजन करना होगा तथा रोजगार सृजन में आने वाली बाधाओं को कम करना होगा।

- महिलाओं के लिए स्थिर वेतन वाली नौकरियों की उपलब्धता बढ़ाना उनके सामाजिक-आर्थिक शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है
- **निरंतर पुनर्संरचना के माध्यम से गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रहों को दूर करना:** यह केवल लैंगिक समानता के विचार को बढ़ावा देकर और लड़के को प्राथमिकता देने की सामाजिक विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंककर ही संभव है।
- उन्हें निर्णय लेने की शक्तियाँ और शासन में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। अतः, भारत की राजनीति में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को यथाशीघ्र पारित किया जाना चाहिए।
- **कार्यान्वयन अंतराल को पाटना:** समाज के कल्याण के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए सरकारी या समुदाय-आधारित निकायों की स्थापना की जानी चाहिए।
- दलित महिलाओं को अनेक प्रकार की वंचनाओं के मुद्दे से निपटने के लिए समूह और लिंग-विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- दलित महिलाओं को स्वास्थ्य, विशेषकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर व्यापक नीतियों की आवश्यकता है।
- महिलाओं को **स्वयं सहायता समूह** बनाने के लिए एकजुट करके ऋण उपलब्ध कराएं । केरल के कुदुम्बश्री मॉडल का उदाहरण लिया जा सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- अनुसूचित जातियों को विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें **शिक्षा और जागरूकता प्रदान करना ।**
- मैनुअल स्कैवेंजिंग से बचाए गए **श्रमिकों का पुनर्वास ।**
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पोषण स्थिति की निगरानी के लिए एक तंत्र। प्रस्ताव में जिला प्रशासन को स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से निगरानी करने की आवश्यकता बताई गई है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के बालक-बालिकाओं की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें निखारना और उन्हें विशेष प्रतिभा विद्यालयों में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इससे वे समाज के अन्य वर्गों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकेंगे।
- **सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने के लिए लोक सेवकों को संवेदनशील बनाना।**

दलित महिलाएं

दलित महिलाएँ भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं। उन्हें लंबे समय से सामाजिक रूप से बहिष्कृत और अपमानित किया गया है। सरकार ने 'सकारात्मक हस्तक्षेपों' और 'सकारात्मक उपायों' के माध्यम से उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर नीतियाँ विकसित की हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें बताती हैं कि भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है, और यह माँ की स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और शिशु की पर्याप्त पोषण तक पहुँच जैसे कारकों में स्पष्ट दिखाई देता है। यह शिक्षा प्रणाली में भी जारी रहता है।

दलित महिलाओं के साथ अक्सर बलात्कार किया जाता है या उनके पुरुष परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों द्वारा उच्च जाति के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध या अपराध करने के प्रतिशोध में मारपीट की जाती है। पुलिस हिरासत में भी उनके साथ हिंसा की जाती है ताकि पुलिस अधिकारी उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर सकें।

दलित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- **नीतियों की विफलता:**
  - ये नीतियां अतीत की विकलांगताओं और अक्षमताओं को न्यूनतम करने तथा उनके और शेष भारतीय समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए अपर्याप्त हैं।
  - दलित महिलाएं उच्च स्तर की गरीबी, लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक अभाव से पीड़ित हैं।
- **हिंसा:**
  - लड़कियों को कम उम्र में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है और अन्य जातियों की महिलाओं की तुलना में यह दर ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 15 साल की उम्र तक 33.2% अनुसूचित जाति की महिलाओं को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है।
  - "अन्य" श्रेणी की महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 19.7% है।
  - हिंसा जारी है, जिसका मुख्य कारण प्रभुत्वशाली जातियों में दंड से मुक्ति की भावना है।
- **राजनीतिक शक्ति से कोई मदद नहीं मिलती:**
  - यहां तक कि जब दलित महिलाएं राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती हैं, जैसे कि जब वे सरपंच के रूप में निर्वाचित होती हैं, तो अक्सर उन्हें उस सामाजिक शक्ति से कोई सुरक्षा नहीं मिलती जो उनके विरुद्ध हिंसा और भेदभाव को मंजूरी देती है।

- एक दलित महिला सरपंच वाले गांव में एक दलित महिला को जला दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- **प्रभावशाली जातियों का रवैया:**
- वर्चस्वशाली जातियों में एक मानसिकता है कि वे दलित लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं और वे इससे बच निकलेंगे।
- "पवित्रता और अपवित्रता" के प्रति ब्राह्मणवादी जुनून की कीमत पर दलित महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का विकास के सभी आयामों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।
- आज भी दलित महिलाएं अपने परिवारों के साथ आमतौर पर गांव के किनारे अलग-अलग बस्तियों या गांव के एक कोने में मोहल्लों में रहती हैं, जहां उन्हें नागरिक सुविधाएं, पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पहुंच मार्ग आदि नहीं मिलते।
- शहरी क्षेत्रों में उनके घर बड़े पैमाने पर झुग्गी बस्तियों में पाए जाते हैं जो आमतौर पर बहुत अस्वास्थ्यकर वातावरण में स्थित होते हैं।
- धार्मिक नाम पर उनका शोषण, जैसे "नग्न पूजा", देवदासी प्रथा और इसी तरह की अन्य प्रथाएं उन्हें हिंसा और भेदभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने कहा है कि दलित महिलाओं को राज्य के अधिकारियों और प्रमुख जातियों के शक्तिशाली सदस्यों द्वारा लक्षित हिंसा, यहां तक कि बलात्कार और हत्या का सामना करना पड़ता है, जिनका उपयोग राजनीतिक लाभ उठाने और समुदाय के भीतर असंतोष को कुचलने के लिए किया जाता है।

- **मामले वापस लिये गये और न्याय का अभाव:**
- अक्सर मामले वापस ले लिए जाते हैं और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा न दिए जाने के कारण बाहरी दबाव के कारण वे अपने बयान से पलट जाते हैं।
- अपराधियों की ओर से स्वीकृत दंडमुक्ति भारत में एक प्रमुख मुद्दा है, और पुलिस अक्सर दलित महिलाओं के कानूनी सहायता और न्याय के अधिकार को अस्वीकार करती है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करती है और उसे विलंबित करती है। रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और आपराधिक प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का एक निरंतर पैटर्न है, जिसके कारण व्यापक दंडमुक्ति होती है और दलित महिलाओं के लिए न्याय में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

- **कार्यस्थल पर हिंसा:**
- जोखिम भरे कार्यस्थलों और श्रम अधिकार संरक्षण उपायों की कमी के कारण प्रवासी दलित महिलाएं व्यावसायिक चोट के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
- इसके अलावा, अल्पकालिक श्रमिकों को उप-ठेके पर देने की उभरती समस्या के कारण कार्यस्थल पर घायल होने पर उनके लिए मुआवजे का दावा करना अधिक कठिन हो जाता है।
- दलित महिलाएं नियोक्ताओं, प्रवास एजेंटों, भ्रष्ट नौकरशाहों और आपराधिक गिरोहों द्वारा दुर्व्यवहार और शोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
- दासता के लिए तस्करी भी दलित महिलाओं के बड़े अनुपात के पलायन में योगदान देती है।

- **दलित महिलाओं पर अत्याचार** :
- 2020 में हाथरस में 19 वर्षीय दलित महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना आज भी हमारे ज़ेहन में ताज़ा है। कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और वकीलों ने तर्क दिया कि यौन हिंसा महिला के लिंग और जाति के आधार पर हुई थी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक दृष्टिहीन दलित महिला पर यौन हिंसा का एक और मामला जाति आधारित यौन अत्याचार को उजागर करता है।

दलित महिलाओं के लिए आवश्यक उपाय

- व्यवस्था में फँसी दलित महिलाओं को बाहर निकलने के विकल्प देने के लिए **श्रम कानूनों में समझदारी भरे सुधार ज़रूरी हैं । सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को आर्थिक विकल्प के साथ जोड़ना बेहद ज़रूरी है।**
- **महिलाओं को कौशल प्रदान करने और शिक्षित करने के लिए भारी निवेश की** आवश्यकता होगी तथा सरकार को औपचारिक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में नई नौकरियां पैदा करने तथा रोजगार सृजन में आने वाली बाधाओं को कम करने की आवश्यकता होगी।
- महिलाओं के लिए **स्थिर वेतन वाली नौकरियों की उपलब्धता बढ़ाना उनके सामाजिक-आर्थिक शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।**
- **निरंतर पुनर्संरचना के माध्यम से गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रहों को दूर करने के** साथ : - यह केवल लैंगिक समानता के विचार को बढ़ावा देने और लड़के को प्राथमिकता देने की सामाजिक विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकने से ही संभव है।

- उन्हें **निर्णय लेने की शक्तियां** और शासन में उचित स्थान दिया जाना चाहिए।
- इस प्रकार, भारत की राजनीति में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी बढ़ाने के लिए **महिला आरक्षण विधेयक को** यथाशीघ्र पारित किया जाना चाहिए।
- **कार्यान्वयन अंतराल को पाटना:**
  - समाज के कल्याण के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए सरकारी या समुदाय-आधारित निकाय स्थापित किए जाने चाहिए।
  - दलित महिलाओं को अनेक प्रकार की वंचनाओं के मुद्दे से निपटने के लिए समूह और लिंग-विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
  - दलित महिलाओं को स्वास्थ्य, विशेषकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर व्यापक नीतियों की आवश्यकता है।
  - महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए एकजुट करके ऋण उपलब्ध कराएँ। केरल के कुदुम्बश्री मॉडल का उदाहरण लिया जा सकता है।

दलित महिलाओं के लिए आगे का रास्ता

- यह बात मायने रखती है, भले ही इस मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई हो, क्योंकि पीओए अधिनियम के तहत बार-बार दोषसिद्धि को दरकिनार करने से उन आरोपों को बल मिलता है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे महिलाओं के खिलाफ जाति-आधारित हिंसा को खत्म करने जैसा है।
- इसके अलावा, जैसा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार और अपराध पर हाल ही में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, "उच्च बरी होने की दर प्रमुख और शक्तिशाली समुदायों को अपराध जारी रखने के लिए प्रेरित करती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है"।
- यह निर्णय न्यायालय के लिए एक अवसर चूक गया, जिसके तहत वह पीओए अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए अंतर्संबंध का उपयोग कर सकता था, या यदि आवश्यक हो तो मामले को एक बड़ी पीठ को भेज सकता था।
- हमें साक्ष्यों की अति-तकनीकीता के पीछे छिपना बंद करना होगा और महिलाओं के विरुद्ध जाति-आधारित हिंसा को तब पहचानना होगा जब वह हमारे सामने हो।
- अन्यथा, हमारे जातिगत भेदभाव संबंधी कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे।
- यदि इस मामले में अंतर्संबंध सिद्धांत मायने रखता है, तो इसे पीओए अधिनियम की व्याख्या को प्रभावित करना चाहिए था जो यौन हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के जीवित अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है।

भारत में दलित महिलाएँ इस समय एक बेहद नाज़ुक मोड़ पर हैं जहाँ उन्हें एक साथ तीन दहलीज़ें पार करनी हैं: वर्ग, वर्ग और पितृसत्ता। ये सामाजिक संरचना की तीन पदानुक्रमित धुरी हैं जो लैंगिक संबंधों और दलित महिलाओं के उत्पीड़न को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) एक **संवैधानिक निकाय** है जो भारत में **अनुसूचित जातियों (एससी) के हितों की रक्षा के लिए काम करता है।**
- **इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से सुरक्षा** प्रदान करना तथा अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करना है।
- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है:**
- **इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए** एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, जिसका कर्तव्य **उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना,** विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास आदि की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना है।

अनुसूचित जाति

- 1931 की जनगणना में पहली बार कुछ जातियों को व्यवस्थित रूप से **" दलित वर्ग "** के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद, **भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार सामाजिक रूप से वंचित जातियों को** "अनुसूचित जाति" के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान किया।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जातियों को** इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति के सभी समूहों के भाग जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए **अनुच्छेद 341(1) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां माना गया है।"**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **विशेष अधिकारी:** संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान डाला गया।
- ऐसे विशेष अधिकारी को **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त के रूप में नामित किया गया था और उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करने** और इस सुरक्षा के कामकाज पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने का कर्तव्य सौंपा गया था।
- **संसद सदस्यों की मांग पर संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया,** जिसके अनुसार, एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर बहु-सदस्यीय प्रणाली लागू करके संवैधानिक सुरक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए **आयुक्त का पद पर्याप्त नहीं है ।**
- **जबकि अनुच्छेद 338 में संशोधन अधिनियम अभी भी विचाराधीन था, सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक, 2013 स्थापित करने का निर्णय लिया।बहु-सदस्यीय आयोगएक प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से।**
- इस प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहला आयोग 1978 में स्थापित किया गया।
- संविधान **(65वां संशोधन विधेयक), 1990 के पारित होने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई ।**
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस तरह के पहले आयुक्त को समाप्त कर दिया गया।
- **89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003:**
- पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग** और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है ।
- अनुसूचित जातियों के लिए पहला **राष्ट्रीय आयोग 2004 में** सूरजभान की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

एनसीएससी की संरचना

- यह होते हैं:
- अध्यक्ष.
- उपाध्यक्ष।
- तीन अन्य सदस्य.
- उनकी **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाती है।
- **अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है** तथा **उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है ।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के **अध्यक्ष का कार्यकाल** निश्चित **नहीं है** ; वह भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। **लेकिन परंपरा के अनुसार उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित होता है।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियाँ

- आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। अन्वेषण और पूछताछ के लिए, आयोग को एक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके पास निम्नलिखित अधिकार हैं:
- किसी भी व्यक्ति को बुलाना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना।
- शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करें।
- किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन।
- शपथ पर किसी व्यक्ति की जांच करें।
- गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना।
- कोई भी मामला जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।

कार्य

- संविधान के तहत **अनुसूचित जातियों के लिए** प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित **सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना।**
- अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित **शिकायतों की जांच करना।**
- अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना बनाने में भाग लेना तथा **केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना।**
- इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर देश के **राष्ट्रपति को** नियमित रिपोर्टिंग करना।
- अनुसूचित जातियों के **सामाजिक-आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को** आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले **कदमों की सिफारिश करना।**
- अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण, संरक्षण, विकास और उन्नति के संबंध में कोई अन्य कार्य।
- आयोग को **एंग्लो-इंडियन समुदाय** के संबंध में भी उसी प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता है , जैसा कि वह अनुसूचित जातियों के संबंध में करता है।
- 2018 तक, आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्य करने थे। **2018 के 102 वें** संशोधन अधिनियम द्वारा इसे इस दायित्व से **मुक्त कर दिया** गया।
- आयोग द्वारा की जाने वाली एक प्रमुख निगरानी गतिविधि नागरिक अधिकार अधिनियम और अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना से संबंधित है।
- यह **इन अदालतों में मामलों के निपटारे की दरों पर भी नज़र रखता है**। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने अत्याचार की शिकायतों की कई बार मौके पर ही जाँच की है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भूमिका से संबंधित मुद्दे

- **गैर-बाध्यकारी सिफारिशें:**
  - अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से होने वाले अपराधों का 89% है।
  - यद्यपि आयोग के पास इस क्षेत्र में जांच और पूछताछ की व्यापक शक्तियां हैं तथा वह जिम्मेदारी तय कर सकता है और कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, फिर भी उसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
- **कम संवेदी:**
  - आयोग की मौजूदा प्राथमिकताएं इन समुदायों के अभिजात वर्ग के पक्ष में स्पष्ट रूप से असंतुलित हैं।
  - चूंकि आयोग अधिकांशतः शिकायतों पर ही कार्रवाई करता है, इसलिए यह कहा जाता है कि आयोग गरीब दलितों के प्रति कम संवेदनशील रहा है, जो शिक्षा या सूचना के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं।
  - आयोग ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने की अपनी शक्तियों का पर्याप्त सक्रियता से उपयोग नहीं किया है।
- **मुकदमेबाजी:**
  - आपराधिक जांच के मामले में, उसे साक्ष्य और अभियोजन से संबंधित प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
  - इससे आयोग की प्रभावशीलता में कमी आती है, क्योंकि इससे आयोग उच्च न्यायिक निकायों में अपील के रूप में मुकदमेबाजी के प्रति संवेदनशील हो जाता है और इस प्रकार इसकी परिचालन प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है।
- **विलंब:**
  - जांच करने और निर्णय देने में देरी हो रही है।
  - इसके अलावा, ऐसी धारणा है कि आयोग अधिकांश मामलों में सरकार की स्थिति की पुष्टि करता है।
- **अनियमितता:**

- आयोग को संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी है।
- रिपोर्टें अक्सर राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाने के दो या अधिक वर्षों बाद प्रस्तुत की जाती हैं।
- यहां तक कि जब रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है, तो अक्सर उन पर चर्चा नहीं होती।

- **प्रसार:**
- कई नीतिगत क्षेत्रों में, जैसा कि अनुसूचित जातियों के मामले में हुआ, संस्थाओं के प्रसार ने एक संस्थागत भ्रम पैदा कर दिया है, जिसमें प्रत्येक की भूमिका और शक्तियां अस्पष्ट हो गई हैं।
- संस्थाओं के दोहराव और बहुलता ने और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है।

एनसीएससी द्वारा उपाय किए जाने की आवश्यकता है

- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दलितों के कानूनी एवं न्यायिक संरक्षण को सुदृढ़ बनाना:**
- आयोग अपराध की **ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है।**
- यह सभी पुलिस स्टेशनों पर स्थानीय भाषाओं में सरलीकृत मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करके और उपलब्ध कराकर लोगों को मामले दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक कर सकता है।
- **संस्थानों का क्षमता निर्माण और संवेदनशीलता:** आयोग वकीलों, न्यायाधीशों और पुलिसकर्मियों के क्षमता निर्माण में मदद कर सकता है। इससे अनुसूचित जातियों के सदस्यों के साथ उनकी सहानुभूतिपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी।
- आयोग कम से कम सरकारी संस्थाओं और संगठनों को आंतरिक शिकायत समिति जैसे शिकायत निवारण तंत्रों की नियमित निगरानी करके संवेदनशील बनाने में मदद कर सकता है।
- **मौजूदा सरकारी नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:** आयोग विधायकों के साथ चर्चा कर सकता है और मंत्रालयों में परिणामोन्मुखी निधि व्यय को प्राथमिकता दे सकता है।
- प्रत्येक मंत्रालय को अपने खर्च का 15% अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए अलग रखना होगा। आयोग इन निधियों का पुनर्गठन रोज़गार सृजन और स्वरोज़गार, क्षमता निर्माण और दलितों के कौशल विकास के लिए कर सकता है।
- मौजूदा योजनाओं की प्रभावशीलता और प्रभावों की निगरानी आयोग द्वारा नियमित रूप से की जा सकती है।
- **अनुसूचित जाति उपयोजना**
- हर साल, केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से आवंटन किया जाता है।
- यह निधि अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के माध्यम से खर्च की जाती है।
- सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को एससीएसपी और टीएसपी के अंतर्गत धनराशि अलग से रखने की बाध्यता है।
- **अच्छे सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करें:**
- किसी विभाग या निकाय द्वारा किए गए कार्य के नवाचार, प्रभावशीलता और सकारात्मक प्रभाव को आयोग द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है।
- आयोग को अनुसूचित जाति कल्याण के लिए सामाजिक और आर्थिक योजना में भाग लेने का संवैधानिक जनादेश प्राप्त है - उसे इस जनादेश का उपयोग देश में जमीनी स्तर की वास्तविकताओं से जुड़ने वाली सिविल सेवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए करना चाहिए।
- **नागरिक समाज के साथ बेहतर सहभागिता:** आयोग दलित मुद्दों पर काम करने वाले नागरिक समाज समूहों के साथ संरचित सहभागिता के लिए एक मंच बना सकता है।
- **व्यवहारिक प्रेरणा:** आयोग उन सामाजिक प्रथाओं की पहचान कर सकता है जो भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, तथा नागरिक समाज और सरकार को उनके बारे में बहस, विचार-विमर्श, जागरूकता अभियान आयोजित करने में मदद कर सकता है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता को सुगम बनाना:**
- यह विश्वविद्यालयों को उद्यमिता पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और इस पर चर्चा कर सकता है। यह यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जैसे **स्टैंड अप इंडिया योजना, लाभार्थियों तक पहुँचें।**
- यह समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विचारों को शामिल करके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकता है।
- यह सेवा अर्थव्यवस्था में कौशल और लघु व्यवसाय विकास को बढ़ावा दे सकता है।
- अनुसूचित जातियों के सदस्य आमतौर पर ज़मीन के मालिक या कृषक नहीं होते। इसलिए उन्हें स्थानीय और अन्य बाज़ारों

के साथ एकीकरण और प्रतिस्पर्धा करने में मदद की ज़रूरत होती है, जो मार्गदर्शन और अन्य गैर-वित्तीय सहायता के ज़रिए किया जा सकता है।

- **अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करना:** आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज को आमंत्रित कर सकता है कि वे सबसे पहले दलितों के सामने अगले पांच वर्षों में आने वाली पांच सबसे बड़ी चुनौतियों की पहचान करें और उन्हें कम करने के उपाय सुझाएं।

एनसीएससी को विभिन्न शक्तियों के माध्यम से **दलितों के विरुद्ध हिंसा पर अंकुश लगाने** का अधिदेश दिया गया है । आयोग के लिए यह वांछनीय है कि वह अपनी प्राथमिकताओं का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन करे और उन्हें और अधिक समतावादी तरीके से पुनर्परिभाषित करे ताकि वह अपने अधिदेश को उसी भावना से पूरा कर सके जिस भावना से उसे बनाया गया था।

अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15(4)** उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है।
- **अनुच्छेद 16(4ए) में 'राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण'** की बात कही गई है , जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 17** अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- **अनुच्छेद 46 में** राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह **'लोगों के कमजोर वर्गों** , विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
- **अनुच्छेद 335** में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य के मामलों से संबंधित **सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां** करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाएगा।
- संविधान के **अनुच्छेद 330** और **अनुच्छेद 332 क्रमशः लोक सभा और** राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।
- **पंचायतों** से संबंधित संविधान के **भाग IX** और नगर पालिकाओं से संबंधित **भाग IXA** के अंतर्गत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की परिकल्पना और व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दे

- राष्ट्रीय **अनुसूचित जनजाति आयोग के** अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ **आदिमता, भौगोलिक अलगाव, शर्मीलेपन और सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन से** ग्रस्त होती हैं, और इन्हीं कारणों से ये विशेषताएँ हमारे देश के अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करती हैं।
- अनुसूचित जातियों की परिभाषा, जो ब्रिटिश काल के कानून से ली गई थी, की तरह, "अनुसूचित जनजातियों" की परिभाषा भी 1931 की जनगणना से ही बरकरार रखी गई है।
- **2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या में** जनजातीय लोगों की संख्या 8.6% है, जो 104 मिलियन से अधिक है। वन जनजातीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय स्थान रखते हैं।
- जनजातीय जीवन शैली जन्म से लेकर मृत्यु तक वनों द्वारा ही निर्धारित होती है।
- भारत के संविधान द्वारा जनजातीय आबादी को दिए गए संरक्षण के बावजूद, आदिवासी अभी भी भारत में सबसे पिछड़ा जातीय समूह बने हुए हैं। वैश्वीकरण के कई आयाम हैं जो कभी जनजातीय समुदायों को सकारात्मक और कभी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अनुसार, भारत में 700 से ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ** हैं ।
- हालाँकि अज्ञानी लोग अक्सर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक ही छत्र के नीचे रख देते हैं, लेकिन ये दोनों समूह काफ़ी अलग हैं।
- यह सच है कि दोनों समूहों ने स्वतंत्र भारत से पहले और बाद में भी गंभीर उत्पीड़न और हाशिए पर धकेले जाने का सामना किया है और करते रहेंगे, लेकिन जहाँ अनुसूचित जातियों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, वहीं अनुसूचित जनजातियों को भौगोलिक अलगाव के आधार पर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति की परिभाषा

- 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजातियाँ" कहा जाता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों की माँग की।
- संविधान में अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के लिए कोई मानदंड **निर्धारित नहीं है** , इसलिए स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का ही उपयोग किया गया।
- हालाँकि, संविधान का **अनुच्छेद 366(25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या समूहों से है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत** अनुसूचित जनजाति **माना जाता है।"**
- **अनुच्छेद 342(1):** राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, और जहां वह राज्य है, राज्यपाल से परामर्श के पश्चात, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भाग या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा।

कुछ संबंधित समितियाँ

- **अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंडों पर विचार करने के लिए लोकुर समिति (1965) का** गठन किया गया था। समिति ने पहचान के लिए पाँच मानदंड सुझाए थे: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, व्यापक समुदाय से संपर्क में संकोच और पिछड़ापन।
- **भूरिया आयोग (2002-2004) ने** 5वीं अनुसूची से लेकर जनजातीय भूमि और वन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पंचायतों की कार्यप्रणाली और जनजातीय महिलाओं की स्थिति जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

- **2013 में प्रोफेसर वर्जिनियस ज़ाक्सा** की अध्यक्षता में **एक उच्च स्तरीय समिति का** गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों से संबंधित 5 महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन करना था: (1) आजीविका और रोजगार, (2) शिक्षा, (3) स्वास्थ्य, (4) अनैच्छिक विस्थापन और प्रवास, (5) और कानूनी और संवैधानिक मामले।

भारत में आदिवासी समुदायों की विभिन्न समस्याएँ

- **संसाधन दोहन:**
  - उदारीकरण की नीति और संसाधनों के उपयोग के बारे में राज्य की नई धारणाएं संसाधनों के दोहन के बारे में आदिवासी विश्वदृष्टि के बिल्कुल विपरीत हैं और वैश्वीकरण के बाजारोन्मुखी विकास दर्शन के हस्तक्षेप के साथ यह विभाजन और भी अधिक बढ़ गया है।
  - हाल ही में हुई तीव्र तकनीकी प्रगति और विश्व पूंजीवाद की बेजोड़ आर्थिक और राजनीतिक ताकत ने जनजातीय लोगों के पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और दोहन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी हैं।
  - भूमि, वन, लघु वनोपज, जल संसाधन आदि से संबंधित सभी उपलब्ध कानून लोगों को वनों का उपयोग करने से रोकते हैं।
  - ईंधन, चारा और लघु वनोपज जैसे प्राथमिक संसाधन, जो ग्रामीणों को निःशुल्क उपलब्ध थे, आज या तो मौजूद नहीं हैं या उन्हें व्यावसायिक रूप से लाना पड़ता है।
  - आदिवासियों के लिए वैश्वीकरण बढ़ती कीमतों, नौकरी की सुरक्षा की हानि और स्वास्थ्य देखभाल की कमी से जुड़ा हुआ है।
- **विस्थापन:**
  - उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) के उद्भव के बाद से, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में अनैच्छिक विस्थापन के कारण विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
  - इस प्रकार, आदिवासियों को जबरन बेदखल करके विशाल पूंजी-प्रधान विकास परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाना एक कष्टदायक दिनचर्या बन गई है तथा यह लगातार बढ़ती जा रही घटना है।
- **पुनर्वास में अंतराल:**
  - विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातीय समुदाय के सदस्यों के पुनर्वास में खामियां हैं।
  - विकास परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए अनुमानित 85 लाख लोगों में से अब तक **केवल 21 लाख आदिवासी समुदाय के सदस्यों का पुनर्वास किया जा सका है।**
- **समुदायों में विभिन्न समस्याएं** :
  - **स्वास्थ्य : उदाहरण के लिए, हाल ही में खारिया सावर समुदाय** के सात वयस्कों की केवल दो सप्ताह के अंतराल में मृत्यु हो गई। उनकी जीवन प्रत्याशा औसत भारतीय जीवन प्रत्याशा से लगभग 26 वर्ष कम है।
    - पश्चिम गोदावरी जिले में लगभग 10% लोग सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित हैं।
  - **अलगाव** : लाल गलियारा क्षेत्रों (विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश) में समस्याएं शासन की कमी और अधूरे भूमि सुधार हैं, जिससे जनजातियों की भलाई को नुकसान पहुंचा है।
  - उत्तर-पूर्व की जनजातियों के बीच प्राकृतिक संसाधनों और क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए व्यापक अंतर्कलह है।
- **निहित स्वार्थ:**
  - गरीब स्वदेशी जनजातीय लोगों की जीवनशैली के उन्नयन के नाम पर, बाजार की ताकतों ने इन क्षेत्रों में इन जनजातियों की आजीविका और सुरक्षा की कीमत पर अपने हितों के लिए धन का सृजन किया है।
- **बेरोजगारी:**
  - मध्य क्षेत्र में औद्योगिक और खनन गतिविधियों का भारी संकेन्द्रण है। मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक गतिविधि के बावजूद, आधुनिक उद्यमों में जनजातीय रोज़गार नगण्य है।
  - प्रशिक्षुता अधिनियम के प्रावधानों के अलावा, निजी या संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों के लिए वंचित जनजातीय कार्यबल के एक निश्चित प्रतिशत की भर्ती करने का कोई प्रावधान नहीं है।
  - उन्हें लगातार बढ़ते कम वेतन वाले, असुरक्षित, क्षणिक और अभावग्रस्त श्रम बाजार में धकेला जाता है।
  - मध्य भारत के लगभग 40 प्रतिशत आदिवासी इस विकृत और अतिशोषणकारी पूंजीवादी क्षेत्र में भाग लेकर अपनी आय बढ़ाते हैं।
- **सामाजिक जीवन पर प्रभाव:**
  - और भी कई लोग धीरे-धीरे अपनी मातृभूमि या शहरी झुग्गियों में गुमनामी के गर्त में धकेल दिए जाते हैं। उनका आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में है।

- वैश्वीकरण की इस महाशक्ति ने भारत के दलितों की भेद्यता में नए आयाम जोड़ दिए हैं, क्योंकि इसने उनके सामाजिक बहिष्कार को और बढ़ा दिया है, तथा जनजातीय समूहों के बड़े हिस्से को भी भेद्य और बहिष्कृत बना दिया है।
- **उपराष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म देना:**
- मुख्यधारा के विकास में भागीदारी के लिए अपर्याप्त संसाधनों वाले क्षेत्रों में अपर्याप्त सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे भी झारखंड, उत्तराखंड और बोडोलैंड जैसे विभिन्न "उप-राष्ट्रीय आंदोलनों" के मूल में रहे हैं।
- **आदिवासी महिलाएँ:**
- जनजातीय वन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से महिलाओं की अर्थव्यवस्था है, और महिलाएं ही हैं जो अपनी पारंपरिक भूमि के कॉर्पोरेट शोषण से सबसे अधिक सीधे प्रभावित होती हैं।
- गरीबी से ग्रस्त जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवास से यह पता चला है कि युवा महिलाएं काम की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर बढ़ रही हैं।
- उनकी रहने की स्थिति अस्वास्थ्यकर है, वेतन कम है और आदिवासी महिलाएं बेईमान एजेंटों द्वारा शोषण की शिकार हैं।
- जनजातियों में एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। 31 मार्च, 2015 तक अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में 6,796 उप-केंद्रों, 1,267 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और 309 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की कमी है।
- वे बागान औद्योगिक क्षेत्रों में प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और यहां तक कि साथी पुरुष श्रमिकों द्वारा यौन उत्पीड़न का प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं।
- **अनौपचारिक नौकरियाँ:**
- खदानों और खदानों जैसे निर्माण स्थलों तथा औद्योगिक परिसरों में आप्रवासी मजदूरों की आमद से स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए संकट पैदा हो गया।
- **सांस्कृतिक विकृति:**
- आदिवासियों को समाज में जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है, जिसके कारण वे अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं खो रहे हैं और उनके आवास पर खतरा मंडरा रहा है।
- **सेंटिनली** जैसी **अलग-थलग जनजातियाँ** अभी भी बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। सरकार को इन मामलों में "आँखें बंद रखें, हाथ न लगाएँ" नीति लागू करनी चाहिए।
- क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण जारवा समुदाय की जनसंख्या में तीव्र गिरावट आ रही है (**अन्य परियोजनाओं के अलावा अंडमान ट्रंक रोड ने** जारवा अभ्यारण्य के हृदयस्थल को काट दिया है)।
- **विमुक्त, अर्द्ध-खानाबदोश और खानाबदोश जनजातियों को** अभी तक अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं किया गया है।
- उनके पारंपरिक व्यवसाय (सांपों को आकर्षित करना, जानवरों के साथ सड़क पर कलाबाजी करना) अब अवैध हैं और वैकल्पिक आजीविका के विकल्प उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।
- कुछ जनजातियों को जनजातीय समूहों में भी उनकी अधिक 'भेद्यता' के आधार पर **विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में ऐसी 75 जनजातियाँ हैं।**

अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय

शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय

- **अनुच्छेद 15(4):- अन्य पिछड़े वर्गों** *(जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ भी शामिल हैं)* की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान ;
- **अनुच्छेद 29:- अल्पसंख्यकों** *(जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ भी शामिल हैं)* के हितों का संरक्षण ;
- **अनुच्छेद 46:** - राज्य, जनता के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से प्रोत्साहित करेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
- **अनुच्छेद 350:-** विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार;
- **अनुच्छेद 350:-** मातृभाषा में शिक्षा।

सामाजिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 23:-** मानव एवं भिक्षावृत्ति तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध;
- **अनुच्छेद 24:-** बाल श्रम का निषेध।

आर्थिक सुरक्षा उपाय

- **अनुच्छेद 244:-** खंड (1) पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के अलावा किसी भी

राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे, जो इस अनुच्छेद के खंड (2) के तहत छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।

- **अनुच्छेद 275:-** संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट राज्यों (एसटी और एसए) को सहायता अनुदान।

राजनीतिक सुरक्षा उपाय

- **अनुच्छेद 164(1):-** बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय मामलों के मंत्रियों का प्रावधान करता है;
- **अनुच्छेद 330:-** लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;
- **अनुच्छेद 337-** राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;
- **अनुच्छेद 334:-** आरक्षण के लिए 10 वर्ष की अवधि *(अवधि बढ़ाने के लिए कई बार संशोधित);*
- **अनुच्छेद 243:-** पंचायतों में सीटों का आरक्षण।
- **अनुच्छेद 371:-** पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान

सेवा सुरक्षा

- (अनुच्छेद 16(4),16(4ए),164(बी) अनुच्छेद 335, और अनुच्छेद 320(40) के तहत
- **अनुच्छेद 338ए** राज्य को अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का निर्देश देता है, जो भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के प्रावधानों और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

संविधान की पाँचवीं अनुसूची

- **यह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन** के प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह अनुसूचित जनजातियों वाले परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों से रहित राज्यों में, क्षेत्र की जनजातियों के तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व वाली जनजाति सलाहकार परिषदों की स्थापना का आश्वासन देता है। परिषद के कर्तव्यों में जनजातियों के कल्याण और उन्नति के मामलों पर सलाह देना शामिल है।

संविधान की छठी अनुसूची

- **संविधान के भाग X में अनुच्छेद 244 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना करता है। संविधान की छठी अनुसूची, चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के** जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ।

विधायी उपाय

संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा, अनुसूचित जनजातियों को उनके भौगोलिक हितों की रक्षा के लिए कानून के तहत अन्य सुरक्षाएं भी सुनिश्चित की गई हैं, जिनमें वन भूमि की सुरक्षा भी शामिल है।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम 1995।
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में);
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986;
- अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि के हस्तांतरण और पुनर्स्थापन से संबंधित राज्य अधिनियम और विनियम;
- वन संरक्षण अधिनियम 1980;
- पंचायतीराज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996;
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948.
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी पहल

प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) एक बाजार से जुड़ी जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जनजातीय स्वयं सहायता समूहों के समूह बनाना और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों के रूप में मजबूत बनाना है। इसे देश के सभी 27 राज्यों की भागीदारी से शुरू किया गया है।

- इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से जनजातीय लोगों की आय में सुधार करना है।

- **जनजातीय आबादी की आय में वृद्धि: लघु वनोपज (एमएफपी) वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।**
- समाज के इस वर्ग के लिए लघु वनोपजों के महत्व का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लगभग **100 मिलियन वनवासी भोजन, आश्रय, दवाओं और नकद आय के लिए लघु वनोपजों पर निर्भर हैं।**
- यह उन्हें खराब मौसम के दौरान महत्वपूर्ण जीविका प्रदान करता है, विशेष रूप से शिकारी-संग्राहकों और भूमिहीनों जैसे आदिम जनजातीय समूहों के लिए।
- **आदिवासी अपनी वार्षिक आय का 20-40%** लघु वनोपज से प्राप्त करते हैं, जिस पर वे अपना अधिकांश समय खर्च करते हैं।
- **महिला सशक्तिकरण:** इस गतिविधि का महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण से गहरा संबंध है, क्योंकि अधिकांश लघु वनोपजों का संग्रहण और उपयोग/बिक्री महिलाओं द्वारा ही की जाती है।
- **रोजगार:** लघु वनोपज क्षेत्र में देश में प्रतिवर्ष लगभग **10 मिलियन** कार्यदिवस सृजित करने की क्षमता है ।
- इस योजना के तहत जनजातियों की आय बढ़ाने के लिए तीन चरणों में मूल्य संवर्धन किया जाएगा।
- जमीनी स्तर पर खरीद कार्यान्वयन एजेंसियों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है।
- आजीविका आदि जैसे मौजूदा स्वयं सहायता समूहों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अन्य सरकारी विभागों/योजनाओं के साथ अभिसरण और नेटवर्किंग की जाएगी।
- इन स्वयं सहायता समूहों को टिकाऊ कटाई/संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें समूहों में गठित किया जाएगा ताकि उनके स्टॉक को व्यापार योग्य मात्रा में एकत्र किया जा सके और उन्हें **वन धन विकास केंद्र में प्राथमिक प्रसंस्करण की सुविधा से जोड़ा जा सके।**
- **क्षमता निर्माण:** वन धन के अंतर्गत, 30 जनजातीय संग्रहकर्ताओं के 10 स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं। "वन धन विकास केंद्र" की स्थापना कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन सुविधा स्थापित करने के लिए की गई है।
- कलेक्टर के नेतृत्व में काम करते हुए, ये समूह न केवल राज्यों के भीतर, बल्कि राज्यों के बाहर भी अपने उत्पादों का विपणन कर सकते हैं। प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता ट्राइफेड द्वारा प्रदान की जाती है।
- देश में ऐसे 3,000 केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है।
- **वन धन विकास केंद्र** एमएफपी के संग्रहण में शामिल जनजातियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि ये उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद करेंगे और एमएफपी समृद्ध जिलों में स्थायी एमएफपी आधारित आजीविका प्रदान करेंगे।

एसटी के लिए आगे का रास्ता

- उच्च **स्तरीय समिति (वर्जिनियस खाक्सा समिति)** ने अनेक सिफारिशें की हैं, जैसे आदिवासियों के लिए विशेष खनन अधिकार, भूमि अधिग्रहण और अन्य साझा संपत्ति संसाधनों पर निर्णय लेने के लिए आदिवासियों को अधिक स्वतंत्रता, तथा नए भूमि कानून, वन अधिकार अधिनियम का कड़ाई से क्रियान्वयन और पीईएसए को मजबूत करना।
- इसने कानूनी संवैधानिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को प्रमुख खनिजों के लिए भूमि के मालिकों और अधिभोगियों से अनुमति प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तथा 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए **ग्राम सभा से परामर्श करना चाहिए।**
- यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि पट्टा देने से पहले वन संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सभी मंजूरियां (वन और पर्यावरण) ली जानी चाहिए।
- जनजातीय सहकारी समितियों को 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में लघु खनिजों के लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए।

हालाँकि ये सिफ़ारिशें प्रगतिशील हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, खासकर वर्तमान सरकार द्वारा औद्योगीकरण को बढ़ावा दिए जाने के मद्देनज़र, एक बड़ी बाधा बन सकती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकृत और अति-शोषक पूंजीवादी क्षेत्र अपने आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को दांव पर लगाकर जातीय संहार में न फँस जाए।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

- जनजातीय समुदायों की पहचान अक्सर कुछ विशिष्ट लक्षणों से होती है, जैसे **आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय से संपर्क करने में संकोच और पिछड़ापन**।
- इसके साथ ही, कुछ जनजातीय समूहों की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ भी होती हैं, जैसे **शिकार पर निर्भरता, भोजन के लिए संग्रह, कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर**। इन समूहों को **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह** कहा जाता है।
- ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर हासिल नहीं किया है और वे आम तौर पर खराब बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक समर्थन वाले दूरदराज के इलाकों में रहते हैं।
- **ऐसे 75 समूहों की पहचान की गई है और उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है**।

पहचान की आवश्यकता:

- **जनजातीय समूहों में** पीवीटीजी अधिक असुरक्षित हैं। इस कारण, अधिक विकसित और मुखर जनजातीय समूह जनजातीय विकास निधि का एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, जिसके कारण पीवीटीजी को अपने विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- इस संदर्भ में, **1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की, जबकि 1993 में इस श्रेणी में 23 अतिरिक्त समूह जोड़े गए, जिससे देश में 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में फैले** 705 अनुसूचित जनजातियों में से कुल 75 पीवीटीजी हो गए (2011 की जनगणना)।

पीवीटीजी की विशेषताएं:

- 1973 में **ढेबर आयोग ने** आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं।
- 2006 में भारत सरकार ने PTGs का **नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) कर दिया।**
- पीवीटीजी की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं - वे **अधिकतर समरूप होते हैं, उनकी आबादी छोटी होती है, वे अपेक्षाकृत भौतिक रूप से पृथक होते हैं, सामाजिक संस्थाएं सरल ढांचे में ढली होती हैं, लिखित भाषा का अभाव होता है, अपेक्षाकृत सरल प्रौद्योगिकी होती है और परिवर्तन की दर धीमी होती है** , आदि।

जनसंख्या:

- भारत में **जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का 8.6% है।** आदिवासी लोग देश के लगभग 15% भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं।
- वे मैदानों, जंगलों, पहाड़ियों, दुर्गम क्षेत्रों आदि में रहते हैं।
- पीवीटीजी देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
- 2001 की जनगणना के अनुसार, पीवीटीजी की जनसंख्या लगभग 27,68,322 है।
- 12 पीवीटीजी ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है तथा शेष समूहों की जनसंख्या 1000 या उससे कम है।
- सहरिया जनजाति की जनसंख्या **सबसे अधिक** 4,50,217 है, जबकि **सेंटिनली और अंडमानी जनजाति की जनसंख्या बहुत कम** क्रमशः 39 और 43 है।

सामाजिक परिस्थितियाँ और घटती जनसंख्या:

- पीवीटीजी की सांस्कृतिक प्रथाओं, प्रणालियों, स्व-शासन और आजीविका प्रथाओं में समूह और स्थान के आधार पर बहुत भिन्नताएं होती हैं।
- ये आदिवासी समूह सांस्कृतिक रूप से बहुत भिन्न हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में असमानता का स्तर PVTGs में बहुत ऊँचा है।

- उनकी समस्याएँ भी समूह दर समूह बहुत अलग हैं। सामान्य जनसंख्या वृद्धि की तुलना में, विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ गिरावट की दर बहुत अधिक है, PVTGs की जनसंख्या वृद्धि या तो स्थिर है या घट रही है।
- **अंडमान द्वीपसमूह में पांच पीवीटीजी** हैं जैसे **ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगेस, सेंटिनलीज और शोम पेन।**
  - 1858 में ग्रेट अंडमानी लोगों की संख्या लगभग 3500 थी, 1901 में उनकी संख्या घटकर 625 रह गयी।
  - 2001 की जनगणना के अनुसार, ग्रेट अंडमानी की संख्या मात्र 43 थी, जारवा की संख्या 241, ओंगे की संख्या 96, सेंटिनल की संख्या 39 और शोम पेन की संख्या 398 थी।

आजीविका:

- पीवीटीजी विभिन्न आजीविकाओं पर निर्भर हैं जैसे **भोजन संग्रह, गैर-लकड़ी वनोपज (एनटीएफपी), शिकार, पशुपालन, झूम खेती और कारीगरी**। उनकी अधिकांश आजीविका जंगल पर निर्भर करती है। **जंगल ही उनका जीवन और आजीविका है**।
- वे विभिन्न गैर-जीवाश्म (एनटीएफपी) उत्पाद जैसे शहद, गोंद, आंवला, बांस, झाड़ियाँ, ईंधन की लकड़ी, सूखे पत्ते, मेवे, अंकुर, मोम, औषधीय पौधे, जड़ें और नलियाँ एकत्र करते हैं। वे जो भी गैर-जीवाश्म उत्पाद एकत्र करते हैं, उनमें से अधिकांश उपभोग के लिए होते हैं और शेष बिचौलियों को बेच देते हैं।
- लेकिन घटते जंगलों, पर्यावरणीय बदलावों और नई वन संरक्षण नीतियों के कारण, उनके एनटीएफपी संग्रहण में बाधा आ रही है। एनटीएफपी उत्पादों के मूल्य के बारे में जागरूकता की कमी के कारण, बिचौलियों द्वारा पीवीटीजी का शोषण किया जा रहा है।

स्वास्थ्य स्थितियां:

- **गरीबी, निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल की कमी, खराब स्वच्छता की स्थिति, कठिन भूभाग, कुपोषण, खराब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की अनुपलब्धता, अंधविश्वास और वनों की कटाई जैसे कई कारकों के कारण** पीवीटीजी की स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब है।
- एनीमिया, ऊपरी श्वसन संबंधी समस्याएं, मलेरिया; तीव्र दस्त जैसे जठरांत्र संबंधी विकार, आंतों के प्रोटोजोआ; सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और त्वचा संक्रमण रोग पीवीटीजी के बीच आम हैं।
- इनमें से कई बीमारियों को पौष्टिक भोजन, समय पर चिकित्सा सुविधाएँ और स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करके रोका जा सकता है। शिक्षा की स्थिति भी बहुत खराब है, जहाँ **पीवीटीजी में औसत साक्षरता दर 10% से 44% के बीच है।**

पीवीटीजी के लिए योजना:

- **आदिम कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना** 1 अप्रैल, 2008 से लागू हुई।
- इस योजना में **पीवीटीजी को अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर के रूप में** परिभाषित किया गया है , इसलिए यह योजना उनके संरक्षण और विकास को प्राथमिकता देने का प्रयास करती है।
- इस योजना का उद्देश्य पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है तथा राज्य सरकारों को विशिष्ट समूहों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप पहल की योजना बनाने में लचीलापन प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत समर्थित गतिविधियों में आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं।
- निधियां केवल पीवीटीजी के अस्तित्व, संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं तथा इन्हें केन्द्र/राज्य सरकारों की किसी अन्य योजना द्वारा पहले से वित्त पोषित नहीं किया जाता है।
- प्रत्येक राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को अपने क्षेत्र के भीतर प्रत्येक पीवीटीजी के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध एक दीर्घकालिक संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना तैयार करनी होगी, जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाले पहलों, उनके लिए वित्तीय योजना और उन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी वाली एजेंसियों की रूपरेखा होगी।
- सीसीडी योजना को *जनजातीय कार्य मंत्रालय* द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है । इसके बाद, इस योजना का वित्तपोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

पीवीटीजी के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- **पहचान में असंगति:**

- राज्यों द्वारा अपनाई गई पीवीटीजी की पहचान की प्रक्रिया अलग-अलग है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश की भावना पर शिथिलता से विचार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीवीटीजी की पहचान करने में कोई एकसमान सिद्धांत नहीं अपनाया गया।

- **पुरानी सूची:**

- **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण** का मानना है कि पीवीटीजी की सूची **अतिव्यापी और दोहरावपूर्ण है।**
- उदाहरण के लिए, सूची में एक ही समूह के समानार्थी शब्द शामिल हैं, जैसे ओडिशा में मनकिडिया और बिरहोर, जो दोनों एक ही समूह को संदर्भित करते हैं।

- **आधारभूत सर्वेक्षणों का अभाव:**

- आधारभूत सर्वेक्षण पीवीटीजी परिवारों, उनके आवास और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की सटीक पहचान करने के लिए किए जाते हैं, ताकि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर इन समुदायों के लिए विकास पहलों को क्रियान्वित किया जा सके।
- भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने 75 पी.वी.टी.जी. का अवलोकन किया, **लगभग 40 समूहों के लिए आधार रेखा सर्वेक्षण मौजूद हैं**, उन्हें पी.वी.टी.जी. घोषित करने के बाद भी।
- **आधारभूत सर्वेक्षणों का अभाव** कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है

- **कल्याणकारी योजनाओं से असमान लाभ:**

- कुछ मामलों में, एक पीवीटीजी को जिले के कुछ ही ब्लॉकों में लाभ मिलता है, जबकि उसी समूह को आस-पास के ब्लॉकों में लाभ से वंचित रहना पड़ता है।
- उदाहरण के लिए, लांजिया साओरा को पूरे ओडिशा में एक निजी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन सूक्ष्म परियोजनाएँ केवल दो ब्लॉकों में ही स्थापित की गई हैं। शेष लांजिया साओरा को अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में माना जाता है और उन्हें इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।

- **विकास परियोजनाओं का प्रभाव:**

- वर्ष 2002 में, 'आदिम जनजातीय समूहों के विकास' की समीक्षा के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित एक स्थायी समिति ने कहा था कि जनजातीय लोग, विशेषकर पीवीटीजी, बांधों, उद्योगों और खदानों जैसी विकास परियोजनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

- **भूमि अधिकारों से वंचित करना:**

- **संरक्षण उद्देश्यों - आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की घोषणा** - के कारण पीवीटीजी को अपने संसाधनों से व्यवस्थित अलगाव का सामना करना पड़ा है ।
- उदाहरण के लिए: 2009 में, 245 बैगा परिवारों को अचानकमार टाइगर रिजर्व से बाहर निकाल दिया गया था, जब इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित किया गया था।
- इसके अलावा, वन अधिकार अधिनियम (2006) लागू होने के बावजूद, **कई मामलों में अभी भी पीवीटीजी के आवास अधिकारों को जब्त किया जा रहा है**।
- उदाहरण के लिए: ओडिशा के मनकीडिया समुदाय को राज्य के वन विभाग द्वारा सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में आवास अधिकारों से वंचित किया गया है।

- **आजीविका संबंधी मुद्दे:**

- घटते वनों, पर्यावरणीय परिवर्तनों और वन संरक्षण नीतियों के कारण, उनके गैर-लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) संग्रहण पर असर पड़ रहा है।
- उनमें **एनटीएफपी के बाजार मूल्य के बारे में जागरूकता का अभाव है** और बिचौलियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है।

- **स्वास्थ्य के मुद्दों:**

- गरीबी, सुरक्षित पेयजल की कमी, खराब स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अंधविश्वास और वनों की कटाई के कारण पीवीटीजी कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे एनीमिया, मलेरिया, जठरांत्र संबंधी विकार, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और त्वचा रोगों से ग्रस्त हैं।
- अंडमान की सेंटिनली जनजाति जैसे संपर्कविहीन जनजातीय समूह को भी बाहरी लोगों के संपर्क में आने पर बीमारियों के संक्रमण का बहुत अधिक खतरा रहता है।

- **निरक्षरता:**

- हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में कई पिछड़े समूहों (पीवीटीजी) में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, फिर भी यह 30-40% के निचले स्तर पर बनी हुई है। इसके अलावा, महिलाओं की कम साक्षरता दर भी एक बड़ी चिंता का विषय है।

- **अंडमान और निकोबार में जनजातियों की कमजोरियां:**

- नाजुक आदिवासी समुदायों को बाहरी लोगों द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अधिग्रहण का सामना करना पड़ रहा है।
- बाहरी प्रभाव उनके भूमि उपयोग पैटर्न, समुद्र के उपयोग, समग्र जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे भौतिक और गैर-भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं।

- यद्यपि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में आदेश दिया था कि जारवा अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाले अंडमान ट्रंक रोड (एटीआर) को बंद कर दिया जाना चाहिए, फिर भी यह खुला है - और पर्यटक इसका उपयोग जारवा की 'मानव सफारी' के लिए करते हैं।

पीवीटीजी के लिए आगे का रास्ता

- जनगणना के साथ-साथ, पीवीटीजी पर व्यापक रूप से डेटा एकत्र करने के लिए एक उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए - जनसंख्या गणना, स्वास्थ्य स्थिति, पोषण स्तर, शिक्षा, कमजोरियाँ आदि। इससे कल्याणकारी उपायों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
- 75 पीवीटीजी में से, उन समूहों की स्पष्ट रूप से पहचान की जानी चाहिए जिनकी जनसंख्या घट रही है और उनके लिए उत्तरजीविता रणनीति तैयार की जानी चाहिए
- वन्यजीव क्षेत्रों या विकास परियोजनाओं के स्थानांतरण से खतरे में पड़े पीवीटीजी की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार की जानी चाहिए।
- पीवीटीजी और उनकी भूमि एवं आवासों के बीच अंतर्निहित संबंध को पहचानना महत्वपूर्ण है। इसलिए, पीवीटीजी के विकास के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- पीवीटीजी को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिए।
- समुदायों, अधिकारियों और नागरिक समाज समूहों के बीच पीवीटीजी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान की आवश्यकता है। उनकी संस्कृति, परंपराओं, विश्वासों और स्थायी आजीविका का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।
- सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की मूल जनजातियों को बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करने की ज़रूरत है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1989 के समझौते पर हस्ताक्षर करने और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी विभिन्न नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
- सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पीवीटीजी के बारे में बसने वालों और बाहरी लोगों को संवेदनशील बनाने के प्रयास भी करने चाहिए।

पीवीटीजी के कल्याण के लिए कार्य करते समय जनजातीय पंचशील के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें अपनी गति से मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए। एक ऐसा **अनुकूल वातावरण** निर्मित किया जाना चाहिए जिसमें समुदायों को अपने जीवन और आजीविका के विकल्प स्वयं चुनने और विकास का मार्ग चुनने का अधिकार मिले।

राज्यवार पीवीटीजी :

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	पीवीटीजी का नाम
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1. बोडो गदाबा 2. बोंडो पोरोजा 3. चेंचू 4. डोंगरिया खोंड 5. गुतोब गदाबा 6. खोंड पोरोजा 7. कोलम 8. कोंडारेड्डीस 9. कोंडा सवारस 10. कुटिया खोंड 11. पारेंगी पोरोजा 12. थोटी
बिहार और झारखंड	13. असुर 14. बिरहोर 15. बिरजिया 16. पहाड़ी खरिया 17. कोनवास 18. माल पहाड़िया 19. परहैया 20. सौदा पहाड़िया 21. सावर
झारखंड	ऊपर की तरह
गुजरात	22. कथोड़ी

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	पीवीटीजी का नाम
	23. कोहवलिया 24. पाढर 25. सिद्दी 26. कोलघा
कर्नाटक	27. जेनु कुरुबा 28. कोरागा
केरल	29. चोलनाइकायन (कट्टूनाइकन्स का एक वर्ग) 30. कादर 31. कट्टुनायकन 32. कुरुम्बास 33. कोरगा
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	34. अबूझ मैकियास 35. बैगा 36. भारिया 37. पहाड़ी कोरबा 38. कामार 39. सहरिया 40. बिरहोर
छत्तीसगढ	ऊपर की तरह
महाराष्ट्र	41. कटकारिया (कथोडिया) 42. कोलम 43. मारिया गोंड
मणिपुर	44. मर्रम नागा
ओडिशा	45. बिरहोर 46. बोंडो 47. दिदयी 48. डोंगरिया-खोंड 49. जुआंग्स 50. खरियास 51. कुटिया कोंध

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	पीवीटीजी का नाम
	52. लांजिया सौरस 53. लोधास 54. मनकिडियास 55. पौडी भुइयां 56. सौरा 57. चुकटिया भुंजिया
राजस्थान	58. सेहरियास
तमिलनाडु	59. कट्टू नायकन 60. कोटास 61. कुरुम्बास 62. इरुलास 63. पनियान 64. टोडास
त्रिपुरा	65. रींग्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	66. बक्सस 67. राजिस
पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर 69. लोधा 70. टोटो
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अंडमानी 72. जरावा 73. ओंगेस 74. सेंटिनली 75. कटे हुए पेन

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की **स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338ए जोड़कर की गई थी।(89वां संशोधन) अधिनियम, 2003।**
- इस संशोधन द्वारा पूर्ववर्ती **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया-**
- (i)**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) [अनुच्छेद 338]**, और
- (ii)**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) [अनुच्छेद 338ए]19 फरवरी 2004 से** प्रभावी .
- यह आयोग भारत में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए काम करने वाला एक प्राधिकरण है।
- भारत का संविधान **अनुसूचित जनजातियों को इस प्रकार परिभाषित नहीं करता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग** (एनसीएसटी) की स्थापना के साथ ही विभिन्न अधिनियमों, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 (जिसे 2015 में संशोधित किया गया) और इसके नियम, 2016, को वैधता प्राप्त हो गई है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) किसके अंतर्गत आता है?**जनजातीय कार्य मंत्रालय।**

अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा:

- संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार **अनुसूचित जनजातियाँ वे समुदाय हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं** ।
- इसके अलावा, **संविधान का अनुच्छेद 342 कहता है कि:** अनुसूचित जनजातियाँ वे जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों के भाग या समूह हैं जिन्हें **राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से इस प्रकार घोषित किया गया है।**

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ

- **2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.4 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है।** ये अनुसूचित जनजातियाँ पूरे देश में मुख्यतः वन और पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
- **इन समुदायों की आवश्यक विशेषताएं हैं: -**
  - **आदिम लक्षण**
  - **भौगोलिक अलगाव**
  - **विशिष्ट संस्कृति**
  - **बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क से कतराना**
  - **आर्थिक रूप से पिछड़े**
- अनुसूचित जातियों के मामले की तरह, जनजातियों को सशक्त बनाने का योजनागत उद्देश्य सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की त्रि-आयामी रणनीति के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की संरचना

- एनसीएसटी में **एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।**
- आयोग के सभी सदस्यों का **कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।**
- उनकी **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाती है।
- अध्यक्ष की नियुक्ति अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रतिष्ठित सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से की जाएगी, जो अपने अलग व्यक्तित्व और निःस्वार्थ सेवा के रिकॉर्ड से अनुसूचित जनजातियों के बीच विश्वास पैदा करते हैं।
- **उपाध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य, जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।**
- कम से कम **एक अन्य सदस्य महिलाओं में से नियुक्त किया** जाएगा ।

सदस्यों की स्थिति

- **अध्यक्ष- कैबिनेट मंत्री का पद;**
- **उपाध्यक्ष-** राज्य मंत्री और

- **अन्य सदस्य-** भारत सरकार के सचिव, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यकाल

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से **3 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे।**
- सदस्य **दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं** हैं ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियाँ

- आयोग को **अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। अन्वेषण और पूछताछ के लिए, आयोग को एक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।**
- किसी भी व्यक्ति को बुलाना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना।
- शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करें।
- किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन।
- शपथ पर किसी व्यक्ति की जांच करें।
- गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना।
- कोई भी मामला जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338ए में किया गया है। खंड (5) में कहा गया है कि आयोग का कर्तव्य होगा:
- इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन **अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी** करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजातियों के **अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना** ।
- **अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना** तथा संघ और किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष तथा ऐसे अन्य समयों पर, जैसा आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- ऐसी रिपोर्टों में इन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिशें करना।
- **अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना,** जैसा कि राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन, नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए कर्तव्य

आयोग को अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं, तथा निम्नलिखित उपाय किए जाने आवश्यक हैं:

- **वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करना।**
- कानून द्वारा निर्धारित खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
- जनजातियों के विकास के लिए खामियों को दूर करना तथा अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों पर काम करना।
- विकासात्मक उत्पादों से विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावकारिता में सुधार करना।
- जनजातीय लोगों को भूमि से निजी तौर पर अलग करना तथा ऐसे लोगों का प्रभावी ढंग से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अलगाव हो चुका है।
- वनों की सुरक्षा और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों की अधिकतम भागीदारी और सहयोग प्राप्त करना।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996** के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।
- आदिवासियों द्वारा स्थानान्तरित खेती की प्रथा को कम करने और अंततः समाप्त करने के कारण उनकी निरन्तर शक्तिहीनता और भूमि तथा पर्यावरण का ह्रास हुआ।

सदनों के समक्ष रखी जाने वाली रिपोर्टें

- राष्ट्रपति **ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा,** साथ ही एक ज्ञापन भी रखेगा जिसमें संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई तथा अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हो, या ऐसी किसी सिफारिश को स्पष्ट किया जाएगा।
- जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति **राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा तथा उसके** साथ एक ज्ञापन भी होगा जिसमें राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, या ऐसी किसी सिफारिश को स्पष्ट किया जाएगा।

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित XAXA समिति

प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2013 में **प्रो. वर्जिनियस ज़ाक्सा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया**। इसने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति का उद्देश्य: जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिति की जांच करना तथा उसमें सुधार के लिए उचित हस्तक्षेपात्मक उपायों की सिफारिश करना।

समिति की मुख्य सिफारिशें:

- **जनजातीय लोगों का पुनर्वास:** राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर में संघर्ष के कारण विस्थापित हुए जनजातीय लोगों का पुनर्वास करना चाहिए।
- **न्यायिक आयोग की स्थापना:** 'नक्सली उल्लंघनों' के नाम से जाने जाने वाले अपराधों के लिए, बड़ी संख्या में आदिवासी, पुरुष और महिलाएँ, जेल में बंद हैं। आदिवासियों और उनके समर्थकों के खिलाफ लाए गए मामलों की जाँच के लिए एक न्यायिक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। आदिवासी याचिकाकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निवेश में वृद्धि की आवश्यकता है ताकि वे अपनी याचिकाओं के लिए कुशल वकीलों को नियुक्त कर सकें।
- **उच्च स्तरीय तथ्यान्वेषी समिति की स्थापना:** पिछले पचास वर्षों में शुरू की गई सभी मध्यम और प्रमुख विकास परियोजनाओं में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की गुणवत्ता की जांच करना।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन** होना चाहिए ।
- **महिलाओं की भागीदारी:** एफआरए प्रक्रियाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी बढ़ानी होगी।
- अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोज़गार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 को लागू करने में राज्य की उदासीनता और अक्षमता के कारण आदिवासी प्रवासी परिवारों का शोषण बढ़ा है।
- विशेषकर, आदिवासी महिलाओं और बच्चों को इससे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। एक व्यापक प्रवासी अधिकार कानून बनाने की माँग बढ़ रही है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय संस्कृति, लोककथाओं और इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने से** आदिवासी युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझ पाएँगे। आदिवासी जीवन संगीत और नृत्य के इर्द-गिर्द घूमता है।
- **जनजातीय स्वास्थ्य योजना:** जनजातीय समुदायों को एक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई स्वास्थ्य योजना, जैसे 'जनजातीय स्वास्थ्य योजना', की आवश्यकता है। यह 'जनजातीय स्वास्थ्य योजना' राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जनजातीय उप-योजना का एक अनिवार्य अंग बननी चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

- भारत की आज़ादी के दौरान, अनुसूचित जातियाँ आर्थिक रूप से पराधीन, राजनीतिक रूप से शक्तिहीन और सांस्कृतिक रूप से उच्च जातियों के अधीन रहीं। इससे उनकी समग्र जीवनशैली और भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी पहुँच प्रभावित हुई।
- किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना जाएगा यदि वह किसी ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित है जिसे सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के तहत ऐसा घोषित किया गया है।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की अधिसूचना से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 यह परिभाषित करता है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति कौन होगी।**	**भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342** अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 परिभाषित करता है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ कौन होंगी।
2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां **भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% हैं।**	2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ **भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं।**
2011 की जनगणना के अनुसार, भारतीय राज्यों में, पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी का **प्रतिशत सबसे अधिक है । यह लगभग 32% है।**	2011 की जनगणना के अनुसार, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, मिजोरम और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का **प्रतिशत सबसे अधिक (लगभग 95%) था ।**
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के तीन पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 0% था।	हरियाणा और पंजाब राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 0% था।
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों की 1,108 जातियों को सूचीबद्ध किया गया है।	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की प्रथम अनुसूची में 22 राज्यों की 744 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय **संवैधानिक निकाय** है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए की गई है। भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 338** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना **अनुच्छेद 338 ए के तहत की गई है।**
अनुसूचित जातियों के लिए पहला आयोग 2004 में सूरज बहन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इससे पहले, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक ही आयोग था, जिसे **2003 में 89वें संविधान संशोधन के बाद विभाजित कर दिया गया था।**	अनुसूचित जनजातियों के लिए पहला आयोग **2004** में गठित किया गया था , जिसके अध्यक्ष कुंवर सिंह थे।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक मुख्य कार्य भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना है।	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक मुख्य कार्य संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना है।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

- अनुसूचित जातियाँ देश की वे जातियाँ/नस्लें हैं जो **सदियों पुरानी अस्पृश्यता प्रथा और कुछ अन्य कारणों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव और भौगोलिक अलगाव के कारण अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं , और जिनके हितों की रक्षा और उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड 1** में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों के स्वरूप में **कई प्रावधान हैं**। निम्नलिखित दो अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता और अत्याचारों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हैं, और इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 **, और**
- **अनुसूचित** जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 **।**

अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए संवैधानिक तंत्र

- **अनुच्छेद 17** अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- **अनुच्छेद 46 में** राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह 'लोगों के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
- **अनुच्छेद 335** में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 15(4)** उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है।
- **अनुच्छेद 16(4ए) में** 'राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण' की बात कही गई है, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 338** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है, जिसका कर्तव्य उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास आदि की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना है।
- **संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332** क्रमशः लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग IXA के अंतर्गत, स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की परिकल्पना और व्यवस्था की गई है।

नागरिक अधिकारों का संरक्षण

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 17** के अनुसरण में **अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955** अधिनियमित किया गया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता की निर्योग्यता के लिए मजबूर करने पर **छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।**
- यह अधिनियम किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मंदिरों या पूजा स्थलों में प्रवेश करने से रोकने, पवित्र झीलों, टैंकों, कुओं आदि और अन्य सार्वजनिक स्थानों से पानी निकालने से रोकने जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है।

'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' (एमएस अधिनियम, 2013)

- शुष्क शौचालयों और मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन तथा वैकल्पिक व्यवसाय में मैला ढोने वालों का पुनर्वास सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है।
- इस अधिनियम के तहत शुष्क शौचालयों की मैन्युअल सफाई के लिए मैनुअल स्कैवेंजरों की नियुक्ति तथा शुष्क शौचालयों (जो फ्लश से संचालित नहीं होते) के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया।
- इसमें **एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया।**
- **अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:**
  - अस्वास्थ्यकर शौचालयों के निर्माण या रखरखाव पर प्रतिबंध लगाता है।
  - किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में नियुक्त करने या रोजगार देने पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  - किसी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के लिए नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाता है।
  - अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती हैं।
  - शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअल स्कैवेंजरों का समयबद्ध ढांचे के भीतर सर्वेक्षण करने का आह्वान किया गया।
- मार्च 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह 1993 से सीवरेज कार्य के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करे तथा उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अधिनियम का उद्देश्य **सक्रिय प्रयासों के माध्यम से इन समुदायों को न्याय प्रदान करना है ताकि वे समाज में सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ,** भय, हिंसा या दमन के बिना रह सकें। **महत्वपूर्ण धाराएँ:**

- **धारा 3(1)** : लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उच्च सम्मान में रखे गए किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करने वाले अत्याचार के अपराधों के लिए सजा छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना के साथ दंडनीय होगी।
- **धारा 15(ए)(5)** : पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा या किसी संबंधित कार्यवाही या बहस के संबंध में किसी कार्यवाही में सुनवाई का हकदार होगा और दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या सजा पर लिखित प्रस्तुतिकरण दाखिल कर सकेगा।
- **धारा 4 कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड:** जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए, किन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

शैक्षिक सशक्तिकरण

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

- यह एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** है , जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत कुल व्यय के लिए **100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।**
- इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षित समूहों के **बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है** , अर्थात (i) शुष्क शौचालयों के सफाईकर्मी, (ii) चर्मकार, (iii) रंगकर्मी और (iv) कचरा बीनने वाले।

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

- इस योजना में **संस्थानों द्वारा** वास्तविक शुल्क, मासिक रखरखाव भत्ता, यात्रा वीजा शुल्क और बीमा प्रीमियम, वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ता आदि का प्रावधान है।
- इस योजना के अंतर्गत **पीएचडी के लिए अधिकतम 4 वर्ष और मास्टर्स कार्यक्रम के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप

- यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में **एम.फिल, पीएचडी और समकक्ष शोध डिग्री के लिए शोध अध्ययन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)

- यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी योजना है।
- सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति समूहों के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 59,000 करोड़ रुपये का परिव्यय पारित किया है।
- **योजना की लागत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।**

विशेष केंद्रीय सहायता

अनुसूचित जाति विकास निगम

- ऐसे निगमों का मुख्य कार्य **पात्र अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित करना** , ऋण सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों को योजनाएं प्रायोजित करना, पुनर्भुगतान दायित्व को कम करने के लिए कम ब्याज दर और सब्सिडी पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक गठजोड़ प्रदान करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडी)

- एनएसएफडीसी का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गरीबी रेखा से दोगुनी दर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लक्षित समूह के **युवाओं को कौशल-सह-उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना है , ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके।**

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

- यह मंत्रालय के अधीन एक अन्य निगम है जो राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आय सृजन गतिविधियों हेतु सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)

- यह अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विकास के सभी सामान्य क्षेत्रों से लक्षित वित्तीय और भौतिक लाभों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति है।

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष

- **सरकार ने 2014 में अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम पूंजी कोष** की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करना था।

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

- 2014 में, सरकार ने घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों से संबंधित **युवा और स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि सुविधा के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी** , जो नव मध्यम वर्ग श्रेणी का हिस्सा बनने की आकांक्षा रखते हैं, जिसका उद्देश्य समाज के निचले तबके में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन होगा।

अन्य योजनाएँ:

- ***प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई):*** केंद्र प्रायोजित पायलट योजना 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' (पीएमएजीवाई) अनुसूचित जाति (एससी) बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है, जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है।
- शुरुआत में यह योजना 5 राज्यों - असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के 1000 गांवों में शुरू की गई थी। 22.01.2015 से इस योजना में और संशोधन किया गया और इसे पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 1500 अनुसूचित जाति बहुल गांवों तक विस्तारित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास है:

1. मुख्य रूप से प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण कार्यान्वयन के माध्यम से;

2. इन गांवों को अंतर-पूर्ति निधि के रूप में प्रति गांव 20.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे राज्य द्वारा समान योगदान दिए जाने पर 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
3. अंतर-पूर्ति घटक प्रदान करके उन गतिविधियों को शुरू किया जाएगा जो मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं, उन्हें 'अंतराल भरने' के घटक के अंतर्गत लिया जाएगा।

- ***बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना:*** इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रावास निर्माण कार्यक्रम चलाने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को आकर्षित करना है।
- यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को छात्रावास भवनों के नए निर्माण और मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
- निजी क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठन और मानद विश्वविद्यालय केवल अपनी मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए ही केंद्रीय सहायता के पात्र हैं।
- ***अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता में सुधार:*** इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करके उनकी योग्यता में सुधार लाना है।
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उपचारात्मक और विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है।
- जहाँ उपचारात्मक कोचिंग का उद्देश्य स्कूली विषयों में कमियों को दूर करना है, वहीं इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रों को विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है।
- ***डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन:*** डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन की स्थापना 24 मार्च 1992 को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी।
- फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य डॉ. आंबेडकर की विचारधारा और दर्शन को बढ़ावा देना और शताब्दी समारोह समिति की सिफारिशों से उत्पन्न कुछ योजनाओं का संचालन करना है।
- ***जनपथ, नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र:*** जनपथ, नई दिल्ली में 'डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय', जिसका नाम अब 'डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र' रखा गया है, की स्थापना बाबासाहेब डॉ. बीआर अंबेडकर की शताब्दी समारोह समिति (सीसीसी) द्वारा भारत के तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था।
- आज की तारीख में जनपथ, नई दिल्ली में प्लॉट 'ए' की 3.25 एकड़ की पूरी जमीन 'केंद्र' की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कब्जे में है।
- 'केंद्र' के निर्माण की जिम्मेदारी 195.00 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को सौंपी गई है।
- माननीय प्रधान मंत्री ने 20 अप्रैल, 2015 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय भवन निर्माण कंपनी (एनबीसीसी) ने निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया है और यह अग्रिम चरण में है।
- ***26, अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक:*** 26, अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर महापरिनिर्वाण स्थल को भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने 02.12.2003 को राष्ट्र को समर्पित किया था और उन्होंने 26, अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित स्मारक पर विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया था।
- डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को लगभग 99.00 करोड़ रुपये की लागत से सौंपी गई है।
- माननीय प्रधानमंत्री ने 21 मार्च, 2016 को स्मारक की आधारशिला रखी थी और घोषणा की थी कि यह परियोजना

बीस महीनों के भीतर पूरी हो जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

- ***बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन***: बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और 14 मार्च 2008 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था।
- फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के सामाजिक सुधार के आदर्शों के साथ-साथ उनकी विचारधारा, जीवन दर्शन, मिशन और जातिविहीन और वर्गविहीन समाज बनाने के दृष्टिकोण का प्रचार करना है।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी सुरक्षा उपाय

- **भारत का संविधान** ' जनजाति ' शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है , तथापि, **'अनुसूचित जनजाति' शब्द को अनुच्छेद 342 (i) के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।**
- इसमें प्रावधान है कि ' **राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों** या जनजातियों या जनजातीय समुदायों या भागों के भागों या उनमें के समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिन्हें **इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।**
- **संविधान की पांचवीं अनुसूची में** अनुसूचित **क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में** एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान है ।
- **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय:**
- **अनुच्छेद 15(4):** अन्य पिछड़े वर्गों (इसमें अनुसूचित जनजातियाँ भी शामिल हैं) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान
- **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (इसमें अनुसूचित जनजातियाँ भी शामिल हैं)
- **अनुच्छेद 46:** राज्य, विशेष सावधानी के साथ, जनता के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
- **अनुच्छेद 350: विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के** संरक्षण का अधिकार ,
- **राजनीतिक सुरक्षा उपाय:**
- **अनुच्छेद 330: लोकसभा** में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण ,
- **अनुच्छेद 332: राज्य विधानमंडलों** में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
- **अनुच्छेद 243 : पंचायतों** में स्थानों का आरक्षण ।
- **प्रशासनिक सुरक्षा:**
- **अनुच्छेद 275:** यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें **बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है।**

अनुसूचित जनजातियों का विकास

- जनजातीय कार्य मंत्रालय **की स्थापना 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना था** ।
- यह अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति, योजना और कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है।

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र

भूमि हस्तांतरण और अन्य सामाजिक कारकों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में **पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान शामिल किए गए हैं:**

- **अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) की** स्थापना की जाएगी। टीएसी का कार्य राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है, जैसा कि राज्यपाल द्वारा उसे भेजा जा सकता है।

- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधान** , जिसके तहत संविधान के भाग IX में निहित पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया था, अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान भी प्रदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त ज़िलों की पहचान करती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना** संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338ए जोड़कर 2004 से की गई थी।

जनजातीय उप योजना

वर्तमान **जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) रणनीति शुरू में 1972 में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित की गई थी।** राज्यों के लिए टीएसपी के संबंध में मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आदिवासियों और जनजातीय क्षेत्रों को टीएसपी के तहत लाभ दिया जाता है, तो उप-योजना में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए;

- (क) जनजातीय लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं तथा उनके विकास में महत्वपूर्ण अंतरालों की पहचान करना;
- (ख) टीएसपी के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना;
- (ग) विकास के लिए एक व्यापक नीति ढांचा तैयार करना;
- (घ) इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक रणनीति परिभाषित करें; और
- (ई) निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र निर्दिष्ट करें।

मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत और 2016 में जनजातीय उपयोजना (एससीए से टीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत निधियों के अंतर-राज्य आवंटन और कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विशेष योजनाएँ

- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है, जो अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध है।
- **जनजातीय स्कूलों का डिजिटल रूपांतरण:**
  - **जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमटीए) ने** मंत्रालय के अंतर्गत **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस)** और **आश्रम विद्यालयों** जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए **माइक्रोसॉफ्ट** के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
  - इसका उद्देश्य एक समावेशी, कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।
- **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास:**
  - इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के आधार पर **संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाएं प्रस्तुत करती हैं।**
  - योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को **100% अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।**
- **संकल्प से सिद्धि'**
  - 'संकल्प से सिद्धि' पहल, जिसे **'मिशन वन धन' के रूप में भी जाना जाता है, को केंद्र सरकार द्वारा 2021 में भारत की जनजातीय आबादी के लिए एक स्थायी आजीविका स्थापित करने के** प्रधानमंत्री के उद्देश्य के अनुरूप पेश किया गया था ।
  - इस मिशन के माध्यम से, ट्राइफेड का **लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों** और विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अपने संचालन का विस्तार करना और मिशन मोड में विभिन्न जनजातीय विकास कार्यक्रमों को शुरू करना है।
  - इस मिशन के माध्यम से, कई **वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके), हाट बाजारों, मिनी ट्राइफूड इकाइयों, सामान्य सुविधा केंद्रों, ट्राइफूड पार्कों, एसएफआरयूटीआई (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना)** क्लस्टरों, ट्राइब्स इंडिया रिटेल स्टोर, ट्राइफूड और जनजातियों के

लिए **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म , इंडिया ब्रांडों की** स्थापना को लक्षित किया जा रहा है।

- ट्राइफेड आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए **कई उल्लेखनीय कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है ।**
  - पिछले दो वर्षों में, **'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास' ने** जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है।
  - ट्राइफेड ने ऐसे कठिन समय में भी सरकारी मदद से **जनजातीय अर्थव्यवस्था में 3000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।**
  - इसी योजना का एक घटक, वन **धन जनजातीय स्टार्ट-अप,** जनजातीय संग्रहकर्ताओं और वनवासियों तथा घर पर रहने वाले जनजातीय कारीगरों के लिए रोजगार सृजन का स्रोत बनकर उभरा है।

- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय** :
  - ईएमआरएस **पूरे भारत में भारतीय आदिवासियों (एसटी-अनुसूचित जनजातियों) के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है।** इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी।
  - ईएमआर स्कूल **सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करता है।**
  - जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विकास किया जा रहा है **, जिसमें न केवल शैक्षणिक शिक्षा बल्कि जनजातीय छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा।**
  - वर्तमान में, **देश भर में नवोदय विद्यालय के समकक्ष 384 कार्यात्मक विद्यालय स्थापित** हैं , जिनमें स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं के अलावा खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ट्राइफेड

- भारतीय **जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की स्थापना 1987 में हुई थी।** ट्राइफेड ने आदिवासियों से लघु वनोपज (एमएफपी) और अधिशेष कृषि उपज (एसएपी) की थोक खरीद बंद कर दी है। **ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए 'बाज़ार विकासकर्ता'** और अपने सदस्य संघों के लिए 'सेवा प्रदाता' के रूप में कार्य करता है।
- **ट्राइफेड निम्नलिखित पहलों में शामिल है:**
  - **वन धन विकास योजना:**
    - वन धन योजना, **'एमएफपी के लिए एमएसपी' का एक घटक,** 2018 में शुरू किया गया था।
    - यह पहल **जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन** और उन्हें उद्यमियों में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।
    - इसका उद्देश्य मुख्यतः वन क्षेत्रों वाले आदिवासी जिलों में **आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्र क्लस्टर (वीडीवीकेसी) स्थापित करना है।**
    - वीडीवीके का **उद्देश्य जनजातियों को कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना** तथा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन सुविधाएं स्थापित करना है।
  - **एमएफपी के लिए एमएसपी:**
    - **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)** के माध्यम से **लघु वन उपज (एमएफपी)** के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास **वन उपज के संग्रहकर्ताओं को एमएसपी प्रदान करता है।**
    - यह योजना **लघु वनोपज संग्रहकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में कार्य करती है,** जो मुख्य रूप से **अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्य हैं।**
    - इस योजना के तहत संग्रहणकर्ताओं को संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि में उनके प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली बनाई गई।
    - एमएफपी में पादप मूल के **सभी गैर-लकड़ी वन उत्पाद** शामिल हैं और इसमें बांस, बेंत, चारा, पत्तियां, गोंद, मोम, रंग, रेजिन और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं जिनमें मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, टसर आदि शामिल हैं।
  - **आदिवासियों के लिए तकनीक:**
    - इसका उद्देश्य **प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई)** के तहत नामांकित आदिवासी वन उपज

संग्रहकर्ताओं को क्षमता निर्माण और उद्यमिता कौशल प्रदान करके **5 करोड़ आदिवासी उद्यमियों को बदलना है।**

- यह कार्यक्रम जनजातीय उद्यमियों को गुणवत्ता प्रमाणपत्र के साथ **विपणन योग्य उत्पादों के साथ अपना व्यवसाय चलाने में सक्षम और सशक्त बनाकर उनकी सफलता दर को उच्चतर सुनिश्चित करेगा।**

- **ट्राइफूड योजना:**
  - इसे अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और यह **एमएफपी में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है।**
  - ट्राइफूड पार्क लघु वनोपजों तथा उस क्षेत्र के जनजातीय लोगों द्वारा एकत्रित खाद्य पदार्थों से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पादित करेंगे।
- **गांव और डिजिटल कनेक्ट पहल:**
  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा योजनाएं और पहल आदिवासियों तक पहुंचें, देश भर में ट्राइफेड के क्षेत्रीय अधिकारी महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले चिन्हित गांवों का दौरा कर रहे हैं।

अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकार

- अनुसूचित **जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006,** वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार, वन अधिकारों की मान्यता और उन्हें प्रदान करने तथा भूमि अधिकारों के वितरण का दायित्व राज्य सरकार का है।

वन बंधु कल्याण योजना

- केंद्र सरकार ने **उपलब्ध संसाधनों को परिणाम-आधारित अभिविन्यास के साथ जनजातीय आबादी के समग्र विकास में परिवर्तित करने के** उद्देश्य से **वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) नामक एक दृष्टिकोण शुरू किया।**
- वीकेवाई को एक रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के आवश्यकता-आधारित और परिणाम-उन्मुख समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के सभी इच्छित लाभ उचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के अभिसरण द्वारा लक्षित समूहों तक पहुँचें।

अनुसूचित **जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989,** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। यह अधिनियम तब लागू किया गया था जब विद्यमान कानूनों (जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता) के प्रावधान इन अपराधों (जिन्हें अधिनियम में 'अत्याचार' के रूप में परिभाषित किया गया है) को रोकने के लिए अपर्याप्त पाए गए थे। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम: "अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान करने, ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करता है।"

कमजोर वर्गों का कल्याण

संविधान के अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

- 2006 में संविधान के **अनुच्छेद 15** में संशोधन और **2007 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम** के अधिनियमन के साथ , केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूची प्रासंगिक हो गई है।
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत ओबीसी सूची गतिशील है (जातियों और समुदायों को इसमें जोड़ा या हटाया जा सकता है) और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कारकों के आधार पर समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है।
  - उदाहरण के लिए, **ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण प्राप्त है** ।
- **102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)** ***[अनुच्छेद 338बी]*** को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है ।
- इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जाँच करने का अधिकार है।
  - इससे पहले एनसीबीसी **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के अधीन एक वैधानिक निकाय था ।
  - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग प्रभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों की नीति, योजना और कार्यान्वयन का कार्य देखता है।
    - यह ओबीसी के कल्याण के लिए स्थापित दो संस्थानों से संबंधित मामलों को भी देखता है: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)।

वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण

वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

वृद्धजनों के कल्याण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि हेतु 1999 में मौजूदा **राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) की घोषणा की गई थी। इस नीति में वृद्धजनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं, विकास में समान हिस्सेदारी, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, और उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सहायता प्रदान करने की** परिकल्पना की गई थी।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद

- सरकार ने **वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीतियां और कार्यक्रम विकसित करने में सरकार को सलाह देने और सहायता देने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी) का पुनर्गठन किया है।**
- यह वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन और वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहलों पर सरकार को फीडबैक प्रदान करता है।
- वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धाश्रमों, डे केयर सेंटरों और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और रखरखाव तथा वृद्धजनों को गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए **गैर सरकारी संगठनों को परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**
- वर्ष 2012 में परिषद का पुनर्गठन कर इसका नाम **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद (एनसीएसआरसी) कर दिया गया।**

अल्पसंख्यकों का कल्याण

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय **की स्थापना 2006 में हुई थी** ।
- इसे **6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन** , के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। अक्टूबर 2016 से, मंत्रालय के कार्यक्षेत्र का विस्तार हज यात्रा के प्रबंधन के लिए भी कर दिया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 2006 में की गई थी । इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:

- (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना,

- (ख) मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए संवर्धित ऋण सहायता और राज्य एवं केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना,
- (ग) बुनियादी ढांचे के विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना,
- (घ) सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ

यह मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

- (i) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति;
- (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति; और
- (iii) योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति।

नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

- अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए **निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना** 2007 में शुरू की गई थी।

नई उड़ान

- इस योजना का उद्देश्य **संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना है, ताकि उन्हें संघ और राज्य सरकारों में सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किया जा सके और उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देकर सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

पढ़ो परदेस

- इस योजना का उद्देश्य **अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें** और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।

नई रोशनी

- यह अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु एक विशिष्ट योजना **'नई रोशनी' है जिसका उद्देश्य** सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और मध्यस्थों के साथ संवाद हेतु ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है।
- इसे सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

- पहला वैधानिक **राष्ट्रीय आयोग 1993 में स्थापित किया गया था।**
- एनसीएम अधिनियम, 1992 को 1995 में संशोधित किया गया और आयोग की संरचना को 7 सदस्यों (एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित) तक विस्तारित किया गया।
- अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रावधान है कि अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे।

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त

- भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय (सीएलएम) की स्थापना 1957 में संविधान के अनुच्छेद 350-बी के प्रावधान के अनुसरण में की गई थी, जिसमें संविधान के तहत देश में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की सीएलएम द्वारा जांच और इन मामलों पर राष्ट्रपति को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट करने की परिकल्पना की गई है।

महिला कल्याण एवं बाल विकास

- महिलाओं और बच्चों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह समग्र विकास की गति निर्धारित करता है।
- **2006 में एक अलग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अस्तित्व में आया,** जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य की कार्रवाई में कमियों को दूर करना और लैंगिक समानता तथा बाल-केंद्रित कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने हेतु अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देना है।
- इस **मंत्रालय की मुख्य ज़िम्मेदारी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और चिंताओं को आगे बढ़ाना और उनके अस्तित्व, सुरक्षा, विकास और भागीदारी को समग्र रूप से बढ़ावा देना है।**

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसे 2015 में घटते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और

महिलाओं के अशक्तिकरण से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए शुरू किया गया था।

- सीएसआर 0-6 वर्ष आयु वर्ग में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या है।
- यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का एक त्रि-मंत्रालयी, सम्मिलित प्रयास है, जिसका ध्यान निम्नलिखित पर केन्द्रित है:
  - जागरूकता और वकालत अभियान;
  - चुनिंदा 161 जिलों में बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई (सीएसआर पर कम);
  - लड़कियों की शिक्षा को सक्षम बनाना;
  - गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एवं पीएनडीटी) अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- **सरकार ने पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम** के अखिल भारतीय कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) रखा गया है।
- यह एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएमवीवाई अनुदान सहायता जारी की जाती है।
- पीएमएमवीवाई में विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पीडब्लू और एलएम के बैंक/डाकघर खाते में सीधे तौर पर 5,000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

वन स्टॉप सेंटर

- वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की परिकल्पना की गई और अप्रैल 2015 से इसे पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **हिंसा से पीड़ित महिला इन केन्द्रों पर चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता प्राप्त कर सकती** है ।
- **ओएससी को लोकप्रिय रूप से सखी** के नाम से जाना जाता है ।

मोबाइल फोन पर पैनिक बटन

- **संकटग्रस्त महिलाओं को आपातकालीन सहायता** प्रदान करने के लिए , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मोबाइल फोन पर भौतिक पैनिक बटन लगाने का कार्य शुरू किया है।

महिला पुलिस स्वयंसेवक

- महिला पुलिस स्वयंसेवकों (एमपीवी) का व्यापक अधिदेश **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं** जैसे घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा की सूचना अधिकारियों/पुलिस को देना है।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षण

- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , लैंगिक संवेदनशील मामलों में पुलिस की समग्र प्रतिक्रिया में सुधार लाने** , अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाने तथा पुलिस बल में लैंगिक संवेदनशीलता को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है।

एसिड अटैक को विकलांगता के रूप में शामिल करना

- एसिड से हमले के शिकार व्यक्ति के जीवन पर दीर्घकालिक क्षति या विकृति के साथ-साथ निरंतर चिकित्सा देखभाल को ध्यान में रखते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से एसिड हमले से प्रेरित क्षति या विकृति को निर्दिष्ट विकलांगताओं की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया।

लिंग बजट पहल

- लिंग बजट (जीबी) लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ पुरुषों के समान ही महिलाओं तक भी पहुंचे।
- यह केवल लेखा-जोखा संबंधी कार्य नहीं है, बल्कि **बजट नियोजन, आवंटन, कार्यान्वयन, प्रभाव/परिणाम आकलन, समीक्षा और लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की एक सतत प्रक्रिया है।**

मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाना

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिनियम में संशोधन किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
  - (i) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना;
  - (ii) दत्तक माता और कमीशनिंग माता को मातृत्व लाभ का विस्तार;
  - (iii) कार्यालय/फैक्ट्री परिसर में शिशुगृह सुविधा की स्थापना।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

- कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय **कार्यस्थल पर महिलाओं के**

यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रहा है।

राष्ट्रीय महिला कोष

- राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य उद्देश्य **गरीब महिलाओं को मध्यस्थ संगठनों (आईएमओ) के माध्यम से सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना** है , जिसमें धारा 25 कंपनियां, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं, ताकि विभिन्न आजीविका सहायता और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती शर्तों पर ग्राहक अनुकूल प्रक्रिया के तहत उनका सामाजिक-आर्थिक विकास किया जा सके।

महिला ई-हाट

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **2016 में महिला उद्यमियों/एसएचओ/एनजीओ के लिए एक अनूठा प्रत्यक्ष ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म** "महिला ई-हाट" लॉन्च किया ।
- यह एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है क्योंकि यह महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में उत्प्रेरक बन सकती है।
- महिला ई-हाट की खासियत यह है कि यह विक्रेता और खरीदार के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है। इसकी पहुँच आसान है क्योंकि ई-हाट का पूरा कारोबार मोबाइल के ज़रिए ही चलाया जा सकता है।

ट्रांसजेंडरों का कल्याण

ट्रांसजेंडर में वह सभी लोग शामिल हैं जिनकी पहचान या व्यवहार रूढ़िवादी लिंग मानदंडों से बाहर है।

ट्रांसजेंडर लोगों के संवैधानिक अधिकार

- संविधान की प्रस्तावना में न्याय - **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का** प्रावधान है ।
- इस प्रकार पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जिसके वे हकदार हैं, वह अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है।**
- अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को निजता और व्यक्तिगत सम्मान का अधिकार सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 23 भिखारियों के रूप में मानव तस्करी और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है तथा इन प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
- ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली मुख्य समस्याएं हैं भेदभाव, बेरोजगारी, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, बेघर होना, चिकित्सा सुविधाओं की कमी: जैसे एचआईवी देखभाल और स्वच्छता, अवसाद, हार्मोन गोली का दुरुपयोग, तंबाकू और शराब का दुरुपयोग, पेनेक्टॉमी, और विवाह और गोद लेने से संबंधित समस्याएं।

ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम

- ओडिशा सरकार ने **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना 'स्वीकृति' तैयार की।**
- **केरल भारत में ट्रांसजेंडरों के लिए नीति बनाने वाला पहला राज्य है**। इसके अलावा, केरल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला न्याय बोर्ड भी है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

ट्रांसजेंडर कौन है?

- अधिनियम के अनुसार ट्रांसजेंडर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है **जिसका लिंग जन्म के समय उसे दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता।**
- *इसमें अंतरलैंगिक भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, लिंग-विषमता वाले व्यक्ति और किन्नर, हिजड़ा, आरावानी* और *जोगता* जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं ।
- भारत की **2011 की जनगणना** देश के इतिहास में पहली ऐसी जनगणना थी जिसमें देश की **'ट्रांस' आबादी को शामिल किया गया था । रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 48 लाख भारतीय ट्रांसजेंडर हैं।**

ट्रांसजेंडर लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

- **कानूनी संरक्षण का अभाव** : उन्हें **हिरासत में हिंसा,** राज्य द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा तथा शिक्षा, आवासीय, चिकित्सा और रोजगार जैसे **मुद्दों के प्रति समग्र उदासीनता का सामना करना पड़ता है।**
- **गरीबी:** कानूनी सुरक्षा का अभाव **ट्रांसजेंडर** लोगों के लिए बेरोजगारी का कारण बनता है। **उन्हें सेवाओं से वंचित रखा**

जाता है और बेरोजगारी, आवास की असुरक्षा और हाशिए पर धकेले जाने की उच्च दर का सामना करना पड़ता है ।

- **उत्पीड़न और कलंक: समाज में** उन्हें उपहास का पात्र माना जाता है तथा उन्हें मानसिक रूप से बीमार, सामाजिक रूप से विकृत और यौन रूप से हिंसक माना जाता है।
- **ट्रांसजेंडर विरोधी हिंसा:** उन्हें **लिंग अनुरूपता, घृणा आधारित छद्म मनोचिकित्सा**, जबरन विवाह, कपड़े उतरवाने, **शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार** के लिए मजबूर किया जाता है तथा उनके अपने परिवारों द्वारा उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल में बाधाएं: बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक** उनकी पहुंच न्यूनतम है , क्योंकि वे चिकित्सा बिरादरी की उदासीनता के अधीन हैं, जहां ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य देखभाल योग्यता की कमी है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुधारों की समय-सीमा क्या है?

- 2009 में, **चुनाव आयोग** ने सभी प्रांतों को पंजीकरण फॉर्म के प्रारूप में संशोधन करके **"अन्य"** का विकल्प शामिल करने के लिए उचित निर्देश जारी किए थे ।
- इससे ट्रांससेक्सुअल लोगों को, अगर वे पुरुष या महिला के रूप में पहचाने जाने से बचना चाहते थे, तो उस कॉलम पर टिक करने की सुविधा मिल गई।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) मामले** में सर्वोच्च **न्यायालय** ने उन्हें **"तृतीय लिंग" के रूप में मान्यता दी।**
- ऐतिहासिक फैसले में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने कहा कि **"ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देना कोई सामाजिक या चिकित्सीय मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है ।"**
- वर्ष 2014 में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद तिरुचि शिवा द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को **निजी विधेयक** के रूप में पेश किया गया था , तथा अप्रैल 2015 में इसे राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था।
- हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **भेदभाव पर प्रतिषेध:** विधेयक शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और सेवाओं तक पहुंच आदि के संबंध में ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है।
- **ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने का अधिकार:** प्रत्येक व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है।
  - जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो जिला स्क्रीनिंग समिति के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करेगा।
  - इस अधिनियम में **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद (एनसीटी) की स्थापना का प्रावधान है।**
- **निवास का अधिकार:** किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ट्रांसजेंडर होने के आधार पर माता-पिता या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अलग एचआईवी निगरानी केंद्र और लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार प्रदान करने का भी प्रयास करता है।
  - इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी तथा उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएं उपलब्ध कराएगी।
- **दंडात्मक प्रावधान:** यह निम्नलिखित को अपराध मानता है: (i) भीख मांगना, जबरन या बंधुआ मजदूरी कराना (ii) सार्वजनिक स्थान के उपयोग से इनकार करना; (iii) घर, गांव आदि में निवास से इनकार करना; (iv) शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार।

इस अधिनियम से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया** है और अधिनियम में **लिंग के आत्म-निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।**
- यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **आरक्षण देने के संबंध में मौन है, जो 2014 में NALSA के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है,** जिसमें ट्रांसजेंडरों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में आरक्षण देने का प्रावधान है।

- **भीख मांगना ट्रांसजेंडरों के लिए जीवन का एक तरीका है क्योंकि वे नाचते-गाते हैं और पैसे कमाते हैं। हालाँकि, यह अधिनियम उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई वैकल्पिक सकारात्मक कदम उठाए बिना** भीख मांगने को अपराध घोषित करके उसे आपराधिक बनाता है ।
- इसमें सिस-जेंडर लोगों की तुलना में **ट्रांस लोगों पर भेदभाव और हमले के लिए हल्के परिणाम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं पर यौन हमले के लिए 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।**
- यह अधिनियम ट्रांसजेंडरों को अधिकारों से युक्त सशक्त व्यक्ति के बजाय **पीड़ित मानता है ।**
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के **विवाह, तलाक और गोद लेने के अधिकारों को मान्यता देने** के बारे में स्थायी समिति की चिंताओं **का समाधान नहीं किया गया है।**
- यह अधिनियम **अनुच्छेद 19 के तहत ट्रांसजेंडर के निवास की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है** क्योंकि उन्हें या तो अपने माता-पिता के साथ रहना होगा या अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।

दिव्यांगजनों का कल्याण

" दिव्यांग व्यक्ति" का अर्थ है दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता वाला व्यक्ति, जो बाधाओं के कारण, समाज में दूसरों के समान रूप से उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांगों की जनसंख्या 26.8 मिलियन है। यह 2.21% है।

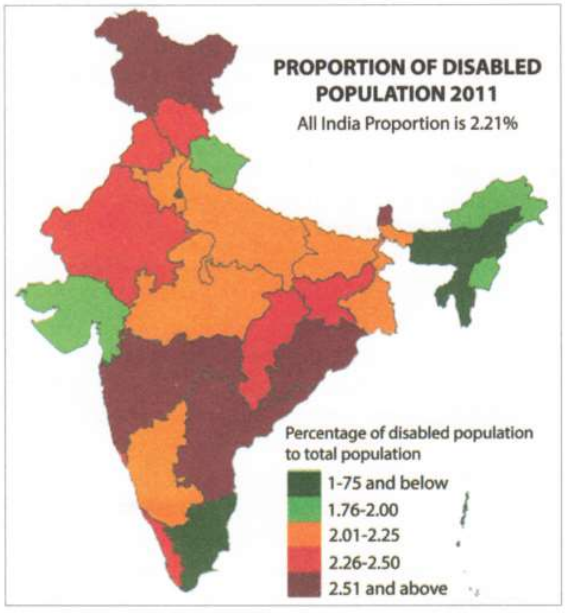

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में सुगम्य भारत अभियान (**सुगम्य भारत अभियान**) तैयार किया है। यह अभियान सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग क्षेत्रों को लक्षित करता है, अर्थात् निर्मित पर्यावरण, परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र।

विभाग देश भर में क्रमशः " सुगम्य पुलिस स्टेशन ", " सुगम्य अस्पताल" और "सुगम्य पर्यटन" के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दुर्गम स्थानों के बारे में अनुरोध प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल के साथ-साथ एक मोबाइल ऐप भी बनाने की प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) विकलांग व्यक्तियों को उनके आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाली एक शीर्ष स्तरीय वित्तीय संस्था है।

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम

नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से क्रियाकलापों पर सार्थक बल देने के लिए **12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग** दिव्यांगजन मामलों का एक विभाग बनाया गया ।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

- यह अधिनियम दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, **1995 का** स्थान लेता है ।
- **यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) के दायित्वों को पूरा करता है, जिस पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है।**
- इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए अपराधों तथा नए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है।
- अक्टूबर 2014 में घोषित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समानता,

न्याय, एकीकृत और साक्ष्य आधारित देखभाल, गुणवत्ता, सहभागिता और समग्र दृष्टिकोण के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है।

राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।

- दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना)
- विकास (डे केयर)
- समर्थ (रेस्पिट केयर)
- घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह)
- निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)
- सहयोगी (देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना)
- प्रेरणा (विपणन सहायता)
- संभव (सहायता एवं सहायक उपकरण)
- बढ़ते कदम (जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता)
- **दिव्यांगजनों के लिए स्वैच्छिक कार्य (डीडीआरएस योजना) को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना।** इस योजना का उद्देश्य स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें, जिनमें शीघ्र हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशल विकास, शिक्षा, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन शामिल हैं।
- दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उनकी क्षमता को साकार करने के उद्देश्य से, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ज़ोर दिया जाएगा।
- दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु **एनएचएफडीसी ऋण योजना।**

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का कल्याण

कुछ जनजातीय समूहों की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं, जैसे शिकार पर निर्भरता, भोजन के लिए संग्रहण, कृषि-पूर्व तकनीक का स्तर, जनसंख्या में शून्य या नकारात्मक वृद्धि और साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर।

इन समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहा जाता है। **जनजातीय समूहों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) अधिक कमजोर हैं।**

आदिम कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना

- आदिम कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना 1 अप्रैल, 2008 से लागू हुई।
- इस योजना में **अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर समूहों को** परिभाषित किया गया है और इसलिए यह योजना उनके संरक्षण और विकास को प्राथमिकता देने का प्रयास करती है। इसमें **75 विशेष जनजातियों की** पहचान की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है तथा राज्य सरकारों को विशिष्ट समूहों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप पहल की योजना बनाने में लचीलापन प्रदान करना है।

"विमुक्त जनजाति (डीएनटी) और खानाबदोश जनजाति" का कल्याण

शब्दों की उत्पत्ति

- इसका पता **1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम (सीटीए)** से लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत, भारत में जिन जातीय या सामाजिक समुदायों को चोरी जैसे "गैर-ज़मानती अपराधों को व्यवस्थित रूप से करने के आदी" के रूप में परिभाषित किया गया था, उन्हें सरकार द्वारा व्यवस्थित रूप से पंजीकृत किया गया था।
- औपनिवेशिक **सरकार ने लगभग 200 जनजातीय समुदायों को वंशानुगत अपराधी घोषित कर दिया।**
- वास्तव में उन्हें बहिष्कृत के रूप में सामाजिक पहचान दी गई थी।
- औपनिवेशिक अधिनियम के कारण उन्हें प्रशासन द्वारा लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
- **भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, इन्हें आपराधिक जनजातियों की सूची से 'विमुक्त' कर दिया गया**

वर्तमान वास्तविकता

- स्वतंत्रता के बाद, सीटीए 1871 को निरस्त कर दिया गया और बाद में केंद्र ने आदतन अपराधी अधिनियम (एचओए) का प्रस्ताव रखा।

- देश भर के दस राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। इससे समुदाय का सामूहिक बोझ व्यक्ति पर आ गया है।
- खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
- विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) को बड़े पैमाने पर समाज द्वारा बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।

बहिष्कार के परिणाम

- उनके पास उचित पहचान पत्र नहीं होते हैं। अक्सर उनके पास कोई आवासीय प्रमाण भी नहीं होता, इसीलिए वे सरकारी विकास योजनाओं से बाहर रह जाते हैं।
- ऐसी योजनाओं के लिए पात्र समझे जाने वाले लोगों को यादृच्छिक रूप से एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया।
- परिणामस्वरूप, विमुक्त जनजातियों के अधिकांश सदस्य भेदभाव समाप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों से अभी भी बाहर हैं।
- भारत की विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) को अब भी 'जन्मजात अपराधी' माना जाता है। सीटीए को निरस्त करने मात्र से सरकारी अधिकारियों या समाज के सदस्यों की मानसिकता नहीं बदल सकती।

2000 से सरकार के प्रयास

- विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीएनटी) 2003 में गठित किया गया था।
- दो साल बाद बालकृष्ण रेनके के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया गया। इसने 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विभिन्न HOAs को निरस्त करने की सिफ़ारिश की गई।
- इसके बाद, इसी प्रकार के अधिदेश के साथ इदाते आयोग का गठन किया गया।
- जुलाई 2014 में सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों (एनसीडीएनटी) के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था, ताकि विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार की जा सके।
- सरकार ने फरवरी 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक विकास और कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है।

डीएनटी के लिए योजनाएं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डीएनटी के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

- **डॉ. अम्बेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (डीएनटी) के लिए:** यह केंद्र प्रायोजित योजना 2014-15 से उन डीएनटी छात्रों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- पात्रता के लिए आय सीमा 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष है।
- यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इसका व्यय केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- **विमुक्ति प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु नानाजी देशमुख योजना।** 2014-15 से शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- इस योजना का उद्देश्य उन विमुक्ति प्राप्त छात्रों को छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं; ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। पात्रता हेतु आय सीमा 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष है।
- केंद्र सरकार पूरे देश में प्रति वर्ष अधिकतम 500 सीटें प्रदान करती है। लागत मानदंड 3.00 लाख रुपये प्रति सीट और फर्नीचर के लिए 5000 रुपये प्रति सीट है। यह व्यय केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- वर्ष 2017-18 से, "अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठन को सहायता" योजना को डीएनटी और ईबीसी के लिए "पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) / आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के कौशल विकास के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना" के रूप में विस्तारित किया गया है।

समय की मांग

- HOAs को निरस्त किया जाना चाहिए।
- विकास नीतियों को दीर्घकालिक और उपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
- सरकार को डीएनटी लोगों तक पहुंचना चाहिए।
- डीएनटी लोग आमतौर पर राज्य की मदद लेने से बचते हैं।
- भारत की खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के उत्पीड़न को समाप्त करने की आवश्यकता है।

बच्चों के मुद्दे

लापता/तस्करी/भगोड़े बच्चे

- **खोया-पाया पोर्टल**: बच्चों की सुरक्षा के लिए नागरिक भागीदारी लाने के लिए, 2015 में एक नया नागरिक आधारित पोर्टल खोयापाया शुरू किया गया था जो लापता और देखे गए बच्चों की जानकारी पोस्ट करने में सक्षम बनाता है।

POCSO ई-बॉक्स

- बच्चे अक्सर यौन शोषण की शिकायत करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें शिकायत दर्ज कराने का एक सुरक्षित और गुमनाम तरीका उपलब्ध कराने के लिए, एक इंटरनेट आधारित सुविधा, ई-बॉक्स, उपलब्ध कराई गई है।
- यहाँ, बच्चा या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति न्यूनतम विवरण के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होते ही, एक प्रशिक्षित परामर्शदाता तुरंत बच्चे से संपर्क करता है और सहायता प्रदान करता है।

किशोर न्याय

- किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालय के लिए विस्तृत बाल-हितैषी प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं।
- इनमें से कुछ प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं: किसी भी बच्चे को जेल या हवालात में नहीं भेजा जाएगा, किसी भी बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, बच्चे को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी, माता-पिता/अभिभावक को कानूनी सहायता के बारे में सूचित किया जाएगा, आदि।
- किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालय का दायित्व है कि वे बच्चे को सहज महसूस कराएँ और उसे बिना किसी डर के, पूछे गए प्रश्नों को बच्चे की समझ में आने वाली भाषा में समझने के बाद, तथ्यों और परिस्थितियों को बताने के लिए प्रोत्साहित करें।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

- राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का उद्देश्य तीन वर्षों की अवधि में समयबद्ध तरीके से बच्चों (0-6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना है।
- इसका उद्देश्य बच्चों (0-3 वर्ष) में कुपोषण को रोकना और कम करना; छोटे बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया की व्यापकता को कम करना; महिलाओं और किशोरियों (15-49 वर्ष) में एनीमिया की व्यापकता को कम करना और कम वजन वाले बच्चों के जन्म को कम करना है।

आंगनवाड़ी सेवाएं

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना, जिसे अब आंगनवाड़ी सेवा योजना के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना; बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना; मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना; बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना; और उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माताओं की क्षमता में वृद्धि करना है।

आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे में सुधार

- सरकार आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) को एक जीवंत प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास केन्द्र के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहला ग्रामीण केन्द्र बन सके।

किशोरियों के लिए योजना

- पोषण घटक के अंतर्गत, आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाली स्कूल न जाने वाली किशोरियों (11-14 वर्ष) और सभी लड़कियों (14-18 वर्ष) को घर ले जाने वाले राशन/गर्म पके भोजन के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।
- गैर-पोषण घटक में, 11-18 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- किशोर प्रजनन यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) परामर्श/परिवार कल्याण पर मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच और व्यावसायिक प्रशिक्षण (केवल 16-18 वर्ष की किशोरियों के लिए) पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- इस योजना का उद्देश्य स्कूल न जाने वाली लड़कियों को स्कूल प्रणाली की मुख्यधारा में लाना भी है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की वर्तमान स्थिति

- इस वर्ष जनवरी से जून तक देश भर में 24,212 एफआईआर दर्ज की गईं।
- एनसीआरबी के 2016 के आंकड़ों के अनुसार, पोक्सो मामलों में दोषसिद्धि दर 29.6% है, तथा लंबित मामले 89% तक हैं।
- ऐसे मामलों में सुनवाई के लिए निर्धारित दो महीने की समयावधि का अनुपालन शायद ही किया जाता है।

न्यायालय ने मुकदमों में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह आदेश के 60 दिनों के भीतर अधिनियम के तहत 100 से अधिक लंबित मामलों वाले प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें स्थापित करे। वर्तमान संशोधन बाल शोषण को रोकने की दिशा में एक कदम है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 की विशेषताएं

1. **शब्दावली**

- **गंभीर यौन उत्पीड़न:**
  - जहां अपराधी बच्चे का रिश्तेदार हो।
  - यदि हमले से बच्चे के यौन अंग घायल हो जाते हैं।
  - प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला।
  - किसी बच्चे को शीघ्र यौन परिपक्वता प्राप्त कराने के उद्देश्य से कोई रासायनिक पदार्थ देना।
- **बाल पोर्नोग्राफी:** किसी बच्चे से संबंधित यौन रूप से स्पष्ट आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण, जिसमें फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित छवि शामिल है, जो वास्तविक बच्चे से अलग नहीं हो सकती, तथा बनाई गई, अनुकूलित या संशोधित छवि, लेकिन जो एक बच्चे को चित्रित करती प्रतीत होती है।

2. **कारावास/दंड**

- **प्रवेशात्मक यौन हमला: जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रवेशात्मक यौन हमला करता है, उसे कम से कम बीस वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा** , किन्तु जो **आजीवन कारावास तक बढ़ाया** जा सकेगा ।
- **गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमला:**
  - वर्तमान में, गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है।
  - विधेयक में न्यूनतम सजा को दस वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष तथा अधिकतम सजा को मृत्युदंड कर दिया गया है।
- **पोर्नोग्राफी के लिए:**
  - अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग करने पर न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास हो सकता है।
  - अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करने पर जिसके परिणामस्वरूप यौन उत्पीड़न होता है, न्यूनतम 10 वर्ष (16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के मामले में: 20 वर्ष) और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
  - गंभीर यौन उत्पीड़न के साथ अश्लील साहित्य।
  - अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करने पर, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर यौन उत्पीड़न होता है, न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है।

मृत्युदंड पर विशेषज्ञ का दृष्टिकोण

- 2013 में गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड न दिए जाने की सिफारिश की थी।
- 2015 में भारतीय विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट में भी आतंकवाद के मामलों को छोड़कर मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी।

हालाँकि, **मच्छी सिंह (1983) और देवेंद्र पाल सिंह (2002) मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जा सकता है**।

बच्चों पर गंभीर यौन हमलों के लिए मृत्युदंड

- **हाँ, यह आवश्यक है**
- यह एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करेगा; लोगों को कानून के शासन का उल्लंघन करने से डरना चाहिए।
- कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों में कानून के प्रति विश्वास पैदा हो, साथ ही कानून संभावित अपराधियों और उल्लंघनकर्ताओं के दिलों में भय पैदा करे।
- रिपोर्ट किए जाने वाले मामले बहुत कम हैं। लेकिन, अगर समाज को यह भरोसा मिल जाए कि कानून पीड़ित की मदद के लिए आगे आएगा, तो मामले से जुड़ी गोपनीयता खत्म हो जाएगी और रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी।
- बच्चों के यौन उत्पीड़न को सबसे जघन्य अपराधों में गिना जाना चाहिए। इनकी सज़ा मृत्युदंड होनी चाहिए। यहाँ तक कि कई हत्याओं के आरोप में जेल में बंद क्रूर गैंगस्टर भी नाबालिगों के साथ बलात्कार करने वालों से घृणा करते थे।
- **नहीं, मृत्युदंड निवारक के रूप में कार्य नहीं कर सकता**
- मृत्युदंड प्रतीकात्मक कानून का एक प्रमुख साधन बन गया है। लेकिन, बड़ा मुद्दा बुनियादी ढाँचे की उदासीनता, प्रक्रियागत खामियाँ और मुकदमों में देरी है।
- इससे नाबालिग की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि हत्या के लिए अधिकतम सजा भी मृत्युदंड है।
- रॉबिन कॉनले ने अपनी पुस्तक, कन्फ्रंटिंग द डेथ पेनाल्टी में कहा है कि मृत्युदंड अमूर्त रूप में (एक विचार के रूप में विद्यमान) न्यायसंगत और उपयुक्त लग सकता है, लेकिन इसके निवारण की अपनी सीमाएं हैं।
- वैश्विक स्तर पर, इस दृष्टिकोण के समर्थन में शोध मौजूद है कि कठोर दंड के बावजूद, अपराधों की दर में कोई कमी नहीं आई है।
- मृत्युदंड से बच्चों पर अपराध की रिपोर्ट न करने का दबाव बढ़ेगा। 'भारत में अपराध: 2015' रिपोर्ट के अनुसार, 95% आरोपी बच्चे के परिचित होते हैं।
- मृत्युदंड पर निर्भरता आपराधिक न्याय प्रणाली की अन्य समस्याओं से ध्यान हटाती है।

समय की मांग

- पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत संरचनाएं स्थापित करना या मानव संसाधन नियुक्त करना।
- प्रभावित बच्चों के उपचार/पुनर्वास की निश्चितता।
- सजा में निश्चितता और एकरूपता से अपराध में कमी आएगी।
- पुलिस सुधार और फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करना अत्यावश्यक है।
- हमें वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए और युवाओं को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाना चाहिए

Saarthi

THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager **(1 Topic 1 page)** Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.

Ashutosh Srivastava
(B.E., MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.

Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

WALL OF FAME

UTKARSHA NISHAD
UPSC RANK - 18

SURABHI DWIVEDI
UPSC RANK - 55

SATEESH PATEL
UPSC RANK - 163

SATWIK SRIVASTAVA
SDM RANK-3

DEEPAK SINGH
SDM RANK-20

ALOK MISHRA
DEPUTY JAILOR RANK-11

SHIPRA SAXENA
GIC PRINCIPAL (PCS-2021)

SALTANAT PARWEEN
SDM (PCS-2022)

KM. NEHA
SUB REGISTRAR (PCS-2021)

SUNIL KUMAR
MAGISTRATE (PCS-2021)

ROSHANI SINGH
DIET (PCS-2020)

AVISHANK S. CHAUHAN
ASST. COMMISSIONER
SUGARCANE (PCS-2018)

SANDEEP K. SATYARTHI
CTO (PCS-2018)

MANISH KUMAR
DIET (PCS-2018)

AFTAB ALAM
PCS OFFICER

ASHUTOSH TIWARI
SDM (PCS-2022)

CHANDAN SHARMA
Magistrate
Roll no. 301349

YOU CAN BE THE NEXT....

8009803231 / 8354021661

D 22&23, PURNIYA CHAURAHA, NEAR MAHALAXMI SWEET HOUSE, SECTOR H, SECTOR E, ALIGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH 226024

MRP:– ₹ 300